

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 30 जून 2015 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्तुत
केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2014-15



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि 720 /02.16.001/2015-16

27 अगस्त, 2015
5, भाद्र, 1937 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 30 जून 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित हैं; और
- (ii) 30 जून 2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय

ह.

(रघुराम जी. राजन)

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

रघुराम जी. राजन

उप गवर्नर

हारून आर. खान
ऊर्जित आर. पटेल
आर. गांधी
एस. एस. मूंदड़ा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

अनिल काकोडकर
किरण एस. कर्णिक
नचीकेत एम. मोर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8 (1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

वाइ. एच. मालेगाम
दीपांकर गुप्ता
जी. एम. राव
इला भट्ट
इंदिरा राजरामन
वाई. सी. देवेश्वर
दामोदर आचार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8 (1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

हसमुख अढ़िया
अजय त्यागी

स्थानीय बोर्डों के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

किरण एस. कर्णिक

पूर्वी क्षेत्र

नचीकेत एम. मोर

अनिला कुमारी

शरीफुज्जमां लस्कर

उत्तरी क्षेत्र

अनिल काकोडकर

ए. नवीन भंडारी

दक्षिणी क्षेत्र

के. सेल्वराज

किरण पांडुरंग

प्रधान अधिकारी

(13 अगस्त 2015 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक	दीपक मोहंती
.....	पी. विजय भास्कर
.....	जसबीर सिंह
.....	दीपाली पंत जोशी
.....	एन.एस.विश्वनाथन
.....	यू.एस.पालीवाल
.....	चंदन सिन्हा
.....	माइकल डी. पात्रा
.....	के.के.वोहरा
.....	जी. महालिंगम
.....	मीना हेमचंद्र
केंद्रीय कार्यालय	
केंद्रीय सतर्कता कक्ष	सुरेखा मरांडी, मुख्य सतर्कता अधिकारी
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	अरुण पसरिचा, मुख्य महाप्रबंधक
कॉरपोरेट कार्यनीति और बजेट विभाग	सौरव सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग विनियमन विभाग	सुदर्शन सेन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	पार्वती सुंदरम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग	अल्पना कित्लावाला, प्रधान प्रेस संपर्क अधिकारी
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	सुमा वर्मा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग	मालविका सिन्हा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट सेवा विभाग	जे. एल. नेगी, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबन्ध विभाग	उमा शंकर, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	बी.एम. मिश्रा, प्रधान परामर्शदाता
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	एस. के. बल, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	एम. सरकार देब, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	एस. गणेशकुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
गैर बैंकिंग विनियमन विभाग	सी.डी.श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	सत्यन डेविड, मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	नन्दा देव, मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबन्ध विभाग	जी. चंटेजी, प्रभारी अधिकारी
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	ए. उदगाता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	एम. राजेश्वर राव, मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	आर. सुब्रमनियन, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	बी.पी. कानूनगो, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता इकाई	एस. राजगोपाल, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबन्ध विभाग	आर.एल. दास, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	बी.पी.विजयेंद्र, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबन्ध विभाग	आर.जी. वरियर, मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग	एम. के. सागर, परामर्शदाता
विधि विभाग	मोना आनंद, प्रभारी विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग	बी.के.भाई, प्रधान परामर्शदाता
परिसर विभाग	अरविंद शर्मा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग	रमाकांत गुप्ता, महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग	ए.के. मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	एस. के. महेश्वरी, मुख्य महाप्रबंधक
महाविद्यालय	प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	पी. के. पांडा
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	उमा सुब्रमण्यम
कार्यालय	क्षेत्रीय निदेशक
चेन्नै	जे. सदाकदुल्ला
कोलकाता	आर. एन.कर
मुंबई	एस. रामस्वामी
नई दिल्ली	दीपक सिंहल
शाखाएं	
अहमदाबाद	पी.सी.साहू
बंगलुरु	ई.ई.कार्थिके
भोपाल	अजय मिचयारी
भुवनेश्वर	पी.के. जेना
चंडीगढ़	रश्मि फौजदार
देहरादून	आर.एल.शर्मा
गुवाहाटी	एस.एस.बारीक
हैदराबाद	आर.एन. डेश
जयपुर	अरनब राय
जम्मू	डी. सेठी
कानपुर	शेखर भटनागर
लखनऊ	सुप्रिया पटनाइक
नागपुर	जे. एम.जीवानी
पटना	एम.के. वर्मा
रायपुर	सरस्वती श्यामप्रसाद
शिमला	आई.एस.नेगी
तिरुवनंथपुरम	निर्मल चंद
अगरतला	एन. पी. टोपनो, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
बेलापुर	एस. एन. पांडा, मुख्य महाप्रबंधक
गंगटोक	मनबेन्द्र मिश्रा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
कोची	यू. चिरंजीवी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
पणजी	जयकिश, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
रांची	पैट्रिक बरला, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शिलांग	अमरनाथ, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
श्रीनगर	सतीश शर्मा, सहायक महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

	पृष्ठ संख्या
गवर्नर की नज़र में : वार्षिक रिपोर्ट, 2014-15	1
भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं	9
I. मूल्यांकन और संभावनाएं	9
मूल्यांकन : 2014-15	9
संभावनाएं : 2015-16	11
II. आर्थिक समीक्षा	13
वास्तविक अर्थव्यवस्था	13
मूल्य की स्थिति	21
मुद्रा एवं ऋण	28
वित्तीय बाजार	36
सरकारी वित्त	43
बाह्य क्षेत्र	48
भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन	56
III. मौद्रिक नीति परिचालन	56
मौद्रिक नीति की संस्थागत संरचना में परिवर्तन	56
IV. ऋण प्रदान करना एवं वित्तीय समावेशन	68
ऋण प्रदान करना	69
वित्तीय समावेशन	71
वित्तीय साक्षरता	73
V. वित्तीय बाजारों और विदेशी मुद्रा प्रबंध का विनियमन	75
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	75
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	78
विदेशी मुद्रा विभाग	78
VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	82
वित्तीय स्थिरता इकाई	83
वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियमन	84
वाणिज्य बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग	84
सहकारी बैंक - सहकारी बैंक विनियमन विभाग	89
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी : गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग	91
वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण	93
वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	93
सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग	95
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी : गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	95

	पृष्ठ संख्या
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	96
राष्ट्रीय आवास बैंक	97
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	98
VII. लोक ऋण प्रबंध	100
केन्द्र सरकार का ऋण प्रबंध	101
राज्य सरकारों का ऋण प्रबंध	103
VIII. मुद्रा प्रबंध	107
मुद्रा में रुझान	107
मुद्रा प्रबंध की मूलभूत संरचना	108
स्वच्छ नोट नीति	109
जाली बैंक नोट	110
प्रतिभूति मुद्रण और वितरण पर खर्च	110
मुद्रा प्रबंध विभाग	111
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	112
IX. भुगतान और निपटान प्रणालियां एवं सूचना प्रौद्योगिकी	114
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	114
भुगतान प्रणालियों में रुझान और प्रगति	114
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	119
X. गवर्नेन्स, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन	122
गवर्नेन्स संरचना	122
संचार प्रक्रियाएं	125
मानव संसाधन संबंधी पहल	126
बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	132
रिजर्व बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण	134
अंतरराष्ट्रीय संबंध	135
सरकारी और बैंक लेखा	135
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन	136

	पृष्ठ संख्या
आर्थिक और नीति अनुसंधान	136
सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन	137
विधि संबंधी मामले	138
कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट-निर्माण	139
कॉरपोरेट सेवाएं	139
राजभाषा	139
परिसर विभाग	140
XI. 2014-15 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा	141
तुलनपत्र	144
30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	150
आय	161
व्यय	163
अनुबंध - प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2014 से जून 2015	166
परिशिष्ट सारणियां.....	179

परिशिष्ट सारणियां

1. समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	179
2. वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (2011-12 के मूल्यों पर)	181
3. मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण	182
4. प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार	183
5. मुख्य राजकोषीय संकेतक	184
6. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण	185
7. भारत का समग्र भुगतान संतुलन.....	186
8. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार	187

बॉक्स

1. बॉक्स II.1 भारतीय कृषि कितना मानसून-पूफ (रोधी) है ?	16
2. बॉक्स II.2 मजदूरी वृद्धि और ग्रामीण मुद्रास्फीति - क्या उनमें संबंध है?	25
3. बॉक्स II.3 स्पिलओवर और स्पिलबैक	29
4. बॉक्स II.4 हाल की ऋण मंदी के अंतर्निहित कारक: ऐतिहासिक अन्वेषण	32
5. बॉक्स II.5 राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता	45
6. बॉक्स II.6 व्यापार संबद्धता एवं लचीलापन	49
7. बॉक्स II.7 भारत की नव विदेश व्यापार नीति 2015-20	52
8. बॉक्स III.1 मौद्रिक नीति रिपोर्ट-मुद्रास्फीति लक्ष्य का प्रसार माध्यम.....	61
9. बॉक्स III.2 भारत में विभिन्न समयावधि में स्वाभाविक ब्याज दर	66
10. बॉक्स IV.1 : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना - एक नई दृष्टि.....	69
11. बॉक्स IV.2 : भारतीय रिजर्व बैंक के 80 वर्ष : वित्तीय समावेशन सम्मेलन	72
12. बॉक्स V.1 जी20 की प्रतिबद्धताएं और भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में सुधार	76
13. बॉक्स VI.1 बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे और बाजार प्रणाली के जरिए ऋण आपूर्ति को बढ़ाने के संबंध में चर्चा पत्र.....	85
14. बॉक्स VI.2 : भारत में बैंकरप्सी प्रक्रिया.....	87
15. बॉक्स VI.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्ति गुणवत्ता और संशोधित दिशानिर्देश	92
16. बॉक्स VI.4 माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट रीफाइन्स एजेन्सी (मुद्रा) लिमिटेड	93

	पृष्ठ संख्या
17. बॉक्स VI.5 बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम	96
18. बॉक्स VI.6 उपभोक्ता अधिकार चार्टर	98
19. बॉक्स VII.1 सरकारी बैंकिंग में की गई नई पहल	105
20. बॉक्स VIII.1: मुद्रा को देश में प्रिंट करने का प्रयास	111
21. बॉक्स X.1 भारतीय रिज़र्व बैंक: मूल उद्देश्य, मूल्यों और लक्ष्यों का विवरण	124
22. बॉक्स X.2 रिज़र्व बैंक का संगठनात्मक पुनर्गठन	126
23. बॉक्स: X.3 केंद्रीय बैंकों में परिचालनगत जोखिम निगरानी रूपरेखा	132
24. बॉक्स X.4 केन्द्रीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन एवं आर्थिक पूंजी	133

संक्षेपाक्षर - सूची

एएवाई	- अंत्योदय अन्न योजना	बीई	- बजट अनुमान
एबीसीआई	- भारत की व्यापार संचार असोसिएशन	बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
एसीबी	- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति	बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
एडी	- प्राधिकृत डीलर	बीएलआरसी	- दिवाला कानून सुधार समिति
एडीएफ	- आस्ति विकास निधि	बीओ	- बैंकिंग लोकपाल
एडीएफ	- स्वचालित/कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों की उपलब्धता/प्रवाह	बीओजे	- बैंक ऑफ जापान
एडीआर	- अमरीकी निक्षेपागार रसीद	बीओपी	- भुगतान संतुलन
ईई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	बीपीएल	- गरीबी रेखा से नीचे
एएफए	- अधिप्रमाणन का अतिरिक्त कारक	बीपीएलआर	- बेंचमार्क मूल उधार दर
एएफसी	- आस्ति वित्त कंपनी	बीपीआर	- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास
एआईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	बीपीएस	- आधार अंक
एएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली	बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण	बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि.
एपीएल	- गरीबी रेखा से ऊपर	बीआरआईसीएस	- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
एपीएमसी	- कृषि उपज विपणन समिति	बीएसबीडी	- साधारण बचत बैंक जमा
एपीएमएस	- आस्ति मूल्य निगरानी प्रणाली	बीएसबीडीए	- साधारण बचत बैंक जमा खाता
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	बीएसआर	- मूलभूत सांख्यिकी विवरणी
एआरएमएस	- लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
एटीबी	- नीलामी खजाना बिल	सीएडी	- चालू खाता घाटा
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन	कैफरल	- उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र
बीए	- व्यापार क्षेत्र	कैमैल्स	- पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि प्रणाली एवं नियंत्रण
बीबीपीसीयू	- भारत बिल भुगतान केन्द्रीय इकाई	सीएपी	- सुधारात्मक कार्रवाई योजना
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई	सीएआरजी	- संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली	सीबीएलओ	- संपाश्रीकृत ऋण लेने और ऋण देने संबंधी बाध्यता
बीसी	- बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट्स/ व्यवसाय प्रतिनिधि	सीबीएस	- कोर बैंकिंग सुविधा
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति	सीबीएसई	- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
बीसीएम	- मुद्रा प्रबंधन के लिए बैंक		
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन		
बीसीएसबीआई	- भारतीय बैंक संहिता और मानक बोर्ड		

संक्षेपाक्षर - सूची

सीबीएसएल	- श्रीलंका का केंद्रीय बैंक	सीएमडी	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति	सीओडी	- केन्द्रीय कार्यालय के विभाग
सीसीसी	- केंद्रीय शिकायत समिति	सीपी	- वाणिज्यिक पत्र
सीसीसीबी	- प्रतिचक्रीय पूंजीगत बफर	सीपीसी	- नकदी संसाधन केंद्र
सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	सीपीसी	- चेक संसाधन केंद्र
सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्षकार	सीपीआई	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीसीएस	- ऋण स्थिति पर्यवेक्षण	सीपीआई-एएल	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषि श्रमिकों के लिए
सीसीएसओ	- मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी	सीपीआई-सी	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- संयुक्त
सीडी	- जमा प्रमाणपत्र	सीपीआईएस	- समन्वय पोर्टफोलियो निवेश सर्वे
सीडी	- ऋण जमाराशि	सीपीएमआई	- भुगतान और बाजार बुनियादी सुविधाओं पर समिति
सीडीआर	- कॉर्पोरेट ऋण पुनर्चना	सीआरए	- आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था
सीडीएस	- ऋण चूक स्वैप	सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीईओबीई	- तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण	सीआरआईएलसी	- बड़े ऋणों के संबंध में केन्द्रीय सूचना कोष
सीईपीडी	- ग्राहक शिक्षण और संरक्षण विभाग	सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीईआरएसएआई	- प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और भारत की सुरक्षा के हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री	सीएस	- मुद्रा स्वैप
सीईएस	- उपभोक्ता व्यय सर्वे	सीएसबीडी	- कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
सीएफएस	- पूंजी निधि	सीएसएफ	- समेकित ऋण शोधन निधि
सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली की समिति	सीएसओ	- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
सीजीआरए	- मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	सीटीएस	- चेक ट्रैकेशन प्रणाली
सीजीटीएमएसई	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास	सीवीए	- ऋण मूल्यांकन समायोजन
सीएचआरएस	- व्यापक मानव संसाधन प्रणाली	सीवीएम	- सिक्का वेंडिंग मशीन
सीआईसी	- साख सूचना कंपनियां	डीबीआईई	- भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस
सीआईसी	- मूल निवेश कंपनियां	डीबीआर	- बैंकिंग विनियमन विभाग
सीआईएल	- कोल इंडिया लिमिटेड	डीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
सीआईएस	- सामूहिक निवेश योजनाएँ	डीबीटी	- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
सीआईएसओ	- मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी	डीसीबीआर	- सहकारी बैंक विनियमन विभाग
सीआईटी	- पारगमन में नकदी	डीसीबीएस	- सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग
सीएलएसएस	- क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना	डीसीसी	- गतिशील मुद्रा रूपान्तरण
सीएमबी	- नकदी प्रबंधन बिल		

संक्षेपाक्षर - सूची

डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	ईसीसीएस	- द्रुतगामी चेक समाशोधन प्रणाली
डीसीसीओ	- वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ की तिथि	ईसीएफ़	- आर्थिक पूंजी ढांचा
डीसीएम	- मुद्रा प्रबंध विभाग	ईसीआर	- निर्यात ऋण पुनर्वित
डीसी	- डाटा केंद्र	ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
डीसीएस	- कॉर्पोरेट सेवा विभाग	ईडीएमएस	- इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रबंधन प्रणाली
डीईए	- जमाकर्ता साक्षरता और जागरूकता	ईडीपीएमएस	- निर्यात डाटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
डीईआईओ	- बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	ईकेपी	- उद्यम ज्ञान पोर्टल
डीईपीआर	- आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	ईमेल	- इलेक्ट्रॉनिक मेल
डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग	ईएमडीई	- उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
डीजीसीआईएस	- वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय	ईएमई	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	ईएमयू	- यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीजा
डीआईएफ़	- जमा बीमा कोष	ईओआई	- अभिरुचि प्रस्ताव
डीआईएमयू	- आंकड़ा और सूचना प्रबंधन इकाई	ईपीसी	- अभियांत्रिकी, सरकारी खरीद और निर्माण
डीआईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	ईआरई	- विनिमय दर लोच
डीएनबीआर	- गैर बैंकिंग विनियमन विभाग	ईआरएम	- उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन
डीएनबीएस	- गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	ईटीसीडी	- विनिमय व्यापारित मुद्रा व्युत्पन्नी
डीओसी	- संस्थापना की तारीख	ईयू	- यूरोपीय संघ
डीओसी	- संचार विभाग	ईडब्ल्यूएस	- पूर्व चेतावनी प्रणाली
डीओएलएस	- गतिक सामान्य लघुतम वर्ग	एक्जिम बैंक	- भारतीय निर्यात आयात बैंक
डीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	एफ़एओ	- खाद्य और कृषि संगठन
डीआरजी	- विकास अनुसंधान समूह	एफ़एक्यू	- अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न
डीआरएचपी	- प्रारंभिक विवरणिका का प्रारूप (सार्वजनिक प्रस्ताव के संदर्भ में)	एफ़बीआईएल	- वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि.
डीआरटीएस	- ऋण वसूली न्यायाधिकरण	एफ़सीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां
डी-एसआईबी	- देशी- प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक	एफ़सीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड
डीएसआईएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	एफ़सीआई	- भारतीय खाद्य निगम
ईबीटी	- इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण	एफ़सीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) लेखा
ईसीए	- आवश्यक वस्तु अधिनियम	एफ़सीआरए	- विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन खाता
ईसीबी	- यूरोपीय केंद्रीय बैंक	एफ़सीएस	- वित्तीय कंपनियों के संगठन
ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार	एफ़सीवीए	- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता

संक्षेपाक्षर - सूची

एफसीवाई	- विदेशी मुद्रा	एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफडीआई	- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफडीआईसी	- फेडरल जमा बीमा निगम	एफएसएलआरसी	- वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
एफईडी	- विदेशी मुद्रा विभाग	एफएसआर	- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफईडीआई (फेडाई)	- भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ	एफएसयू	- वित्तीय स्थिरता इकाई
एफईएमए (फेमा)	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम	एफएसडब्ल्यूएम	- वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित
एफआई	- वित्तीय संस्थान	एफटीपी	- विदेशी व्यापार नीति
एफआईएसी	- वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति	एफवीसीआई	- विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक
एफआईसीएन	- जाली भारतीय करेंसी नोट	एफडब्ल्यूजी	- रूपरेखा कार्यकारी दल
एफआईडीडी	- वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	एफएक्स	- विदेशी मुद्रा
एफआईआई	- विदेशी संस्थागत निवेशक	जीबीपी	- ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड
एफआईएमएमडीए	- निश्चित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ	जीसीसी	- सामान्य क्रेडिट कार्ड
एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजना	जीडीपी	- सकल घरेलू उत्पाद
एफआईपीबी	- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड	जीडीआर	- वैश्विक निक्षेपागार रसीद
एफआईटी	- लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य	जीएफसीई	- सकल अंतिम खपत व्यय
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	जीएफसीएफ	- सकल स्थिर पूंजी निर्माण
एफएमसीजी	- तेजी से बिकनेवाली ग्राहक वस्तुएं	जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
एफएमडी	- वित्तीय बाजार विभाग	जीआईएफटी	- गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रोद्योगिकी-शहर
एफएमआई	- वित्तीय बाजार मूलभूत व्यवस्थाएं	जीजेआरएचआरएस	- स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना
एफएमओडी	- वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	जीएमएम	- सांख्यिकी मॉडल में पैरामीटरों के आकलन की सामान्य विधि
एफएमआरडी	- वित्तीय बाजार विनिमय विभाग	जीएनडीआई	- सकल राष्ट्रीय अप्रयोज्य आय
फोरेक्स	- विदेशी मुद्रा	जीओआई	- भारत सरकार
एफपीएएस	- पूर्वानुमान और नीति विश्लेषण प्रणाली	जीआरए	- स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा
एफपीआई	- विदेशी संविभाग निवेश	जीआरएफ	- गारंटी उन्मोचन निधि
एफपीओ	- अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव	जीआरक्यू	- कोटा की सामान्य समीक्षा
एफआरए	- वित्तीय संकल्प प्राधिकरण	जीएसडीपी	- सकल राज्य देशी उत्पाद
एफआरए	- वायदा दर करार	जी-एसईसीएस	- सरकारी प्रतिभूतियां
एफआरबीएम एक्ट	- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम	जीएसआइबी	- वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक
एफएसएपी	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम		

संक्षेपाक्षर - सूची

जी एसआईआई	- वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता	आईएफएससी	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
जीएसटी	- माल और सेवा कर	आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
जीवीए	- योजित सकल मूल्य	आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान
जीवीसी	- वैश्विक मूल्य श्रृंखला	आईआईएफसी	- भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी
एचएफए	- सभी के लिए आवास	आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
एचएफसी	- आवास वित्त कंपनियों	आईआईडब्ल्यूजी	- निवेश और बुनियादी संरचनावाले कार्यकारी दल
एचपीआई	- आवास मूल्य सूचकांक	आईएलओ	- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
एचक्यूएलए	- उच्च गुणवत्तावाली चल आस्तियां	आईएमडी	- भारतीय मौसम विभाग
एचआरएमडी	- मानव संसाधन प्रबंध विभाग	आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित	आईएमपीएस	- तत्काल भुगतान सेवा
एचयूएफ	- हिन्दू अविभक्त परिवार	आईएनआर	- भारतीय रुपया
आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ	आईएनवीआईटीएस	- बुनियादी संरचनावाले निवेश न्यास
आईईआरएम	- आंतरिक लेखापरीक्षा और उद्यम जोखिम प्रभाग	आईओडी	- हिंद महासागर द्विध्रुव
आईबीए	- भारतीय बैंक संघ	आईओआरडब्ल्यूजी	- अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्यकारी दल
आईबीएल	- अंतर-बैंक देयताएं	आईओएस	- औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वे
आईबीएस	- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी	आईओएससीओ	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईबीयू	- आईएफएससी बैंकिंग इकाई	आईपी	- इंटरनेट प्रोटोकॉल
आईसीबीए	- अंतर-केंद्रीय बैंक करार	आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आईसीडीआर	- पूंजी निगम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं	आईपीवी6	- इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 6
आईसीएसडी	- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय सुरक्षा जमाकर्ता	आईआरए	- निवेश पुनर्मूल्यन खाता
आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	आईआरडीए	- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईडीएफसी	- वित्तीय कंपनियों की बुनियादी संरचना	आईआरएफ	- आंतर विनियामक फोरम
आईडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	आईआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स
आईडीपीएमएस	- आयात डाटा प्रसंस्करण तथा निगरानी प्रणाली	आईआरएस	- ब्याज दर स्वैप
आईईएसएच	- परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण	आईआरएस	- घटना रिपोर्टिंग प्रणाली
आईएफसी	- भारतीय वित्तीय कोड	आईआरटीजी	- अंतर-विनियामक तकनीकी समूह
आईएफसी	- बुनियादी संरचनावाली वित्तीय कंपनियों	आईएस	- सूचना प्रणाली
आईएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	आईएसएचयूपी	- शहरी गरीबों की रिहाइश हेतु ब्याज- सब्सिडी
		आईएसओसी	- सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र

संक्षेपाक्षर - सूची

आईएसएस	- समन्वित सुरक्षा प्रणाली	एलटीवी	- मूल्य की तुलना में कर्ज
आईटी	- मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण	एम3	- मुद्रा आपूर्ति
आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी	एमएटी	- न्यूनतम वैकल्पिक कर
आईटी-बीपीओ	- सूचना प्रौद्योगिकी - कारोबार प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग	एमसीए	- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
आईटीबीएस	- मध्यवर्ती खजाना बिल	एमडी	- प्रबंध निदेशक
आईटीएफ	- कार्यान्वयन कार्य बल	एमडीआर	- व्यापार बट्टा दर
आईटी-पैन	- आय कर- स्थायी खाता संख्या	एमईआईएस	- भारतीय स्कीम से वणिक निर्यात
आईटीएससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति	एमईपी	- न्यूनतम निर्यात कीमत
जेएलएफ	- संयुक्त उधारदाता फोरम	एमएफआई	- सूक्ष्म वित्त संस्थान
जेएलजी	- संयुक्त देयताएं समूह	एमजीएनआरईजीए	- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
जेवी	- संयुक्त उद्यम	एमआई	- बाजार आसूचना
केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड	एमआईबीओआर	- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
केआरए	- प्रमुख निष्पादन क्षेत्र	एमआईसीआर	- चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान, माइकर
केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए	एमआईएस	- प्रबंध सूचना प्रणाली
एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक	एमएमएलआर	- अंतिम बाजार निर्माता
एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा	एमएमआरपी	- आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि
एलबीएमए	- लंदन बुलियन मार्केट असोसिएशन	एमएमएस	- मेल मेसेजिंग प्रणाली
एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात	एमएनओ	- मोबाईल नेटवर्क परिचालक
एलई	- व्यापक एक्सपोजर	एमओएसपीआई	- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एलईआई	- विधिक संस्था पहचानकर्ता	एमओयू	- समझौता ज्ञापन
एलएलपीएस	- देयता भागीदार कंपनियां	एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
एलओबीएम	- बही और बाजार मूल्यों में से निम्नतर	एमपीडी	- मौद्रिक नीति विभाग
एलओएलआर	- अंतिम ऋणदाता	एमपीआर	- मौद्रिक नीति रिपोर्ट
एलओयू	- स्थानीय परिचालन इकाई	एमएसईएस	- सूक्ष्म और लघु उद्यम
एलपीए	- दीर्घावधि औसत	एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा
एलपीजी	- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	एमएसएमएमईसी	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एलआर	- लिवरेज अनुपात	एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन कीमत
एलआरएस	- उदारीकृत विप्रेषण योजना	एमटी	- मिलियन टन
एलएसई	- लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स	एमटी	- मेट्रिक टन

संक्षेपाक्षर - सूची

एमटीएम	- बाजार भाव पर दर्शाना	एनएचएआई	- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एमटीएसएस	- धन अंतरण सेवा योजना	एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एमयूडीआरए	- सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी	एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एमडब्ल्यू	- मेगा वैट	एनआईसी	- संचलन में नोट
एनएबी	- उधार की नई व्यवस्था	एनआईआईएफ	- राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी निधि
एनएबीएआरडी	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	एनआईआईपी	- निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह	एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन
एनएवी	- निवल आस्ति मूल्य	एनएम3	- नये कुल मौद्रिक
एनबीएफसी	- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी	एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि
एनबीएफसी-एमएफआई	- एनबीएफसी-लघु वित्तीय संस्थान	एनओएनजी	- तेल से इतर स्वर्ण से इतर
एनबीएफसी-डी	- जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान	एनपीए	- अनर्जक आस्ति
एनबीएफसी-एनडी	- जमाराशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान	एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-जमाराशि न लेने वाली	एनपीआईएसएच	- गृहस्थ सेवा प्रदाता अलाभ संस्थाएं
एनबीवी	- निवल बही मूल्य	एनआरआई	- अनिवासी भारतीय
एनसीबी	- असहयोगी उधारकर्ता	एनआरएलएम	- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनसीडीसी	- अपरिवर्तनीय डिबेंचर	एनएसडीएल	- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनसीईआरटी	- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	एनएसडीपी	- निवल राज्य घरेलू उत्पाद
एनसीएलटी	- राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायधिकरण	एनएसएफआर	- निवल स्थिर निधीयन अनुपात
एनसीएम	- अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग	एनएसएसओ	- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एनडीए	- निवल देशी आस्ति	एनयूएलएम	- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
एनडीएस-ओएम	- तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान	एनयूयूपी	- राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफार्म
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं	ओबीसी	- अन्य पिछड़े वर्ग
एनईसीएस	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	ओबीएस	- तुलनपत्रोत्तर
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	ओडी	- ओवरड्राफ्ट
एनईएम	- पूर्वोत्तर मानसून	ओडीआई	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां	ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
एनएफएस	- राष्ट्रीय वित्तीय स्वीच	ओआईएस	- एक दिवसीय सूचकांक स्वैप
		ओएमओ	- खुला बाजार परिचालन
		ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
		ओआरएम	- परिचालन जोखिम प्रबंधक

संक्षेपाक्षर - सूची

ओएसएमओएस	- परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली	क्यूई	- मात्रात्मक सहजता
ओएसएस	- परोक्ष चौकसी	क्यूएफआई	- अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक
ओटीसी	- काउंटर पर	क्यूआईबी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता
ओवीडी	- आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज	क्यूआईपी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट
पीए	- अनंतिम खाता	आर एन्ड डी	- अनुसंधान और विकास
पीएएन	- स्थायी खाता संख्या	आरएएफ	- जोखिम लेने की क्षमता ढांचा
पीसीए	- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	आरबीआई	- भारतीय रिजर्व बैंक
पीडीएमए	- लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी	आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा
पीडी	- प्राथमिक व्यापारी	आरबीआईक्यू	- भारतीय रिजर्व बैंक की प्रश्नोत्तरी
पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली	आरबीआईडब्ल्यूपीएस	- आरबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला
पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय	आरबीएस	- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
पीएफसीवीए	- वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान	आरबीएससी	- भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
पीएफएमआई	- वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा सिद्धांत	आरसीजी	- एशिया के लिए क्षेत्रीय परामर्शी समूह
पीएफएमएस	- सरकारी वित्त प्रबंधन प्रणाली	आरसी	- पुनर्निर्माण कंपनी
पीआईडी	- जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा	आरडी	- राजस्व घाटा
पीएलएफ	- प्लांट लोड फैक्टर	आरडीए	- रुपया आहरण व्यवस्था
पीएमजी	- परियोजना निगरानी समूह	आरईसीएस	- क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
पीएमआई	- क्रेता प्रबंधकों का सूचकांक	आरईआईटी	- भू-संपदा निवेश न्यास
पीएमजेडीवाई	- प्रधान मंत्री जन धन योजना	आरएफसीए	- वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन
पीएमएस	- कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली	आरएफपीआई	- पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
पीओएल	- पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ	आरजीएस	- जोखिम अभिशासन संरचना
पीओएस	- बिक्री केंद्र	आरएचएफ	- ग्रामीण आवास निधि
पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत	आरआईडीएफ	- ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि
पीपीपी	- सरकारी निजी सहभागिता	आरएमडी	- जोखिम निगरानी विभाग
पीएसबीएस	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ
पीएसएल	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार	आरओसी	- विनियामक निगरानी समिति
पीएसएलसी	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रमाणपत्र	आरओई	- इक्विटी पर प्रतिलाभ
पीएसएस एक्ट	- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम	आरओ	- क्षेत्रीय कार्यालय
पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
पीवीपी	- भुगतान बनाम भुगतान	आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान प्रणाली

संक्षेपाक्षर - सूची

आरटीआई एक्ट	- सूचना का अधिकार अधिनियम	एसआईओएस	- सेवाएं और बुनियादी सेवा आउटलुक सर्वे
आरडब्ल्यूए	- जोखिम भारत आस्तियां	एसजेएसआरवाइ	- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
एसएए	- स्वैप परिशोधन खाता	एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएएआरसी (सार्क)	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन	एसएलसीसी	- राज्य स्तरीय समन्वय समिति
एसएआरएफईएसआई	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन	एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसबीआईजी	- आभासी बैंकिंग कार्यान्वयन समूह	एसएमए	- विशेष उल्लेख खाते
एसबीपी	- स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान	एसएमसी	- वरिष्ठ प्रबंधन समिति
एससी	- प्रतिभूतिकरण कंपनी	एसएमएस	- संक्षिप्त संदेश सेवा
एससीएवी	- प्रभावशालिता के मूल्यांकन से संबंधित स्थायी समिति	एसएनबी	- स्विस् नेशनल बैंक
एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एससी	- अनुसूचित जाति	एसआरसी	- पर्यवेक्षण और विनियामक सहयोग पर स्थायी समिति
एसडीएफ	- विशेष आहरण सुविधा	एसआरएस	- सुरक्षा प्राप्तियां
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण	एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
एसडीआर	- विशेष आहरण अधिकार	एसटीओ	- राज्य कोषागार कार्यालय
एसडीआर	- रणनीतिपरक ऋण पुनर्संरचना	एसटीपी	- स्ट्रेट-थ्रू- प्रोसेसिंग
एसडीएस	- छोटे आकार की सहयोगी संस्था	एसटी	- अनुसूचित जनजाति
एसईबीआई	- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	एसडब्ल्यूएम	- दक्षिण-पश्चिम मानसून
एसईआईएस	- भारतीय स्कीम से सेवाओं का निर्यात	एसडब्ल्यूएमए	- विशेष अर्थोपाय अग्रिम
एसईपी	- स्व रोजगार कार्यक्रम	टीएसी	- तकनीकी सलाहाकार समिति
एसईजेड	- विशेष आर्थिक क्षेत्र	टीएसीएस	- सर्वेक्षण पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति
एसएफ	- सार्कफाइनेंस	टीएजी	- तकनीकी सलाहाकार समूह
एसएफटी	- प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार	टीसी	- तकनीकी समिति
एसजीएल	- सहायक सामान्य खाता बही	टीएलएसी	- कुल हानि-वहन क्षमता
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह	टीओएलआईसी	- शहर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एसआईए	- औद्योगिक सहायता के लिए सचिवालय	टीआर	- व्यापारिक रिपोजिटरी
एसआईबीएस	- प्रणालीगत आयात बैंक	टीआरईडीएस	- व्यापार प्राप्य राशि कटौती प्रणाली
एसआईसीए	- रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम	यूबीडी	- शहरी बैंक विभाग
एसआईडीबीआई	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	यूसीबी	- शहरी सहकारी बैंक

संक्षेपाक्षर - सूची

यूके	- यूनाइटेड किंगडम	डब्ल्यूएसीआर	- भारत औसत मांग मुद्रा दर
यूएमपी	- अपारंपरिक मौद्रिक नीतियां	डब्ल्यूएडीआर	- भारत औसत बट्टा दर
यूएस	- संयुक्त राष्ट्र अमरीका	डब्ल्यूएडीटीडीआर	- भारत औसत देशी मीयादी जमा दर
यूएसडी	- अमेरिकी डॉलर	डब्ल्यूईआईआर	- भारत औसत प्रभावी ब्याज दर
यूएसएसडी	- असंगठित अनुपूरक सेवा डेटा	डब्ल्यूएएलआर	- भारत औसत उधार दर
यूटी	- संघशासित क्षेत्र	डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
वीएपीटी	- प्रभावशालिता मूल्यांकन और व्यापन परीक्षण	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
वीएआर	- वेक्टर आटो रिग्रेशन	डब्ल्यूओएस	- पूर्णता: स्वाधिकृत सहायक कंपनी
वीसी	- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
वीईसी	- वेक्टर त्रुटि सुधार	डब्ल्यूएसएस	- साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक
वीआईएफ	- भिन्न मुद्रास्फीति कारक	एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
		जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in
पर भी देखी जा सकती है

गवर्नर की नज़र में : वार्षिक रिपोर्ट, 2014-15

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भारत के जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि पिछले वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक से कौन से कार्य करने की अपेक्षा की गई थी और कितने कार्य वास्तव में किए गए। इस रिपोर्ट में, भारतीय रिज़र्व बैंक आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावों को भी प्रस्तुत करता है। हमारी कार्रवाई वर्तमान समष्टि-आर्थिक वातावरण तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए हमारे बृहत मध्यावधि ढांचे से प्रभाव ग्रहण करते हुए की जाती है।

वर्तमान समष्टि-आर्थिक वातावरण की चुनौतियां

2. हाल के वर्षों में सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में समष्टि-आर्थिक स्थिरता कायम रखने के लिए भरसक प्रयास करने के बावजूद रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण से अभी भी तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें “कार्य प्रगति पर है” की स्थिति बनी हुई है। पहला, आर्थिक विकास अभी भी उस स्तर से नीचे बना हुआ है जिसे प्राप्त करने की राष्ट्र में क्षमता है। दूसरा, जनवरी 2016 (अगस्त 2015 के प्रारंभ के अनुसार) के मुद्रास्फीति के अनुमान अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति प्रयोजन-सीमा से अधिक बने हुए हैं। तीसरा, आधार दर में कटौती करने की बैंकों की इच्छा जिसके लिए उन्हें नये कारोबार आकर्षित करने हेतु मौजूदा उधारकर्ता से होने वाली आय को छोड़ना पड़ता है - यह स्थिति खामोश बनी हुई है, न केवल कमजोर कॉर्पोरेट निवेश से नये लाभदायक ऋणों की मात्रा घट गई है, बल्कि कुछ बैंकों की पूंजी की स्थिति एनपीए के कारण कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से वे मुक्त रूप में उधार नहीं दे पाएंगे।

3. इसलिए रिज़र्व बैंक की अल्पकालिक समष्टि-आर्थिक प्राथमिकताएं बहुत ही स्पष्ट हैं: प्रस्तावित ग्लाइड-पथ के अनुरूप मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाने पर फोकस करना, सरकार और बैंकों के साथ मिलकर दबावग्रस्त परियोजनाओं के समाधान कार्य में तेजी लाना तथा बैंक के तुलनपत्र को साफ-सुथरा बनाना, यह सुनिश्चित करना कि बैंकों के पास पूंजी उपलब्ध हो ताकि वे प्रावधान कर सकें, नई उधारी को समर्थन प्रदान कर सकें और इस प्रकार भविष्य में दरों में संभावित कटौती से आसानी से गुज़र सकें।

मुद्रास्फीति का उद्देश्य

4. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें मध्यावधि में लचीली

मुद्रास्फीति के उद्देश्य के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिदेश का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस वर्ष में वित्त मंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति की संरचना तैयार करने का प्रस्ताव किया है जिसे औपचारिक और कानूनी तौर पर नीतिगत निर्णय लेने का दायित्व सौंपा जा सकता है। यह एक ऐसी संस्था बनाने का स्वागत योग्य कदम है जिसकी हमें पारदर्शी तथा स्वतंत्र मौद्रिक नीति के लिए आवश्यकता है।

5. चलनिधि प्रबंधन की ओर देखें तो पाएंगे कि भारतीय रिज़र्व बैंक काफी हद तक विंडो व्यवस्था जहां से बैंक नियत मूल्य पर चलनिधि प्राप्त कर सकते हैं, से बाज़ार में चलनिधि की नीलामी करने की व्यवस्था तक आ गया है। इसका मकसद यह है कि इस प्रकार के पर्याप्त परिचालन किए जाएं ताकि भारत औसत मांग मुद्रा दर (सहकारी बैंकों द्वारा किए जानेवाले बाज़ार से इतर लेनदेन से उत्पन्न) को नीतिगत दर के निकट बनाए रखा जा सके। चलनिधि की आवश्यकता में तालमेल बनाए रखने के लिए अल्पकालिक लिखतों (जैसे - ओवरनाइट रेपो और रिवर्स रेपा) तथा दीर्घकालिक लिखतों जैसे - खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) के बीच चयन करते समय बैंक इस बात का आकलन करता है कि वह अपनी “स्थायी” परिसंपत्तियों को किस गति से बढ़ाना चाहता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी बांडों के योग पर निर्भर करता है और उसके अनुसार बैंक निर्णय लेता है।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां और तात्कालिक समाधान

6. बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के बारे में कार्रवाई करते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक का फोकस इस बात पर होता है कि महत्वपूर्ण वास्तविक परियोजनाओं को किस प्रकार से वापस क्रियाशील किया जाए। इसमें कई प्रकार की बाधाएं हैं। पहली, “अनर्जक” बन जाने का दाग लगना तथा ऋण से जुड़े प्रावधान (और लाभप्रदता में गिरावट), बैंक को इस दाग से बचने के लिए उकसाते हैं। कुछ मामलों में, वे इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि मौजूदा ऋण को अवलिखित (रिटेन डाउन) करना ही पड़ेगा क्योंकि जब उन्हें मंजूर किया गया था तब से अब तक परिस्थितियां बदल चुकी हैं (जिनमें शामिल हैं - अत्यधिक विलंब, अत्यधिक लागत, मांग का अतिआशावादी अनुमान)। रेगुलेटरी सहिष्णुता के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए यह समझना आसान बना दिया है कि ‘प्रदान करना और प्रदान करने का दिखावा करना’ कोई समाधान नहीं है। चूंकि कोई अन्य हितधारक

- जैसे प्रवर्तक, शुल्क-दर प्राधिकारी और कर प्राधिकारी आदि का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए वास्तविक परियोजना ढीली पड़ जाती है और धीरे-धीरे अलाभकारी बन जाती है। इस बीच, विश्लेषक बैंक के तुलनपत्र और “पुनः संरचित” परिसंपत्तियों की बढ़ती हुई मात्रा के प्रति काफी शंकालु बन जाते हैं। दूसरी बाधा यह है कि कुछ बड़े प्रवर्तक बैंक के इस भय का कि कहीं परिसंपत्ति अनर्जक न बन जाए, फायदा उठाने लगते हैं और अनपेक्षित रियायतें हासिल करते हैं, जबकि वे अपनी शेरधारिता के मूल्य में से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। अनेक उधारदाता सहायक विधेयक जैसे सरफेसी अधिनियम के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया, पहुंच रखने वाले प्रवर्तकों से उधारदाताओं द्वारा अपने जायज बकायों को वसूलने की क्षमता के प्रति और भी बाधा बनी हुई है।

7. इस लकवाग्रस्त व्यवस्था तथा हानियों के अनुचित वितरण दोनों के उपचार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई प्रकार की कार्रवाई की है। पहली, इसने ₹50 मिलियन से अधिक के ऋणों का डाटाबेस तैयार किया है (सीआरआइएलसी डाटाबेस) और बैंकों तथा एनबीएफसी को सूचित किया है कि वे ऋणों की स्थिति की सूचना नियमित रूप से देते रहें। दबावग्रस्त परियोजनाओं की समय रहते पहचान हो जाने से अच्छा मौका रहता है कि उन्हें दुबारा पटरी पर लाया जा सके। अतः यदि किसी ऋण का 60 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय पाया जाता है तो उस उधारकर्ता को उधार देने वाले सभी उधारदाता एक संयुक्त उधार मंच (जेएलएफ) में एकत्रित हों और इस बात पर विचार करें कि इससे जुड़ी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। जेएलएफ को समय का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा परियोजना के ऋण की वर्गीकरण स्थिति को नीचे गिराना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि समय की पाबंदी की जाती है तो ऋण वर्गीकरण के ग्रेड को कम करना रोका जा सकता है। इसके अलावा, सभी ऋणदाताओं को एक मंच पर लाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्तकों तथा ऋणदाताओं के लिए आसानी पैदा कर दी है कि वे उनमें इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में परस्पर सहमति बने, इससे यह काम भी मुश्किल हो जाएगा कि प्रवर्तक एक-दूसरे ऋणदाता के प्रति कोई खेल सके।

8. कुछ अन्य रेगुलेटरी कार्रवाइयां भी ध्यान देने योग्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनःसंरचित ऋण के प्रति सहिष्णुता दृष्टिकोण समाप्त कर दिया है। अब पुनःसंरचित ऋण को अनर्जक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। किंतु, खराब तरह की ऋण संरचना जैसी वास्तविक समस्या से निपटने के लिए बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे आधारभूत सुविधा तथा प्रमुख क्षेत्र को

दिए गए अर्जक ऋणों के चुकौती प्रोफाइल को थोड़ा लंबा खींचें (जिसे “5/25” नियम कहा जाता है), बशर्ते वह परियोजना कमर्शियल प्रयोजनों के लिए तैयार हो, जिसका कमर्शियल-जीवन वास्तव में सुदीर्घ हो और ऋण का निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का मूल्य बनाए रखा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक “5/25” चुनिंदा सौदों में से कुछेक की आवधिक जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वास्तविक समायोजन के लिए ही सुविधा दे रहे हैं या फिर मूलधन के भुगतान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देने हेतु पिछले दरवाजे के माध्यम बन रहे हैं। ऋण पुनर्चना के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि यदि दुबारा वह परियोजना दबावग्रस्त हो जाए तो ऐसे ऋणों को इक्विटी में बदलने के संबंध में उन खण्डों (क्लाजेज) का उल्लेख करें जो इस बात की अनुमति देते हैं। ऋण-पुनर्चना की इस प्रकार की रणनीति से न केवल ऋणदाता का हाथ थोड़ा ऊपर रहेगा, बल्कि इससे परियोजना के कर्ज में भी कमी आएगी, इससे उनको वह नियंत्रण हासिल होगा जिससे वे परिसंपत्ति का पुनः नियोजन (जैसे-किसी अधिक प्रभावी प्रवर्तक के पास) भी कर सकेंगे।

9. इसके अलावा, इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों की क्षमता पर निगरानी करना है और जहां आवश्यक है वहां निवारात्मक कार्रवाई करनी है। बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा धन दिए जाने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है, क्योंकि जैसाकि इसमें प्रस्ताव है कि धन का आबंटन तुलनपत्रों को साफ-सुथरा बनाने में हुई प्रगति पर निर्भर करेगा और स्वस्थ संवृद्धि का विकास किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आगामी वर्ष में होने वाली प्रगति का स्वागत करेगा अर्थात् उक्त के समाधान के लिए आवश्यक संस्थाओं का सृजन जैसे - नई बैंकरप्सी संहिता और कंपनी विधि न्यायाधिकरण जो इसको नियंत्रित करेंगे और वित्तीय समाधान प्राधिकरण (वित्तीय संस्था की दबाव समस्या के समाधान हेतु) की स्थापना करना।

मध्यावधि चुनौतियां

10. एक रेगुलेटरी दृष्टिकोण जो पूर्व में काफी प्रचलित रहा है, वह यह कि रेगुलेटरी सुधार की गति को हमारे बैंकों, खासतौर से हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षमता को देखते हुए सीमित रखा जाए। बैंकिंग प्रणाली में वर्तमान दबाव से पता चलता है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था बैंकिंग प्रणाली का इंतजार नहीं करेगी और सुधार की धीमी गति बैंकिंग प्रणाली में मौजूद जोखिम को

कम करने के बजाय और बढ़ा देगी। वित्तीय क्षेत्र में कई मोर्चों पर सुधार करने की आवश्यकता है।

11. भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश में सुधारों को अंधेरे में नहीं दागा जा सकता, इससे तो अर्थव्यवस्था में और अधिक अनिश्चितता और जोखिम पैदा हो जाएगा। जहां भी संभव है, हमें निरंतर और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है ताकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे जबकि उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को सदैव सीमित रखा जाए। इस संदर्भ में एक चीनी कहावत सटीक है - “पैरों के नीचे पत्थरों को महसूस करते हुए नदी पार करना”। यह हमारी स्वयं की सुधार-प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत उपयुक्त मिसाल है।

12. वित्तीय क्षेत्र में हमें और अधिक प्रवेश एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। जब प्रतिस्पर्धात्मक रण-भूमि एक स्तर पर पहुंच जाएगी तब सबसे उपयुक्त संस्थाएं टिकी रह जाएंगी, इसके लिए हमें जहां संभव हो रेगुलेटरी विशेषाधिकार और रुकावटों को हटाना होगा, खासतौर से कुछ रूप में स्वामित्व को लेकर या कुछ खास प्रकार की संस्था के स्वरूप को लेकर जहां पक्षपात हो। हमें अपने वित्तीय बाजारों में सहभागिता को और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनके आकार, उनकी गहराई और चलनिधि में वृद्धि हो सके। आर्थिक सहायता या सब्सिडी के माध्यम से सहभागिता बढ़ाना उत्तम नहीं है बल्कि सहायक संरचना का निर्माण करके जो पारदर्शिता को बेहतर बनाए, संविदागत प्रवर्तन, और अनुचित प्रथाओं के विरुद्ध बाजार सहभागियों को संरक्षण प्रदान करके। सहायक संरचना की लागत को कम करने में प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, और अभी भी जो आबादी वंचित है उसे वित्तीय दायरे में लाया जा सकता है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि यही वो चिंतन है जो हमारे मध्यावधि सुधार का मार्गदर्शन करेंगे।

बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं

13. बैंकिंग प्रणाली पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है। जहां अनेक असाधारण अधिकारियों ने लंबे समय से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आगे बढ़ाया है, वहीं हाल में बैंकों के निष्पादन में कमी से यह पता चलता है कि उसमें सुधार करने की गुंजाइश है। नायक समिति रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद अलग-अलग कर दिए

जाएं, जिससे इन पदों में से कई पदों पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों पर भी विचार करने के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, और उपयुक्त अनुभव के पेशेवर बोर्ड सदस्यों को लेते हुए इन बैंकों के बोर्डों को पेशेवराना बना दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार का बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) स्थापित करने का इरादा है, जिसमें उच्च प्रतिष्ठावाले प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें डोमेन का अनुभव होगा, जो नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य संभालेंगे।

14. भारतीय रिजर्व बैंक ने रेगुलेशन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के छोटे-छोटे कार्यों के नियंत्रण से स्वयं को हटा लिया है और बोर्डों को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे स्वयं यह निर्धारण करें कि कार्यनीति-योजना, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन आदि के अपने दायित्वों को वे किस प्रकार निभाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक बोर्ड सदस्यों को मिलने वाले मुआवजे को भी उदार बना दिया है, हालांकि थोड़ी सी निगरानी रखी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोर्ड के सदस्यों को उचित रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

15. चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रतिभाएं हासिल करने के लिए उसी बाजार में स्पर्धा कर रहे हैं जहां से निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक कर रहे हैं और चूंकि गत वर्षों में प्रतिभाएं लेने का कार्य ठप्प कर दिया गया था इसलिए मध्य-प्रबंधन के स्तर पर कौशल-अंतराल बढ़ रहा है, यदि उन्होंने मध्य-प्रबंधन और वरिष्ठ प्रबंधकों तथा बोर्ड के सदस्यों को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए ध्यान नहीं दिया तो उन्हें इसका अनावश्यक रूप से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। निःसंदेह, अधिक वेतन के साथ बेहतर निष्पादन की जवाबदेही तो जुड़ ही जाती है। यह देखते हुए कि एक जैसा कार्य करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अनेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लागतें अधिक हैं, इसलिए इस बात की थोड़ी गुंजाइश है कि मुआवजे के पैटर्न को बेहतर बनाने के साथ-साथ लागत को भी युक्तिसंगत बनाया जाए। वहीं पर, हमें यह मानना होगा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसी लोकहित की गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं (जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खातों का रोलआउट) जिसका पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता है। सरकार को चाहिए कि वह स्पर्धा में खेल का स्तर समान बनाए रखे और वह लोकहित के जिन कार्यों को करवाना चाहती है उसका बैंक को पूरा-पूरा मुआवजा दे।

16. भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी के तत्वावधान में गठित समिति ने शहरी सहकारी बैंकों में मालेगाम समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करते हुए गवर्नेंस को बेहतर बनाने के तरीके बताए हैं। समिति की सिफारिशों के मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन के बाद नये शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। समिति ने ऐसे तौर-तरीकों का भी प्रस्ताव किया है जिसके माध्यम से बहु-प्रदेशीय सहकारी बैंकों सहित अच्छी तरह से कार्य कर रहे सहकारी बैंकों को संयुक्त स्टॉक कंपनियों में बदला जा सकता है।

17. बैंकिंग क्षेत्र स्पर्धा के मामले में काफी परिवर्तन का एहसास करेंगे क्योंकि दो नये युनिवर्सल बैंकों का परिचालन प्रारंभ हो रहा है और कई भुगतान बैंकों तथा छोटे वित्त बैंकों को इस साल के अंत में लाइसेंस के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। भुगतान बैंक देश के कोने-कोने में बैंक खाता प्रदान करेंगे तथा नई प्रौद्योगिकी एवं नये भौतिक-एक्सेस-बिंदु के माध्यम से भुगतान तथा नकदी अंतरण को सहज बनाएंगे। छोटे वित्त बैंकों से अपेक्षा है कि वे छोटे खिलाड़ियों को ऋणों का आबंटन करेंगे और वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। मुद्रा लिमिटेड भी अनिगमित ऋण-दाताओं को पुनर्वित्त तथा प्रतिभूतिकरण की सेवाएं प्रदान करके उपर्युक्त प्रयासों में सहायता प्रदान करेगा। लाइसेंस प्रदान करने के प्रथम चक्र से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का इरादा यह है कि लाइसेंसीकरण प्रक्रिया को “आवश्यकता आधार” बना दिया जाएगा और जब भी लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त होंगे उनपर इसी आधार पर विचार किया जाएगा।

18. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) हमारे वित्तीय परिदृश्य का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त एनबीएफसी के लिए रेगुलेशन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है और यदि कोई एनबीएफसी सिस्टम के अनुसार नहीं है, जिसके पास खुदरा ग्राहक नहीं है या फिर जनता से धन नहीं जुटाती है, उनके मामले में रेगुलेटरी दबाव को कम कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी तथा एनबीएफसी के बीच एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए एनपीए, पूंजी की आवश्यकता तथा प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं आदि से संबंधित रेगुलेशंस को सुसंगत बना दिया है।

अन्य विनियामकीय (रेगुलेटरी) परिवर्तन

19. रेगुलेशन से संबंधित नये बासेल मानदंडों को कार्यान्वित किया जाना है। रिजर्व बैंक ने लीवरेज अनुपात, प्रतिचक्रिय पूंजी

बफर, घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए पूंजी, बड़े एक्सपोजर की अपेक्षित सीमा, और विभिन्न चलनिधि अनुपात के संबंध में ढांचे तैयार किये हैं। जहां रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं में घरेलू-स्थितियों के अनुरूप काट-छांट करेगा वहीं इसका इरादा अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं को समय पर पूरा करना है।

20. रेगुलेशंस में तेजी से होते हुए परिवर्तनों को देखते हुए हमें समय-समय पर पीछे देखने और समस्त रेगुलेटरी पुस्तिका को बदलने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की योजना है कि 1 जनवरी, 2016 तक अच्छी तरह से संशोधित मास्टर दस्तावेज लाया जाए जिसमें विभिन्न रेगुलेटरी मामले शामिल रहेंगे। प्रत्येक मास्टर-दस्तावेज एक विषय पर लागू विनियमों के बारे में यूजर-फ्रेंडली कंपेंडियम होगा। प्रत्येक को वास्तविक समय पर अद्यतन किया जाएगा, और यह कोशिश होगी कि जहां संभव हो रेगुलेशंस को व्यवस्थित और आसान बनाया जाए।

पर्यवेक्षीय परिवर्तन

21. जैसे-जैसे हमारे विनियमों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार पर्यवेक्षण में भी होना चाहिए। हम सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उन्हें प्रसारित करने की अपनी प्रणाली, अपने निरीक्षण तथा विश्लेषण के तरीके और अपने स्टाफ की क्षमताओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम निरंतर आधार पर रेगुलेशंस को युक्तिसंगत बनाते रहेंगे लेकिन अनुपालन न करने की स्थिति में अत्यधिक कड़ाई की जाएगी।

22. बड़े ऋणों के बारे में सीआरआइएलसी डाटाबेस के माध्यम से; नई धोखाधड़ी रजिस्ट्री जिसमें धोखाधड़ी को पकड़ने तथा बैंकिंग धोखाधड़ी से रुबरू होने का विस्तृत ढांचा जुड़ा हुआ है, के माध्यम से; तथा बैंक के दबावग्रस्त होने के बारे में पहले से ही चेतावनी देने वाली नई प्रणाली के माध्यम से और अधिक जानकारी एकत्रित एवं प्रसारित की जा रही है। इसके अलावा, हमारी योजना है कि हमारे समस्त पर्यवेक्षी डाटा को बाधारहित डाटाबेस से जोड़ दिया जाए।

23. भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2013 में हमारे कुछ बड़े बैंकों का जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण करना प्रारंभ किया है। इस संबंध में हुए अनुभवों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता से उन्हें संगत बनाते हुए अपनी पद्धतियों

को परिष्कृत कर रहे हैं। हम अपनी वित्तीय स्थिरता इकाई के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम का भी मूल्यांकन कर रहे हैं।

24. प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए बैंक और प्रणाली दोनों स्तरों पर साइबर-सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने निरीक्षकों की सक्षमताओं को उन्नत बनाने के बारे में भी कार्य कर रहा है ताकि वे बैंक-प्रणाली की लेखा-परीक्षा कर सकें और उनमें निहित प्रभावित करने वाली खामियों का पता लगा सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक एक आईटी सहयोगी संस्था स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो उद्योग से सीधे ही भर्ती कर सकेगी और जो रिज़र्व बैंक को बेहतर नियंत्रण योग्यता प्रदान करेगी तथा प्रौद्योगिकी पर निगरानी रखेगी।

25. अंततः, भारतीय रिज़र्व बैंक राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगा ताकि वे लोगों के विश्वास का दुरुपयोग करने से पहले ही अनधिकृत वित्तीय परिचालकों का पता लगा सकें। एसएलसीसी की उप-समिति इस संबंध में रेगुलेटरी तथा कानून-प्रवर्तन प्राधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, एसएलसीसी को वेबसाइट विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा, जहां से जनसाधारण सूचना प्राप्त कर सकेंगे और सूचना दे सकेंगे कि गैर-बैंक परिचालकों द्वारा दी जा रही सेवाएं कितनी वैध हैं।

ऋण प्रबंधन और बाजार

26. भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऋण निर्गमों के प्रबंधन का कार्य करता रहा है ताकि जोखिम कम हो और साथ ही लेनदेन तथा वित्त पोषण की लागतें न्यूनतम रखी जा सकें। इसका अर्थ यह है कि अन्य बातों के साथ-साथ मध्यावधि के लिए एक स्पष्ट ऋण नीति तैयार करना, निर्गमों की परिपक्वता अवधियां अलग-अलग रखना ताकि प्रतिभूतियों का समूहन न किया जा सके तथा कुछ परिपक्व निर्गमों की स्वचिंंग या पुनर्खरीद न की जा सके। इसका यह भी आशय है कि चलनिधि की स्थिति को बेहतर बनाना, लंबे समय के खिलाड़ियों जैसे - पेंशन निधि और बीमा कंपनियों की भूमिका को बढ़ाते हुए सरकारी प्रतिभूतियों हेतु बाजार में समुत्थान-शक्ति एवं गहनता पैदा करना, विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों के लिए और अधिक गुंजाइश पैदा करने जो भविष्य-सूचक हो और घरेलू फुटकर निवेशकों के लिए आसानी पैदा करना ताकि वे 'डीमैट' खातों के माध्यम से सहभागिता कर सकें।

27. सरकार की ओर से ऋण जारी करने के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं प्राप्तियों तथा उसके लेखांकन कार्य को सहज बनाने के बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ निकटता से कार्य करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ई-कुबेर प्लेटफार्म के माध्यम से इसके कुछ कार्य स्वतः करता रहा है ताकि लागत को कम किया जा सके।

28. सरकार ने ऋण प्रबंध के लिए एक अलग एजेंसी पीडीएमए बनाने की घोषणा की है। इस पर सार्वजनिक चर्चा में कभी यह सुझाव दिया गया था कि एक स्वतंत्र पीडीएमए की स्थापना, जिसमें हितों का कोई संघर्ष नहीं होगा, सरकारी बांडों के प्रतिफल में भारी कमी आ जाएगी, ऐसा मुख्यता इसलिए होगा क्योंकि इस प्रकार की एजेंसी बंधे हुए सरकारी-स्वामित्व वाली या सरकार द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं को ऋण बेचने में असमर्थ रहेगी और इस प्रकार से सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करने के लिए बाध्य करेगी। सरकार की राजकोषीय समेकन के पथ में आगे बढ़ते रहने की मंशा को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था का फायदा बहुत ही छोटा होगा। जो भी हो, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कीमत पर पीडीएमए की स्थापना के लिए सरकार के साथ निकट से मिलकर कार्य कर रहा है।

29. भारतीय रिज़र्व बैंक की यह मान्यता है कि बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए एक गतिमान वित्तीय बाजार की अहम भूमिका है जो जोखिमों को संवितरित कर देता है और समाहित कर लेता है। हमारा फोकस इस बात पर है कि अनेक प्रकार के उत्पाद लाए जाएं और सहभागी बढ़ाए जाएं तथा लेनदेन की लागत को भी कम किया जाए, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

30. कार्पोरेट ऋण बाजार में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ऐसे दीर्घकालिक बांड जारी करने की अनुमति दी है जो रेगुलेटरी परिकल्पना से मुक्त होंगे। रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय रुपया बाजार बनाने को प्रोत्साहित किया है और बहुपक्षीय संस्थाओं को विदेश में रुपये बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है और भारतीय कार्पोरेट्स को भी इसी प्रकार की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि साख-सुविधाओं के माध्यम से बैंक किस प्रकार से कार्पोरेट बांड के साख-निर्धारण को बढ़ा सकते हैं। अंततः, हालांकि कार्पोरेट बांड बाजार को वास्तव में उभारने के लिए एक तीव्र बैंकरप्सी प्रणाली की आवश्यकता होगी। सरकार ने यह

निर्देश दिया है कि वह इसे शीघ्रता से लागू करेगी।

31. भारतीय रिजर्व बैंक ने नये लिखतों जैसे एक्सचेंज में व्यापारयोग्य ब्याज दर फ्यूचर्स के विकास को प्रोत्साहित किया है। बैंक की यह योजना है कि ब्याज दर आप्शंस, अनेक प्रकार के स्वैप्स (स्वैप निष्पादन सुविधा सहित), तथा एक से दूसरी करेंसी में फ्यूचर्स तथा आप्शंस के लिए मार्ग खोले जाएं। जहां संभव होगा, भारतीय रिजर्व बैंक लिखत प्रारंभ करते समय अनेक डिजाइन के लिखतों को लाने और सहभागिता की अनुमति देने में अधिक उदारता बरतेगा, और एक बार इस कारोबार के गति पकड़ लेने के बाद उसके स्थिरता संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

करेंसी और भुगतान

32. हमारा देश अभी भी बहुत से लेनदेन के लिए प्रत्यक्ष करेंसी पर निर्भर है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी किए जा रहे बैंक नोटों की गुणवत्ता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि नोटों को हर उस स्थान पर उपलब्ध करवाया जाए जहां उसकी आवश्यकता है। बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला शीघ्र ही जारी की जाएगी और हम प्लास्टिक/पालिमार से बनी नोट जारी करने के लिए एक प्रारंभिक परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं। हमने करेंसी के वितरण के लिए संभार-तंत्र की व्यवस्था का भी परीक्षण किया है तथा हम अपने वर्तमान मॉडल में भारी परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसमें इस बात पर अधिक जोर दिया जाएगा कि बैंक करेंसी को भंडारित करने एवं उसके वितरण का कार्य लेने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अलावा, हमारा जोर इस बात पर भी होगा कि सिक्कों (सिक्का मशीनों में तथा सिक्का एकत्रीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से) तथा नोटों (ऐसे एटीएम के माध्यम से जो नकदी नोटों को स्वीकार करे और उन्हें पुनः परिचालित करे) को वापस लेने का कार्य विकेंद्रीकृत कर दिया जाए।

33. यह एक सच्चाई है कि कुछ समय बाद नकदी का इस्तेमाल कम होता जाएगा और लेनदेन की कीमतें कम हो जाएंगी तथा काले धन की भूमिका घट जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। नई संस्थाएं जैसे भारत बिल भुगतान प्रणाली, और नई प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से मोबाइल के माध्यम से भुगतान जैसी प्रणाली स्थापित होंगी जिनसे इस प्रकार के भुगतान आसानी से किए जा सकेंगे। जहां भारतीय रिजर्व बैंक का यह मानना है कि

इसके लिए रेगुलेटरी व्यवस्था अपनाई जाए और उसे प्राप्त करने के लिए वह हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करेगा, वहीं यह बात सहन नहीं की जाएगी कि कोई उपयोगकर्ता केवल इस आधार पर उनका उल्लंघन करे कि वर्तमान रेगुलेशन पुराने हो गए हैं। उदाहरण के लिए, किसी परिचालक से छोटे मूल्य के भुगतानों के संबंध में नियमों का उल्लंघन करना बंद करने के लिए कहने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी जारीकर्ता को यह अनुमति दे दी है कि वह छोटे मूल्य के भुगतानों के लिए दो - व्यक्तियों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया को त्याग दे, बशर्ते उसके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हो। भारतीय रिजर्व बैंक का विश्वास है कि समय बीतने के साथ-साथ मोबाइल और इंटरनेट-आधारित भुगतान व्यवस्था में विस्फोट पैदा होगा और वह वित्तीय क्षेत्र के साथ मिलकर उसे सहज बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

वित्तीय समावेशन

34. प्रधानमंत्री की जन धन योजना ने बड़ी आबादी के लिए खातों का आधार बना दिया है। सरकार ने अगले कदम के रूप में इन खातों से अनेक वित्तीय सेवाएं जैसे दुर्घटना और जीवन बीमा और प्रत्यक्ष लाभ भेजना जैसे-छात्रवृत्ति, पेंशन तथा सब्सिडी जमा करना जोड़ दिया है। हमें कारोबार प्रतिनिधि, भुगतान बैंक, प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से बैंक खातों तक पहुंच को आसान बनाना होगा ताकि उनका बार-बार उपयोग हो। गृहस्थों के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारा अगला उद्देश्य होगा भुगतान को आसान बनाना, नकदी जमा करने तथा नकदी निकालने की सुविधाओं तक पहुंच, तथा बड़े पैमाने पर सुरक्षित बचत लिखतों की उपलब्धता की व्यवस्था करना।

35. हमें छोटे उत्पादनकर्ताओं के लिए उधार लेना आसान बनाना होगा, चाहे वे किसान हों, स्वयं सहायता समूह हो या कारोबार हों। इसके लिए हमें बड़ी शिद्वत से ऋण-सूचना ब्यूरो, संपार्श्विक रजिस्ट्रीज तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की संरचना तथा कार्य-प्रणाली में सुधार करना होगा, ऋण का प्रवाह तब आसानी से होता है जब उधारदाता को यह यकीन दिलाया जाए कि उसका पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए यदि ऋण मिलना आसान होता है तो ऋण चुकाने में चूक को रोकने की प्रणाली भी होनी चाहिए। शायद संपार्श्विक मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमि है। हमें पूरे देश में भूमिकी डिजिटल पैमाइश तथा भूमि-स्वामित्व का एक अच्छा रिकॉर्ड चाहिए ताकि भूमि का संपार्श्विक के रूप में प्रभावी इस्तेमाल हो सके।

36. नई संस्थाएं जैसे- व्यापार प्राप्य मितिकाटा प्रणाली (जहां छोटी फर्मों बड़ी फर्मों से प्राप्यों को विक्रय हेतु पोस्ट कर सकती है) और लघु वित्त बैंक की स्थापना की जा रही है ताकि छोटी फर्मों को ऋण आसानी से मिल सके। मुद्रा लिमिटेड से भी छोटे-छोटे उत्पादकों को ऋण प्रदान करने के नवोन्मेषी नये चैनल शुरू किए जाएंगे।

37. भारत में प्राथमिकता क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें संभाव्यता बहुत हैं और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष व्यवस्था के अभाव में उन्हें समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है। खासतौर से ये छोटी-छोटी राशि के ऋण होते हैं जैसे किसानों के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, गरीब लोगों को आवास के लिए, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए तथा अन्य अल्प आय वाले समूहों एवं कमजोर वर्गों को ऋण की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में, ऐसे क्षेत्र पूरे भारत में पाए जाते हैं, खासतौर से पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

38. प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों को बैंकों को अपने सामान्य कारोबार-परिचालन के रूप में करते रहना है, इसलिए बैंकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में न देखें। जहां तक रिजर्व बैंक की बात है, इस संबंध एक महत्वपूर्ण सुविधा यह दी गई है कि ऐसे समस्त ऋण के मूल्य-निर्धारण को स्वतंत्र बना दिया गया है, बशर्ते मूल्य-निर्धारण दोहन स्वरूप के न हों। प्राथमिकता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जबतक बाजार के खिलाड़ी उसकी संरचना, उत्पादों तथा प्रक्रियाओं में नवीनता लाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे।

39. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों को पुनः तैयार किया है ताकि बदलती हुई अर्थव्यवस्था में वंचित या राष्ट्रीय स्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिए जाने वाले उधार पर जोर दिया जा सके। विशेष रूप से इसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए 8 प्रतिशत का समायोजित निवल बैंक ऋण का नया लक्ष्य रखा गया है तथा सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य है, वही मध्यम आकार की फर्मों को सामाजिक रूप से बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रसाधन और ऊर्जा के नवीकरण हेतु निवेश को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण माना जाएगा।

40. वित्तीय समावेशन का यह भी आशय है कि इसमें शामिल किए गए नये और विशेष तरह के अपरिष्कृत ग्राहकों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाए, एक आसानी से पहुंच बनाने तथा तेजी से शिकायत निवारण की प्रक्रिया हो, और वित्तीय साक्षरता के लिए और भी विस्तारित प्रयास हो। जनता से परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता अधिकार चार्टर विकसित किया है। बैंकों के बोर्डों से कहा गया है कि वे इस प्रकार की संरचना लागू करें जिससे उन अधिकारों की रक्षा हो सके। इस संरचना को कार्यान्वित कर दिए जाने के कुछ समय बाद भारतीय रिजर्व बैंक उनमें से सर्वोत्तम प्रथाओं तथा आवश्यक रेगुलेशन, यदि आवश्यक हुआ तो, बनाए जाने पर विचार करेगा। तब तक भारतीय रिजर्व बैंक फील्ड विजिट (दौरा) करेगा और गलत प्रकार से किए जा रहे विक्रय तथा बैंक की बुनियादी सुविधाओं जैसे शाखाओं तथा एटीएम की जांच करेगा और इस कार्य को और भी विस्तारित किया जाएगा।

41. भारतीय रिजर्व बैंक अपनी बैंकिंग लोकपाल प्रणाली की समीक्षा कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि इस प्रणाली को किस प्रकार से गैर-बैंक क्षेत्र के लिए भी लागू किया जा सकता है तथा इसे किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रत्येक बैंक से यह भी कहा गया है कि वे आंतरिक रूप से लोकपाल प्रणाली स्थापित करें जो बैंक के शिकायती मामलों की जांच करेगी और यह देखेगी कि उस शिकायत को भारतीय रिजर्व बैंक की लोकपाल प्रणाली को भेजने से पहले क्या उसका समाधान संभव है।

42. वित्तीय साक्षरता, चाहे वह स्कूलों में पाठ्यक्रमों के माध्यम से दी जाए, बैंकों तथा रिजर्व बैंक द्वारा साक्षरता कैंपों के माध्यम से, या समाचारपत्र अथवा सोशल मीडिया अभियान द्वारा दी जाए, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अफसोस की बात है कि धोखेबाज आपरेटरों ने पाया है कि लालच शिक्षा पर भारी पड़ती है। पढ़े-लिखे लोग भी इस उक्ति 'यदि कोई बात इतनी अच्छी हो कि सत्य से भी परे लगे तो शायद वह सच ही होगी' के अनुसार आचरण नहीं कर पाते हैं। जो भी हो, यह हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करें और अपने लोगों को बताने का प्रयास करें और हम उन शांति तथा नई प्रौद्योगिकी, जन एवं सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल करने वालों से कहीं बेहतर तरीके से लोगों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार की मुहिम को बढ़ावा देगा और उनपर अधिक फोकस करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक में संगठनात्मक परिवर्तन और मानव संसाधन विकास

43. रिजर्व बैंक ने इसकी बदलती हुई जिम्मेदारियों, खासतौर से अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

कुछ नये विभाग बनाए है, कुछ को दूसरे में मिला दिया है और इस प्रकार स्वयं को 5 नये क्लस्टर में पुनः संगठित किया है : मौद्रिक नीति और अनुसंधान; 2) विनियम और जोखिम प्रबंधन; 3) पर्यवेक्षण और समावेशन; 4) वित्तीय बाजार और बुनियादी सुविधा; तथा 5) मानव संसाधन और परिचालन। यह पुनर्चना इसी वर्ष की गई है।

44. इसके बाद से, अधिकांश अधिकारियों की भर्ती उन्नत सामान्य प्रवेश परीक्षा (2015 से प्रारंभ) के माध्यम से की जाएगी, जिन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान बैंक के बारे में समग्र रूप से बताया जाएगा, और उसके बाद उनके प्रारंभिक वर्षों में कुछेक क्लस्टर के बारे में स्वयं को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक विशेष रूप से कुछ सुयोग्य कर्मचारियों को उसी स्थान पर पदोन्नति देने पर विचार कर सकता है। किंतु अधिकांश कर्मचारियों के मामले में, जैसे-जैसे वे वरिष्ठ होते जाएंगे, कौशल-निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और तकनीकी-कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रबंधकीय-कौशल प्राप्त करने में बदल जाएगी। इन अधिकारियों को जब वे अत्यधिक वरिष्ठ स्तर के हो जाएंगे, क्लस्टर के बीच पुनः मुक्त रूप से तैनात किया जाएगा।

45. बैंक अपनी आवश्यकता तथा स्टाफ-सदस्यों की विशेषज्ञता रुचि को ध्यान में रखकर और भी तैनातियां कर सकता है। इसका आशय यह भी है कि हम स्टाफ को मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से उनकी अपनी मनोवृत्ति (एप्टीट्यूड) का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेंगे और इस प्रकार और भी विभेदीकृत निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से उन्हें उनकी शक्तियों और कमजोरियों को जानने में मदद मिलेगी। हमें सावधानीपूर्वक जॉब-प्रोफाइलिंग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों की आवश्यकता का भी पता लगाना होगा। स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण देना होगा, साथ ही छात्रवृत्ति प्रदान करनी होगी ताकि उनमें आवश्यक कौशल पैदा हो तथा पाई गई खामियों को दूर करने का उपाय करना होगा। हमारी भारतीय रिजर्व बैंक अकादमी बनाने की योजना है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ और बैंक अधिकारियों को उच्च स्तरीय कौशल प्रदान किया जा सके। और जो स्टाफ-सदस्य लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हें और भी चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपते हुए पुरस्कृत किया जाए। इन सबके लिए मानव संसाधन विकास

की दिशा में अत्यधिक प्रयास करने की जरूरत है जो अत्यंत आवश्यक है।

समापन

46. भारतीय रिजर्व बैंक एक कुशल संगठन है जिसने 1981 से लेकर अब तक अपने कर्मचारियों की संख्या को 35,500 से धीरे-धीरे घटाते हुए 16,700 कर लिया है, जबकि कार्य पहले से कहीं अधिक मात्रा में किए जा रहे हैं। इस वर्ष इसने अपने कार्यकलापों से ₹659 बिलियन का अधिशेष कमाया है जिसे पूर्ण रूप से सरकार को दे दिया गया है। हालांकि, इसे बढ़ाए जाने की संभावनाएं सदैव बनी रहेंगी। उदाहरण के लिए जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर समय-सीमा बता रखी है जिसके भीतर जनसाधारण भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए आवेदन का उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। हम दी गई समय-सीमा पर नज़र रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे स्टाफ उस वचन को पूरा करें।

47. भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता का प्रमुख कारक उसके स्टाफ-सदस्यों की संतुष्टि है। बीते समय में, रिजर्व बैंक को कनिष्ठ अधिकारियों को आकर्षित करने तथा केवल कुछ ऐसे अधिकारियों से वंचित हो जाने जिन्होंने आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, में कोई समस्या नहीं होती थी। आज हम इतने अधिक ऐसे अधिकारियों को खो रहे हैं जिनके बिना हम सहज नहीं हैं। यही कारण है कि हम अपने स्टाफ को जिस प्रकार के पेशेवराना चुनौतियों के प्रति बदलाव लाने का प्रस्ताव दे रहे हैं, वस्तुतः उसकी अत्यधिक आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि हमने जिस प्रकार के परिवर्तनों की रूपरेखा पूर्व में प्रस्तुत की है वह हमें और अधिक आकर्षक नियोक्ता बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस संबंध में, मुआवजे के बारे में हमारी समीक्षा, अरसे से लंबित हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में सुधार का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

48. मैं अपनी बात अपने सभी 16,700 सहकर्मियों को पिछले वर्षों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए समाप्त करना चाहूंगा और इस महान संस्था के 81वें वर्ष के अवसर पर और भी बेहतर निष्पादन की चुनौतियां प्रस्तुत करता हूँ ताकि भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र की समृद्धता तथा सभी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने में सतत रूप से सेवा प्रदान करना जारी रख सके।

भाग एक : अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 बीते वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में समुत्थानशील अर्थव्यवस्था के रूप में बनी रही थी और इसका समष्टि-आर्थिक जोखिम कम हो गया था किंतु वित्तीय स्थिरता का खतरा बढ़ गया था। जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में साधारण सुधार की अस्थायी स्थिति अपने पैर जमा रही है, वहीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी कतार ऐसी है जिनमें गतिविधियां मंद पड़ गई हैं क्योंकि वस्तुओं की कीमतें गिर गई हैं, वित्त मिलने की स्थिति कठोर बन गई है और संरचनागत बाधाएं बढ़ती जा रही हैं। इस संबंध में भारत उल्लेखनीय रूप से अपवाद है। पूरे विश्व में वित्तीय जोखिम बढ़ गया था क्योंकि निवेशक प्रतिफल की तलाश में पहुंच रहे थे और यह उम्मीद कर रहे थे कि अमरीका में मौद्रिक नीति और भी धीमी गति से सामान्य होगी। वित्तीय स्थिरता के प्रति जो प्रारंभिक खतरा था वह उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में कापेरिट के बढ़ते कर्ज, कुछ क्षेत्रों में परिसंपत्ति के विस्तारित मूल्यांकन से, विनिमय-दर की अस्थिरता में स्पष्ट वृद्धि तथा ग्रीस में वर्ष 2014-15 के समाप्त होते महीने में उत्पन्न कर्ज के संकट से जाहिर होने लगा था। इन बाहरी आघातों से जो प्रभाव फैला उसने भारत के वित्तीय बाजार के कई हिस्सों को प्रभावित किया है, परिसंपत्तियों के मूल्यों और पूंजी प्रवाह को भी प्रभावित किया था हालांकि पूंजी प्रवाह की स्थिति कमोबेश तीव्र बनी रही।

I.2 यहां तक कि जब घरेलू स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम बढ़ा हुआ था, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि-आर्थिक सिद्धांतों में पूरे वर्ष के दौरान धीरे-धीरे सुधार पैदा हुआ है, और यह स्थिति मुद्रास्फीति को कुछ हद तक सहज रखकर और राजकोषीय

समेकन को जारी रखते हुए हासिल की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ बाहरी बाजारों की कमजोर हालत के कारण निर्यात-निष्पादन में आई गिरावट के बावजूद वर्ष 2014-15 का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के इसके स्तर से कम था क्योंकि व्यापार की शर्तों तथा आयात की कमजोर मांग से फायदा हुआ था। चूंकि राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पूरी मुस्तैदी से जारी है और कारोबार की स्थिति अत्यधिक आशाजनक बनी हुई है, इसलिए अर्थव्यवस्था का मंच बंधे हुए निवेश की बेड़ियां तोड़ देने तथा नए पूंजीगत व्यय के लिए तैयार है ताकि विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके। वर्ष 2014-15 से अनुभव ग्रहण करते हुए अब समय आ गया है कि ऐसी कार्यसूची को कार्यान्वित किया जाए जो अर्थव्यवस्था को 2015-16 में एवं मध्यावधि में वृद्धि की और ऊंचाइयों तक ले जाए। साथ ही, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने का हाल में जो लाभ मिला है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि उच्च वृद्धि के साथ-साथ अपस्फीति की स्थिति बनी रहे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी दृढ़ कार्रवाई की जरूरत है जिससे वित्तीय परिसंपत्तियों का दबाव कम हो सके, कर्ज के बोझ को कम / समाप्त करे ताकि जहां संभाव्य हो असहाय परिसंपत्तियों को वापस तेजी से काम पर लगाया जा सके और पूंजीगत बफर बनाया जाए ताकि वित्तीय मध्यस्थ उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करा सकें।

मूल्यांकन : 2014-15

I.3 जहां वर्ष 2014-15 में बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि में आई गति को काफी हद तक निजी उपभोग के माध्यम से बनाए रखा गया था, वहीं 2013-14 तक लगातार दो वर्ष बचत दर तथा

* चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखांकन वर्ष जुलाई-जून है, इसलिए, कई चरों के डाटा अप्रैल-मार्च तक के वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध हो पाए हैं, इसलिए डाटा का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के आधार पर डाटा को मार्च 2015 से आगे की अवधि के लिए भी अद्यतन किया गया है। विश्लेषण करने तथा नीतियों के बारे में उचित परिदृश्य प्रदान करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट में पिछले वर्षों एवं आगामी अवधि के संदर्भ, जहां कहीं आवश्यक थे, दिए गए हैं।

मीयादी निवेश में हुई कमी चिंता का विषय बन गई है। गृहस्थों की वित्तीय बचत में आया सुधार तथा 2014-15 में प्रत्याशित सरकारी निर्बचत में गिरावट निवेश के मार्ग में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के काम आना चाहिए, विशेष रूप से तब जब 2014-15 की बाद की छमाही में इसके साथ पूंजीगत माल के उत्पादन में भी वृद्धि की जानी हो।

I.4 उत्पादन पक्ष की ओर, मौसम पर आधारित कृषि क्षेत्र की मंदी ने ग्रामीण क्षेत्र की मांग को प्रभावित किया और खाद्य-पदार्थों के मूल्यों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक हो गया था। औद्योगिक क्षेत्र में, वर्ष की बाद की छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में जो तेजी पैदा हुई थी उसकी खास वजह यह थी कि कारोबारी रुझान आशावादी था, कुछ रुकी हुई परियोजनाएं प्रारंभ हो गई थीं और बिजली उत्पादन तथा समापन महीने में कोयले के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। नये पूंजीगत व्यय में टिकाऊ पन रहने, क्षमता का पूरा उपयोग करने तथा नया ऑर्डर मिलना घरेलू तथा विदेश दोनों स्तरों पर औद्योगिक गतिविधियों के सतत पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण था। सेवा क्षेत्र में केवल कुछ उप-क्षेत्रों जैसे-वित्त, भू-संपदा और निर्माण क्षेत्र ने तेजी से विकास किया।

I.5 जून 2014 से मुद्रास्फीति में जिस तेजी से गिरावट हुई, वह प्रारंभ में की गई उम्मीद से कहीं तेज थी। इस संबंध में कई एक अनुकूल कारक जैसे - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में, और कमजोर होती मांग एवं पूर्व-सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन तथा प्रमुख ईंधन कीमतों के अवनियमन के कारण कारपोरेट्स में मूल्य-निर्धारित करने की शक्ति में हुई कमी ने सितंबर 2013 में मौद्रिक नीति द्वारा निश्चित अपस्फीतिकारी रुझान के अनुरूप कार्य किया है। तदनुसार, सितंबर 2009 के बाद पहली बार मुद्रास्फीति की प्रत्याशा एक अंक में पहुंच गई और मजदूरी का दबाव कम हो गया था।

I.6 वर्ष 2014-15 के दौरान मौद्रिक स्थिति के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारी मात्रा में पूंजी का आना रहा है, जिससे यह आवश्यक हो गया था कि चलनिधि के प्रबंधन का कार्य सक्रिय एवं कुशल तरीके से किया जाए ताकि मौद्रिक नीति के रुझान के अनुसार भारी मात्रा में आने वाले पूंजी-प्रवाह के प्रभाव को बेअसर किया जा सके। अभी भी मांग की स्थिति कमजोर

बनी हुई है, मुद्रास्फीति कम हो रही है तथा वित्तीय परिसंपत्तियां दबाव में होने से जोखिम उठाने से बचा जा रहा है जिसने बैंक ऋण को रोक रखा है तथा इस स्थिति ने इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि मूल्यों में प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाने के लिए बैंक उधार के एवजी का इस्तेमाल करें।

I.7 सितंबर 2014 में प्रारंभ की गई संशोधित प्रबंधन संरचना, और खास तौर से दिन के भीतर परिचालनों को एकदम दुरूस्त करने की प्रक्रिया से मुद्रा बाजार की दरों को नीतिगत रेपो दर के अनुरूप बनाने में काफी सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि, कर के अग्रिम भुगतान से दरों में जो भारी तेजी आ जाती है वह नहीं आई है तथा तुलनपत्र समापन में यह स्थिति नहीं दी गई है। श्रेष्ठ प्रतिभूतियों में प्रतिफल घट गया है, जिससे यह पता चलता है समष्टिगत-सिद्धांतों में सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा बाजार में दुतरफ उतार-चढ़ाव की स्थिति कम अस्थिरता की वजह से है। शेयर बाजार में पूरे वर्ष जबरदस्त स्पर्धा की स्थिति थी क्योंकि विदेशी एवं घरेलू दोनों निवेशक अत्यधिक आशान्वित रहे हैं, और वर्ष के समापन महीने में थोड़े-बहुत फेर-बदल के पहले उन्होंने मूल्यांकन को काफी आगे तक खींच दिया था।

I.8 जहां लगातार तीसरे वर्ष भी केंद्र सरकार ने राजकोषीय समेकन की वचनबद्धता निभाई है, राजस्व संग्रहण में कमी-विशेष रूप से विनिवेश के माध्यम से - यह आवश्यक कर दिया कि वर्ष के अंत में उत्पादक पूंजीगत व्यय में कटौती की जाए। इससे यह पता चलता है कि राजस्व लक्ष्य तथा व्यय-आबंटन का मूल्यांकन और भी वास्तविक दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। राज्य के वित्त घट गए हैं और राष्ट्रीय राजकोषीय तसवीर को कमजोर कर दिया है जो, राज्यों द्वारा राजकोषीय समेकन के प्रति अधिक वचनबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

I.9 दिसंबर 2014 से वणिक निर्यात में गिरावट आना चिंता का विषय है, इससे सकल मांग कमजोर हो गई है और बाह्य गतिविधियों से प्रभावित होना बढ़ गया है, भले ही व्यापार की शर्तों से लाभ मिला हो और पीओएल आयात से हुई भारी बचत ने चालू खाता घाटे को नियंत्रित रखने में मदद की हो। बाहरी वित्त की आवश्यकता से कहीं ज्यादा पूंजीगत अंतर्वाह से वर्ष के अंत तक अब तक का सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय भंडार जमा हो गया है।

संभावनाएं : 2015-16

I.10 वर्ष 2015-16 को देखें तो पाते हैं कि 2015 की पहली तिमाही में उत्तरी अमरीका में उत्पादन में गिरावट आ जाने से विश्व अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बुरी तरह प्रभावित हो गया था। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दूसरी और तीसरी तिमाहियों में मांग में तेजी आ रही है, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लगातार मंदी की स्थिति ने पूरे विश्व के सुधार को रोक लिया है। वहीं पर, बाण्डों के प्रतिफल और जोखिम प्रक्रिया में ठहराव पैदा हो जाने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को करेंसी मूल्यों में उतार-चढ़ाव तथा पूंजी प्रवाहों में अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलकर यही कारक विश्व में सुधार के प्रति जोखिम बनकर खड़े हो सकते हैं। तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 2015 में विश्व की संवृद्धि के बारे में अपने पूर्वानुमान को जुलाई में अद्यतन करते हुए कम करके 3.3 प्रतिशत कर दिया है, जो वर्ष 2014 से थोड़ा सा कम है।

I.11 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संवृद्धि के परिदृश्य में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है। कारोबारी भरोसे में तेजी कायम है, और जैसाकि यूनियन बजट में आधारभूत सुविधाओं में निवेश को तेज करने के लिए की जाने वाली पहल की घोषणा की गई थी, उनमें निजी निवेश की भरमार हो जाएगी तथा उपभोक्ता की भावना बहाल होगी, खासतौर से मुद्रास्फीति के मंद होते ही। जहां मानसून की प्रगति ने प्रारंभ में जमीन में नमी के अभाव के भय को समाप्त कर दिया वहीं मानसून कहां पर कितना रहेगा इस बात की अनिश्चितता से संवृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों की संभावनाओं के प्रति जोखिम बना हुआ है। इनसे फैलने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक और सक्रिय खाद्यान्न प्रबंधन रणनीति लागू करने की आवश्यकता है। वर्ष 2015-16 के पहले चार महीने में वास्तविक गतिविधियों के संकेतकों से पता चलता है कि रिजर्व बैंक द्वारा पूरे वर्ष के लिए 7.6 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि का बेसलाइन पूर्वानुमान काफी हद तक सही है, जो 2014-15 के 7.2 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ा अधिक ही है।

I.12 मानसून की संभावनाओं सहित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों के मद्देनजर प्रारंभिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2015 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में 2015-

16 के लिए मुद्रास्फीति हेतु एक बेसलाइन मार्ग बताया है जिसे अगस्त तक आधारगत-प्रभाव द्वारा उसके वर्तमान स्तर से नीचे की ओर लाया जाएगा किंतु उसके बाद वह बढ़ना शुरू होगा और जनवरी 2016 तक लगभग 6.0 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। अभी तक मुद्रास्फीति के परिणाम इन अनुमानों के आसपास रहे हैं। इस पथ के प्रति जोखिम को संतुलित किया गया है क्योंकि मौसम संबंधी अनिश्चितता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों के साथ समायोजित कर लिया गया है। समग्र अवस्फीति रणनीति के तहत मुद्रास्फीति की प्रगति पर कड़ी और सतत निगाह रखनी होगी ताकि मुद्रास्फीति को जनवरी 2017 तक 5 प्रतिशत तक लाया जा सके।

I.13 जहां तक राजकोषीय नीति का संबंध है, सरकार का राजकोषीय समेकन के लिए किया गया संकल्प इस प्रयास को आगे बढ़ाएगा ताकि वर्ष 2015-16 में जीडीपी के 3.9 प्रतिशत तक के सकल राजकोषीय घाटा के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। वर्ष के शुरूआती महीनों में, परोक्ष कर की वसूली जबरदस्त हुई है और लगभग बजट में किए गए अनुमान को प्राप्त कर लेगी, हालांकि ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के सुधार पर अवलंबित है। इसके अलावा विनिवेश की योजना को तत्काल प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि समर्थनकारी बाजार की स्थितियों का फायदा उठाया जा सके, और पूंजीगत व्यय को कम करने की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए ताकि घाटा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार की कटौती के लिए राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ेगा। राज्यों को चाहिए कि वे भारी अंतरण से उत्पन्न अत्यधिक राजकोषीय स्वायत्ता का लाभ उठाएं और पूंजीगत तथा विकासात्मक व्यय को प्राथमिकता दें ताकि उप-राष्ट्रीय राजकोषीय सुधार की गुणवत्ता को कायम रखा जा सके।

I.14 बाह्य क्षेत्र में, वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में वणिक निर्यात घटता गया है, जिसने अर्थव्यवस्था को बाहरी आघातों के प्रति असुरक्षित बना दिया है। आयात की स्थिति भी धीमी रही, जिसकी वजह हाल में कच्चे तेल और स्वर्ण की कीमतों में नरमी पैदा होना तथा घरेलू स्तर पर स्वर्ण की मांग में थोड़ी गिरावट आना रहा है। तेल से इतर तथा स्वर्ण से इतर आयात भी धीमें रहे क्योंकि घरेलू गतिविधियां शांत बनी रहीं। वर्ष की शेष अवधि में, पीओएल तथा बुलियन आयात के कारण कुछ बचत पैदा हो सकती है; वहीं दूसरी ओर, वर्ष की बाकी अवधि में गतिविधियों

को धीरे-धीरे गति पकड़ने से तेल से इतर तथा स्वर्ण से इतर आयात की मांग पुनः बहाल हो सकती है। विदेश में कार्यरत भारतीयों से भेजे गए विप्रेषणों ने विश्व में संवृद्धि को अपक्षीण बना दिया है और भुगतान संतुलन के प्रति उसकी मदद बनी रहनी चाहिए। विगत की तरह सेवाओं में व्यापार से होने वाले प्रत्याशित अधिशेष सहित, साफ्टवेयर निर्यात तथा यात्रा से उत्पन्न आय के अधिशेष की सहायता से वर्ष के चालू खाता घाटा को जीडीपी के 1.5 प्रतिशत के नीचे रखा जाना चाहिए। पूंजी प्रवाह आते रहने की संभावना अत्यधिक अनिश्चित है, यह भी प्रत्याशा है कि वर्ष 2015 के बाद में अमरीकी मौद्रिक नीति व्यापक रूप से सामान्य होगी जिससे उभरते बाजारों से पूंजी का प्रवाह बाहर की ओर हो जाएगा और वित्तीय स्थिति भी कठोर बन जाएगी क्योंकि बॉण्डों पर प्रतिफल बढ़ जाएगा। इस संदर्भ में, 350 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का भंडार और जो लगभग नौ महीने के आयात के बराबर है, बफर के रूप में कार्य करेगा तथा वर्ष के दौरान सामान्य आयात एवं कर्ज चुकाने की जरूरत को सहज बनाएगा।

I.15 इन उम्मीदों के पूरा होने की चाबी यह है कि निवेश में टिकाऊ गति पैदा हो, साथ ही आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के सतत प्रयास होने चाहिए। 2015-16 तक विश्व स्तरीय व्यापक बैंकरप्सी संहिता को प्रारंभ करने के प्रस्ताव तथा निवर्तमान रेगुलेटरी प्रणाली द्वारा निवेश हेतु वर्तमान बहुस्तरीय पूर्वानुमति प्रक्रिया को बदल देने से यह उम्मीद की जाती है कि भारत में कारोबारी वातावरण में सुधार पैदा होगा। विनिर्माण क्षेत्र को व्यापक रूप से विकसित करने के संबंध में सबसे बड़ी बाधा जो बताई गई है वह है कारोबार करने

में आसानी पैदा न करने की। इसके लिए जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं : विधिक और विनियामक वातावरण, श्रमिक बाजार का सुधार, कर-प्रणाली और प्रशासनिक वातावरण।

I.16 वितरण नेटवर्क के बीच के अंतराल तथा वितरण कंपनियों की घटती हुई वित्तीय शक्तियों का शीघ्रता से समाधान करने की आवश्यकता है ताकि आपूर्ति संबंधी बाधाओं को निरंतर सहज बनाते हुए उसे मांग की बढ़ती हुई मात्रा के अनुरूप रखा जा सके। ऊर्जा के नवीकरण योग्य और परिमार्जित स्रोतों पर फोकस करने के साथ-साथ ऊर्जा के संरक्षण के लिए मध्यावधि कार्यनीति भी अपनाने की आवश्यकता है।

I.17 जनांकिकी की लाभपूर्ण संरचना का प्रयोग करने के प्रयत्नों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसरों को विस्तार दिया जाना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरत है कौशल संबंधी अंतर को सावधानी से पहचानने की, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना तथा नये कौशल का निर्माण करना। इस संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों में कौशल-निर्माण के संबंध में की जा रही पहल को समेकित करना है, प्रासंगिक है। स्वरोजगार, रोजगार अवसरों का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए कारोबार शुरू करने के सभी पहलुओं तथा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को संबल प्रदान करने के लिए सेतु (एसईटीयू) (स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग) की पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य पहल जैसे डिजिटल इंडिया ओर मेक इन इंडिया से भी रोजगार बढ़ाने में सहायता मिलेगी।



वर्ष 2014-15 में समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य कुछ इस प्रकार का था कि आंतरिक और बाह्य स्थिरता को सशक्त बनाने के प्रयास के बीच आर्थिक गतिविधियों में सामान्य तेजी ही पैदा हो सकी थी, बावजूद इसके कि विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की गति धीमी और भिन्न-भिन्न थी। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को अपनी क्षमता साकार करने तथा विकास की प्रक्रिया को कायम रखने के मार्ग में अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि विकास के मार्ग में संरचनागत बाधाओं तथा परिसंपत्तियों की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का समाधान अतिशीघ्र करने की आवश्यकता है।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.1.1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी 2015 में भारत के राष्ट्रीय लेखों की एक नई श्रृंखला जारी की थी। इस नई श्रृंखला की खास विशेषताएं इस प्रकार थीं: (i) आधार वर्ष को अद्यतन बनाते हुए 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया जाना; (ii) कार्पोरेट गतिविधियों का बेहतर कवरेज (ए) जिसके लिए कंपनी कार्य-मंत्रालय के एमसीए 21 डाटाबेस¹ का इस्तेमाल करना, (बी) मूल्य-आधारित संकेतकों जैसे बिक्री कर की वसूली का इस्तेमाल मात्रा-आधारित संकेतक जैसे औद्योगिक उत्पादन के साथ करना तथा (सी) असंगठित क्षेत्रों की गतिविधियों सहित नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग; और (iii) प्रणालीगत परिवर्तन


जैसे खनन और विनिर्माण में मूल्य-योजन के आकलन के लिए 'संस्था' के स्थान पर 'उद्यम' दृष्टिकोण अपनाना। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, अब बाजार मूल्यों के आधार पर जीडीपी, उत्पादन के लिए प्रमुख पैमाना होगा। आपूर्ति पक्ष की गतिविधियों को कारक लागत पर जीडीपी के बजाय सामान्य मूल्य (बेसिक प्राइस) पर सकल मूल्य योजन (जीवीए) द्वारा मापा जाएगा। इस नई श्रृंखला के अनुसार वास्तविक गतिविधियों (बाजार मूल्य पर) ने 2014-15 में गति पकड़ी है, जो वर्ष 2013-14 की 6.9 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.1)। वर्ष 2014-15 में वृद्धि का अडिग बने रहना मुख्यतया निजी उपभोग द्वारा संचालित था और उसे स्थिर निवेश से सहायता मिली, हालांकि सरकारी उपभोग और निवल निर्यात काफी मंद पड़ गया था।

चार्ट II.1: बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी में वृद्धि



¹ एमसीए 21 डाटाबेस, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा पंजीकृत कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई ई-गवर्नेंस पहल है ताकि वे अपने वार्षिक लेखा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दो वेब प्लेटफार्म के द्वारा प्रस्तुत कर सकें अर्थात् (i) फार्म 23 एसी/एसीए और (ii) एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल)। वर्तमान में बैंकिंग कंपनियां, विद्युत कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा बीमा कंपनियों का एक्सबीआरएल फार्म भरने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। नई श्रृंखला के लिए (आधार : 2011-12), सीएसओ ने 2011-12 व 2012-13 के लिए 5 लाख कंपनियों के लेखा, और 2013-14 के लिए लगभग 3 लाख लेखा को शामिल किया है। इस डाटाबेस में एलएलपी अधिनियम 2008 के अंतर्गत एमसीए में पंजीकृत, सीमित देयता (भागीदार) कंपनियों (एलएलपी) को भी कवर किया गया है।

चार्ट II.2: सामान्य मूल्य पर वास्तविक सकल मूल्य योजन (जीवीए) में हुई वृद्धि



II.1.2 आपूर्ति पक्ष से देखें तो पता चलता है कि 2014-15 में गतिविधियों में जो तेजी आई थी वह काफी हद तक उद्योग और सेवा की वजह से थी (चार्ट II.2)। उद्योग के भीतर, विनिर्माण और विद्युत उत्पादन में उच्च वृद्धि पाई गई थी। विनिर्माण के हिस्से में बढ़ोतरी उनकी ग्राहक संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों से हुई थी जो पुरानी श्रृंखला में सेवाओं का हिस्सा हुआ करती थीं। सेवा क्षेत्र में वित्तीय, भू-संपदा, और पेशेवराना सेवाएं तथा निर्माण इसे आगे ले जाने के प्रमुख संचालक थे। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र ने अपनी गति खो दी थी, दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्लूएम) क्षीण होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई और रबी की फसल के समय बेमौसम बरसात होने तथा ओले की आंधी आने से विपरीत प्रभाव पड़ा।

II.1.3 इस प्रकार, नई श्रृंखला के अनुसार भारत विश्व में सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बावजूद इसके कि विश्व की अर्थव्यवस्था अभी भी धीमी बनी हुई है जिसने 2014-15 में वृद्धि में निवल निर्यात के योगदान से जो गति पैदा हुई थी उसी पीछे खींच लिया है।

बचत और निवेश

II.1.4 वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू बचत दर में लगातार दूसरे वर्ष भी गिरावट पैदा हुई है और यह गिरावट सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) (सारणी II.1) का 30 प्रतिशत थी। इससे काफी हद तक यह पता चलता है कि गृहस्थों की बचत दर में कमी आने का कारण भौतिक रूप में उनकी परिसंपत्तियों और

सारणी II.1: सकल बचत (जीएनडीआई के अनुपात के रूप में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4
1 सकलबचत	33.0	31.1	30.0
1.1 गैर-वित्तीय निगम	9.7	9.6	10.3
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.4	1.2	1.0
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	8.3	8.4	9.3
1.2 वित्तीय निगम	2.9	3.1	2.8
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.8	1.7	1.5
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.1	1.4	1.3
1.3 सामान्य सरकारी	-1.8	-1.3	-1.0
1.4 गृहस्थ क्षेत्र	22.2	19.7	17.8
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.1	6.8*	7.1*
1.4.2 भौतिक परिसंपत्तियों में बचत	14.8	12.6	10.4
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.4	0.4	0.3

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय


* भारिबैं. के ताजा अनुनाम के अनुसार गृहस्थों की वित्तीय बचत वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए जीएनडीआई का क्रमशः 7.0 और 7.30 प्रतिशत थी।

मूल्यवान वस्तुओं में कमी होना रहा है। दूसरी ओर, गृहस्थों की वित्तीय बचत को फायदा पहुंचा है क्योंकि महंगाई के कम होने तथा आर्थिक गतिविधियों के गति पकड़ने से प्रतिफल आकर्षक हो गए हैं। वर्ष 2014-15 के लिए सीएसओ ने अभी तक सकल बचत के संबंध में अनुमान जारी नहीं किए हैं। लेकिन रिजर्व बैंक के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 2014-15 में गृहस्थों की वित्तीय बचत दर जीएनडीआई का 7.5 प्रतिशत आंकी गई है जो 2013-14 के 7.3 प्रतिशत से अधिक है।

II.1.5 जहां तक निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत दर का संबंध है, गैर-वित्तीय निगमों ने वर्ष 2011-12 से लगभग समान रूप से सुधार दर्ज किया है अर्थात् जबसे नई श्रृंखला उपलब्ध है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस वृद्धि को 2014-15 में कायम रखना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर निजी वित्तीय निगमों की बचत दर में 2013-14 में थोड़ा क्षरण हुआ है, जिसका आंशिक कारण यह था कि निजी क्षेत्र के बैंकों के परिचालनगत लाभ की वृद्धि में कमी आ गई थी। उपलब्ध संकेतकों से पता चलता है कि इस कमी को 2014-15 में पूरा कर लिया गया है।

II.1.6 सामान्य सरकारी 'निर्बचत' में सतत रूप से गिरावट होने से 2013-14 में सकल राष्ट्रीय बचत दर को तीव्रता हासिल हुई है। राजकोषीय समेकन को बनाए रखते हुए, विशेष रूप से केंद्र द्वारा बनाए रखने से यह संभावना है कि 2014-15 में भी सरकारी क्षेत्र की निर्बचत प्रवृत्ति में गिरावट बनी रहेगी। लेकिन, सरकारी वित्तीय (सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित) और गैर-वित्तीय निगमों की बचत दर में 2013-14 में गिरावट हुई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 2014-15 में कर के बाद लाभ में गिरावट आई है।

II.1.7 वर्ष 2012-13 और 2013-14 में निवेश दर (वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी के समानुपात में सकल पूंजी-निर्माण) घटी थी, जिससे काफी हद तक यह पता चलता है कि गैर-वित्तीय निगमों की निवेश दर धीमी हुई है क्योंकि घरेलू और बाह्य मांग कमजोर थी और अन्य संरचनागत कारण भी रहे हैं जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब तथा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, कमजोर कारोबारी भरोसा तथा नीतिगत अनिश्चितताएं। गृहस्थ क्षेत्र की निवेश-दर भी 2012-13 और 2013-14 में घटी है। 2013-14 में सामान्य सरकारी निवेश में अवश्य सुधार हुआ जिसने उक्त कमियों की कुछ भरपाई की थी (चार्ट II.3)।



II.1.8 निवेश गतिविधियों जैसे- संस्थापित परियोजनाओं, पूंजीगत माल का आयात/उत्पादन तथा किए गए अधिकतम व्यय के अन्य संकेतकों के साथ देखने से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के निवेश इरादों में जो कमी 2014-15 में आई है वह पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा है। नई परियोजनाओं के संबंध में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्हें स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/ विदेशी परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी)/ घरेलू पूंजी बाजार निर्गम से ली गई निधि से इन परियोजनाओं पर कुल निवेश इरादे पिछले वर्ष कुल ₹2,081 की बिलियन की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹1,459 बिलियन थे। अतः, निवेश मांगचक्र में जो घुमाव है वह अर्थव्यवस्था को सतत उच्च विकास के पथ पर ले जाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हाल के अनुभव यह बताते हैं कि सरकारी निवेश के अत्यधिक बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि निष्क्रियता टूटे जो निजी निवेश के प्रति बाधा बनी हुई है और उसकी बहुत भीड़ को भी रोके, बशर्ते कि कारोबारी भावना उत्साहवर्धक हो। इस प्रयास की प्रमुख बात यह होगी कि संस्थापित परियोजनाओं में धनाभाव हेतु निवेश किया जाए जिससे वह परियोजनाएं पुनः कार्य करने लगे और साथ ही प्रमुख इनपुट जैसे बिजली, भूमि (विशेष रूप से सड़क के लिए) और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता हो। संरचनागत सुधार का दृढ़ कार्यान्वयन किया जाए जैसे वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को कार्यान्वित करके उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धा को तीव्र बनाया जाए।

कृषि

II.1.9 वर्ष 2014-15 के दौरान मानसून की लहर का खेल पूरी तरह से चलता रहा। प्रारंभ में एल-नीनो की उभरने की संभावना बहुत अधिक थी किंतु अंततः वैसा नहीं हुआ। जो भी हो, दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्लूएम) के मौसम के दौरान वर्षा का विलंब से कम तथा असमान रूप से होने के कारण अधिकांश खरीफ फसलों का उत्पादन कम हो गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून कम होने से मिट्टी में नमी पर्याप्त रूप से नहीं आने पाई थी और इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व मानसून (एनईएम) भी कम रहा। किए गए अनुमान की तुलना में अधिकांश रबी फसल उससे कम रही और प्रारंभ में यह जो उम्मीद की गई थी कि रबी की अच्छी फसल से खरीफ की फसल में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी, गलत सिद्ध हुआ। मौसम के अंत तक, दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घकालिक औसत (एलपीए) से 12 प्रतिशत कम था और उत्तर-पूर्व मानसून एलपीए से 33 प्रतिशत कम रहा था। इसके अतिरिक्त, जलाशयों में पानी की कम-पूर्ति तथा बीच-बीच में सूखे जैसी हालत से रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, विशेष रूप से गेहूँ की फसल को, क्योंकि फरवरी के अंत में तथा मार्च 2015 के प्रारंभ में बेमौसम बारिश हुई और ओले की आंधी चली थी। कृषि मंत्रालय द्वारा 17 अगस्त 2015 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में 4.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसी प्रकार, तिलहन और कपास के उत्पादन में क्रमशः 18.5 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत की गिरावट हुई है हालांकि गन्ने के उत्पादन में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि

हुई है। पिछले वर्ष के 265.0 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 252.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है और मात्रा में इस गिरावट के प्रभाव को उपलब्ध खाद्यान्न के 55.6 मिलियन टन बफर (जुलाई 2015 अंत में) से समाप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि उपलब्ध बफर की मात्रा बफर मानदंड अर्थात 21.0 से 41.1 मिलियन टन से कहीं अधिक है।


II.1.10 भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2015 में दक्षिण-पश्चिम मानसून जून 2015 में एलपीए के 88 प्रतिशत तक रह सकता है, और यही पूर्वानुमान अगस्त 2015 में भी था, और मौसम² के दौरान एल-नीनो का प्रभाव तीव्र होने की संभावना है। हालांकि मानसून विलंब से आया, लेकिन जून के दौरान अंतिम सप्ताह को छोड़कर काफी बारिश हुई। उसके बाद मौसम सूखा बना रहा है जुलाई के मध्य तक वही स्थिति रही, जिसने मौसम की अब तक (19 अगस्त 2015), हुई वर्षा को एलपीए के नीचे 9 प्रतिशत तक सीमित कर रखा है। खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की बुवाई की तुलना में अधिक हुई है। जिस प्रकार से प्रगति हो रही है उससे खरीफ 2015 की फसल बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है, बावजूद इसके कि आपूर्ति की कमी का जोखिम और मौसम के शेष भाग के बारे में दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए कोई पूर्वानुमान न दे पाने के कारण अधिक महंगाई का दबाव भी बना हुआ है, साथ ही मानसून की लहर आने के संदर्भ में इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि भारतीय कृषि का मौसम से निष्प्रभावी होने की मात्रा कितनी है (बॉक्स II.1)।

बॉक्स II.1

भारतीय कृषि कितनी मानसून-प्रूफ है ?


ऐतिहासिक रूप से, भारत में कृषि-उत्पादन की असफलता को प्रायः दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी से जोड़ा जाता रहा है। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून से कुल वर्षा का 75-80 प्रतिशत प्राप्त हो जाता है, और इसी दौरान खरीफ की बुवाई भी होती है, इससे जमीन के नीचे पानी, मिट्टी की नमी तथा जलाशयों की पूर्ति होती है और इस प्रकार से यह वर्षा रबी की खेती के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। कृषि की विकास दर की प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखने से ज्ञात होता है कि कभी-कभी खराब मौसम में भी इसमें उससे जूझने की क्षमता है (चार्ट 1)।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के सकारात्मक और नकारात्मक आघातों के अनुभवों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 1988-2012 की अवधि के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की घट-बढ़ का प्रभाव सांख्यिकी दृष्टिसे कृषि के उत्पादन पर अत्यधिक था, किंतु यह प्रभाव निवल बुवाई वाले क्षेत्र में घट-बढ़



² जुलाई 2015 में मौसम की निगरानी और कृषि-जोखिम के समाधान की कंपनी स्काईमेट ने मार्च 2015 में की गई भविष्यवाणी को संशोधित किया है जिसके अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा एलपीए के 102 प्रतिशत (+/-4% की त्रुटि मार्जिन सहित) के बजाय एलपीए के 98 प्रतिशत (+/-4% की त्रुटि मार्जिन सहित) रहेगी।

से काफी कम था (चार्ट 2)। वर्षा और बुवाई क्षेत्र के बीच विभिन्न प्रकार की समानता के अभाव को परीक्षण भिन्नता मुद्रास्फीति कारक (वीआईएफ) द्वारा संगत बनाया गया है।



स्पष्ट है कि भारतीय कृषि अभी भी पूरी तरह मौसम पर निर्भर-रहित नहीं बन पाई है और मानसून के आघातों से फसलों के उत्पादन को बचाने के लिए सरकारी नीति का दखल अनिवार्य होता है। भूमि के उपयोग में संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाने तथा बड़े पैमाने की किफायत के समाप्त हो जाने को बहु-उद्देश्यीय रणनीति द्वारा रोका जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण, पूंजी तथा मशीनरी, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, बेहतर और संकर बीज का उपयोग, सिंचाई और जल प्रबंधन, तथा सूखे एवं अर्ध-सूखे क्षेत्रों सहित भूमि

उद्धार किया जाना शामिल है तथा पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति योजना को लागू करने हेतु कड़ाई से अनुवर्तन करना। कृषि के विकास के लिए विविध प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए जाएं जिनमें मवेशियों, मत्स्य, वानिकी और कट्टे लगाए जाना, दक्षिण-पश्चिम मानसून में घट-बढ़ से कृषि-उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में बफर के रूप में कार्य करेगा, बशर्ते इसका पालन खाद्यान्न और आहार सुरक्षा के समग्र संदर्भ में किया जाए।

2009-10 में दक्षिण-पश्चिम मानसून में 22 प्रतिशत की कमी को देखते हुए आकस्मिकता योजनाएं लागू की गई थीं जिसपर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए पुनः लागू करने की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण तथा अल्प अवधि वाले बीज, कृषि-इनपुट, आगामी फसली-मौसम के लिए सक्रिय रबी फसल की मुहिम तथा कार्ययोजना, मीडिया से प्रसार एवं जागरूकता अभियान, केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत धान की बढ़ी हुई उपलब्धता और सिंचाई के लिए अतिरिक्त डीजल सब्सिडी के प्रावधान ने अच्छी तरह कार्य किया है, जिससे देश में यह बात उभरकर आई है कि यदि पहले से ही नीतिगत उपाय सक्रिय हों तो प्रतिकूल मानसून आघात के प्रभाव को सुधारा जा सकता है।

संदर्भ :

पी.के. अग्रवाल एवं अन्य (2009), 'मौसम परिवर्तन का भारतीय कृषि पर प्रभाव : वर्तमान जानकारी की स्थिति।


भा.रि.बैंक बुलेटिन (2015), मानसून और भारतीय कृषि - संयुक्त या पृथक? मई।

उद्योग

II.1.11 औद्योगिक उत्पादन वर्ष 2013-14 में घट गया था जिसमें बहाली पैदा हुई और 2014-15 के दौरान उसमें 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी घटता रहा है, विशेष रूप से मोबाइल फोन सहित टेलीफोन उपकरण जिसका कारण था कि नवंबर 2014 में चेन्नै में स्थित नोकिया की निर्माण इकाई यकायक बन्द हो गई थी। यदि इस श्रेणी को हटा दिया जाए तो औद्योगिक उत्पादन वर्ष 2014-15 में 5.3 प्रतिशत तक बढ़ गया होता (चार्ट II.4)।

II.1.12 सामान्य धातुओं, बिजली और महत्वपूर्ण वस्तुओं के उच्च उत्पादन ने 2014-15 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वृद्धि को आगे बढ़ाया है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार सामान्य एवं महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में तेजी आई है जबकि मध्यम वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ है और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन घट गए हैं (सारणी II.2)।

II.1.13 खनन गतिविधियों में तीन वर्ष तक चरम-मंदी की स्थिति में रहने के बाद 2014-15 में बहाली पैदा हुई और कोयले



सारणी II.2: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(प्रतिशत)


उद्योग समूह	आईआईपी में भार	वृद्धि दर				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल-जून 2015-16अ
1	2	3	4	5	6	7
समग्र आईआईपी	100.0	2.9	1.1	-0.1	2.8	3.2
खनन	14.2	-2.0	-2.3	-0.6	1.5	0.7
विनिर्माण	75.5	3.0	1.3	-0.8	2.3	3.6
विद्युत	10.3	8.2	4.0	6.1	8.4	2.3
उपयोग-आधारित						
सामान्य वस्तुएं	45.7	5.5	2.5	2.1	7.0	4.7
पूंजीगत वस्तुएं	8.8	-4.0	-6.0	-3.6	6.4	1.5
मध्यस्थ वस्तुएं	15.7	-0.6	1.6	3.1	1.7	1.6
उपभोक्ता वस्तुएं	29.8	4.4	2.4	-2.8	-3.4	2.4
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8.5	2.6	2.0	-12.2	-12.6	3.7
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	21.3	5.9	2.8	4.8	2.8	1.6

अ - अर्न्तम
 स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

के उत्पादन में वृद्धि से उसमें तेजी आई (चार्ट II.5)। खनन क्षेत्र के भीतर अन्य मर्दों में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आ गई क्योंकि तेल का सोता पुराना हो गया था और नये तेल के सोत की परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ था। केजी-डी6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में हुई पिछले तीन वर्ष की भांति कमी ने भी वर्ष 2014-15 में प्राकृतिक गैस उत्पादन को प्रभावित किया। बिजली का उत्पादन पिछले दो दशक में 2014-15 के दौरान सबसे अधिक हुआ था, क्योंकि कोयले की आपूर्ति बेहतर थी तथा 22566 मेगावाट (17830 मेगावाट के लक्ष्य के स्थान पर) की अतिरिक्त क्षमता जुड़ गई थी, जो किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन रहा है। क्षमता बढ़ाने, तथा अधिक बिजली पैदा होने एवं बेहतर वितरण क्षमता से पिछले दो दशक में 7 से 11 प्रतिशत की बिजली की कमी काफी हद तक घटकर 2014-15 में सबसे कम केवल 3.6 प्रतिशत तक रह गई। 2014-15 में तापीय विद्युत क्षेत्र में संयंत्र प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को काफी हद कायम रखा जा सका। हालांकि, 2015-16 की पहली तिमाही में थोड़ी सी कमी दर्ज हुई है।

II.1.14 उपभोक्ता के कमजोर खर्च, धीमी निवेश गतिविधियों तथा खराब बाह्य मांग ने 2014-15 में विनिर्माण गतिविधियों

को पीछे धकेल दिया था। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर निर्यात करने वाले उद्योग जैसे - सूतीवस्त्र, परिधान तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद कम हो गए थे। दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग जैसे - मशीनरी तथा उपकरण और विद्युत मशीनरी में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में तीन साल तक



कमी होने के बाद बहाली से इसमें आगे चलकर निवश-मांग की बेहतर संभावना के संकेत मिल रहे हैं। किंतु, अप्रैल-जून 2015 के दौरान आईआईपी की वृद्धि में जो गिरावट आई है वह मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं, विद्युत और खाद्यान्न उत्पादों के मंद उत्पादन के कारण थी।

सेवाएं

II.1.15 अनुमान है कि वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र 9.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो मुख्य रूप से 'वित्तीय, भू-संपदा तथा पेशेवर सेवाओं' तथा निर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित हुआ है। जहां तक 2015-16 का संबंध है, कमर्शियल/यात्री वाहन बिक्री, वायुयान यात्री ट्रैफिक बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो सहित सेवा क्षेत्र के प्रमुख संकेतकों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुधार हुआ है। लेकिन, रेल भाड़ा यातायात, घरेलू हवाई कार्गो पर्यटकों का आगमन, सीमेंट उत्पादन और स्टील की खपत - जो निर्माण गतिविधियों के बारे में अग्रणी संकेत प्रदान करते हैं - में धीमापन दिखाई दिया है। वर्ष 2014-15 के दौरान सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई 2014 से लेकर अब तक विस्तारित अवस्था में था हालांकि आगामी महीनों में विस्तार की दर थोड़ी धीमी थी। लेकिन, मई-जून 2015 में पीएमआई सेवाओं में गिरावट आ गई, क्योंकि उत्पादन और नये आर्डर दोनों में कमी हो गई थी हालांकि जुलाई 2015 में इसमें विस्तार हुआ। कुल खर्च को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे राजकोषीय समेकन से पीछे की ओर जो खिंचाव बन रहा है उसे देखते हुए आगे चलकर 'सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं' वृद्धि की टिकाऊ संचालक नहीं बन पाएंगी।

रोजगार पैदा करना

II.1.16 श्रम ब्यूरो द्वारा चुनिंदा निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में किए गए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि इन क्षेत्रों में 2012 में अत्यधिक गिरावट आने के बाद वर्ष 2013 और 2014 में इनमें रोजगार पैदा होने की दर बढ़ी है। हालांकि, रोजगार पैदा करने का जो स्तर 2010 के पहले था उस स्तर को अभी तक नहीं पाया जा

सका है। सूचना प्रौद्योगिकी- कारोबार उन्मुख प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (आईटी-बीपीओ) और सूतीवस्त्र क्षेत्र 2009 से लेकर 2014 तक बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के प्रमुख निर्यात-उन्मुख क्षेत्र रहे हैं।

आधारभूत सुविधाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

II.1.17 प्रमुख उद्योगों (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत) में उत्पादन की वृद्धि 2014-15 में धीमी थी (चार्ट II.5) और अप्रैल-जून 2015 में भी मंद बनी रही। संरचनागत बाधाओं के कारण प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और उर्वरक के उत्पादन में लगातार गिरावट रही है। इस्पात उद्योग की वृद्धि विश्व में इस्पात के मूल्यों में गिरावट से प्रभावित हुई है और फलस्वरूप इस्पात का आयात बढ़ गया है। दूसरी ओर, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक क्षमता-वर्धन उपायों जैसे - भारी मात्रा में उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, कोयला-स्रोतों से उसके अंतिम उपयोग के बीच लिंकेज को युक्तिपरक बनाकर, रेलवे से समन्वयन करके कोयले को तेजी से खाली करना तथा उसे जमीन के भीतर खान में रखना, की सहायता से कोयला क्षेत्र को 2014-15 में फायदा पहुंचा और कोयला क्षेत्र के निष्पादन में वृद्धि काफी आकर्षक रही।

II.1.18 अगस्त 2015 के मध्य तक सरकार के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) को 675 मेगा परियोजना (10 बिलियन रुपए और उससे अधिक या आधारभूत सुविधा, विनिर्माण, विद्युत आदि क्षेत्रों की किसी अन्य परियोजना) का प्रस्ताव उसके विचारार्थ प्राप्त हुआ है जिसकी अनुपातिक लागत 28.8 ट्रिलियन रुपए है। इनमें से, 9.9 ट्रिलियन रुपए की 291 परियोजनाओं को पीएमजी ने अनुमति दे दी है जिनमें प्रमुख रूप से विद्युत क्षेत्र, उसके बाद कोयला, सड़क और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। हालांकि, अभी भी सरकार द्वारा केंद्रीय आधारभूत सुविधा क्षेत्र के पुनरुत्थान की परियोजनाओं (1.5 बिलियन रुपए एवं उससे अधिक के संबंध में) की गई पहल का प्रभाव अभी भी महसूस नहीं हुआ है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा निगरानीकृत केंद्रीय

सारणी II.3: परियोजनाओं की स्थिति

केंद्रीय क्षेत्र आधारभूत सुविधा परियोजनाएं					
अवधि	कुल परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं की संख्या	विलंबित परियोजनाओं का मूल्य (बिलियन रु.)	डीओसी के परियोजनाओं की संख्या	डीओसी के बिना परियोजनाओं का मूल्य (बिलियन रु.)
1	2	3	4	5	6
मार्च - 15	766	237	4,826	371	2,470
मार्च - 15	751	328	5,752	264	1,531
दिसंबर - 14	738	315	4,961	266	1,475
सितंबर - 14	750	312	5,504	302	1,730
जून - 14	729	290	4,975	300	1,805

स्रोत: इन्फ्रास्ट्रक्चर और परियोजना निगरानी प्रभाग, एमओएसपीआई, भारत सरकार।
डीओसी: संस्थापना की तारीख


क्षेत्र आधारभूत सुविधा परियोजना (1.5 बिलियन रुपये और उससे अधिक) के पुनरुद्धार के संदर्भ में है (सारणी II.3)।

II.1.19 विश्व बैंक के डाटाबेस³ के अनुसार 2008-2012 के दौरान भारत में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से किया गया निवेश सबसे अधिक था, उसके बाद वहीं सड़क एवं बंदरगाह जैसी प्रमुख आधारभूत सुविधा की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता में तेजी से गिरावट आ गई थी। सरकार द्वारा महामार्गों के निर्माण पर फोकस करने तथा इंजीनियरिंग, उगाही तथा निर्माण (ईपीसी) के सार्वजनिक निधीयन से सड़क निर्माण गतिविधियों में 2013-14 की तुलना में 2014-15 में थोड़ा-सा सुधार दिखाई दिया है (चार्ट II.6)।

II.1.20 मार्च 2015 में स्पेक्ट्रम नीलामी में सभी चारों बैंडों (1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, और 800 मेगाहर्ट्ज) के लिए अत्यधिक गतिमान तरीके से बोलियां लगाई गई थीं। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्पेक्ट्रम को चारों बैंडों के लिए एक-साथ प्रस्ताव पेश किए गए थे (सारणी II.4)।

II.1.21 सरकार ने आधारभूत सुविधा के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए हाल के दिनों में कई संरचनागत सुधार की पहल की है : कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 पारित करना, कोयले की खानों की नीलामी, लोहा और इस्पात के शुल्क में वृद्धि, बृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए प्लग-एंड-प्ले तरीके से निष्पादन वाली परियोजनाओं को अपनाना, रेलवे में आधारभूत सुविधा में

चार्ट II.6: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन



100 प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति, राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत सुविधा निधि का प्रस्ताव, रेल, सड़क तथा सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर-मुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड और सड़क तथा रेलवे के लिए बढ़ी हुई परियोजना परिव्यय।

II.1.22 सरकार ने आधारभूत सुविधा क्षेत्र में निवेश को सीधे-सीधे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और इस क्षेत्र में सरकारी व्यय को तेजी प्रदान करने के लिए वर्ष 2015-16 में 700 बिलियन रुपए का व्यय रखा है। इस प्रयास से इस क्षेत्र में निजी सहभागिता की भीड़ भी बढ़ेगी। इसके अलावा, सरकार के इस निर्णय से कि अपेक्षित अनुमति एवं लिंकेज प्राप्त कर लेने के बाद ही नई परियोजनाओं का कार्य सौंपा जाएगा, आगे चलकर आधारभूत सुविधाओं की परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के प्रति उत्प्रेरणा का कार्य करेगा।

सारणी II.4: स्पेक्ट्रम नीलामी

वर्ष	राजस्व वसूली (बिलियन रु.)
1	2
2010	1062.62
2012	94.07
2013	36.39
2014	611.61
2015	1098.75

स्रोत: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।


³ आधारभूत सुविधा में पीपीपी परियोजनाएं से संबंधित अनुदेश-पुस्तिका, योजना आयोग, भारत सरकार, मार्च 2014

II.2 मूल्य की स्थिति

II.2.1 वर्ष 2014-15 भारत में मूल्य-लागत गतिकी (डाइनामिक्स) के उद्भव में नया मोड़ था। जनवरी 2014 में मौद्रिक नीति का रुझान अवस्फीति के पथ पर था जो मुद्रास्फीति (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) या सीपीआई-सी, आधार 2010=100 वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों के अनुसार मापा हुआ) को जनवरी 2015 तक नीचे की ओर 8.6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत से कम तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से कम की ओर ले जाएगी। इस रुझान को सितंबर 2013, अक्टूबर 2013 और जनवरी 2014 में प्रत्येक में 25 आधार अंकों के नीतिगत दर वृद्धि द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि, उत्तर-भारत में मौसम संबंधी परिवहन बाधाओं के कारण बेमौसम खाद्य-मूल्य में तीव्र वृद्धि ने जुलाई 2014 तक मुद्रास्फीति को अड़ियल ढंग से ऊंचा रखा, जबकि मुद्रास्फीति-विरोधी मौद्रिक नीति के साथ निरंतर दृढ़ता के कारण 2013-14 की दूसरी छमाही में हुई मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था में डाली गई। विभिन्न प्रकार की आपूर्ति प्रबंधन कार्य नीतियों की सहायता से तथा सितंबर 2014 और फरवरी 2015 के बीच अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्यों¹ में प्रभावशाली तरीके से 28 प्रतिशत की छलांग से मुद्रास्फीति दृढ़ता (निरंतर छह वर्ष के लिए दो अंकों के करीब सीपीआई मुद्रास्फीति) अंततः टूट गई तथा हेडलाइन मुद्रास्फीति अगस्त 2014 से नरम होने लगी। जुलाई और नवंबर 2014 के बीच मुद्रास्फीति की गिरावट में खाद्य मूल्य दबाव में 76 प्रतिशत की कमी का योगदान रहा। अप्रैल 2015 तक यह 4.9 प्रतिशत तक घट गया जो नए सीपीआई सीरीज (आधार 2012=100) द्वारा मापी गई। अतः जून 2015 में 5.4 प्रतिशत का इजाफा होने के बावजूद यह पुष्टि की गई कि अवस्फीति मजबूत हो रही थी जो मुख्यतः ईंधन मूल्य समायोजन और अल्पावधि खाद्य-मूल्य दबाव को दर्शाता है, जुलाई 2015 में मुद्रास्फीति काफी कम होकर 3.8 प्रतिशत हो गई। मुख्यतः खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति मई 2014 में 8.3 प्रतिशत

रही जो लगभग आधा घटकर मार्च 2015 में 4.2 प्रतिशत हो गई जिससे अवस्फीति प्रक्रिया को टिकाऊ गति प्राप्त हुई। तथापि, यह जुलाई 2015 में 4.5 प्रतिशत तक गिरने से पहले जून 2015 में उल्लेखनीय ढंग से 5.0 प्रतिशत तक बढ़ गयी। दिसंबर 2014 तक पारिवारिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं (आगे के तीन माह और आगे का एक वर्ष) जो सितंबर 2009 से लगातार दो अंकों में मौजूद थीं वह धीरे से एक अंक में आ गईं।

II.2.2 2014-15 के दौरान औसत मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी जोकि एक वर्ष पूर्व 9.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति से बहुत कम पाई गई (चार्ट II.7)। तथापि, 2014-15 के दौरान मुद्रास्फीति में अंतर-वर्ष उतार-चढ़ाव में तीन विशिष्ट पहलू प्रकट हुए - पहला, अगस्त तक मौसम संबंधी सब्जियों के मूल्यों में दबाव; दूसरा खाद्य मूल्यों में उत्तरवर्ती गिरावट तथा गिरते हुए वैश्विक पण्य मूल्यों का खाद्य, ईंधन और सेवा मूल्यों में अंतरण जिससे मुद्रास्फीति पथ में प्रमुख बदलाव आया जिसने मुद्रास्फीति को नवंबर 2014 में 3.3 प्रतिशत अंतः वर्ष तक नीचे ले गया; और अंत में अनुकूल आधार प्रभावों में उलट-फेर जिससे मार्च 2015




¹ आईएमएफ के प्राथमिक पण्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया।


में मुद्रास्फीति में 5.3 प्रतिशत तक बढ़ गई। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2014 - फरवरी 2015 के दौरान मुद्रास्फीति बढ़ती रहने के बावजूद माह-दर-माह मूल्यों में वृद्धि कम या नकारात्मक रही जो मुद्रास्फीति जोखिमों की निरंतर कमी को प्रमाणित करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के ड्राइवर्स

II.2.3 सीपीआई मुद्रास्फीति के सभी तीन प्रमुख मूल समूह-खाद्य, ईंधन और खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर वर्गों का हेडलाइन मुद्रास्फीति की गिरावट में योगदान रहा। इससे आपूर्ति स्थितियों में सुधार तथा मुद्रास्फीति गति में हास का पता चलता है (चार्ट II.8) जिसका सबसे अधिक प्रभाव खाद्य घटकों से प्रकट हुआ। मुद्रास्फीति में ईंधन समूह का योगदान अत्यल्प रहा जो गैर-परिवहन ईंधन वस्तुओं की प्रशासित मूल्यों में बदलाव की गिरती बारंबारता तथा अपेक्षाकृत निम्न भार दर्शाता है। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में गिरावट मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति रुझान के कारण आई चूंकि उनके लगभग सभी उप-घटकों की मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई थी।



चार्ट II.9: प्रमुख समूहों में सीपीआई मुद्रास्फीति



खाद्य मुद्रास्फीति

II.2.4 2014-15 के दौरान खाद्य और गैर-खाद्य समूहों के बीच वेड्ज काफी संकुचित हो गया (चार्ट II.9)। दो प्रमुख समूहों - अनाज और सब्जियां दोनों को मिलाकर वर्ष के दौरान औसत खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में लगभग 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अनाज की मुद्रास्फीति में गिरावट, 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में आशोधन के न्यून क्रम (सारणी II.5) तथा गेहूँ का खुला बाजार बिक्री सहित जनता वितरण

सारणी II.5: खाद्यान्न हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ प्रति क्विंटल)

पण्य	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
धान (सामान्य)	1,250	1,310	1,360	1,410
गेहूँ	1,350	1,400	1,450	-
दाल	3,000	3,100	3,175	-
अरहर (तुवर)	3,850	4,300	4,350	4,425
मूंग	4,400	4,500	4,600	4,650
उड़द	4,300	4,300	4,350	4,425

स्रोत: डीएसी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन के कारण हुई। सब्जियों के मूल्य ने 2014-15 की पहली छमाही में मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया तथा 2014-15 की दूसरी छमाही में स्टॉक एकत्र करना प्रोत्साहित न करने तथा सब्जियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अंतर्गत ले आने के कारण उसमें अपेक्षाकृत तेजी से गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक मूल्यों के साथ-साथ चीनी के मूल्यों में कमी आई लेकिन प्रोटीन-युक्त वस्तुओं (अंडे, मछली, मांस, दूध और दालें) ने मुद्रास्फीति में नीचे की ओर सख्ती का प्रदर्शन किया जो मांग और आपूर्ति के बीच संरचनात्मक बेमेल दर्शाता है।

II.2.5 आपूर्ति श्रृंखला और फसल के बाद उपज प्रबंधन, दोनों को सुधारने के लिए कई नीतिगत उपक्रम शुरू किए गए। इनमें राज्यों को परामर्श जारी करना ताकि वे कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम से फल और सब्जियों को सूची से हटाकर उनकी मुक्त आवजाही करवा सके; ईसीए की परीधि के अंतर्गत प्याज और आलू ले आना शामिल है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकारें स्टॉक सीमाएं लगा सके ताकि व्यवसायी समूहन तथा जमाखोरी संभाल सके और स्टॉक सीमाओं के उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बना सके। 26 जून 2014 से लागू आलू के लिए प्रति मेट्रिक टन (एमटी) 450 अमरीकी डॉलर तथा 21 अगस्त 2014 से लागू प्याज के लिए प्रति मेट्रिक टन (एमटी) 300 अमरीकी डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाने से भी इन खराब हो जानेवाली वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता प्राप्त हुई।

ईंधन समूह की मुद्रास्फीति

II.2.6 अगस्त 2014 से कच्चे तेल में 50 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई लेकिन इस गिरावट का संपूर्ण अंतरण (पास-थ्रू) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सुस्त वसूली के कारण बाधित रहा (सारणी II.6) साथही, सरकार ने नवंबर 2014 में संचयी रूप से ₹7.75 प्रति लीटर पेट्रोल के लिए तथा ₹6.50 प्रति

सारणी II.6: तेल विपणन कंपनियों की कम-वसूली


(₹ बिलियन)

उत्पाद	2013-14	2014-15
1	2	3
डीजल	628	109
पीडीएस मिट्टी का तेल	306	248
घरेलू एलपीजी	465	366
जोड़	1,399	723

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

लीटर डीजल के लिए उत्पाद शुल्क बढ़ाया जिससे मूल्यों में समग्र गिरावट की कमी आंशिक रूप से पूरी हो गई। कोयला के संबंध में भारतीय मूल्य, वैश्विक मूल्यों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से काफी हद तक कम रहे। अतः 2014-15 के दौरान वैश्विक कोयला मूल्यों का परिणाम यह रहा कि घरेलू मूल्यों में कमी के बजाय वैश्विक और घरेलू मूल्यों के बीच के अंतर को भरा गया। परिवहन और संप्रेषण उप-समूह सीपीआई, जिसमें पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में हुए उतार-चढ़ाव के अनुकूल रहा। चूंकि सीपीआई ईंधन समूह में कई वस्तुएं शामिल हैं जैसे बिजली और केरोसिन जिसके मूल्य प्रशासित हैं, अतः इस वर्ग में मूल्य अस्थिर रहे (चार्ट II.10)

चार्ट II.10: वैश्विक और घरेलू ईंधन मूल्य में उतार-चढ़ाव



खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति

II.2.7 वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में नरमी के चलते परिवहन और संप्रेषण के उप-समूहों से संबंधित मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष के अंत तक, परिवहन और संप्रेषण वर्ग का मुद्रास्फीति के प्रति नकारात्मक योगदान रहा (सारणी II.11)। साथही, आवासीय मुद्रास्फीति ने आंशिक रूप से प्रणाली संबंधी सुधार जिसमें पुरानी सीरीज में 6,684 किराये वाले मकानों से किराया डाटा संग्रहित करने हेतु नमूना माप को दुगुना करके संशोधित सीरीज में 13,368 करना शामिल है, के फलस्वरूप नई सीरीज (आधार 2012=100) के अंतर्गत और अधिक उल्लेखनीय कमी दर्शाई गई। सेवा घटकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षण और पारिवारिक इकाइयों की आवश्यक वस्तुओं में मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई जो मजदूरी संवृद्धि में मंदी दर्शाता है।

ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि मंद हुई

II.2.8 वर्ष 2014-15 के दौरान ईंधन, खेती की निविष्टियों के कारण इनपुट लागत बढ़ जाने का दबाव था तथा ग्रामीण क्षेत्र की मजदूरी-वृद्धि में अत्यधिक हास हुआ था। ग्रामीण मजदूरी में 2007-08 और 2012-13 में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक बढ़ोतरी के बाद हाल की अवधि में उसमें कमी आना अकादमिक


और नीतिगत दिलचस्पी का विषय बन गया है। नई मजदूरी श्रृंखला के अनुसार, वार्षिक मजदूरी वृद्धि नवंबर 2014 से मई 2015 तक क्रमशः कृषि क्षेत्र के लिए 3.9 प्रतिशत पर तथा कृषि से इतर व्यवसायों के लिए 5.7 प्रतिशत पर बनी रही। यह वृद्धि दर 2007 से 2013 तक छह वर्ष की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र व्यवसाय के लिए 16 प्रतिशत की तथा कृषि से इतर क्षेत्र के व्यवसाय के लिए 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से अत्यधिक कम थी। तथापि, इस बात का मूल्यांकन करते समय कि मजदूरी में वृद्धि के परिवर्तनों का मुद्रास्फीति पर प्रभाव कितने समय तक रहता है, उसमें उत्पादकता की भूमिका का परीक्षण भी सावधानी से किया जाना चाहिए। (बॉक्स II.2)

थोक मूल्य मुद्रास्फीति

II.2.9 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति 2014-15 में अत्यधिक घट गई थी। नवंबर, 2014 से थोक मूल्यों में और भी गिरावट आई [जुलाई 2015 में (-) 4.1 प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष] (चार्ट II.12)। विनिर्मित खाद्यतर उत्पादों के मूल्य भी जुलाई 2015 में (-) 1.4 प्रतिशत घट गए, वर्ष-दर-वर्ष, जो अर्थव्यवस्था में मंदी की सीमा तथा लागत के दबावों में आई हुई गिरावट को दर्शाता है।

विश्व में वस्तुओं के मूल्य और आपूर्ति की स्थिति

II.2.10 वर्ष 2014-15 में विश्व में वस्तुओं के मूल्य तेजी से गिरे हैं जबकि वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर हुई है, भारी मात्रा में बेशी वस्तुओं की क्षमता थी और मांग की स्थिति कमजोर थी (चार्ट II.13)। वर्ष के प्रारंभ में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं क्योंकि लीबिया, नाइजीरिया और सीरिया विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। अगस्त 2014 से कच्चे तेल की कीमतें काफी घट गईं, इसका कारण था कि उत्तरी अमरीकी शेल आयल से प्रचुर आपूर्ति थी तथा पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों के संगठन (ओपेक) ने नवंबर 2014 की बैठक में यह निर्णय लिया था कि तेल के उत्पादन में कटौती न की जाए। विश्व में कच्चे तेल की कीमतें 47 अमरीकी डालर प्रति बैरल (भारतीय बासकेट) के निचले स्तर तक पहुंच गईं, जो जून 2014 से लेकर जनवरी 2015 के बीच 57 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। चूंकि विश्व में आर्थिक सुधार की गति धीमी थी जिसने





बॉक्स II.2

मजदूरी वृद्धि और ग्रामीण मुद्रास्फीति - क्या उनमें संबंध है?

ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि मूल्य को प्रभावित कर सकती है, मांग में वृद्धि तथा उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी दोनों तरीके से। दूसरी ओर, मजदूरी में वृद्धि की स्वतः प्रतिक्रिया कीमतों में वृद्धि हो जाने की होती है, खासतौर से खाद्यान्न की कीमतों में। मजदूरी-मुद्रास्फीति का अंतर्संबंध भी उत्पादकता के माध्यम से कार्य करता है - श्रमिक की उत्पादकता बढ़ते ही मजदूरी बढ़ जाती है। श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि से प्रति इकाई श्रम लागत घट जाती है, जो प्रति इकाई उत्पादन की औसत श्रम लागत होती है (सामान्यतया इसकी गणना कुल श्रम लागत की तुलना में वास्तविक उत्पादन के अनुपात के रूप में की जाती है) और इसलिए यह संभव है कि अंतिम उत्पाद की कीमत बढ़ाए बिना ही मजदूरी बढ़ाकर अदा की जाए। दूसरी ओर, यदि मजदूरी में हुई वृद्धि का मामला उत्पादकता में हुई वृद्धि से नहीं जुड़ा है, तो प्रति इकाई श्रम लागत में वृद्धि से उत्पाद की कीमतें और बढ़ जाएंगी और इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह डायनामिक्स क्षेत्रीय परिदृश्य में और भी जटिल होता है जहां उत्पाद और श्रमिक बाजारों में अत्यधिक विषमता होती है।

अखिल भारतीय स्तर पर तथा प्रमुख राज्यों के लिए कृषि श्रमिक उत्पादकता तथा कृषि-मजदूरी के बीच तुलना इस विषय में और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। वास्तविक मजदूरी वृद्धि में, अर्थात् कृषि-मजदूरी सीपीआई-ए-एल मुद्रास्फीति हेतु समायोजित, 1999-00 से 2004-05 की अवधि के दौरान गिरावट रही थी। बाद में, 2004-05 से 2011-12 के दौरान इसमें तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट 1)। यह प्रवृत्ति बड़े स्तर पर थी और कृषि उत्पाद वाले कई प्रमुख राज्यों जैसे - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई



गई। कृषि श्रमिक उत्पादकता में 1999-00 की तुलना में 2004-05 में गिरावट आ गई थी, किंतु बाद में 2009-10 से 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर तथा प्रमुख राज्यों में बढ़ गई (चार्ट 2)। उत्पादकता में यह जो सुधार हुआ था उसका आंशिक कारण श्रमिक बल का कृषि क्षेत्र से कृषि से इतर क्षेत्र के व्यवसाय की ओर जाना रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक बल की कुल संख्या 2004-05 की तुलना में 2011-12 में घट गई। इस प्रकार, वास्तविक मजदूरी में तीव्र वृद्धि को आंशिक रूप से उत्पादकता में वृद्धि करके समायोजित किया गया था। ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि का प्रभाव ग्रामीण खाद्यान्न पर बहुत अधिक नहीं था क्योंकि उत्पादकता में समानुपतिक वृद्धि हो रही थी (गोयल और बायकर 2014)। 2013 के बाद कुछ राज्यों जैसे - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को छोड़कर भारत में वास्तविक मजदूरी - वृद्धि में गिरावट हुई है। वास्तविक मजदूरी - वृद्धि में इस प्रकार की गिरावट मुख्यतया सांकेतिक मजदूरी-वृद्धि में कमी आने से हुई है।

संदर्भ :


आर.एच. ढोलकिया, एम.बी. पंडया और पतेरिया (2014), 'प्रमुख राज्यों में ग्रामीण आय भिन्नता: संरचनागत कारकों का योगदान, वर्किंग पेपर सं.7, आईआईएम, अहमदाबाद।

ए - गोयल और ए.के. बायकर (2014), मनोविज्ञान, चक्रियता अथवा प्रोग्राम्स : भारत में ग्रामीण मजदूरी और मुद्रास्फीति डायनामिक्स, वर्किंग पेपर, आईजीआईडीआर, मुंबई।

मांग की संभावनाओं को कमजोर बनाए रखा था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि जून और दिसंबर 2014 के

बीच मूल्य में जो गिरावट हुई थी उसमें कम मांग का हिस्सा केवल 20 से 35 प्रतिशत तक ही था।

चार्ट II.12: डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में समूह-वार योगदान



II.2.11 जनवरी 2015 से कई कारणों से जैसे अमरीका में तेल के भाव में गिरावट, उनके स्टॉक में कमी तथा मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव से तेल की कीमतों पर ऊपर का दबाव पुनः बढ़ रहा है। मई 2015 में भारतीय बासकेट मूल्य 63.8 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर बने हुए थे किंतु बाद में अगस्त 2015 के मध्य तक घटकर 49 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गए क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ ईरान की परमाणु सौदा हो जाने से तेल की आपूर्ति की संभावनाएं बेहतर हो गईं। धातुओं के मूल्य


2014 में गिर गए थे क्योंकि उनकी आपूर्ति अधिक थी और उभरते बाजारों, खासतौर से चीन से उनकी मांग कम होती जा रही थी।

II.2.12 वर्ष 2014 में खाद्यान्न की कीमतों में 3.8 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई थी क्योंकि संचित भंडार काफी था जिसने विश्व में वस्तुओं जैसे - अनाज, तेल और चीनी की कीमतों को नीचे खींच दिया। खाद्यान्न और कृषि संगठन (एफएओ) ने जुलाई 2015 में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करते हुए संशोधित अनुपात यह दिया है कि अनाज का उत्पादन और अधिक हुआ है और उसका मुख्य कारण यह था कि अनाज का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में गेहूं का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ है। लेकिन, एफएओ ने यह भविष्यवाणी की है कि 2015 में विश्व में अनाज का उत्पादन 1.1 प्रतिशत तक घट सकता है किंतु अनाज का अत्यधिक भंडार उत्पादन की इस कमी को पूरा कर लेगा। वर्ष 2015 में अब तक, लगभग खाने की सभी वस्तुओं की कीमतें- घटती जा रही हैं, उनकी आपूर्ति अधिक है और कारोबारी गतिविधियां धीमी हैं, क्योंकि खरीददार यह उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी महीनों में वस्तुओं की कीमतों में और अधिक गिरावट आएगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार-वर्ष में संशोधन

II.2.13 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने गृहस्थों की बदलती उपभोग-प्रवृत्ति को शामिल करने की दृष्टि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने आधार-वर्ष 2010 को बदलकर 2012 कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)

चार्ट II.13 : विश्व में वस्तुओं की कीमतों की प्रवृत्ति



सारणी II.7 : भार डाईग्राम की तुलना - पूर्व और संशोधित सीपीआई श्रृंखला

(प्रतिशत)

उप-वर्ग	आधार वर्ष : 2010			आधार वर्ष : 2012		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
खाद्यान्न और पेय-पदार्थ	56.59	35.81	47.58	54.18	36.29	45.86
पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	2.72	1.34	2.13	3.26	1.36	2.38
वस्त्र और जूते-चप्पल	5.36	3.91	4.73	7.36	5.57	6.53
आवास	--	22.54	9.77	--	21.67	10.07
ईंधन और बिजली	10.42	8.40	9.49	7.94	5.58	6.84
विविध	24.91	28.00	26.31	27.26	29.53	28.32
कुल	100	100	100	100	100	100

'--': आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) का समेकन नहीं किया गया है।

स्रोत: सीपीआई आधार वर्ष संशोधन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति, एमओएसपीआई, भारत सरकार।

के नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस), 2011-12 के भारत पैटर्न का उपयोग किया गया है। विभिन्न वर्षों में उपभोक्ताओं के बदलते व्यय पैटर्न को नयी सीपीआई श्रृंखला के लिए गणना किए गए उप-श्रेणीवार- भार के रूप में दिखाया गया है (सारणी II.7)

II.2.14 पद्धति के अनुसार, नई श्रृंखला में कई सुधार किए गए हैं : भार का पैटर्न जो आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित है (एमएमआरपी); अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत 'उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति के उपभोग का वर्गीकरण उसमें उपयुक्त विचलन सहित; और प्रारंभिक / मद के स्तर पर सूचकांक की गणना के लिए रेखागणितीय मध्यमान का उपयोग करना। गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के अंतर्गत मदों के मूल्यों के साथ-साथ, अंत्योदय अन्य योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाली मदों को भी नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। इस संशोधन से कई प्रकार के नीतिगत प्रभाव पड़ेंगे : खाद्यान्न मूल्यों के आघात के प्रति समग्र सूचकांक की न्यूनतर संवेदनशीलता तथा विशिष्ट तरीके से मूल्यों में उतार-चढ़ाव एवं मद स्तर पर मुद्रास्फीति के स्रोतों का पता लगाने में स्पष्टता।

मुद्रास्फीति के संबंध में प्रगति : 2015-16 में अब तक

II.2.15 सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2015 में 5 प्रतिशत से नीचे गिरने के बाद जून 2015 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई जिसकी वजह खाद्यान्न समूह था जिसके अंतर्गत दाल के उत्पादन में 2014-15 के दौरान गिरावट आ गई थी और सब्जियों की कीमतों पर थोड़े समय के लिए दबाव बन गया था। किंतु, जुलाई में मुद्रास्फीति काफी घटकर 3.8 प्रतिशत पर पहुंच गई क्योंकि आधारगत प्रभाव अनुकूल था और खाद्यान्न की कीमतों का दबाव कम था। खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर, मुद्रास्फीति मार्च 2015 में 4.2 प्रतिशत से काफी बढ़कर जून 2015 में 5.0 प्रतिशत हो गई जिसका कारण सेवा खंड अर्थात् स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में बड़े आधार पर महंगाई बढ़ गई थी तथा परिवहन और संचार उप-समूह के अंतर्गत फुटकर ईंधन मूल्य भी बढ़ गए थे। लेकिन, मुद्रास्फीति जुलाई 2015 में कम होकर 4.5 प्रतिशत हो गई जो हाल में ईंधन के मूल्यों में हुई गिरावट के साथ-साथ परिवहन लागत कम रहने से हुई। उल्लेखनीय है कि गृहस्थों की प्रत्याशा मुद्रास्फीति जून 2015 तिमाही में वापस दो अंकों तक पहुंच गई।


II.3 मुद्रा एवं ऋण

II.3.1 प्रमुख मौद्रिक और समग्र बैंकिंग में हुई धीमी संवृद्धि से पता चलता है कि 2014-15 के दौरान मुद्रा एवं ऋण की स्थितियां कमजोर बनी रहीं जैसा कि पूंजी अंतर्वाह से रिजर्व बैंक की निवल विदेशी विनिमय आस्तियों में जो उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी उसे सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालनों ने काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया। परिणामस्वरूप, आरक्षी मुद्रा में मंथर गति से बढ़ोतरी हुई जो आर्थिक गतिविधि की धीमी गति के साथ-ही साथ रिजर्व बैंक के अप-स्फीतिकारी मौद्रिक नीतिगत उपायों को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में मुद्रा आपूर्ति(एम₃) में हुई वृद्धि भी धीमी रही जो विभिन्न घटकों की आपस में अन्योन्याश्रियता दर्शाती है। सर्वप्रथम, ऋण मांग दबी रही जो कि अर्थव्यवस्था में मंदी दर्शाती है। दूसरे, गैर-निष्पादन आस्तियों (पुनः संरचित आस्तियों सहित) के बढ़ते स्तर से संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम से बचने की भावना उत्पन्न हो गई। इसने ऋण आपूर्ति में कमी ला दी विशेष रूप से दबावग्रस्त क्षेत्रों में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि वैयक्तिक ऋणों तथा खुदरा ऋणों के पोर्टफोलियो के पक्ष में मार्जिन हो गया क्योंकि इसमें गैर-निष्पादन आस्तियों (एनपीए) की भी घटनाएं उल्लेखनीय रूप से कम थीं। तदनुसार, जमा राशियों तक पहुंच बनाने में बैंकों की स्थिति में कमी आई क्योंकि कारपोरेट परिवारों और निकायों की प्रतिस्पर्धी वित्तीय आस्तियों के संदर्भ में जमा राशियों पर अपर्याप्त वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हुए थे।

आरक्षी मुद्रा

II.3.2 2014-15 के दौरान आरक्षी मुद्रा में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष की 14.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। घटकों की ओर देखें तो, परिचालन में मुद्रा, जो कि आरक्षी मुद्रा का लगभग 75 प्रतिशत बैठती है, में 11.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मुद्रा की मांग में एक वर्ष पूर्व के 9.2 प्रतिशत के स्तर से आई बढ़ोतरी कई घटकों की अन्योन्याश्रियता को प्रदर्शित करती है- चुनावों से प्रेरित मुद्रा के लिए मांग और बढ़ी हुई खाद्य सब्सिडी (चार्ट-II.14)। दूसरी ओर, रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों की वृद्धि में कमी हुई और यह 8.3 प्रतिशत रही, जो

चार्ट II.14: आरक्षी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और इसके घटक



मुख्यतः जमाराशि की संवृद्धि में कमी दर्शाता है। सितंबर 2013 से न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को 95 प्रतिशत निर्धारित करने के बाद संपूर्ण 2014-15 में आरक्षियों का रखरखाव एक समान बना रहा। 2013-14 में बैंकिंग क्षेत्र का औसत दैनिक आरक्षी होल्डिंग अधिशेष 3 प्रतिशत था जो 2014-15 में कम होकर 2 प्रतिशत रह गया, जो सितंबर 2014 में लागू किए गए नए चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत कुछ कुशलता लाभ होना दर्शाता है। आवश्यकता पड़ने पर चलनिधि की उपलब्धता रहने के आश्वासन के चलते प्रणालीगत स्तर पर चलनिधि प्रवाह में कुछ सुविधा नजर आती है।

II.3.3 यदि स्रोत की ओर देखें तो, निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) के रूप में 2014-15 में आरक्षी मुद्रा के घटकों में परिवर्तन हुआ है। विदेशी पूंजी के लिए भारत के तरजीही गन्तव्य बन कर उभरने से, विदेशी मुद्रा बाजार में अनपेक्षित उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा संबंधी परिचालनों के परिणामस्वरूप एनएफए में काफी वृद्धि हुई, लगभग ₹3.2 ट्रिलियन की प्राथमिक चलनिधि (आरक्षी मुद्रा) वित्तीय प्रणाली में आई। इसके साथ ही, एनडीए (निवल गैर-मौद्रिक देयताओं के लिए समायोजित) में लगभग ₹1.9 ट्रिलियन की कमी आई ताकि आरक्षी मुद्रा के विस्तार के कारण

रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों के प्रभाव को आंशिक रूप से समाप्त किया जा सके।

II.3.4 जी3 अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति संबंधी लिए गए निर्णयों में विविधताओं के चलते उत्पन्न विक्षोभ से वैश्विक वित्तीय बाजारों भी उत्तेजित बने रहे। 2014-15 के दौरान, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच भी मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए ताकि वे अपनी वित्तीय प्रणालियों पर जी3 की मौद्रिक नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव का प्रबंधन कर सकें। ये प्रभाव पूंजी प्रवाहों और आस्ति मूल्यों के रूप में अंतरित हुए और इसके साथ ही उन्हें घरेलू भुरभुरेपन का भी सामना करना पड़ा

जिसने संवृद्धि को बाधित किया और उन्हें वित्तीय आघातों के प्रति कमजोर बना दिया। 2014-15 में गैर-परंपरागत मौद्रिक नीतियों को लागू करने से जुड़ी हुई सीमा-पार बाह्य गतिविधियां उन्नत और उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं में एक समान रूप से केंद्र में रहीं (बॉक्स II.3)।

II.3.5 घरेलू चलनिधि स्थितियों को प्रभावित करने वाले इन वैश्विक कारकों के प्रत्युत्तर में रिजर्व बैंक विस्तारवादी प्रभावों को नियंत्रित करता रहा ताकि अपस्फीति को ग्लाइड-पथ पर बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। अतः, रिजर्व बैंक ने समुचित रूप से रेपो नीलामियों को और खुला बाजार परिचालनों

बॉक्स II.3 स्पिलओवर और स्पिलबैक

अपरंपरागत मौद्रिक-नीति के बाद लिखे गए (यूएमपी) साहित्य में 'स्पिलओवर' का प्रयोग सामान्यतया किसी एक देश की आर्थिक नीतियों से अन्य देशों पर पड़ने वाले लाभकारी और आघाती प्रभावों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हाल की अवधि में, फेड की मात्रात्मक सहजता (क्यूई) और उसके सामान्य होने की व्यापक प्रत्याशा के साथ जुड़े हुए नकारात्मक बाहरी प्रभाव पर फोकस रहा है, विशेष रूप से फेड की इस संबंध में की जाने वाली भविष्यवाणियाँ आंकड़ों पर निर्भर रही हैं और परिणामस्वरूप, सामने आने वाले प्रत्येक आंकड़े ने इसके संभावित समय को लेकर बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। ऐसी स्थिति में, यूएमपी के माध्यम से प्रतिफलों की अंधाधुंध तलाश ने बड़ी मात्रा में पूंजी प्रवाह उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर कर दिया है, जबकि इस स्थिति से बाहर निकलने में बड़ी मात्रा में पूंजी के बाहर जाने का जोखिम बढ़ जाता है, इस पर 2013 की गर्मियों में उत्पन्न टेपरिंग-भय ने इसकी भयावह तस्वीर पेश की है। ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि यूएमपी अपनाते से परिपक्वता रूपांतरणों से मिलने वाले प्रोत्साहन सुदृढ़ हो जाते हैं और इससे ईएमई में पूंजी प्रवाहों तथा लीवरेज की गति अत्यधिक हो जाती है जिससे मूल सिद्धांतों के साथ तारतम्य बिगड़ने लगता है और इसका समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (फ्राट्जशेर एवं अन्य: 2013; मूर एवं अन्य: 2013)। स्वाभाविक ही है कि यूएमपी से पड़ने वाले प्रभाव (स्पिलओवर) प्रचंड असंगतता की विषयवस्तु बनते जा रहे हैं (टेलर 2013)। ईएमई की ढांचागत विशेषताओं में विविधता को देखते हुए इन निष्कर्षों पर बारीकी से ध्यान देने और उन पर देश-विशिष्ट अनुभवों के आधार पर विचार करना आवश्यक है।

भारत के संदर्भ में, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों- जैसे कि घटना अध्ययन ढांचा, महत्वपूर्ण क्षणों की सामान्य पद्धति और वेक्टर आटो-रीग्रेशन (वीएआर) का संयुक्त रूप से उपयोग करते हुए फेड द्वारा की गई क्यूई से उत्पन्न स्पिलओवर के प्रभाव का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सबसे विशाल सकारात्मक प्रभाव क्यूई1 से प्राप्त हुआ जिसने भारत में पूंजी का अंतर्वाह किया, जिससे बढ़ते हुए चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने में मदद मिली। क्यूई1 के विपरीत, क्यूई2 में भारत से पूंजी का बहिर्वाह हुआ। ये स्पिलओवर मुख्यतः पोर्टफोलियो पुनः संतुलन के जरिए और बाद में चलनिधि के माध्यम से अंतरित हुए (पात्रा एवं अन्य: 2014)।

इस प्रचुर साहित्य में 'स्पिलबैक' शब्द का नया प्रवेश हुआ है। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो एक दूसरे पर निर्भर संसार में ऐसे दुश्चक्र में फंसे हुए प्रभावित देश अप्रत्याशित तरीके से उस स्रोत देश को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते हैं जिसने सर्वप्रथम स्पिलओवर उत्पन्न किया था। ईएमई, द्वारा वैश्विक रूप में निर्भाई जा रही बड़ी भूमिकाओं का अर्थ यह है कि उनकी संवृद्धि में होने वाले उतार-चढ़ाव, जो कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पैदा होने वाले आघातों का परिणाम होते हैं, से जन्म लेने वाले स्पिलबैक को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वीएआर का पैमाना यह दर्शाता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के आउटपुट में होने वाले उतार-चढ़ावों में से लगभग 50 प्रतिशत ने ईएमई को स्पिलओवर के माध्यम से प्रभावित किया जिसमें से एक तिहाई ने स्पिल बैक के रूप में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को वापस प्रभावित किया (आईएमएफ 2014) (सारणी-1)।

स्पिलबैक प्रभाव जापान और यूरो क्षेत्र में ज्यादा मुखर हुए हैं इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम पर कम प्रभाव डाला है क्योंकि उनके पास मजबूत व्यापारी सहसंबद्धताएं थी (यूएस और यूके में तुलनात्मक रूप से व्यापारिक खुलापन कम है)।

समग्र रूप से, स्पिलबैक प्रभाव साधारण प्रतीत होते हैं परंतु दबाव के समय वे कहीं वृहद भी हो सकते हैं, जो मौद्रिक नीति के निर्धारण पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकते हैं। नीति-निर्माताओं के बीच सहकारिता के साथ ही सावधानी

सारणी 1: अनुमानित स्पिलओवर और स्पिलबैक (प्रतिशत)

	यूएस	यूरो क्षेत्र	जापान	यूके	औसत
1	2	3	4	5	6
अनु. स्पिलओवर	58.3*	59.2*	25.4*	56.3*	52.8
अनु. स्पिलबैक	12.4	29.8*	12.7*	7.2	17.4
अनु. स्पिलबैक/ अनु. स्पिलओवर	21.3	50.4	51.1	12.8	34.4

स्रोत: आईएमएफ स्टॉफ गणना।

*: 10 प्रतिशत के स्तर पर होने पर महत्वपूर्ण। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि में 1 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि होने से स्पिलओवर और स्पिलबैक का अनुमान (प्रभाव के बाद आठ तिमाहियां)

(जारी...)

पूर्ण किए गए अंशशोधन और स्पष्ट संप्रेषण से स्पिलबैक और स्पिलओवर का प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होगी।

संदर्भ:

फ्राट्जशेर, मार्केल, मार्को लो डूका और रोनाल्ड स्ट्राउब(2013), ज्ऑन दि इंटरनेशनल स्पिलओवर ऑफ यूएस क्वान्टिटीव ईजिंगट, वर्किंग पेपर सीरीज सं. 1557, जून।

इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (2014), स्पिलओवर रिपोर्ट 2014।

मूर जे., एस.नैम, एम. सुह और ए.टेप्पर (2013), ज्एस्टीमेटिंग दि इंपैक्ट ऑफ यूएस एलएसएपीज ऑन ईमर्जिंग मार्केट ईकोनॉमीज लोकल करेंसी बांड

मार्केट्सट, स्टॉफ रिपोर्ट, फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क 595।

पात्रा एम;डी, जे.के. खुंद्रकपम, एस. गंगाधरन, राजेश कावेदिया और जेसिका अन्थनी (2014), उ रेस्पॉन्डिंग टु क्यूई टेपर फ्राम दि रिसीविंग एंडट, एमआईएमईओ, आरबीआई।

टेलर जॉन बी. (2013), ज्इंटरनेशनल मॉनीटरी पॉलिसी कोआर्डिनेशन: पास्ट, प्रेजेन्ट एंड फ्यूचरट, ये आलेख 21 जून को ल्यूजर्ने, स्विट्जरलैंड में ज्बैवीगेटिंग दि ग्रेट रीसेशन: व्हाट रोल फॉर मॉनीटरी पॉलिसीट विषय पर आयोजित 12वें बीआईएस वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था।


से संबंधित बिक्री को पूर्णतः तथा तयशुदा लेन-देन प्रणाली-आर्डर मिलान(एनडीएस-ओएम) के प्लैटफार्म पर नियंत्रित रखा ताकि निवल घरेलू आस्तियों में कमी लाई जा सके और निवल विदेशी आस्तियों में बड़े स्तर पर हुई वृद्धि को समायोजित किया जा सके (चार्ट-II.15)।

II.3.6 2014-15 में आरक्षी मुद्रा में तिमाही संचरण, चलनिधि के बदलते हुए कारकों के अनुरूप ही हुआ और इसके परिणामस्वरूप ही रिजर्व बैंक के तुलन पत्र में तदनुसार, परिवर्तन परिलक्षित हुए। घटकों की ओर देखें तो ति2 में मौसमी कमी के अलावा, पूरे वर्ष के दौरान परिचालन के लिए उपलब्ध मुद्रा और रिजर्व बैंक कि पास बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि ही हुई। स्रोतों की ओर देखें तो 2014-

15 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान एनएफए में हुई वृद्धि को काफी हद तक एनडीए में हुई गिरावट ने समायोजित कर दिया। तथापि, ति4 में वर्ष के अंत में होने वाले तुलन पत्र समायोजनों और अग्रिम कर भुगतानों ने चलनिधि स्थितियों को तंग बना दिया, जिससे प्राथमिक चलनिधि मुहैया कराने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और जिसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। परिणामस्वरूप, 2014-15 की अंतिम तिमाही में आरक्षी मुद्रा की संवृद्धि में बढ़ोतरी हुई।

II.3.7 2014-15 के दौरान एनडीए के घटकों में भी परिवर्तन हुआ जो रिजर्व बैंक की लेखा नीतियों में हुए संशोधनों के अनुसरण में है। इनकी सिफारिश रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र तथा हानि-लाभ खाते के प्रारूप की समीक्षा करने के लिए गठित तकनीकी समिति (अध्यक्ष: श्री वाई.एच. मालेगाम) ने की थी। विशेषरूप से, निवल रीपो परिचालनों को अब बैंकों तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को रिजर्व बैंक के क्रेडिट के रूप में निरूपित किया जाता है जबकि पूर्व में इसे सरकार के सामान्य खाते में क्रेडिट के रूप में रिकार्ड किया जाता था। इन लेखा परिवर्तनों के कारण रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए गए निवल क्रेडिट में कमी परिलक्षित होती है और इसी के अनुरूप 2014-15 में बैंकों पर निवल दावे में वृद्धि नजर आती है, हालांकि एनडीए के संपूर्ण आकार पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

II.3.8 आरक्षी मुद्रा में होने वाले संचरण, मुद्रा गुणक (मनी मल्टीप्लायर) के जरिए, मुद्रा आपूर्ति के संबंध में किए गए व्यापक उपायों को प्रभावित करते हैं। आकार के रूप में, मुद्रा गुणक मार्च 2015 में 5.5 पर था, जो पिछले वर्ष के स्तर पर अपरिवर्तनीय था। वर्ष के दौरान नगद जमा अनुपात और नकद आरक्षी अनुपात दोनों अपरिवर्तित रहे, जिन्होंने मुद्रा गुणक को स्थिरता प्रदान की।



मुद्रा आपूर्ति

II.3.9 2014-15 में मुद्रा आपूर्ति की संवृद्धि दर धीमी हुई (सारणी-II-8), जो मुख्यतः मुद्रास्फीति की सहजता दर्शाती है जिससे मुद्रा की मांग में कमी आई। 2013-14 की तुलना में, सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति में और विशेषतया जमाराशियों में आए धीमेपन को सितंबर-नवंबर 2013 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित एफसीएनआर(बी) जमा राशि सुविधा के लिए दी गई स्वैप सुविधा द्वारा उत्पन्न आधारभूत प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा, जिसके कारण 2013-14 में काफी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की जमा राशियां जुटाई गई थीं। पिछले वर्ष की तुलना में, 2014-15 में निवल एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के तहत मुद्रा आपूर्ति में मामूली कमी आई। तथापि, वर्ष की दूसरी छमाही (सितंबर 2014 की तुलना में मार्च 2015) में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति में सुधार आया जो क्रेडिट में संवृद्धि के अनुरूप रहा। इसी अनुक्रम में, पिछले वर्ष की तुलना में, समग्र चलनिधि एल1 [‘नवीन मौद्रिक समग्र, (एम3) और डाक जमाराशियों का जोड़’] में संवृद्धि मामूली रूप से कम रही।

II.3.10 समग्र जमाराशियां जो कि मुद्रा आपूर्ति का एक प्रमुख घटक होती हैं, की संवृद्धि में कुछ वर्षों से सामान्य रूप में गिरावट देखी जा रही है जो कि अर्थव्यवस्था की वित्तीय बचत दर में हुई कमी के अनुरूप है। इसके अलावा, ऋण संवृद्धि में धीमेपन से बैंकों द्वारा जमाराशियों का संग्रहण भी कम रहा। समग्र जमाराशियों में संवृद्धि एक वर्ष पूर्व के 14.1 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 10.6 प्रतिशत हो गई। स्रोतों की ओर देखें तो, इस का एक मुख्य कारण वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट में कमी आना है। स्रोतों का एक और अन्य मुख्य घटक यह है कि वर्ष के दौरान सरकार को दिए गए निवल बैंक क्रेडिट में कमी आई और इसका मुख्य कारण रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में कमी आना है। दूसरी ओर, वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने क्रेडिट में आए धीमेपन के कारण जी-सेक में अपना निवेश बढ़ा दिया।


II.3.11 मुद्रा का संवेग (चार्ट II.16), जिसमें पिछले 6 दशकों से गिरावट का रुख रहा है वो 1.25 के करीब बना रहा, जो कि संकट के बाद के वर्षों में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का द्योतक है।

सारणी II.8: मौद्रिक कुल राशियां

मद	की स्थिति के अनुसार बकाया (₹ बिलियन)		वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर (प्रतिशत में)			संवृद्धि दर (प्रतिशत में)		
	मार्च 31, 2015	अगस्त 7, 2015	2013-14	2014-15	2015-16 (7 अगस्त की स्थिति)	वि.व 15: छ1	वि.व 15: छ2	वि.व16: छ1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. आरक्षी मुद्रा	19,285	18,815	14.4	11.3	10.1	-1.4	12.9	-2.4
II. स्थूल मुद्रा (एम ₃)	105,455	109,830	13.4	10.8	10.9	4.4	6.2	4.1
III. कुल चलनिधि (एल1)	106,759	110,722 [#]	11.2	10.7	11.6 [#]	4.0	6.5	3.7 [#]
IV. एम₃ के प्रमुख घटक								
IV.1. जनता के पास मुद्रा	13,863	14,251	9.2	11.3	9.5	3.4	7.6	2.8
IV.2. कुल जमा राशियां	91,446	95,567	14.1	10.6	11.2	4.4	5.9	4.5
V. मुद्रा भंडार के प्रमुख स्रोत (एम₃)								
V.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	30,062	33,781	12.4	-1.3	10.6	-0.5	-0.8	12.4
V.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	70,396	71,627	13.7	9.2	9.0	2.3	6.8	1.7
V.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्ति	22,506	23,664	17.6	17.0	16.0	3.9	12.6	5.1
एम ₃ एफसीएनआर(बी) का निवल	102,782	107,009	11.5	11.0	11.1	4.4	6.3	4.1
एम ₃ मल्टीप्लायर	5.5	5.8						
एम ₃ संवेग	1.25	-						

-: अनुपलब्ध #: आंकड़े जुलाई 2015 से संबंधित हैं।
टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं।
2. वित्त वर्ष 15: छ1: मार्च 2014 की तुलना में सितंबर 2014 की संवृद्धि दर, वित्त वर्ष 15: छ2: मार्च 2015 की तुलना में सितंबर 2014 की संवृद्धि दर और वित्त वर्ष 16: छ1: 31 मार्च 2015 की तुलना में 7 अगस्त 2015 की संवृद्धि दर।

चार्ट II.16: मुद्रा का संवेग



वित्तीय गहराई को अक्सर संदर्भित करने वाला एक और संकेतक है- जीडीपी अनुपात की तुलना में एम3- जो कि संवेग का अन्योन्य है, ये 80 के आसपास रहा।

ऋण

2014-15 में ऋण संवृद्धि मंद रही

II.3.12 2014-15 में गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि में तेजी से कमी आई जो 9.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, गैर-खाद्य ऋण में क्रमशः कमी आई और यह पिछले वर्ष के ₹7.3 ट्रिलियन से कम होकर ₹5.5 ट्रिलियन हो गया। ऋण-उठान पर कई कारकों ने अपना प्रभाव डाला, जिसमें कमजोर उपभोग खर्च और कारपोरेट बिक्री; मुद्रास्फीति में कमी आना; गैर-निष्पादन आस्तियों के बढ़ने से बैंकों द्वारा जोखिम से बचना; और ऋण की रिकवरी में लगने वाला प्रक्रियागत विलंब


बॉक्स II.4

हाल की ऋण मंदी के अंतर्निहित कारक: ऐतिहासिक अन्वेषण

आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से बैंक-आधारित प्रणाली में। जिन देशों ने 2000 से उच्च संवृद्धि अनुभूत की है उन्होंने निजी ऋण में भी हिलोरे महसूस की है (क्लाएसेंस और अन्य, 2011)। एक ऐतिहासिक विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि जमा राशियों में होने वाली वृद्धि, जीडीपी संवृद्धि, सरल वैश्विक चलनिधि स्थितियां और विनिमय दर में गिरावट भी ऋण संवृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जबकि मुद्रास्फीति वास्तविक ऋण संवृद्धि को निरुत्साहित करती है (स्टेफॉन्यान 2011)। भारत में बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली में संवृद्धि के समग्र स्वरूप में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।


आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं से जोखिम से बचने के भावना को वर्तमान ऋण मंदी का प्रमुख अंतर्निहित कारक माना जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिन्होंने काफी अधिक एनपीए अनुपात रिकार्ड किया, वे भी ऋण संवृद्धि में तीव्र गिरावट का अनुभव कर रहे हैं। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंक, जिन्होंने निम्नतर एनपीए अनुपात की तुलना में कुछ सुधार दर्शाया, उच्चतर ऋण संवृद्धि दर्ज की (चार्ट 1 और 2)। समग्ररूप से देखें तो, एनपीए अनुपात और ऋण संवृद्धि ने सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय नकारात्मक सहसंबद्धता (-) 0.8 दर्शाई, जो कि 2010-11 से उपलब्ध तिमाही आंकड़ों पर आधारित है।

चार्ट 1: बैंक समूह-वार ऋण संवृद्धि



टिप्पणी: आरआरबी को छोड़कर एससीबी

चार्ट 2: बैंक समूह-वार एनपीए



स्रोत: बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए ऑफ-साइट विवरणियां, घरेलु परिचालन

(जारी....)

जीयो और स्टेपॉन्यान (2011) के सिद्धांत को जून 1997 से सितंबर 2014 तक की अवधि के भारतीय तिमाही आंकड़ों पर लागू करने पर यह पता चला कि गैर-खाद्य ऋण, पिछड़ी हुई वास्तविक गैर-कृषि जीडीपी संवृद्धि से सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित थी। ऋण लागत को ओवरनाइट कॉल दर से प्रॉक्सी करने पर, जैसा कि संभावना थी, ऋण संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्याज दरों का प्रभाव दो अंतरणों तक मजबूत दिखाई पड़ा जो कि संचरण अंतराल दर्शाता है। सिद्धांत के अनुरूप ही, सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के गुणांक में एक ऋणात्मक संकेत था, जो बैंक ऋण के लिए बाजार में राजकोषीय घाटे के हासकारी प्रभाव की ओर इशारा करता है। अंत में, बकाया वाणिज्यिक दस्तावेजों (सीपी) में हुआ परिवर्तन, जो निधि के वैकल्पिक स्रोतों के लिए एक प्रॉक्सी है का गुणांक ऋणात्मक परंतु महत्वपूर्ण है।

$$BC = 7.2 + 0.6 \text{ GDP}(-2) - 0.3 \text{ WCMR}(-2) - 0.2 \text{ GFD} - 0.04 \text{ CP_Out} + \varepsilon$$

(2.4)* (-2.3)* (-2.4)* (-2.3)*

समायोजित R²=0.30; *: 5 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण, परावर्तन में एनपीए को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि श्रृंखला में कई संरचनागत अंतराल थे।

टिप्पणियां: 1. बीसी= तिमाही-दर-तिमाही बैंक ऋण में मौसमी समायोजित

संवृद्धि है; डब्ल्यूसीएमआर=तिमाही रूप से भारित औसत कॉल दर; जीडीपी= तिमाही-दर आधार पर जीडीपी में मौसमी समायोजित संवृद्धि; जीएफडी: वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तिमाही जीएफडी (केंद्र); सीपी-आउट: तिमाही-दर-तिमाही सीपी बकाया में मौसमी समायोजित संवृद्धि।

2. परिणाम, सुदृढ़ता की मानक जांच के अनुरूप ही हैं।

इस प्रकार, आर्थिक गतिविधि, ऋण लागत, राजकोषीय स्थिति और प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक निधि स्रोत भारत में ऋण व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सामने आते हैं।

संदर्भ:



क्लोएसेंस. एस., एम.ए. कोजेंड, एम.ई. टेरोन्स (2011). 'हाऊ डू बिजनेस एंड फाइनेंशियल साकिल्स इंटरैक्ट?', आईएमएफ वर्किंग पेपर, यं. डब्ल्यूपी/11/88.

जीयो के. और वी. स्टेपॉन्यान (2011), 'डेटरीमिनेंट्स आफ बैंक क्रेडिट इन एमर्जिंग मार्केट ईकोनॉमीज', आईएमएफ वर्किंग पेपर, यं. डब्ल्यूपी/11/51.

शामिल है (बॉक्स II.4)। इसके अलावा, वैकल्पिक स्रोतों, घरेलू और विदेशी दोनों, की उपलब्धता होने से कारपोरेट्स ने वित्तपोषण की कुछ मांग गैर-बैंक स्रोतों से पूरी कर ली। 2014-15 के दौरान बैंकों द्वारा काफी बड़ी मात्रा (₹317 बिलियन) में गैर-निष्पादन आस्तियों की बिक्री, आस्ति पुनः निर्माण कंपनियों (एआरसी) को करने से भी बैंकों के बकाया ऋणों में कमी आई। बढ़ी हुई खाद्य सब्सिडी, जिसमें 2014-15 में 28 प्रतिशत की संवृद्धि रही, के

कारण वर्ष के दौरान, खरीद में कुछ तेजी आने के बावजूद खाद्य ऋण में 4.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

II.3.13 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि में कमी आने से 2014-15 के दौरान क्रमिक ऋण उठान का लगभग 80 प्रतिशत वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान हुआ, जो कि आर्थिक परिदृश्य में सुधार प्रदर्शित करता है (चार्ट II.17 और II.18)। गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि 2014-15 की पहली छमाही के 2.0 प्रतिशत



से बढ़कर 2014-15 की दूसरी छमाही में 7.1 प्रतिशत हो गई; जो एक वर्ष पूर्व में हुई 0.6 प्रतिशत बिंदु की बढ़ोतरी की तुलना में 2014-15 की दूसरी छमाही में पाँच प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि दर्शाती है।

II.3.14 अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों तक ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को और स्थान मुहैया कराने के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 2014-15 के दौरान निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में तीन चरणों में कम करते हुए इसे 23 से 21.5 प्रतिशत कर दिया गया। तथापि, बैंक निरंतर एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में लगभग 28 प्रतिशत का एसएलआर निवेश बनाए हुए हैं। यह बफर उन्हें थोक वित्त बाजार एवं रिजर्व बैंक से संपाश्रवीकृत उधार तक पहुंच बनाता है। अतिरिक्त एसएलआर ने बैंकों को अर्थव्यवस्था के मौजूदा धीमें चरण में अपने तुलन पत्रों और आय पर प्रभाव डालने में भी सहायता प्रदान की।

II.3.15 क्षेत्रवार ऋण देने से संबंधित आंकड़े, जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल बैंक ऋण का लगभग 95

प्रतिशत बैठता है, यह दर्शाते हैं कि, 2014-15 में उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण उठान में आई कमी काफी मुखर थी, जो दोनों मिलाकर कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 68 प्रतिशत बैठता है। सेवा क्षेत्र में ऋण संवृद्धि में गिरावट इसके मुख्य कारकों, व्यापार तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के चलते हुई जो कि सेवा क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल ऋण का लगभग 48 प्रतिशत बैठता है। विनिर्माण को छोड़कर, उद्योगों में सभी क्षेत्रों में संवृद्धि में कमी आई, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत धातुएं और खाद्य प्रसंस्करण। जिन क्षेत्रों में एनपीए की घटनाएं न्यूनतम थीं, जैसे कि वैयक्तिक ऋण, वहां वर्ष के दौरान उच्चतर संवृद्धि देखने को मिली।

II.3.16 उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में लगभग एक तिहाई हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। इसके मुख्य घटक ऊर्जा और सड़क हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए जाने वाले ऋण में क्रमशः 60 और 18 प्रतिशत की भागीदारी रखते हैं। यद्यपि ऊर्जा क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी साधारण रही लेकिन 2014-15 में सड़कों के संदर्भ में यह मंदी तीखी थी (सारणी-II.9)।


सारणी II.9: चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण देने का रुझान

(परिवर्तन प्रतिशत में)


	20 मार्च 2015 के अंत में बकाया (₹ बिलियन)	2013-14			2014-15			2015-16
		छ1	छ2	वर्ष	छ1	छ2	वर्ष	छ1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गैर-खाद्य ऋण (1 से 4)	60,030	6.8	6.3	13.6	2.2	6.2	8.6	1.1
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	7,659	3.4	9.2	12.9	8.8	5.7	15.0	3.8
2. उद्योग	26,576	6.3	6.1	12.8	-0.1	5.7	5.6	-1.0
जिसमें से:	9,245	8.8	5.3	14.6	4.3	6.0	10.5	1.0
(i) बुनियादी संरचना								
जिसमें से:								
(क) ऊर्जा	5,576	10.7	5.8	17.1	6.6	7.5	14.5	2.8
(ख) दूरसंचार	919	-0.6	1.1	0.5	-3.6	8.0	4.2	-2.9
(ग) सड़क	1,687	9.2	10.1	20.2	3.5	3.3	6.9	-0.7
(ii) मूल धातु और धातु उत्पाद	3,854	7.2	7.1	14.9	-0.4	7.2	6.8	-0.6
(iii) खाद्य प्रसंस्करण	1,715	3.5	20.4	24.6	-2.6	20.4	17.3	-6.2
3. सेवाएं	14,131	9.0	6.5	16.1	-1.2	6.9	5.7	1.4
4. वैयक्तिक ऋण	11,663	7.5	4.6	12.5	8.0	6.9	15.5	4.0

टिप्पणी: 2015-16 की छ1 के लिए अद्यतन उपलब्ध आंकड़े जून 2015 तक के हैं।

चार्ट II.19: प्रमुख उद्योगों के संबंध में ऋण उठान का रुझान



चार्ट II.20: वाणिज्य क्षेत्र को स्रोतों का प्रवाह



II.3.17 2015-16 के दौरान अब तक (7 अगस्त तक), ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋण उठान में तेजी आई है जो के आर्थिक और नीतिगत वातावरण में सुधार दर्शाता है, फिर भी किसी निर्णयात्मक साक्ष्य तक पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ खाद्येतर ऋण लगभग ₹1282 बिलियन रहा जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान यह ₹963 बिलियन था। क्षेत्रगत संवितरण के आंकड़े (जून 2015 तक) सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं जिन्हें मुख्य रूप से व्यापारी और प्रोफेशनल सेवाओं से संबल प्राप्त हुआ, जबकि उद्योगों में कमी नजर आती है। उद्योगों के तहत, यद्यपि इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण में कुछ बढ़त नजर आई है, लेकिन सड़कों के संबंध में यह कमजोर बनी हुई है (चार्ट-II.19)।

गैर-बैंक वित्तपोषण

II.3.18 निधियों के लिए गैर-बैंक स्रोतों की अधिक उपयोग करने के बावजूद ऋण संवृद्धि में आई मंदी ने 2014-15 में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के समग्र प्रवाह को बाधित किया (चार्ट-II.20)। घरेलू गैर-बैंक स्रोतों के बीच, वर्ष के दौरान वाणिज्यिक दस्तावेजों

(सीपी) के निवल निर्गम में चार गुनी वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बैंकों की ऋण दरों की तुलना में बोले जाने वाले प्रतिस्पर्धी मूल्य रहे। इसके अलावा, एफडीआई का अंतर्वाह मजबूत बना रहा और वह वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले गैर-बैंक विदेशी स्रोतों का मुख्य हिस्सा बना। 2015-16 के दौरान (7 अगस्त तक) गैर-बैंक स्रोतों पर भरोसा बना रहा, हालांकि चलनिधि की स्थितियां सहज थीं और दरें प्रतिस्पर्धी रहीं।

II.3.19 कमान बदलने से मौद्रिक नीति में हुए संचरण ने 2014-15 में मौद्रिक और ऋण स्थितियों को स्वरूप प्रदान किया। मुद्रा आपूर्ति और अन्य प्रमुख मौद्रिक समग्रों में कमी आई जो कि अंतर्निहित समष्टि-आर्थिक गतिविधि के अनुरूप था। समग्र रूप से देखा जाए तो 2014-15 के दौरान विभिन्न कारकों, जैसे कि मंदी, बढ़ते हुए एनपीए के कारण बैंकों द्वारा जोखिम उठाने से बचना और गैर-बैंक वित्त के रूप में वैकल्पिक एवं सस्ते स्रोतों की उपलब्धता के कारण ऋण संवृद्धि मंद रही, यद्यपि, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं कि जो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि वर्ष की दूसरी छमाही में स्थितियां बदल सकती हैं।

II.4 वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजार

II.4.1 2014-15 के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में आशावादिता बनी रही। अमरीकी फ़ैडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति को सामान्य बनाए रखने के सहज दृष्टिकोण की संभावनाओं, यूरोप के केंद्रीय बैंक (ईसीबी) तथा बैंक ऑफ़ जापान (बीओजे) द्वारा मौद्रिक सुगमता लाने और कच्चे तेल की कीमत में कमी आने से इसमें सहायता मिली। अधिकांश देशों के सरकारी बांड के प्रतिफल ऐतिहासिकरूप से निम्न स्तर पर रहे। कुछ यूरोपीय देशों में तो प्रतिफल ऋणात्मक भी देखे गए (चार्ट II.21ए)। अमरीकी मौद्रिक नीतिगत दरों की वृद्धि होने संबंधी आशंका में कमी होने तथा ईसीबी एवं बीओजे द्वारा अपनी आस्तियों की खरीद में वृद्धि करने के कारण 2014-15 के दौरान बहुत से शेयर बाजारों में ऐतिहासिक वृद्धि भी देखी गई। हालांकि, वैश्विक स्तर पर परिस्थियां बहाल होने संबंधी अनिश्चितताओं, अमरीका तथा यूरो क्षेत्र से कमजोरी दर्शाने वाले बहुत से आंकड़े प्राप्त होने और मध्य-पूर्व में भू-राजनैतिक तनावों के जारी रहने के कारण बाजारों में अक्टूबर 2014 के मध्यम में कुछ घटबढ़ देखी गई। दिसंबर 2014 के उत्तरार्द्ध में यूक्रेन संकट तथा उसके बाद रूस के मुद्रा संकट और वेनेजुएला और अर्जेंटीना में विनिमय दरों में बहुत अधिक गिरावट होने के कारण बाजारों पर पुनः प्रभाव पड़ा (चार्ट II.21बी)।


II.4.2 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में होने वाले परिवर्तनों की माप करने वाले अमरीकी डॉलर सूचकांक में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च 2015 के अंत में बढ़कर यह 98.4

हो गया। मार्च 2014 के अंत में यह 80.1 के स्तर पर था। जहां इस वृद्धि का प्राथमिक कारण अमरीका की मजबूती से आर्थिक बहाली होना रहा, वहीं यूरो जोन तथा जापान में वर्ष के दौरान आर्थिक बहाली कमजोर होने के कारण अमरीकी डॉलर की तुलना में यूरो एवं जापानी येन के मूल्यों में गिरावट आई। जनवरी 2015 में ईसीबी द्वारा मात्रात्मक सुगमता की घोषणा की तैयारी करने के कारण स्वित्जरलैंड के राष्ट्रीय बैंक (एसएनबी) द्वारा स्विस फ्रैंक/यूरो विनिमय दर की बंधियों को मुक्त कर दिया जिसके फलस्वरूप विनिमय दर की घटबढ़ में तीव्रता आई। बहुत से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) ने आर्थिक वृद्धि को सहारा प्रदान करने के लिए 2014-15 की चौथी तिमाही (क्यू 4) के दौरान अपनी नीतिगत दरों में कमी की। विदेशी मुद्रा बाजारों में मूल्य में गिरावट के दबाव से निपटने के लिए हस्तक्षेप में भी तेजी आई।

II.4.3 मई 2015 में वैश्विक स्तर पर बांडों की बिक्री से बाजारों में आश्चर्य का माहौल था जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी क्योंकि 7 मई को 10-वर्षीय जर्मन बांड का इन्ट्रा-डे हाई प्रतिलाभ बढ़कर 0.77 प्रतिशत हो गया, जो 17 अप्रैल 2015 को 0.05 प्रतिशत था। यूनान पर कर्ज संबंधी चिंताओं, कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने तथा प्रॉफिट बुकिंग का असर अमरीकी ट्रेजरी बिलों के साथ ही साथ उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा।

II.4.4 जून 2015 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की गतिविधियों पर यूनानी कर्ज संबंधी बातचीत तथा चीनी शेयर बाजार में गिरावट के परिणामों से संबंधित अनिश्चितताओं का बहुत अधिक असर रहा। हालांकि, यूनान और यूरो जोन के सदस्यों के बीच बेलआउट डील की घोषणा होने तथा ईरान और प्रमुख विकसित

चार्ट II.21: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार



देशों के बीच नाभिकीय सौदे पर हस्ताक्षर होने से जुलाई में वित्तीय बाजार को सहारा मिला। अगस्त में, चीन के अपनी मुद्रा का लगभग 2 प्रतिशत अवमूल्यन करने के निर्णय के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अफरातफरी मची हुई थी।

भारतीय वित्तीय बाजार


II.4.5 2014-15 के दौरान उत्साह से भरे भारतीय वित्तीय बाजारों में घरेलू और वैश्विक-दोनों संकेतों का असर दिखाई दे रहा था। मुद्रा बाजारों में स्थिरता थी और बाजार चलनिधि युक्त भी थे। मांग मुद्रा (कॉल मनी) दर मजबूती से नीतिगत रिपो दरों के आसपास बनी रही। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्रतिलाभ में धीरे-धीरे गिरावट आई और कॉर्पोरेट बांड बाजार की गतिविधियों में वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण प्राथमिक निर्गमन रहा।

मुद्रा बाजार

II.4.6 संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे के तहत सक्रिय चलनिधि प्रबंध क्रियाओं, वर्ष के अंत में दिखावे के लिए किए जाने वाले समायोजनों को छोड़कर, के कारण एक दिवसीय मांग मुद्रा दरें नीतिगत रिपो दरों के आसपास बनी रहीं। नीतिगत दरों में कमी किए जाने के अनुरूप चौथी तिमाही (क्यू 4) में मुद्रा बाजार दरों में गिरावट आई (चार्ट II.22)। वर्ष के दौरान जमाराशि में वृद्धि के ऋण में वृद्धि की तुलना में सामान्यरूप से अधिक होने के कारण संरचनागत चलनिधि की पर्याप्तता बनी रही। 02 जून 2015 को नीतिगत दर में कमी किए जाने के बाद मांग मुद्रा दरों में गिरावट होने के साथ ही 2015-16 में अभी तक, मांग मुद्रा दरें नीतिगत रिपो दर के अनुरूप बनी हुई हैं।

II.4.7 2014-15 के दौरान नीतिगत दर की तुलना में, दैनिक भारित औसत मांग दर (शनिवारों को छोड़कर) के दायरे में काफी कमी आई और सितंबर 2014 में संशोधित चलनिधि प्रबंध ढांचे को अपनाए जाने के बाद यह 30 आधारभूत अंकों (बीपीएस) से घटकर 18 बीपीएस रह गया। 2015-16 (14 अगस्त तक) के दौरान इस दायरे में और कमी आई तथा घटकर 16 बीपीएस रह गया। इस अवधि में संपाश्वर्कृत दरों (सीबीएलओ एवं बाजार दर) के दायरे में कमी आई जिससे इसके एक दिवसीय मुद्रा बाजार



चार्ट II.22 : मुद्रा बाजार दरें



की दरों के समक्रमिक (सिंक्रोनाइज्ड) होने का पता चलता है। एक दिवसीय बाजार की कुल बिक्री (टर्नओवर) में संपाश्वर्कृत हिस्से की प्रमुखता जारी रही जिसमें असंपाश्वर्कृत (मांग मुद्रा) हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम रहा, जिसके कारण इसमें घटबढ़ की बारी आने के प्रति अतिसंवेदनशीलता बनी रही। रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सुनिश्चित चलनिधि सहायता का विशाल हिस्सा परिवर्तनशील दर वाले मीयादी रिपो के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका एक प्रमुख उद्देश्य मीयादी मुद्रा बाजार को विकसित करना होता है। ये कदम उठाए जाने के बावजूद मुद्रा बाजार में कुल बिक्री साधारण रही।

जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) तथा वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) का निर्गमन

II.4.8 2014-15 में जमा प्रमाणपत्रों के औसत पाक्षिक निर्गमन में गिरावट आई और यह घटकर ₹297 बिलियन रह गया जबकि पिछले वर्ष ₹306 बिलियन का निर्गमन हुआ था (चार्ट II.23)। ऋण लिए जाने में कमी की पृष्ठभूमि के बाद नीतिगत दरों में कमी और बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत कम जमा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के साथ चलनिधि की स्थिति के सहज होने के कारण जमा प्रमाणपत्रों की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूईआईआर) में कमी आई और मार्च 2015 के अंत में घटकर यह 8.58 प्रतिशत रह गई





जो मार्च 2014 के अंत में 9.74 प्रतिशत थी। 10 जुलाई, 2015 तक डब्ल्यूईआईआर में 7.79 प्रतिशत तक गिरावट होने के साथ 2015-16 में अब तक सुगमता की प्रवृत्ति जारी है।

II.4.9 2014-15 में वाणिज्यिक पत्रों का औसत पाक्षिक निर्गमन 58 प्रतिशत बढ़कर ₹479 बिलियन हो गया। कॉर्पोरेट बांडों के प्रतिफल के काफी सुगम होने के बाद, निधि की उगाही के लिए वाणिज्यिक पत्रों की लागत कम होने के कारण बाजार आधारित निधीयन ने अल्पावधि बैंक ऋण को प्रतिस्थापित कर दिया चार्ट II.24)। परिणामस्वरूप, मार्च 2015 के अंत में वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि ₹1,933 बिलियन हो गई जो मार्च 2014 के अंत में ₹1,066 बिलियन थी। मार्च 2015 के अंत में वाणिज्यिक पत्रों से संबंधित भारित औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) घटकर 9.26 प्रतिशत रह गई जो मार्च 2014 के अंत में 9.92 प्रतिशत थी। इससे वर्ष के दौरान चलनिधि की स्थिति सहज होने और वर्ष के दौरान ब्याज दर के चक्र में समग्ररूप से अधोगामी परिवर्तन का पता चलता है। जुलाई 2015 के अंत में डब्ल्यूएडीआर के 7.97 प्रतिशत के स्तर पर रहने के साथ 2015-16 में अब तक गिरावट की प्रवृत्ति जारी है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार का प्रतिफल

II.4.10 2014-15 के दौरान सरकारी-प्रतिभूतियों के प्रतिफल में सामान्यतः नरमी आई जिससे अमरीकी ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल

में सुगमता, विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा खरीद में सक्रिय रूचि, मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट, राजकोषीय स्थिति में सुधार, आम चुनाव के बाद सकारात्मक मनोभावों, तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से गिरावट आने तथा रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कमी किए जाने का असर दिखाई देता है। मध्य-पूर्व में भू-राजनैतिक तनावों तथा 2014-15 के केंद्रीय बजट में बाजार से लिए जाने वाले निवल उधार में वृद्धि की घोषणा किए जाने के कारण भी जून एवं जुलाई 2014 में प्रतिफलों में थोड़ा सुधार हुआ। भू-राजनैतिक तनावों तथा रूसी मुद्रा-संकट के कारण दिसंबर 2014 के उत्तरार्द्ध में प्रतिफलों में पुनः कमी आई। हालांकि, विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा खरीद में वृद्धि होने के बाद चौथी तिमाही में प्रतिफलों में नरमी आई। विदेशी संविभाग निवेशकों को ट्रेजरी बिलों की खरीद से मनाही एवं सिर्फ कम से कम तीन वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों में ही उत्तरोत्तर निवेश की अनुमति प्रदान किए जाने जैसी विशिष्ट शर्तों के बावजूद विदेशी संविभाग निवेशकों द्वारा सरकारी कर्ज की खरीद में निरंतर रूचि का पता चला क्योंकि उनकी उनकी सीमाओं का लगभग पूर्ण इस्तेमाल हुआ। ध्यान देने योग्य है कि, सरकारी प्रतिभूति बाजार में अक्टूबर 2014 में फ़ैडरल रिजर्व के आस्ति खरीद कार्यक्रम से पूर्णतः बाहर रहने का असर नहीं पड़ा और आशावादी निवेश वर्ग के होने के बाद भी प्रतिफलों में नरमी का रूझान जारी रहा (चार्ट II.25)।




II.4.11 सरकारी प्रतिभूति बाजार में फरवरी 2015 में विविध कारणों से तेजड़िया रूझान बना रहा। इन कारणों में, 2015-16 के लिए सरकार के बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम के आकार के सामान्यतः अपरिवर्तित रहने एवं 2015-16 के संघीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार एक और वर्ष के लिए राजकोषीय समेकन योजना को पुनर्निर्धारित करना शामिल है किंतु अन्य कारणों का भी इस पर असर रहा है। हालांकि, नीतिगत दरों में 15 जनवरी 2015 तथा 4 मार्च 2015 को हुई 25 आधारभूत अंकों की अनुवर्ती कटौती तथा अमरीकी ट्रेजरी प्रतिलाभों में तीव्र कमी होने के कारण बाजार के रूझान आशावादी हो गए जिसके कारण 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभों में नरमी आई। 7 अप्रैल 2015 को द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों को यथास्थिति रखने की घोषणा होने के कारण रूझानों में होने वाला सुधार अल्पकालिक ही रहा। वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की संभावनाओं में सुधार होने एवं तेल मूल्यों के कम होने के बाद अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के दीर्घावधि बांडों के प्रतिलाभ में कमी को देखते हुए मई 2015 के पूर्वार्द्ध में 10-वर्षीय भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ का 11 मई 2015 को बढ़कर 8.09 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचना अधिक प्रासंगिक बात रही। हालांकि, नई 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति के प्रारंभ किए जाने, नीतिगत दर में कटौती करने एवं मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी आने के साथ प्रतिलाभ में नरमी आई। 14 अगस्त, 2015 को 10-वर्षीय प्रतिलाभ 7.75 प्रतिशत रहा। सितंबर से नवंबर 2014 की

अवधि को छोड़कर, औसत मात्रा में 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभ में होने वाले परिवर्तनों के विपरीत असर देखा गया (सारणी II.26)। 2014-15 में सरकारी प्रतिभूतियों की कुल बिक्री का अनुपात बढ़कर 1.95 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष 1.87 प्रतिशत था।

भारत में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) का प्रवाह

II.4.12 2014-15 के दौरान भारती के इक्विटी और कर्ज बाजारों में एफपीआई का पुनरुज्जीवन हुआ। जहां, 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के अंतर्गत एफपीआई की उप-सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ाए जाने के कारण कर्ज बाजार में एफपीआई से होने वाला अंतर्वह बढ़कर ₹1.6 ट्रिलियन हो गया, वहीं इक्विटी बाजारों में एफपीआई से होने वाला निवेश भी 2013-14 की तुलना में अधिक रहा (चार्ट II.27)। वर्तमान में, एफपीआई निवेशकों को कम से कम तीन वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता वाले बांडों में ही निवेश करने की अनुमति है ताकि दीर्घावधि प्रतिभूतियों को प्रोत्साहित किया जा सके और अपेक्षाकृत कम अवधि वाली प्रतिभूतियों की ब्याज दर को नियंत्रित रखा जा सके। 5 फरवरी 2015 से एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों के कूपन में निवेश करने की अनुमति देकर प्रभावी एफपीआई सीमा को बढ़ाया गया। यूरोपीय बांड बाजारों में 7 मई 2015 को प्रारंभ हुई वैश्विक बांड बिक्री, चौथी तिमाही के लिए अब तक रिपोर्ट की गई तिमाही कमाई के कम रहने के कारण उत्पन्न चिंताओं एवं न्यूनतम वैकल्पिक कर

चार्ट II.27 : कर्ज एवं इक्विटी बाजारों में एफपीआई प्रवाह



(एमएटी) की अनिश्चितताओं तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अनिश्चितता के बाद 2015-16 के दौरान कर्ज एवं इक्विटी बाजारों में एफपीआई प्रवाहों (निवेश) में अब तक (13 अगस्त 2015 तक) क्रमशः ₹(-)43.2 बिलियन तथा ₹ 47.4 बिलियन की कमी आई।

कॉर्पोरेट बांड बाजार

II.4.13 कॉर्पोरेट बांड बाजार में 2014-15 के दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹ 10,913 बिलियन हो गया (चार्ट II.28ए)। दूसरी तरफ, कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में गिरावट आने, विनिमय बाजार में स्थिरता और मूडीज़ द्वारा संभावनाओं में सुधार दर्शाए जाने के बाद समरूप परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में एएए रेटिंग वाले 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बांडों के



प्रतिलाभों में नवंबर 2014 के मध्य तक कमी आई। हालांकि, इसके बाद करों के अग्रिम भुगतान किए जाने और 2014 की दूसरी तिमाही में लिए चालू खाता घाटे में वृद्धि होने संबंधी चिंताओं के कारण चलनिधि पर प्रतिरोधात्मक दबाव पड़ने के कारण जनवरी 2015 के मध्य तक प्रतिलाभ में वृद्धि हुई। नीतिगत रिपो दर में कटौती किए जाने और चलनिधि की स्थिति में सुधार होने के बाद 2014-15 की चौथी तिमाही में प्रतिलाभ में कमी आई (चार्ट II.28बी)। 2015-16 में अब तक प्रतिलाभ दायराबद्ध रहा है जिससे सुगम चलनिधि परिस्थितियां होने का संकेत मिलता है।

द्वितीयक इक्विटी बाजार



II.4.14 इक्विटी बाजार में 2014-15 में अधिक गतिविधियां देखी गईं और 29 जनवरी 2015 को बाजार सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया (चार्ट II.29ए)। 2013-14 में 19 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद भी बीएसई सूचकांक में वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इक्विटी बाजार के रुझानों को राजनैतिक स्थिरता, निरंतर एफपीआई प्रवाहों, कच्चे तेल के अपेक्षाकृत कम अंतरराष्ट्रीय मूल्यों एवं नीतिगत दरों में नरमी, से बल मिला।

II.4.15 इक्विटी बाजार को वैश्विक चलनिधि परिस्थितियों एवं प्रतिलाभ की तलाश का भी लाभ हुआ जिसके अंतर्गत ब्याज दरों को कम रखने की अमरीकी फ़ेडरल रिज़र्व की वचनबद्धता, ईसीबी, बैंक ऑफ़ जापान तथा पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना द्वारा अत्यधिक समायोजनकारी मौद्रिक नीति को अपनाए जाने से भी सहायता मिली। अमरीकी डॉलर के रूप में, सेंसेक्स में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले बाजारों में से एक बन गया (चार्ट II.29बी)। 2014-15 में, देशी इक्विटी बाजार में भी विदेशों के इक्विटी बाजारों की तुलना में कम घटबढ़ देखी गई।

चार्ट II.28 : कॉर्पोरेट बांड बाजार



चार्ट II.29 : अन्य प्रमुख बाजारों की तुलना में भारतीय इक्विटियों का निष्पादन



II.4.16 एमएटी के बारे में एफपीआई की चिंताओं, चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट कमाई कमजोर रहने एवं मानसून के सामान्य से कम रहने के पूर्वानुमानों के कारण 2015-16 के दौरान इक्विटी बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। हालांकि, जून में सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण बेंचमार्क सूचकांकों में सुधार हुआ। यूनान एवं ईरान नाभिकीय सौदा से संबंधित गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तनों से घरेलू बाजारों को भी बल मिला। अगस्त 2015 में शेयर बाजार दायराबद्धर बने रहे, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2015-16 की पहली तिमाही में मिलीजुली कमाई होने तथा चीन की मुद्रा के अवमूल्यन होने जैसी वैश्विक गतिविधियों का प्रभाव रहा।

प्राथमिक इक्विटी बाजार

II.4.17 2014-15 के दौरान, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थान (क्यूआईपी) सहित इक्विटी निर्गमन के माध्यम से संसाधन जुटाने में 44 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई (सारणी II.10)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (डीआरएचपी) फाइल करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में रूचि के पुनर्जीवित होने के संकेत दिखाई दिए। इसके आगे, यदि द्वितीयक बाजार में सकारात्मक रूझान जारी रहता है तो प्राथमिक बाजार के माध्यम से अधिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

कॉर्पोरेट बांडों का निजी स्थान (प्राइवेट प्लेसमेंट)

II.4.18 2014-15 में ₹4,041 बिलियन के कॉर्पोरेट बांडों के निजी स्थान के माध्यम से संसाधन जुटाए गए जिसमें 46 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का ₹97 बिलियन का निर्गमन हुआ जो बहुत ही कम था। 2015-16 के संघीय बजट में आधारभूत संरचना का कर-मुक्त बांडों के माध्यम से निधीयन करने के संबंध में प्रस्ताव किए जाने के साथ ही 2015-16 में बांडों के सार्वजनिक निर्गमन के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने में वृद्धि होना अवश्यंभावी है।

II.4.19 केंद्र सरकार ने 2015-16 में ₹695 बिलियन की प्राप्ति विनिवेश के माध्यम से करने का बजट प्रावधान किया है जिसमें से ₹285 बिलियन रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से जुटाए जाने हैं। ई-पीआईओ में शर्तें लगाए जाने एवं स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) प्रारंभ करने के लिए फर्मों को अनुमति प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) जैसे उपाय करने के साथ ही सरकार के विनिवेश संबंधी कदमों से पूंजी बाजारों को आगे बढ़ने में गति मिलने की संभावना है।

मकान मूल्य सूचकांक (एचपीआई)

II.4.20 मांग कम होने के प्रमुख कारण से 2013-14 की पहली तिमाही में मकान मूल्य सूचकांक की तिमाही वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

सारणी II.10 : प्राथमिक पूंजी बाजार से मोबिलाइजेशन

(₹ बिलियन)


श्रेणी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)
1	2	3	4	5
ए. सार्वजनिक निर्गम (i)+(ii)	460.9	219.2	510.8	127.5
(i) सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी) जिसमें से	104.8	49.4	87.0	30.4
आईपीओ	59.0	49.4	12.4	30.4
एफपीओ	45.8	0.0	74.6	0.0
(ii) सार्वजनिक निर्गम (कर्ज)	356.1	169.8	423.8	97.1
बी. अधिकारों का निर्गम	23.7	89.4	45.8	67.5
कुल जारी इक्विटी (आई+बी)	128.6	138.8	132.7	97.9
सी. यूरो निर्गम (एडीआर+जीडीआर)	27.1	10.4	1.2	95.9
डी. म्यूचुअल फंड जुटाना (निवल)	-220.2	765.4	537.8	1032.9
1. निजी क्षेत्र	-154.5	637.9	488.4	1037.0
2. सरकारी क्षेत्र	-65.8	127.5	49.4	-4.1
ई. कॉर्पोरेट कर्ज बाजार में निजी स्थान	2612.8	3614.6	2760.5	4041.4
एफ. क्यूआईपी	21.6	160.0	136.6	291.0

टिप्पणी : पी : अस्थायी आईपीओ : प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव एफपीओ : अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव एडीआर : अमरीकी निक्षेपागार रसीद जीडीआर : वैश्विक निक्षेपागार रसीद
क्यूआईपी : अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थान
स्रोत : सेबी और प्राइम डाटाबेस

16 प्रतिशत से नीचे चली गई। हालांकि 2014-15 की प्रथम तीन तिमाहियों में इसमें सुधार हुआ जिससे विशेषरूप से दिल्ली एवं कोलकाता जैसे शहरों में मकान मूल्यों में थोड़ी वृद्धि प्रारंभ होने का पता चलता है (चार्ट II.30)। हाल के समय में रिहायशी मकानों की मांग में काफी कमी आई है और साथ ही साथ बिक्री नहीं हुए रिहायशी मकानों के स्टॉक में काफी वृद्धि हुई है। मूल्य अधिक होने के कारण यथार्थ में मकान खरीदने वाले लोग आवास बाजार से बाहर निकल गए और अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के कारण निवेशक भी इस बाजार से दूर रहे। आर्थिक वृद्धि की शुरुआत होने से समग्ररूप से खरीददारों के रुझान में सुधार होने की संभावना है। मकान निर्माताओं (डिबेलपरो) को ऐसा होने की संभावना है और इसलिए वे मूल्यों को स्थिर बनाए हुए हैं।

II.4.21 2014-15 में भारत के वित्तीय बाजारों का कार्यनिष्पादन अच्छा रहा। मुद्रा बाजार दरें नीतिगत रिपो दरों के बहुत अनुरूप रहीं। ऋण वृद्धि के मंद होने तथा संरचनागत चलनिधि परिस्थिति के अपेक्षाकृत सुखद होने और रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कमी किए जाने के बाद वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों की दरों में वर्ष के दौरान गिरावट आई। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में

चार्ट II.30 : मकान मूल्य सूचकांक में घटबढ़



2014-15 में सामान्यरूप से नरमी आई जो मुद्रास्फीति में कमी तथा एफपीआई द्वारा खरीद में रुचि जारी रहने के अनुरूप रही। इक्विटी बाजारों, प्राथमिक के साथ ही द्वितीयक बाजारों में भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

II.5 सरकारी वित्त

II.5.1 सरकारी वित्त में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। ईमानदारी की प्रेरणा वैश्विक संकट के बाद की अवधि में मुख्यतः राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के समुचित पथ के लिए पुनः प्रतिबद्धता से उत्पन्न हुई है। प्रारंभ में मात्रा-प्रेरित के रूप में, इन प्रयासों को चयनित पथों पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को स्थिर करने के लिए अनिवार्यताओं द्वारा संचालित किया गया और उसके बाद व्यय की प्राथमिकता को सब्सिडी से निवेश में बदलने, कर उछाल में बढ़ोतरी करने, गैर उन्नतशील व्यय और रिसावों को प्रासंगिक बनाने और सरकार के सभी स्तरों के लिए सरकारी ऋण को वहनीय स्तर पर रखने के प्रयास किए गए। वर्ष 2012-13 से सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) से संबंधित निर्धारित वार्षिक लक्ष्य पूरा कर लेने के बाद राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अनंतिम खातों के अनुसार केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक एक वर्ष पूर्व की तुलना में 2014-15 में कम थे। राजस्व घाटा (आरडी) और जीएफडी निरपेक्ष रूप से और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दोनों स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों से कम रहा था।

केंद्र: प्राप्तियां और व्यय

II.5.2 2014-15 में (अनंतिम खाता), गैर-ऋण प्राप्तियां सुस्त रहीं, जो घरेलू गतिविधियों में कम उत्साह होने को दर्शाती हैं। जहां,

सकल कर संग्रह में बजट अनुमान (बीई) से 8.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, वहीं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में कमी होने के कारण निवल कर अंतर्वाह बजट अनुमान की तुलना में कम अर्थात् 7.7 प्रतिशत रहा। गैर-कर राजस्व भी सामान्य, आर्थिक, राजकोषीय और सामाजिक सेवाओं से कम संग्रह प्राप्त होने के कारण बजट अनुमान की तुलना में कम रहा। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी कम रहीं, जो विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय में भारी कमी को दर्शाती हैं।

II.5.3 गैर-ऋण प्राप्तियों में हुई कमी के चलते राजस्व और पूंजी दोनों खातों में घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनागत व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की तीव्र कटौती की गई है। बजट अनुमान की तुलना में गैर-योजनागत व्यय में की गई मामूली कटौती को भी पूंजीगत व्यय और ब्याज भुगतान में कटौती करके लागू किया गया।

II.5.4 समग्र रूप से पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिव्यय दोनों ही निर्धारित लक्ष्य से कम थे और पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में भी कम थे। संभवतः मध्यावधि में इसका वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

2015-16 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ पर पुनः विचार करना

II.5.5 केंद्र सरकार के बजट 2015-16 में सभी प्रमुख घाटा संकेतक कम रहने के अनुमान के साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा गया (सारणी II.11)। जीएफडी में लक्ष्यित

सारणी 11.11: केंद्र सरकार का राजकोषीय निष्पादन

(जीडीपी का प्रतिशत)

चर	2004-08 (औसत)	2008-10 (औसत)	2010-14 (औसत)	2013-14	2014-15 (आरई)	2014-15 (पीए)	2015-16 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8
गैर ऋण प्राप्तियां	10.4	9.5	9.5	9.3	9.3	9.1	8.7
कर राजस्व	7.8	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	6.5
गैर कर राजस्व	2.1	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6
कुल व्यय	14.2	15.8	14.5	13.7	13.4	13.1	12.6
राजस्व व्यय	11.9	14.1	12.7	12.1	11.9	11.6	10.9
पूंजीगत व्यय	2.3	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.7
योजनागत व्यय	4.0	4.8	4.4	4.0	3.7	3.6	3.3
गैर-योजनागत व्यय	10.2	11.0	10.1	9.7	9.7	9.5	9.3
राजस्व घाटा	2.0	4.9	3.6	3.1	2.9	2.9	2.8
सकल राजकोषीय घाटा	3.4	6.2	5.0	4.4	4.1	4.0	3.9

टिप्पणी: 1. आरई : संशोधित अनुमान; पीए: अनंतिम खाते; बीई: बजट अनुमान
2. जीडीपी 2014-15 सीएसओ के अनंतिम अनुमानों के अनुसार है।

कटौती को गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में बढ़ोतरी और राजस्व व्यय में कमी करके प्राप्त करने का प्रावधान किया है। एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के तहत 3.0 प्रतिशत के जीएफडी-जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने की नियत समय-सीमा को एक वर्ष बढ़ाकर 2017-18 कर दिया गया है, ऐसा इसलिए किया गया ताकि वृद्धि में सहयोग करने के लिए अधिक सरकारी निवेश प्राप्त किया जा सके और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए राज्यों को अधिक राशि अंतरित की जा सके और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से जुड़ी अनिश्चितताओं और 7वें वेतन आयोग के अधिनिर्णय के संभावित बोझ को ध्यान में रखा जा सके।

अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश से प्राप्त आय का अंतरण

II.5.6 सकल कर राजस्व में 16.4 प्रतिशत की संभावित वृद्धि होने के कारण जीडीपी में सकल कर राजस्व का अनुपात 2015-16 में 0.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ 10.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। तथापि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए राज्यों को अधिक राशि अंतरित करने के कारण केंद्र को प्राप्त होने वाले निवल कर राजस्व को 2014-15 (पीए) में 7.2 प्रतिशत से काफी घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। सकल कर राजस्व के लिए अंतर्निहित कर उछाल में पिछले दो वर्षों से हो रहे 1 से कम के उछाल की तुलना में काफी अधिक उछाल आया है (सारणी II.12)। इसके अतिरिक्त, अप्रत्यक्ष करों में 2014-15 (पीए) में हुई 9.8 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में 18.9 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी को सेवा कर की दर (शिक्षा उपकर सहित) में

की गई 1.64 प्रतिशत बढ़ोतरी, सेवा कर के तहत नकारात्मक सूची की छंटनी और कर-आधार को विस्तार देने के लिए कतिपय अन्य रियायतें समाप्त होने से सेवा करों में लगभग 2 प्रतिशत से अधिक का उछाल आ सकता है। उत्पाद शुल्क संग्रह के संबंध में 1.73 की संभावित उछाल को मुख्यतः 2014-15 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई तदर्थ बढ़ोतरी, मोबाइल हैंडसेट और सिगरेट जैसे चुनिंदा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी, मावा और मूंगफली का मक्खन जैसे कर के दायरे में न आने वाले उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से और उत्पाद शुल्क में सामान्य वृद्धि करके अर्थात् मौजूदा 12.36 प्रतिशत को बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का सहयोग मिला है। जहां इस प्रकार के प्रयासों से 2015-16 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी, वहीं मध्यवाधि में कर राजस्व में दीर्घकालिक बढ़ोतरी हेतु जीएसटी की शुरुआत के लिए समयसीमा का अनुपालन करना भी जरूरी है।

II.5.7 2015-16 के दौरान गैर कर राजस्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू), रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक और स्पेक्ट्रम प्रभागों से प्राप्त लाभांश शामिल है, में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। रणनीतिगत विनिवेश से ₹285 बिलियन का अतिरिक्त बहिर्वाह होने के चलते विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय को बढ़ाकर ₹410 बिलियन कर दिया गया है। वास्तविक आय के संबंध में पिछले कार्यनिष्पादन की स्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद विनिवेश प्राप्तियों में लगभग 179 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि ने 2015-16 के लिए कुल निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में जोखिम पैदा कर सकता है।

सारणी 11.12: कर संग्रह में कर उछाल और वृद्धि दर *

कर वर्ग	कर उछाल			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2013-14	2014-15 (पीए)	2015-16 (बीई)	2013-14	2014-15 (पीए)	2015-16 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7
सकल कर राजस्व	0.73	0.89	1.31	9.9	9.3	16.4
निगम कर	0.79	0.82	0.78	10.8	8.7	9.7
आय कर	1.55	0.82	1.93	21.0	8.6	24.2
सीमा शुल्क	0.30	0.88	0.86	4.1	9.3	10.8
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-0.24	1.05	1.73	-3.2	11.1	21.6
सेवा कर	1.23	0.81	1.99	16.7	8.5	24.9

*: उछाल की गणना समग्र जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में की गई है।

व्यय का स्वरूप

II.5.8 2015-16 (बीई) में केंद्र के कुल व्यय में जीडीपी के समानुपात के रूप में राजस्व व्यय कम होने के कारण 8.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पूंजीगत व्यय में की गई तीव्र वृद्धि गैर-रक्षा पूंजी परिव्यय में अनुमानित उच्च वृद्धि को दर्शाती है।

II.5.9 2015-16 के दौरान योजनागत व्यय में मामूली वृद्धि होने की संभावना है जो उच्च पूंजीगत व्यय को दर्शाती है। गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सब्सिडी में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट और 2014 में डीजल की फुटकर बिक्री पर विनियमन हटाने के बाद पेट्रोलियम सब्सिडी में 48 प्रतिशत की कमी की गई

है। जहां, खाद्य सब्सिडी में धीमी गति से वृद्धि होने की संभावना है, वहीं उर्वरक सब्सिडी कम होने की संभावना है।

2015-16 में राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता

II.5.10 समग्र रूप से, सब्सिडी के बजाए निवेश के पक्ष में सरकारी व्यय का पुनर्विन्यास करके 2015-16 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सरकार की योजना राजकोषीय समायोजन (बॉक्स II.5) की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक स्वागतयोग्य उपाय है। इसे प्राप्त करने के लिए, जहां एक ओर निर्धारित राजस्व को प्राप्त करना जरूरी होगा, वहीं दूसरी ओर सब्सिडी पर निर्धारित व्यय का अनुपालन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा (चार्ट II.31)।

बॉक्स II.5
राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद संपूर्ण विश्व में सरकारी वित्त में भारी गिरावट देखी गई, इसीलिए वृद्धि प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विश्वव्यापी तेजी लाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन संबंधी उपाय शुरू किए गए। उन्नत और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में 2010 से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण शुरू किया गया, यद्यपि, सुदृढ़ीकरण की मात्रा और तेजी देश-सापेक्ष रही है। भारत में, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण 2012-13 की दूसरी छमाही से आरंभ हुआ जिसके चलते केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2011-12 के जीडीपी के 5.8 प्रतिशत से घटकर 2014-15 (पीए) में जीडीपी का 4.0 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार के सुधार के बावजूद राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय बना हुई है।


आदर्श स्थिति के रूप में, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति व्यय और राजस्व का मिश्रण होना चाहिए ताकि सुदृढ़ीकरण के हित बोझ को सभी समाज में समुचित रूप से बांटा जा सके। सरकारी खपत और सब्सिडी इत्यादि अनुत्पादक व्ययों को कम करने जैसे उपाय करने के बावजूद सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में उच्च सरकारी निवेश और/अथवा गरीबों को अंतरण के जरिए अधिक सामाजिक व्यय में मुक्त स्रोतों को लगाना चाहिए। इससे मध्यावधि में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आने वाले समय में उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा किया जा सकता है। समायोजन आवश्यक रूप से उत्पादकता बढ़ाने के संरचनागत उपायों और एक विश्वनीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना, जो बाजार प्रत्याशाओं को स्थिर बनाएगी, के साथ किए जाने चाहिए (तप्सोबा 2013)।

भारत में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मुख्यतः निर्धारित गैर-ऋण प्राप्तियों की प्राप्ति न होने के कारण राजस्व और पूंजी दोनों खातों में व्यय में संयुक्त रूप से कटौती करके किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का भार गैर अनुपातिक रूप से व्यय को कम करने पर पड़ा। इस प्रक्रिया में, केंद्रीय योजना के तहत कतिपय उत्पादक व्यय में 2012-13 से 2014-15 (बीई) के दौरान बजट अनुमान की तुलना में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती करनी पड़ी। इसमें सिंचाई, खाद्य नियंत्रण, संचार, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शहरी विकास शामिल हैं। इस अवधि के दौरान योजनागत व्यय को औसतन 14.4 प्रतिशत की कमी का सामना करना पड़ा। पूंजीगत व्यय में कटौती आधारित राजकोषीय ईमानदारी का दीर्घकालिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि पूंजीगत व्यय के गुणक का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और राजस्व व्यय की तुलना में बहुत अधिक समय तक रहता है (जैन और कुमार, 2013)।¹

केंद्र सरकार के बजट 2015-16 में व्यय में 29.1 प्रतिशत की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय का पुनर्विन्यास किया गया है, जबकि प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में तेजी से कमी होने का अनुमान किया गया है (चार्ट 1)। इस अध्याय के भाग II.1 में उल्लिखित अन्य उपायों के साथ-साथ सरकारी व्यय की इस पुनः प्राथमिकता से अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ने की संभावना है। जहां, यह व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संकेत है, वहीं यह भी जरूरी है कि निर्धारित लक्ष्यों को वास्तविकता में बदला जाए। पिछले तीन वर्षों में, सरकार ने निर्धारित स्तर की

(जारी...)

¹ जैन और कुमार (2013) द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार के लिए गैर-रक्षा पूंजी परिव्यय, राजस्व व्यय और कुल व्यय के प्रभाव गुणक क्रमशः 2.09, 0.19 और 0.4 हैं।



तुलना में वास्तविक पूंजीगत परिव्यय में लगभग 19 प्रतिशत की कमी की है। एक व्यापक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति सरकारी राजस्व में दीर्घकालिक सुधार के लिए भी आवश्यक होगी है।


संदर्भ:

जैन, आर, और पी. कुमार (2013) भारत में सरकारी व्यय गुणक का आकार: एक संरचनागत वीएआर विश्लेषण, आरबीआई वर्किंग पेपर सं. 07

तप्सोबा, एस.जे. (2013), भारत में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए राय और रणनीतियां, आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 127

II.5.11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तार के बावजूद 2015-16 में खाद्य सब्सिडी में थोड़ी वृद्धि की गई। खाद्य सब्सिडी को लक्ष्यित स्तर के भीतर रखने के लिए बहु-शाखा रणनीति अपनायी होगी जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संपूर्ण कंप्यूटरीकरण, खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का विकेंद्रीकरण और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की परिचालनगत कुशलता में सुधार करना शामिल है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए खरीद, वितरण और खाद्यान्नों का भंडार करने से जुड़ी लागत कम करके खाद्य सब्सिडी व्यय को कम किया जा सकता है। हाल ही में, सरकार द्वारा घोषित यूरिया नीति, जिसमें यूरिया उत्पादन करने वाली इकाइयों में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और अधिक से अधिक उत्पादन

देश में करने को प्रोत्साहित किया गया है ताकि आयात पर निर्भरता और हार्डट्रोकार्बन निवेश में क्रमशः कमी आए, से अगले चार वर्षों के दौरान कम ऊर्जा खपत और कम आयात सब्सिडी होने के कारण क्रमशः लगभग ₹26.2 बिलियन की उर्वरक सब्सिडी की प्रत्यक्ष बचत और लगभग ₹22.1 बिलियन की अप्रत्यक्ष बचत होने की संभावना है।



II.5.12 नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपने बजट अनुमान (बीई) के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात् जीएफडी और आरडी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-जून 2015 के दौरान कम रहे। कुल व्यय अधिक होने के बावजूद, इस अवधि के दौरान उच्च गैर-ऋण प्राप्तियों के कारण जीएफडी कम रहा। अप्रत्यक्ष करों के सभी वर्गों के अंतर्गत उच्च संग्रह और उच्च गैर-कर राजस्व प्राप्त होने से केंद्र सरकार की प्राप्तियां में बढ़ोतरी हुई। जहां प्रमुख सब्सिडियों में व्यय कम रहा, वहीं पूंजीगत व्यय योजनागत पूंजीगत व्यय में अधिक वृद्धि होने के कारण अधिक रहा। 31 जुलाई 2015 की स्थिति के अनुसार सरकार ने 2015-16 के लिए अनुपूरक मांग अनुदान के पहले बैच के जरिए ₹255 बिलियन राशि का अतिरिक्त प्रावधान का अनुमोदन प्रदान किया ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए सहयोग, मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र, नागरिक विमानन, सांस्कृतिक और पर्यटक और गृह मामलों जैसी प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सके।


2015-16 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति²

II.5.13 राज्य वित्त³ की समेकित स्थिति से पता चलता है कि जीएफडी की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात 2013-14 के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 (आरई) में 2.9 प्रतिशत हो गया है, यह बढ़ोतरी मुख्यतः कुल व्यय, जिसे राजस्व प्राप्तियों में हुई बढ़ोतरी से पूरा किया गया, में हुई वृद्धि के कारण हुई थी। पूंजीगत परिव्यय अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में 0.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। राजस्व शेष जीएसडीपी का 0.1 प्रतिशत के साथ घाटे पर बना रहा।

II.5.14 2015-16 के बीई में जीएफडी की तुलना में जीएसडीपी अनुपात कम अर्थात् 2.3 प्रतिशत रहने और घाटे वाले राजस्व खाते को बेशी वाले खाते में परिवर्तित होने का अनुमान है जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में राज्यों से प्राप्त सहयोग को दर्शाता है (चार्ट II.32)। राजकोषीय स्थिति में सुधार कर-राजस्व में उछाल और व्यय में कटौती के जरिए करने का प्रावधान है। तथापि, राज्यों का व्यय-स्वरूप प्रतिबद्धता और गैर विकास-व्यय में गतिहीनता और विकास व्यय में हुई कम को दर्शाता है।

2014-15 में संयुक्त राजकोषीय परिणाम

II.5.15 2014-15 (आरई) में सरकार के सामान्य व्यय की संयुक्त राजकोषीय स्थिति में गिरावट आई। संयुक्त राजकोषीय घाटा 2013-14 के 6.6 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 6.9 प्रतिशत रहा। 0.7 प्रतिशत अंकों की केंद्र सरकार की जीएफडी में हुई गिरावट को राज्य सरकारों के जीएफडी में हुई 0.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से पूरा किया गया। तथापि, 2015-16 (बीई) में सरकार के सामान्य व्यय की राजकोषीय स्थिति को गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में व्यय में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि करके 6.3 प्रतिशत कर



दिया गया है।

II.5.16 केंद्र सरकार के बजट 2015-16 को संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने और निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। तदनुसार, 2015-16 के दौरान राजकोषीय रणनीति का जोर केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निवेश में तीव्र बढ़ोतरी और अपने स्रोत के मिश्रण और राज्यों को स्रोत अंतरण में अधिक वृद्धि करके बुनियादी संरचनागत ढांचा पर व्यय बढ़ाने पर दिया गया है। जहां, राज्यों को अंतरित राशि में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार का वित्त कम होगा, वहीं ये राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों को बनाने, लागू करने और वित्त प्रदान करने में मदद करेगा। तथापि, राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता में बढ़ोतरी होने के कारण उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपने स्रोतों का प्रभावी ढंग से निवेश करें।

² 25 राज्यों से संबंधित आंकड़े

³ एक सामूहिक विश्लेषण राजकोषीय स्थिति और नीतियों के संबंध में राज्यों में व्याप्त भारी असमानता को दर्शाता है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन शीर्षक 'राज्य वित्त: 2014-15 के बजट का एक अध्ययन' भिन्न-भिन्न स्तर पर राज्य वित्त का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।


II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 2014-15 में वैश्विक गतिविधियों का भारत के बाह्य क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल, में गिरावट के परिणामस्वरूप आयात में बचत करने के कई उपाय किए गए। पण्य की कीमत में भारी गिरावट के प्रति निर्यात निष्पादन ने लचीला रख अपनाया और वर्ष में अधिकांश समय जी3 विनिमय दरों में बड़े उतार-चढ़ाव देखे गए। तथापि, निर्यात वर्ष के अंतिम चार माहों में, कमजोर वैश्विक मांग, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का पेट्रोलियम उत्पादों (पीओएल) के निर्यातों में असर पड़ना एवं रुपए की मौजूदा वास्तविक मूल्यवृद्धि जो अंततः और ऊंचाई पर पहुंचा, के फलस्वरूप संकुचित हुआ। आयात की कीमतों में निर्यात की कीमतों की अपेक्षा तेजी से गिरावट आने के कारण आयात-निर्यात मूल्य स्थिति में आशातीत लाभ हुआ। स्वर्ण आयात तब तक कम रहा जब तक प्रतिबंधों में उदारता के परिणामस्वरूप वर्ष के अंतिम भाग में उसकी मात्राओं में तेजी से वृद्धि हुई। इन कारकों ने मिलकर चालू खाता घाटे को वहनीय सीमाओं में रखा।

II.6.2 2013 की गर्मियों से बड़े समष्टिआर्थिक समायोजनों के परिणामस्वरूप और साथ ही रीजनीतिक बदलाव के संबंध में अत्यधिक आशावादिता तथा संरचनात्मक सुधार संबंधी प्रत्याशाओं, विदेशी निवेशों-प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो, दोनों-की बढ़ती पर्याप्त मात्रा में अंतर्वाह दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप, बाह्य वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की बड़ी सरलता से पूर्ति की गई एवं आरक्षित निधियों में भारी इजाफा हुआ। वर्ष के अंत में या 2016 में अमरीकी फेड की नीतिगत दरों में वृद्धि किए जाने के आलोक में बाह्य स्थिरता संकेतक भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगा।


पण्य-निर्यात निष्पादन

II.6.3 भारत का पण्य-निर्यात सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से लगातार तीसरे वर्ष नीचे गिरा (चार्ट II.33); मात्राओं में हुई अल्प वृद्धि, यूनिट मूल्य की प्राप्ति में गिरावट के कारण घटी। चौथी तिमाही में तेजी से गिरावट आने के कारण पीओएल एवं गैर-पीओएल निर्यात, दोनों की मात्राओं में 2014-15 में मात्र अल्प वृद्धि हुई। पण्य-निर्यात की अमरीकी डॉलर में वृद्धि 2014-15 की पहली



तिमाही में बेहतर रही, किंतु दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमिक रूप से गति धीमी पड़ी तथा चौथी तिमाही में लगभग 16 प्रतिशत की गिरावट आई, जो चरम वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2009-10 की दूसरी तिमाही से तेजी से संकुचित हुई। 2015-16 की पहली तिमाही में निर्यात और तेजी से संकुचित हुआ, यद्यपि, इसमें जुलाई 2015 में कम झुकाव देखा गया।

II.6.4 प्रमुख क्षेत्रों में, पेट्रोलियम उत्पाद, तिलहन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कच्चा लोहा और रत्न एवं आभूषण के कारण 2014-15 में संपूर्ण निर्यात निष्पादन में गिरावट आई (चार्ट II.34)। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यातों में आई गिरावट, 2014-15 की अंतिम तीन तिमाहियों में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी को दर्शाता है लेकिन अन्य पण्य वर्गों की मांग में कमी से बुनियादी संरचना एवं अन्य निवेश संबंधी घरेलू आपूर्ति में बाधा पड़ने के कारण गैर-तेल के निर्यात में घटा हुआ। गंतव्यस्थान-वार चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, जापान एवं सऊदी अरब को किये गये निर्यात में 2014-15 में भारी गिरावट आई। अधिक से अधिक व्यापार एकीकरण को देखते हुए प्रतीत होता है कि भारत का व्यापार, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के अधिक अनुकूल बन गया है (बॉक्स II.6)।



पण्य-आयात

II.6.5 जून 2014 एवं मार्च 2015 के बीच कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की भारी गिरावट की बदौलत भारत के पीओएल आयात बिल में 16 प्रतिशत की गिरावट के साथ इस खाते में एक वर्ष पूर्व के व्यय की तुलना में 26.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की बचत हुई। वैश्विक कच्चे तेल की कीमत 2015-16 की पहली तिमाही में सामान्य रही (चार्ट II.35)। तथापि, 2014-15 की दूसरी छमाही में मांग में भारी उछाल की वजह से, स्वर्ण आयातों में, मूल्य (20 प्रतिशत) एवं मात्रा (38 प्रतिशत) दोनों के संदर्भ में वृद्धि दर्ज की गई। 2014-15 के बाद वाले हिस्से में स्वर्ण आयातों में वृद्धि हुई, जो प्रमुख रूप से त्र्यौहार संबंधी मांग, ट्रेडिंग हाउस को घरेलू उपभोग के लिए स्वर्ण आयात की अनुमति प्रदान करने के



बॉक्स II.6

व्यापार संबद्धता एवं लचीलापन

भारत की सीमा-पार व्यापार संबद्धता समय के साथ मजबूत हुई। भारत ने न केवल गंतव्य-स्थान के संदर्भ में अपने निर्यातों में विविधता लाई अपितु भारत की विश्व मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी, हालांकि अन्य समान अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा निम्न स्तर पर (चार्ट 1), विशेष रूप से रसायन एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण में (ओईसीडी 2014)। जीवीसी में सहभागिता से घरेलू फर्म एक श्रृंखला के भीतर आला मध्यवर्ती गतिविधियों में विशेषज्ञता प्राप्त कर बाजार में प्रवेश कर पाता है और साथ ही आपूर्तिकर्ता उत्पादन को उनके उद्योगों के उच्चतर-मूल्य वर्गों में अपग्रेड करने के योग्य बन पाता है। इससे अर्थव्यवस्थाओं में तुलनात्मक लाभ, उत्पादकता वृद्धि एवं विकास का स्तर बेहतर होता है।

जीवीसी के जरिए बृहद् सीमा-पार संबद्धता बाह्य व्यवसाय चक्र संबंधी हानियों के प्रति व्यापार की संवेदनशीलता को बढ़ाता है (गेंजनिसेट अल. 2014)। चूंकि विश्व धीरे-धीरे एक ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ रहा है जिसमें जीवीसी व्यापार पहले की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखता है, इसलिए विश्व की आर्थिक गतिविधि के संबंध में वैश्विक व्यापार के लचीलेपन में अन्ततोगत्वा वृद्धि होने की संभावना है (एसकैथेट अल. 2010)। इस संदर्भ में, देश-विशिष्ट व्यापारगत लचीलेपन का आकलन महत्त्व रखता है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय परिवेश में, जिसमें निर्यात प्रतियोगितात्मकता में प्रतिस्पर्धात्मक मौद्रिक नीति रख एवं विनिमय दर प्रभाव निहित हैं।

चार्ट 1: भारत की सीमा-पार व्यापार संबद्धता



(जारी...)

भारत के मामले में, वास्तविक गैर-तेल निर्यातों के वास्तविक विनिमय दर लचीलापन का आकार एक वर्ष से कम के अंतराल के साथ अनुमानतः 0.7 से 0.9 के दायरे में है, जबकि वास्तविक गैर-तेल निर्यातों का आय लचीलापन 2.1 से 2.7 है (जैन और तेवारी, 2014)। इसी प्रकार, आयात मात्रा प्रधान रूप से घरेलू मांग से प्रभावित पाई गई जबकि वास्तविक विनिमय दर के संबंध में उसका लचीलापन मोटे तौर पर 0.3 से 0.5 के दायरे में है। आय एवं विनिमय दर लचीलापन का अनुमान मोटे तौर पर भारत के संबंध में किए गए अन्य अध्ययनों के अनुसार है (सारणी 1)। समग्र रूप से कहें तो मार्शल-लेरनर स्थिति का समर्थन प्रतीत होता है, जो व्यापार शेष को वांछित स्तर तक ले जाने में विनिमय दर घट-बढ़ की दक्षता सूचित करती है।

पूरे विश्व के साथ व्यापार संबद्धताओं को बेहतर करने के लिए जीवीसी में भारत की सहभागिता में अवश्य सुधार होना चाहिए। नीतिगत फैसले एमएसएमई की बड़ी मौजूदगी वाले अमुक क्षेत्रों में समूह के विकास पर केंद्रित होना चाहिए जिससे वे वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में प्रभावी ढंग से जुड़ सकें। घरेलू फर्म जीवीसी के साथ एक दूसरे रास्ते के जरिए भी जुड़ सकते हैं, वह है संयुक्त उद्यम या कार्यनीतिपरक साझेदारी और इसके माध्यम से वे समन्वित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सीमा-पार विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवक एफडीआई से घरेलू फर्मों को पूंजी, प्रौद्योगिकी अंतरण एवं आर एंड डी क्षमताओं का लाभ मिलता है तथा जावक एफडीआई दुर्लभ कच्चा माल, दक्ष श्रम-शक्ति मुहैया कराने के जरिए एवं उत्पादन नेटवर्क में विस्तार कर उनकी लाभप्रदता को बढ़ाता है। फर्मों को चाहिए कि वे लाजिस्टिक्स, डिजाइन, असेंबली एवं आर एंड डी में विशेषज्ञता प्राप्त करें। इसलिए, आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि घरेलू फर्म गुणवत्तापूर्ण मानकों को प्राप्त कर सकें एवं उच्च मूल्यवर्धित क्रियाकलापों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें। सेवाओं (जैसे, बुनियादी संरचना एवं वायु परिवहन) की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है जिससे भारत जीवीसी में अपना हिस्सा बढ़ा सकेगा।

सारणी: 1 भारत के संबंध में किए गए प्रमुख अध्ययन

लेखक (को)	निष्कर्ष
हसिंग (2010)	मार्शल-लेरनर स्थिति रहती है
अजीज एवं चिनाय (2012)	निर्यात के लिए आर्ई (4.0) एवं ईआरई (0.6)
यूएनसीटीएडी (2013)	निर्यात के लिए आर्ई (1.9) एवं ईआरई (0.54)
पाण्डेय (2013)	मार्शल-लेरनर स्थिति रहती है
मोहन एवं कपूर (2014)	एक्स के लिए ईआरई (0.21 से 0.65) एवं एम के लिए (0.19 से 0.42)
रायस्सी एवं टुलीन (2015)	आर्ई (>1.5)

टिप्पणी: एक्स: निर्यात; एम: आयात; ईआरई: विनिमय दर लचीलापन; आर्ई: आय लचीलापन।

जीवीसी में अधिक से अधिक भागीदारी देश के व्यापार को वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों (अर्थात् मांग/आपूर्ति की स्थिति एवं विनिमय दर परिवर्तन) के प्रति अतिसंवेदनशील भी करता है। भारत की आय स्थितियों की तुलना में व्यापार की संवेदनशीलता एवं विनिमय दर परिवर्तनों को देखते हुए, नीतिनिर्माताओं को बाह्य झटकों विशेष रूप से पूंजी प्रवाहों; घरेलू मुद्रास्फीति और लाभप्रदता के स्तरों से परिचित होना चाहिए क्योंकि उनका वास्तविक प्रभावी विनिमय दर उतार-चढ़ावों पर महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकता है जिसका अंततः भारत के व्यापार शेष पर प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ:

अजीज, जहांगीर और साज्जिद चिनोय (2012), 'इंडिया: मोर ओपन दैन यू थिंक', आर्थिक अनुसंधान, जे.पी.मार्गन।

एस्कैथ, हुबर्ट, नेन्नेटि लिंदनबर्ग, एवं सेबैस्टिन निरौडॉट (2010), 'इंटरनेशनल सपलाई चैनस एंड ट्रेड इलास्टिसिटी इन टाइम्स आफ ग्लोबल क्राइसिस', आर्थिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी प्रभाग स्टाफ वर्किंग पेपर 2010-08, विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा।

गेन्जेस, बयराँन एस., अलहसन सी. मा एंड अरी वैन एस्की (2014), 'ग्लोबल वेल्यू चैनस एंड ट्रेड इलास्टिसिटीस', यूएचईआरओ वर्किंग पेपर सं. 2.

हसिंग, वार्ड. (2010), 'टेस्ट आफ दी मार्शल-लेरनर कंडीशन फार एईट सेलेक्टेड एशियन कंट्रीस एंड पालिसी इम्प्लीकेशन्स', ग्लोबल इकोनामिक रिव्यू, 39(1): 91-99.

जैन, राजीव और सौमश्री तेवारी, 'एस्टिमेशन आफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्वेशन्स फार इंडिया', फोर्थकमिंग, आरबीआई वर्किंग पेपर।

कपूर, मुनीश एंड राकेश मोहन (2014), 'इंडियास रीसेंट मेक्रोइकोनामिक परफार्मेंस: एन एसेसमेंट एंड वे फार्वर्ड', आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 14/68.

पाण्डेय, रीतेश (2013), 'ट्रेड इलास्टिसिटीस एंड दी मार्शल लेरनर कंडीशन फार इंडिया', ग्लोबल जर्नल आफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज, 3(4): 423-28.

रायस्सी, मेहदी एंड वोलोदिमिर टुलिन (2015), 'प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी आफ इंडियन एक्सपोर्ट्स - दी रोल आफ सपलाई - साइड बॉटलनेक्स', आईएमएफ वर्किंग पेपर सं. 15/161.


ओईसीडी (2014), इंडिया पालिसी ब्रीफ, नवंबर।

यूएनसीटीएडी (2013), इम्पेक्ट आफ दी ग्लोबल स्लोडाउन आन इंडियास एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लायमेंट। संयुक्त राष्ट्र, न्यू यार्क एवं जेनेवा।


साथ-साथ 20:80 योजना को वापस लेने एवं स्वर्ण आयात संबंधी अन्य प्रतिबंधों को हटाने के कारण हो सकती है।¹ साथ ही, मार्च और

अप्रैल 2015 में स्वर्ण आयातों में भारी वृद्धि, 2015-16 के केंद्रीय बजट में सीमा-शुल्क में कटौती की प्रत्याशा में पूर्व के माहों की दमित

¹ 1 13 मई 2013 को रिजर्व बैंक ने बैंकों के परेषण आधारित स्वर्ण आयातों पर रोक लगाया ताकि स्वर्ण आभूषण के निर्यातकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा किया जा सके, साथ ही 22 जुलाई 2013 को 20:80 योजना के अंतर्गत सभी नामित बैंकों/एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रत्येक स्वर्ण आयात समूह का कम-से-कम पांचवा भाग निर्यात के लिए उपलब्ध हो। 21 मई 2014 की तारीख से नामित बैंकों/एजेंसियों/प्रमुख या प्रसिद्ध ट्रेडिंग हाउस/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों/ निर्यात-उन्मुख इकाइयों को 20:80 योजना के अंतर्गत स्वर्ण आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी। स्वर्ण धातु ऋण योजना को मई 2014 से वापस लागू करने के साथ 20:80 योजना को नवंबर 2014 से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, परेषण आधार पर आयात वापस लागू किया गया।




मांग एवं अक्षय तृतीय के कारण मांग में भारी उछाल को भी दर्शाती है। स्वर्ण आयातों में प्रारंभ में कमी आने के बाद, जुलाई 2015 में फिर तेजी आई, क्योंकि गत चार वर्षों में स्वर्ण की कीमत गिरकर निम्नतम स्तर पर पहुंची, जिससे घरेलू खपत संबंधी मांग बढ़ी (चार्ट II.36)।



II.6.6 2014-15 में गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयातों में सामान्य वृद्धि हुई जो प्रमुख रूप से उद्योग की घरेलू आवश्यकताओं की बढ़ती है (चार्ट II.37)। कतिपय क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन में कमी आने के कारण भी लोहा एवं इस्पात, कच्चा लोहा, कोयला, नॉन-फेरस धातु, रसायन एवं मशीनरी के आयातों में वृद्धि हुई। विशेष रूप से, कोयला के आयातों में वृद्धि, ऊर्जा कंपनियों की उच्चतर आवश्यकताओं को दर्शाता है क्योंकि उसमें ऊर्जा की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता है। वनस्पति तेल के आयातों में घरेलू उत्पादन में कमी आने के कारण इजाफा हुआ। जुलाई 2015 तक चालू वित्तीय वर्ष में गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयातों में वृद्धि हुई, यद्यपि मंद गति से।

II.6.7 निर्यात में आयात से अधिक गिरावट आने के कारण पण्यों का व्यापार घाटा 2014-15 में 2013-14 के स्तर से सीमांत रूप से बढ़ा। तेल की कीमतों के गिरने से भारत का पीओएल व्यापार घाटा कम हुआ जबकि गैर-पीओएल व्यापार घाटा 2013-14 के 34.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 53.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (सारणी II.13)। तथापि, 2015-16 के प्रथम चार माहों (अप्रैल-जुलाई) में व्यापार घाटा 45.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 2014-15 की समान अवधि की अपेक्षा कम था।



सारणी II.13: पण्य व्यापार घाटा

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2014-15 (अ)		2013-14 (स)	
	मूल्य	वृद्धि	मूल्य	वृद्धि
1	2	3	4	5
निर्यात	310.5	-1.2	314.4	4.7
जिसमें से:				
पीओएल	57.0	-9.7	63.2	3.8
गैर-तेल	253.5	0.9	251.2	4.9
आयात	447.5	-0.6	450.2	-8.3
जिसमें से:				
पीओएल	138.3	-16.1	164.8	0.4
स्वर्ण	34.4	19.9	28.7	-46.7
गैर-तेल गैर-स्वर्ण	274.8	7.0	256.7	-5.9
व्यापार घाटा	-137.0		-135.8	
जिसमें से:				
पीओएल	-81.3		-101.6	
गैर-पीओएल	-55.7		-34.2	
मेमो मद:				
व्यापार घाटा	-6.7		-7.2	
जीडीपी के % के रूप में				
स्रोत: डीजीसीआई एंड एस				
टिप्पणी: पी: अर्नतिम, आर: संशोधित, पीओएल: पेट्रोलियम, तेल, लूब्रिकेंट्स। एनओएनजी : गैर-तेल गैर-स्वर्ण				

चालू खाता घाटा

II.6.8 सेवाओं के निवल निर्यात में वृद्धि पण्यों के व्यापार घाटे (बीओपी आधारित) की भरपाई कर देती है। अमरीका में बेहतर

वृद्धि, प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक अपनाए जाने एवं रुपए की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूत स्थिति के कारण भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात लाभान्वित प्रतीत होता है, यद्यपि यूरो की तुलना में रुपए की मूल्यवृद्धि और कमजोर मांग से यूरो क्षेत्र को किए गए सॉफ्टवेयर निर्यात में गिरावट आई होगी। यात्रा संबंधी सेवाओं के निवल निर्यात में गिरावट आई जो प्रमुख रूप से शिक्षा, चिकित्सा कारण एवं अवकाश के लिए प्राप्त व्यक्तिगत सेवाओं के संबंध में किए गए उच्चतर भुगतान के कारण है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट आने के बावजूद, विप्रेषणों के प्रवाह में स्थिरता बनी रही।

II.6.9 भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) गत वर्ष के 1.7 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में जीडीपी का 1.3 प्रतिशत रह गया। आगे चलकर सीएडी को वहनीय स्तर पर बनाए रखना, पण्य-निर्यात में प्रतिवर्तन पर निर्भर करेगा। इसमें बुनियादी संरचना एवं अन्य महत्वपूर्ण इनपुट्स के संदर्भ में घरेलू आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने को प्राथमिकता देना भी शामिल होगा, जिसमें सक्रिय नीतिगत मध्यक्षेपों के जरिए अग्रणी क्षेत्रों के व्यापक समूह में लाभप्रदता एवं प्रतियोगितात्मकता को बहाल करना शामिल है (बॉक्स II.7)।

चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

II.6.10 2014-15 के दौरान, भारत निजी पूंजी प्रवाहों का पसंदीदा गंतव्य-स्थान बना, जो बुनियादी धारणाओं, केंद्र में दृढ़ सरकार बनने

बॉक्स II.7

भारत की नव विदेश व्यापार नीति 2015-2020

1 अप्रैल 2015 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत को 2020 तक विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण सहभागी बनाने और देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रकटीकरण में एक नेतृत्व का स्थान दिलाने की दृष्टि से विदेश व्यापार नीति 2015-2020 (एफटीपी) की घोषणा की गई। एफटीपी भारत में 'व्यापार क्रिया को और सरल' करने की दृष्टि से निर्यात और आयात संबंधी नियमों, प्रक्रियाओं एवं प्रोत्साहनों को अन्य पहलों (उदाहरण के लिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल्स इंडिया) के साथ जोड़ता है। एफटीपी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भारत के पण्य एवं सेवा निर्यात को 2013-14 के 465.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 2019-20 में 900 बिलियन अमरीकी डॉलर करना और उसी अवधि के दौरान विश्व निर्यात में भारत के हिस्से को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत करना।

- प्रोत्साहन स्वरूप को सरल करने के उद्देश्य से बहु योजनाओं के स्थान पर एक नई योजना, अर्थात्, भारत से पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस), का शुभारंभ करना।
- व्यापक दायरे वाली एक नई योजना, अर्थात्, भारत से सेवा निर्यात (एसईआईएस) शुरू करना जो न केवल 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' को अपितु ज्वारत में कार्यरत सभी सेवा प्रदाताओं को लाभान्वित करेगा।
- एमईआईएस एवं एसईआईएस के अंतर्गत निर्यातकों को प्राप्त होने वाले ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रयोग के संबंध में अंतरणीयता एवं अत्यधिक लचीलापन के लिए अनुमति प्रदान करना।
- कुल वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जहां निर्यात में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने की जरूरत है वहां घरेलू विनिर्माण क्षमताओं एवं संभाव्य


(जारी...)

मांग वाले क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) को प्राथमिकता देना।

- अन्य क्षेत्र जहां निर्यात की अधिक संभावना पाई गई, वह है - इंजीनियरिंग, चमड़ा, कपड़ा, चिकित्सा संबंधी उपकरण, प्राकृतिक संसाधन आधारित मर्चे, रत्न एवं आभूषण, कृषि उत्पाद और रक्षा उपकरण।
- विश्व आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की सहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देना। राज्य सरकारों/अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण अपनाया जाना।
- तीन वर्षों के लिए चिन्हित क्षेत्रों से निर्यात के लिए ब्याज अनुदान योजना के पुनः प्रवर्तन का संकेत, यद्यपि क्षेत्रवार कवरेज एवं ब्याज दर अनुदान के बारे में सूचित नहीं किया है।
- भारत में आसानी से व्यापार करने हेतु रात-दिन सात-दिन माहौल में कागजरहित कार्य की दिशा में विचार करना।


नई एफटीपी के अंतर्गत, सरकार ने नई योजनाओं के दायरे में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को शामिल किया है। यद्यपि, 2019-20 हेतु माल एवं सेवाओं के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, लेकिन प्रमुख व्यापार भागीदार अर्थव्यवस्थाओं में मांग स्थितियां अनुकूल


होनी चाहिए और घरेलू बाधाओं (बुनियादी संरचना एवं नीति, दोनों के संदर्भ में) को पर्याप्त रूप से कम किए जाने की आवश्यकता है। यदि विश्व की अर्थव्यवस्था आईएमफ (2015) द्वारा जताई गई संभावनाओं के अनुसार 2009-14 अवधि की अपेक्षा 2015-19 के दौरान तेजी से वृद्धि करती है, तो भारत का निर्यात गत वर्ष की तुलना में बेहतर होगा। फिर भी, निर्यात को 2019-20 तक 900 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए एफटीपी अवधि (2015-16 से 2019-20) के दौरान लगभग 14 प्रतिशत उच्चतर काम्पाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएआरजी) की आवश्यकता है, जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है (चार्ट 1)।



के कारण उत्पन्न आशावादिता एवं अनुकूल माहौल में विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों की व्यापार संबंधी भावनाओं में पुनरुत्थान की बदौलत प्रत्याशाओं में सुधार के कारण संभव हो पाया। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों की वजह से चलनिधि की प्रचुरता, लाभ के लिए अनवरत खोज की दिशा में एक प्रेरणादायी कारक के रूप में भी उभरी। मात्र गैर-ऋण आधारित पूंजी प्रवाह प्रवाह द्वारा वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ती की गई (चार्ट II.38)। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी एवं डेट बाजार में लगभग 41 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया जिसकी वजह से भारत उभरते बाजारों में सबसे आकर्षक गंतव्य-स्थान बना। इसके अतिरिक्त, नीतिगत निश्चितता की बदौलत बेहतर बिजनेस माहौल निर्माण करने की दिशा में की गई पहलों की वजह से निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह तेजी से बढ़ा। विशेष रूप से, कतिपय क्षेत्रों में एफडीआई संबंधी मानदंडों में शिथिलता बरतना, प्राकृतिक संसाधनों का आबंटन, सब्सिडी व्यवस्था, वित्तीय समावेशन, युवाओं के लिए

नौकरी एवं रोजगार निर्माण और बेहतर एवं गैर-प्रतिकूल कर प्रशासन को ध्यान में रखते हुए नीति संबंधी उपाय किए गए। भारत में एफडीआई का प्रवाह, विनिवेशों को छोड़कर, 2008-09 के बाद





सर्वाधिक था (चार्ट II.39)। सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं, खुदरा एवं थोक व्यापार की वजह से एफडीआई प्रवाह, मुख्य रूप से, विनिर्माण क्षेत्र में हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में, परिवहन उपकरण एवं रसायन क्षेत्र प्रमुख प्राप्तकर्ता थे और

2014-15 में कुल एफडीआई लगभग 50 प्रतिशत था। गत वर्ष की अपेक्षा 2014-15 के दौरान एनआरआई जमाराशियों में अंतर्वाह एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में अंतर्वाह सामान्य रहा, जो पूर्व की नीति प्रेरित अंतर्वाह को दर्शाता है। निवल पूंजी प्रवाह का सीएड से ख़ासा बढ़ने के कारण आरक्षित निधि में बीओपी आधार पर 61.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर की शुद्ध अभिवृद्धि हुई (अर्थात् मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर)।

बाह्य स्थिरता

II.6.11 बाह्य डेट स्टॉक में निम्नतर अभिवृद्धि एवं विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का निर्माण, इन दोनों की वजह से बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों में 2014-15 में काफी सुधार हुआ। बाह्य दायित्वों के निर्वाह में महत्वपूर्ण डेट एवं आरक्षित निधि संबंधित बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों की योग्यता में सुधार हुआ। मार्च 2015 के अंत में आयात कवर अनुपात बढ़कर 8.9 माह हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि डेट (वास्तविक एवं अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा) का अनुपात एवं आरक्षित निधियों की तुलना में कुल बाह्य डेट अनुपात घटा (सारणी II.14)।

सारणी II.14: भारत के बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक

(प्रतिशत जब तक अन्यथा नहीं दर्शाया गया)

संकेतक/ अनुपात	मार्च 2011 के अंत में	मार्च 2012 के अंत में	मार्च 2013 के अंत में	मार्च 2014 के अंत में	मार्च 2015 के अंत में
1	2	3	4	5	6
1 जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात	18.2	20.9	22.3	23.6	23.8
2 कुल ऋण (वास्तविक परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि ऋण	20.4	21.7	23.6	20.5	17.8
3 कुल ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि ऋण #	40.6	40.9	42.1	39.6	38.9
4 कुल ऋण की तुलना में रियायती ऋण	14.9	13.3	11.1	10.4	8.8
5 कुल ऋण की तुलना में आरक्षित निधियां	95.9	81.6	71.3	68.2	71.8
6 आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि ऋण	21.3	26.6	33.1	30.1	24.8
7 आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) #	42.3	50.1	59.0	57.4	54.2
8 आयात संबंधी आरक्षित निधि कवर (माहों में)	9.5	7.1	7.0	7.8	8.9
9 ऋण-चुकता अनुपात	4.4	6.0	5.9	5.9	7.5
10 बाह्य ऋण (बिलियन अमरीकी डॉलर)	317.9	360.8	409.4	446.3	475.8
11 निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-207.0	-264.7	-326.7	-336.8	-363.0
12 एनआईआईपी/ जीडीपी अनुपात *	-12.1	-14.4	-17.8	-17.8	-18.1
13 सीएडी/ जीडीपी अनुपात	2.8	4.2	4.8	1.7	1.3


टिप्पणी: #: आरबीआई अनुमान, *: अमरीकी डॉलर पर आधारित

विनिमय दर में घट-बढ़

II.6.12 वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर अधिकांश अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में काफी मजबूत हुआ। तथापि, भारतीय रुपए का मूल्य अमरीकी डॉलर की तुलना में मामूली रूप से घटा लेकिन उसी तरह अन्य प्रमुख मुद्राओं, यथा, यूरो, जीबीपी एवं जापानी येन, की तुलना में उसका मूल्य काफी बढ़ा, जो इन अर्थव्यवस्थाओं की कमजोर आर्थिक संभावना एवं इनकी अति-उदार मौद्रिक नीतियों को दर्शाता है। भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों की तुलना में सांकेतिक संदर्भ में विद्यमान मुद्रास्फीति अंतर एवं रुपए का अधिमूल्यन, 2014-15 के दौरान रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में, औसतन 6 एवं 36 मुद्रा समूहों के लिए क्रमशः 6.1 प्रतिशत एवं 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुपए की विनिमय दर में पूर्व की अवधि की अपेक्षा 2014-15 एवं 2015-16 में अब तक कम अस्थिरता भी पाई गई (चार्ट II.40)।

II.6.13 इसके अलावा, बाह्य क्षेत्र स्थिरता पर बारीकी से निगरानी रखने की जरूरत है, विशेष रूप से वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता, प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियों की समकालिकता और विशेषकर व्यापक रूप से प्रत्याशित अमरीकी ब्याज दर के हटने एवं वर्तमान उच्च भू-राजनीतिक जोखिमों की विशेषता युक्त वैश्विक परिवेश में। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 2015-16 की पहली तिमाही में सामान्य स्तर पर रही एवं अति आपूर्ति और कमजोर मांग के कारण अगस्त 2015 में यह तेजी से गिरी, फिर भी वर्ष के शेष भाग में अनुकूल परिस्थितियों के जारी रहने में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

चार्ट II.40: भारतीय रुपए में दैनिक घट-बढ़ में अस्थिरता (30 दिन का चल औसत)



II.6.14 भारत के मामले में देखें तो, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में प्रत्येक 1 अमरीकी डॉलर वृद्धि से निवल पीओएल बिल में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि होती है। दूसरा, स्वर्ण आयात संबंधी उपायों को हटाए जाने से स्वर्ण आयात की मांग बढ़ती प्रतीत होती है। 2014-15 में 38.5 प्रतिशत एवं अप्रैल-मई 2015 में 34.3 प्रतिशत की वृद्धि (मात्रा के संदर्भ में) इसका प्रमाण है। तीसरा, इस पृष्ठभूमि में बाह्य क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि उत्पाद एवं बाजार, दोनों के संदर्भ में निर्यात पर नए सिरे से जोर दिया जाए। निर्यात विविधता ने सुस्त वैश्विक आर्थिक हालातों का सामना करने के लिए इन्सुलेशन का साधन उपलब्ध कराया है और इसका कड़ाई से अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि लचीलेपन को सुदृढ़ किया जा सके एवं बाह्य झटकों के स्पिलओवर को कम किया जा सके।

भाग दो - भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्य प्रणाली और परिचालन

III

मौद्रिक नीति परिचालन

भारत में मौद्रिक नीति का परिचालन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (एफआईटी) ढांचे में परिवर्तित हो रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान, मौद्रिक नीति ढांचे के संबंध में रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईटी की औपचारिक संरचना तैयार की गई। परिवर्ती दर टर्म रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी पर आधारित सक्रिय चलनिधि परिचालनों को लागू करने के लिए चलनिधि प्रबंध ढांचे में संशोधन किया गया जिससे भारित औसत कॉल दर के साथ तारतम्य बनाया जा सके अर्थात् परिचालनगत लक्ष्य नीतिगत दरों के आसपास रखे जा सके। मुद्रास्फीतिकारक दबावों में हो रही कमी, मुद्रास्फीति परिदृश्य में कम हो रहे जोखिम तथा विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जनवरी-अगस्त 2015 के दौरान रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कुल 75 आधार अंकों की कटौती करते हुए अपने मौद्रिक नीति रुख में नरमी लाया।

III.1 2013-14 में अवस्फीति में हुई शुरुआत को बनाए रखते और मूल्य स्थिरता को प्रमुखता प्रदान करते हुए एक मजबूत और पारदर्शी संस्थागत ढांचा गठित करने के जरिए 2014-15 में रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति तैयार करने और उसे संचालित करने में स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों से बड़े (अधिभावी) लक्ष्यों को स्थापित किया। ये सब उच्चतर आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने की आवश्यक पूर्वापेक्षा के रूप में स्थायी आधार पर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के उसके मध्यावधि विज्ञान की पहली नींव हैं।

मौद्रिक नीति की संस्थागत संरचना में परिवर्तन

III.2 वर्ष 2014-15 में मौद्रिक नीति के परिचालन में मूलभूत परिवर्तन हुए। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पिछले वर्ष इसमें अनेक संस्थागत और परिचालनगत नवोन्मेष किए गए ताकि इसमें व्यवस्थागत परिवर्तन किया जा सके। इसमें द्विमासिक नीति समीक्षाओं के माध्यम से बेहतर संवाद; चलनिधि तक पहुंच की कमी को दूर करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा भी (एलएएफ) के अधीन एक दिवसीय नियत दर रेपो के माध्यम से

मियादी रेपो की शुरुआत करना; और मौद्रिक नीति के संचालन के लिए सांकेतिक स्थिरक के तौर पर हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को अपनाया जाना शामिल है। इस पृष्ठभूमि में, 2014-15 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (एफआईटी) ढांचे की ओर बढ़ने का निर्बाध रूप से प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती बन गया है। जनवरी 2014 में घोषित दिशा के अनुरूप अवस्फीति को सुनिश्चित करने के लिए तब तक मुद्रास्फीति-निवारक मौद्रिक नीति रुख बनाये रखना आवश्यक है जब तक मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में ऊर्ध्वगामी जोखिमों को नियंत्रित न कर लिया जाए। मौद्रिक नीति में अत्यधिक पारदर्शिता ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) को प्रकाशित करना आवश्यक बना दिया। मौद्रिक नीति के संचरण को और अधिक प्रभावशाली बनाने की परिस्थितियां तैयार करने के लिए क्षेत्र विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं शुरू की गईं। नीलामी के माध्यम से बाजार-आधारित चलनिधि परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए एक नए चलनिधि प्रबंधन ढांचे का निर्माण करना होगा, साथ ही मौद्रिक नीति के रुख के साथ चलनिधि की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्रणामी सर्वेक्षणों के अलावा, पूर्वानुमानों और नीति विश्लेषण मॉडलों के माध्यम से तकनीकी अनुसंधान को मजबूत

बनाने की आवश्यकता ने महत्ता पायी है ताकि अनिश्चितता के माहौल में निर्णय लेने में आसानी हो।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

निर्धारित दिशा के अनुरूप अवस्फीति

III.3 रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014-15 में मौद्रिक नीति परिचालन को दिशा देने के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया है। सबसे पहले, जनवरी 2014 में अवस्फीतिकारक मार्ग की घोषणा की गई ताकि जनवरी 2015 तक सीपीआई मुद्रास्फीति को 8 प्रतिशत से नीचे तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से नीचे लाया जा सके। दूसरे, रिजर्व बैंक ने सितंबर 2014 में संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को लागू किया जिसके कारण चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में लचीलापन और पारदर्शिता आयी, साथ ही रेपो दर या इसके बहुत नजदीक भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) को स्थिर करते हुए मुद्रा बाजार में मजबूत संचरण को भी ध्यान में रखा गया। तीसरे, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच फरवरी 2015 में एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए जो एफआईटी और संबंधित संस्थाओं के अनुरूप मौद्रिक नीति परिचालनों को संचालित करने तथा जवाबदेह प्रक्रियाओं के लिए एक औपचारिक संरचना उपलब्ध कराता है।

III.4 खाद्य की कीमतों पर सामान्य से कम बारिश और अभी भी अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बनी हुई ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति के समक्ष आ रही बढ़ते जोखिमों से बचाव के लिए वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी गईं। सितंबर 2013-जनवरी 2014 के दौरान बढ़ाई गई दरों के अवस्फीतिकारक प्रभाव अर्थव्यवस्था में संचरित हुए जिससे मुद्रास्फीति पर दबाव कम हुआ। सुस्त आर्थिक गतिविधि संबंधी चिंताओं के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में क्रमिक रूप से कटौती किया जाना आवश्यक हो गया ताकि उत्पादक क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रदान करने में बैंकों को और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके।

III.5 दूसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति-निवारक नीतिगत रुख पर कायम रहने के फलस्वरूप मुद्रास्फीति में नरमी आयी और अन्य कारक भी इस नरमी के लिए जिम्मेदार रहे। इस नरमी के परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति के रुख में सहजता लाने का मौका मिला।

अस्थायी आधारभूत प्रभावों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आने के अलावा पण्य की कीमतों, विशेषकर कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में जून 2014 और जनवरी 2015 के बीच लगभग 57 प्रतिशत की तेज गिरावट आयी जिसके कारण अवस्फीति में वृद्धि हुई। इसके अलावा, परिवहन, संचार और घरेलू आवश्यक वस्तुओं के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में स्थायी गिरावट के संकेत मिले थे जो यह दर्शाते हैं कि गैर-व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतें नीतिगत प्रयोजनों के अनुकूल हैं। जोखिमों के संतुलन और अवस्फीति की स्थिति बने रहने पर स्पष्ट आकलन की अपेक्षा में दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी गईं।

III.6 जनवरी 2015 के लिए मुद्रास्फीति 8 फीसदी के लक्ष्य से लगभग 300 आधार अंक नीचे रही। इसके अलावा, जनवरी 2015 तक मजबूत अवस्फीतिकारक प्रक्रिया के जोर पकड़ने के अच्छे संकेत आ रहे थे। उदाहरण के लिए, सितम्बर 2009 के बाद पहली बार अगले तीन महीने और एक वर्ष की घरेलू मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं घटकर एकल अंक में रह गईं। 15 जनवरी 2015 को नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए 7.75 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, निरंतर बनी हुई अवस्फीति और उच्च गुणवत्ता वाले राजकोषीय समेकन को देखते हुए मौद्रिक नीति से संबंधित कार्रवाई की गई।

III.7 नये सीपीआई की आधार-अवधि को 2012 कर दिया गया, जिसे 12 फरवरी 2015 को जारी किया गया और यह अर्थव्यवस्था में प्रबल अवस्फीति प्रभाव की पुष्टि करता है। मुद्रास्फीति में गिरावट आने के साथ कम अंतराल में ही मौद्रिक नीति के रुख में परिवर्तन को प्रभावी करने की पूर्वशर्त को कार्यान्वित किया गया और 2015-16 का केंद्रीय बजट राजकोषीय सादगी के बारे में एक नए सिरे से मध्यम अवधि की प्रतिबद्धता के साथ 2014-15 के लिए राजकोषीय समेकन पर प्रगति पर एक यथार्थपरक समय सीमा का संकेत देता है। मार्गदर्शन के अनुरूप ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य नीति समीक्षा अवधि से बाहर मार्च 2015 में रेपो दर में कटौती कर इसे 7.50 प्रतिशत करने की घोषणा की। क्षमता का कम उपयोग और उत्पादन और ऋण उठाव में निरंतर कमजोरी को देखते हुए मौद्रिक

निभाव के लिए उपलब्ध अवसर का उपयोग के लिए पहले से लागू नीतिगत कदमों को जारी रखने का फैसला किया गया।

III.8 7 अप्रैल 2015 को घोषित वर्ष 2015-16 के नीति संबंधी पहले द्विमासिक वक्तव्य में टिप्पणी की गई थी कि आगे से मौद्रिक नीति एक क्रमिक और टिकाऊ अवस्फीति पर केंद्रित होगी और हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति को जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत और 2017-18 के अंत तक 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। चिन्हित बढ़ते जोखिमों में सामान्य से कम बारिश की संभावना, सब्जी और फलों की मौसमी कीमतों में बहुत अधिक अंतर, प्रशासित मूल्य में अपेक्षा से बहुत अधिक संशोधन, भू-राजनैतिक जोखिम के कारण पण्य की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी, और विनिमय दर और परिसंपत्ति मूल्य के माध्यम से बाहरी प्रभाव-विस्तार शामिल हैं। नकारात्मक अपस्फीतिकारी/अवस्फीतिकारी प्रवृत्तियों से पण्यों की वैश्विक कीमतों में नरमी और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण उर्ध्वार्धर जोखिम बेतर होता है। तदनुसार, प्रमुख नीति दरें अपरिवर्तित रखी गईं और पूर्व में नीति दरों में की गई कटौती का असर बैंकों की उधार दरों में कटौती के तौर पर दिखायी दिया जाना बाकी है।

III.9 2 जून, 2015 की दूसरी द्विमासिक नीति वक्तव्य यह पुष्टि करता है कि अनुमानित मार्ग पर ही हेडलाइन मुद्रास्फीति आगे बढ़ा जबकि आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी बनी रही। अतः मध्यावधि अवस्फीति लक्ष्यों को पूरा करने में जोखिम पर अधिक स्पष्टता के लिए अतिरिक्त आंकड़ों का इंतजार करते हुए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 7.25 प्रतिशत कर दिया गया।

III.10 2015-16 की अब तक की गतिविधियों और जोखिम संतुलन के साथ-साथ जून की फ्रंट-लोड नीति संबंधी कार्यों को ध्यान में रखते हुए 04 अगस्त 2015 की तीसरी द्विमासिक नीति में मौद्रिक नीति के उदार रुख को बनाए रखते हुए नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा गया। विवरण के अनुसार अल्पावधि वास्तविक जोखिम मुक्त दरों को आवास और ऑटोमोबाइल जैसे ब्याज दर संवेदनशील उपभोक्ता वर्गों की उधारी का सहयोग प्राप्त हुआ और

चूंकि फ्रंट लोड पूर्व कार्यों का व्यापक अंतरण लंबित था, इसलिए अधिक उदारता हेतु उभरती संभावनाओं के लिए गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।

मुद्रा बाजार में बेहतर संचरण

III.11 मौद्रिक नीति की परिचालन रूपरेखा यह स्पष्टता प्रदान करती है कि नीति आवेग दर अर्थात् रेपो दर में परिवर्तन होने पर मौद्रिक नीति के उद्देश्य कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मुद्रास्फीति के लक्ष्यों के साथ नीतिगत दर से जोड़ने के लिए आवश्यक है कि एक व्यवस्थित और स्थिर संचरण मार्ग हो, जिसमें नीति दर, परिचालन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य आपस में श्रृंखलाबद्ध हों और दैनिक आधार पर चलनिधि और मौद्रिक परिचालनों को दिशा प्रदान करने के लिए पारदर्शी नियम हों (अप्रैल 2015 के एमपीआर में बॉक्स IV.I देखें)। नीति दर के साथ मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य को संरेखित करने के लिए चलनिधि प्रबंधन महत्वपूर्ण है और इसलिए यह मौद्रिक संचरण के पहले चरण के लिए अत्यावश्यक है।

III.12 भारत में, फिलहाल भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है। मौद्रिक नीति के संचरण में लंबी और परिवर्ती अवधि को देखते हुए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान - अनुमानित बेसलाइन मुद्रास्फीति मार्ग - को मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मौद्रिक नीति को सक्रिय और प्रगतिशील बनाता है।

III.13 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप 2014-15 की तीसरी तिमाही में संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को लागू किया गया जिसका उद्देश्य चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को लचीला, पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाना है। संशोधित चलनिधि प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: (i) अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों की उपलब्धता के अधीन, बैंक की निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1 प्रतिशत तक केंद्रीय बैंक चलनिधि का एक्सेस कराना, जहां 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन संचालित एक दिवसीय स्थिर दर रेपो नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी और 0.75 प्रतिशत प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित 14 दिवसीय

परिवर्ती दर मीयादी रेपो नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी; (ii) एक दिवसीय से लेकर 28 दिनों की परिपक्वता वाली परिवर्ती दर रेपो/ प्रतिवर्ती रेपो नीलामी के माध्यम से परिचालनों को दुरुस्त करना; (iii) स्थायी चलनिधि असंतुलन के प्रबंधन के लिए तुरंत खुले बाजार परिचालन करना; और (iv) बैंक विशेष के अतिरिक्त एसएलआर और एसएलआर सीमा से 2 प्रतिशत कम की राशि तक एक दिवसीय सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उपलब्ध कराना।



III.14 संशोधित ढाँचे से यह अनिवार्य हो गया कि रिजर्व बैंक चलनिधि प्रबंधन के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाये, अर्थात्, दैनिक/अंतर्दिवसीय आधार पर प्रणालीगत स्तर के चलनिधि के असंतुलन का आकलन करना, चलनिधि आयोजना में सुस्पष्टता लाने के लिए बाजार को और अधिक सूचना उपलब्ध कराना और प्रतिरोधक और संरचनागत चलनिधि असंतुलन में सक्रियता के साथ कमी लाना था।

III.15 संशोधित ढाँचे को लागू करने के बाद से, डब्ल्यूएसीआर रेपो दर के आस-पास रही, जो मौद्रिक नीति संचालन के सटीकता की ओर संकेत करता है। बैंकों की ओर से तिमाही में अग्रिम कर

भुगतान में बढ़ोतरी और किए जाने वाले विंडो ड्रेसिंग तुलनात्मक तौर पर समाप्त ही हो गए हैं और इनके आस-पास बढ़ोतरी के हमारे पिछले अनुभवों में बहुत अधिक बदलाव आए हैं (चार्ट III.1)।

III.16 विशेषज्ञ समिति ने माना है कि भारत में बाजार-आधारित बेंचमार्क विकसित करने से जमाराशियों और ऋण की कीमतें नीति रिपो दर में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं और जिससे मौद्रिक संचरण में यह मददगार होगी। 14-दिन मीयादी रेपो (सप्ताह में दो बार) का नियमित रूप से नीलामी बाजार सहभागियों को लंबे समय के लिए प्राथमिक चलनिधि का उपयोग करने के लिए अनुमति देते हैं। इस लचीलेपन का उद्देश्य बाजार आधारित मीयादी मुद्रा बेंचमार्क को आगे लाने में मदद करना है।

III.17 संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचा प्रारंभ करने के बाद वर्षांत में हुए अंतर को छोड़कर 14-दिवसीय मीयादी रेपो दर और एक दिवसीय रेपो दर के बीच स्प्रेड में उल्लेखनीय कमी आयी है (चार्ट III.2)। सीमांत लागत मूल्यन सिद्धांत पर आधारित पारदर्शी बाह्य बेंचमार्क को स्थापित करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना अभीष्ट है (पैरा III.31 देखें)।



III.18 बैंकिंग परिचालनों के सुचारु संचालन के लिए रिजर्व बैंक ने 21 फरवरी 2015 से शनिवार को एमएसएफ और रिवर्स रेपो विंडो तक पहुंच की अनुमति दी है। इसे जानते हुए कि नियत रेपो दर पर क्षेत्र विशेष को पुनर्वित्त सुविधाएं संचरण प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं, वर्ष के दौरान निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा को क्रमशः समाप्त किया गया और इसके स्थान पर 7 फरवरी 2015 से प्रणाली स्तरीय चलनिधि का प्रावधान किया गया।

III.19 मार्च 2015 में चलनिधि ढांचे की परीक्षा हुई क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में तुलनपत्र में बढ़ोतरी और वर्षांत प्रतिफलों के कारण रिजर्व बैंक के पास सरकार और बैंकों के नकदी शेष में बढ़ोतरी हो गई, फलस्वरूप चलनिधि की मात्रा में कमी आयी। अप्रैल 2015 में, इन नकदी शेषों की स्थितियां उलट गयीं और नकदी शेष में अत्यधिक कमी आई और इससे अंतर बैंक बाजार में बड़ी मात्रा में चलनिधि उपलब्ध हो गई। रिजर्व बैंक ने इन उतार-चढ़ावों का प्रबंधन किया लेकिन चलनिधि का संतुलन बनाये रखने के लिए 7 दिवसीय, 2/3 दिवसीय और एक दिवसीय रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से बड़ी मात्रा में चलनिधि संचालन किया। मध्य अप्रैल से प्रणाली की चलनिधि की आवश्यकताएं एनडीटीएल की लगभग 1 प्रतिशत की सीमा में रहीं, जिसका प्रबंधन एक दिवसीय और मीयादी रेपो/ रिवर्स रेपो की अतिरिक्त परिवर्ती दर के माध्यम से किया गया। सरकार के व्यय में बढ़ोतरी के साथ जून और जुलाई में चलनिधि की स्थिति में काफी सुधार आया। रिजर्व बैंक ने परिवर्ती शर्तों की परिवर्ती दर वाली रिवर्स रेपो नीलामियों के माध्यम से अतिरिक्त चलनिधि की मात्रा को कम किया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई 2015 के ओएमओ बिक्री के जरिए लगभग ₹82.7 बिलियन की अतिरिक्त चलनिधि को प्रणाली से सोख भी लिया है।

मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित समझौता

III.20 भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने 20 फरवरी 2015 को मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता मूल्य स्थिरता को मौद्रिक नीति का प्रथम उद्देश्य बनाता है; मूल्य स्थिरता को अंकीय रूप में परिभाषित करता है - वर्ष 2015-16 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत से कम

(जनवरी 2016 तक प्राप्त किया जाना है) और आगामी वर्षों में 4 +/-2 प्रतिशत; लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता संबंधी कारणों का बताना; और विफलता की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को भेजे जाने वाली रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने वाले निम्नलिखित तथ्य निर्दिष्ट करता है-(क) लगातार तीन तिमाहियों में लक्ष्य की तुलना में मुद्रास्फीति के विचलन का कारण (ख) सुधार के उपाय और (ग) मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक वापस लाने के लिए अनुमानित समय सीमा।

III.21 यह समझौता भारत में मूलभूत संस्थागत सुधार को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह रिजर्व बैंक को पारदर्शिता, पूर्वानुमान और उत्तरदायित्व के साथ लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) के लिए अधिदेश देता है। इस समझौता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी इस ढांचे की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, राजकोषीय समेकन और आपूर्ति प्रबंधन की प्रक्रिया के प्रति विश्वास जगाती है और ये दोनों मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट और पारदर्शिता

III.22 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सितंबर 2014 में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) का प्रथम अंक जारी किया गया, जिसमें मध्यावधि दृष्टिकोण और विभिन्न प्रकार के संभावित आघातों के बीच जोखिम संतुलन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मौद्रिक नीति रिपोर्ट के प्रकाशन से भारत उन देशों की पंक्ति में शामिल हो गया है, जो जनता की समझ के लिए और मौद्रिक नीति के निर्माण और उसके परिचालनों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और बेहतर संवाद पर बल देते हैं (बॉक्स III.1)।

III.23 दिसंबर 2014 के पाँचवें द्विमासिक नीति वक्तव्य में दिए गए भावी मार्गदर्शन में यह संकेत दिया गया था कि अवस्फीति संबंधी प्रत्याशाओं में नरमी, राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता और मात्रा, प्रमुख इनपुट की आपूर्ति बढ़ाने संबंधी कदम और अधिक व्यापक रूप में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए रुके हुए निवेशों को अनलॉक करने के साथ यदि प्रत्याशित पथ पर ही अवस्फीति

बॉक्स: III.1

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - मुद्रास्फीति लक्ष्य का प्रसार माध्यम

मुद्रास्फीति लक्ष्य (आईटी) ढांचे को इस प्रतिबद्धता के साथ बनाया गया है कि एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के स्तर पर एक निश्चित और स्पष्ट रूप से संप्रेषित संख्यात्मक लक्ष्य लंबी अवधि में मुद्रास्फीति को स्थिर करने में सहायक होगा। इस ढांचे के सफल होने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य के नजदीक मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर रखकर इसके साख का निर्माण किया जाए। इसके लिए केंद्रीय बैंक और जनता के बीच एक प्रभावी संवाद रणनीति की आवश्यकता है। इस संवाद रणनीति का मूल तत्व मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान उपलब्ध कराना, इन पूर्वानुमान के लिए मजबूत विश्लेषण प्रदान करना और केंद्रीय बैंक द्वारा लिए गए नीति निर्णयों में निहित तर्क की जानकारी देना है। इसलिए ढांचे की विश्वसनीयता निर्माण और इसे अक्षुण्ण रखने में उच्च गुणवत्तायुक्त रिपोर्ट्स में अत्यधिक पारदर्शिता को आवश्यक तत्व माना गया है (सर्वेशन 2002)। नतीजतन, जो केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाते हैं, वे मौद्रिक नीति को पारदर्शी, सुबोध और उम्मीद के मुताबिक बनाने के उद्देश्य से आमतौर पर मुद्रास्फीति या मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रकाशित करते हैं, और इसलिए जहां तक संभव है, इसे विश्वसनीय बनाते हैं (सारणी 1)।

वास्तव में, विगत कुछ वर्षों से पारदर्शिता और संप्रेषण मौद्रिक नीति के प्रभावी और सफल संचालन की एक अपरिहार्य शर्त है; यहां तक कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य नहीं बनाने वाले केंद्रीय बैंक जैसे फेडरल रिजर्व भी एमपीआर के माध्यम से संवाद करते हैं।

भारत में, मौद्रिक नीति के ढांचे को संशोधित और मजबूत करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, अप्रैल 2014 से पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य से मौद्रिक नीति ढांचा का अब लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया। इस परिवर्तन के साथ, सितंबर 2014 से

छमाही मौद्रिक नीति रिपोर्ट लागू किया गया। एफआईटी ढांचे को औपचारिक रूप से अपनाने के बारे में फरवरी 2015 में भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौते के फलस्वरूप अब रिजर्व बैंक के लिए छमाही रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया है जिसमें मुद्रास्फीति के स्रोत के बारे में व्याख्या करनी होगी और अगले छह महीने से लेकर अगले 18 महीने तक की मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाना होगा। समझौते के तहत पहली रिपोर्ट अप्रैल 2015 में दूसरी मौद्रिक नीति रिपोर्ट के तौर पर प्रकाशित हुई। मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले अन्य देशों की तरह यह प्रयास है कि भारत में मौद्रिक नीति के संचालन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट को संवाद का एक मुख्य साधन बनाया जाए। यह मौद्रिक नीति रिपोर्ट रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य के लिए किए गए आकलन के आधार पर समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन और बेसलाइन आकलनों और जोखिमों के संतुलन के साथ मॉडल आधारित पूर्वानुमान को सामने लाती है। यह रिपोर्ट आर्थिक और वित्तीय स्थितियों की विस्तृत मूल्यांकन भी करती है जो समग्र समष्टि- आर्थिक परिदृश्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

संदर्भ:

सर्वेशन, एल.ई.ओ. (2002), 'मॉनिटरी पॉलिसी एंड रियल स्टैबलाइजेशन', 'रिथिंगकिंग स्टैबलाइजेशन पॉलिसी : ए सिंपोजियम बाय द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कान्सास सिटी।ट एमओ : फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कान्सास सिटी'

भारतीय रिजर्व बैंक (2014), *मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट*, जनवरी।

सारणी 1: मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने वाले देश और मौद्रिक नीति रिपोर्ट का लक्ष्य

देश	रिपोर्ट	मुख्य उद्देश्य	देश	रिपोर्ट	मुख्य उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
आर्मेनिया	आईआर	पारदर्शिता	न्यूजीलैंड	एमपीएस	संवाद
ऑस्ट्रेलिया	एसएमपी	पारदर्शिता	नॉर्वे	एमपीआर	संवाद
ब्राजील	आईआर	पारदर्शिता	पेरू	आईआर	संवाद
कनाडा	एमपीआर	पारदर्शी संवाद	फिलीपींस	आईआर	पारदर्शिता
चिली	एमपीआर	पारदर्शी संवाद	पोलैंड	आईआर	संवाद
कोलंबिया	आईआर	पारदर्शिता	रोमानिया	आईआर	पारदर्शिता
चेक गणराज्य	आईआर	पारदर्शी संवाद	रूस	एमपीआर	पारदर्शिता
घाना	एमपीआर	पारदर्शिता	सर्बिया	आईआर	संवाद
ग्वाटेमाला	एमपीआर	पारदर्शिता	दक्षिण अफ्रिका	एमपीआर	पारदर्शिता
हंगरी	आईआर	पारदर्शिता	दक्षिण कोरिया	एमपीआर	संवाद
आइसलैंड	मौद्रिक बुलेटिन	जवाबदेही	स्वीडेन	एमपीआर	संवाद
इंडोनेशिया	एमपीआर	पारदर्शिता और जवाबदेही	थाईलैंड	एमपीआर	संवाद
इसराइल	एमपीआर	पारदर्शिता	तुर्की	आईआर	संवाद
मैक्सिको	तिमाही रिपोर्ट	पारदर्शिता	युगांडा	एमपीआर	संवाद
मोल्डोवा	आईआर	पारदर्शिता	युनाइटेड किंगडम	आईआर	संवाद

स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेबसाइट और आईएमएफ।

टिप्पणी: एसएमपी: मौद्रिक नीति पर वक्तव्य; एमपीएस: मौद्रिक नीति वक्तव्य, आईआर: मुद्रास्फीति रिपोर्ट; एमपीआर= मौद्रिक नीति रिपोर्ट/समीक्षा

प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वर्ष 2015 के पूर्व में सहज स्थिति प्रारंभ होना संभव है। जनवरी, मार्च और जून 2015 में नीति दरों में कटौती दिशानिर्देशों के ही सुसंगत थी।

उधार और जमा दर संबंधी मौद्रिक नीति संचारण

III.24 मौद्रिक नीति के संचारण को विशेष रूप से चलनिधि की स्थिति की जटिलता और/या विभिन्न चरणों में विभिन्न क्षेत्रों की दिशा के संदर्भ में नीति आवेगों के प्रति लंबे, परिवर्तनीय और अनिश्चित समयांतर वाले असंयमित बाजार के रूप में चित्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नीतिगत दरों के संचरण से बैंकों की जमा और उधार दरों में परिवर्तन में समय लगता है और मुद्रा बाजार दरों की में कम पूरा है और ये ऋण बाजार (क्रेडिट मार्केट) की संरचनागत

जड़ता को प्रदर्शित करती हैं (सारणी III.1)। अतः हाल की अवधि में दरों में की गई कटौती कुछ हद तक उधार दरों में परिलक्षित होने के बावजूद भी मौद्रिक नीति आवेगों की पूरी क्षमता के साथ प्रभाव न डाल सकने के कारण यह अधूरा ही रह जाता है। रिजर्व बैंक ने संचारण में सुधार लाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न नए उपायों की घोषणा की है। आशा है कि इस दिशा में हुई प्रगति भविष्य में दिखायी देगी।

III.25 चलनिधि प्रबंधन संबंधी संशोधित ढांचे को सितंबर 2014 में लागू किए जाने के बाद चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ जो बैंक की जमा राशि और उधार दरों में गिरावट के रूप में सामने आए। तथापि जमा राशि की दरों में गिरावट बैंकों की भारित औसत उधार

सारणी III.1: मौद्रिक नीति चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तीय बाजारों के बीच संचरण में विषमता

मद	घट-बढ़ (प्रतिशत बिंदु)			
	कठोरता चरण (19 मार्च 2010 से 16 अप्रैल 2012)	सहजता चरण (17 अप्रैल 2012 से 15 जुलाई 2013)	कठोरता चरण (16 जुलाई 2013 से 14 जनवरी 2015)	सहजता चरण ** (15 जनवरी 2015 से)
1	2	3	4	5
नीति दर (रेपो दर)	3.75	-1.25	0.75	-0.75
सीआरआर	-1.00@	-0.75	0.00	0.00
मांग दर	4.98	-1.51	0.36	-0.21\$
सीबीएलओ दर	5.43	-2.34	2.14	-0.96
बाजार रेपो दर	6.12	-1.49	0.61	-0.37
91- दिन राजकोष बिल	4.53	-1.29	0.83	-0.90
3-माह वाणिज्यिक पत्र दर	4.24	-2.17	0.43	-0.96
3-माह सीडी दर	4.36	-2.08	0.50	-0.98
5-वर्षीय कॉरपोरेट ऋण प्रतिफल	0.93	-0.71	-0.21	-0.16
10-वर्षीय कॉरपोरेट ऋण प्रतिफल	3.13	-1.02	-0.09	-0.43
2-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	1.87	-0.35	0.26	-0.13
3-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	1.34	-0.57	0.32	-0.10
5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	1.05	-0.84	0.20	0.04
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	0.64	-1.10	0.34	-0.05
मध्यावधि मीयादी जमा दर	2.31	0.00	0.07	-0.39
माध्यिका आधार दर *	2.75	-0.35	0.25	-0.30
डब्ल्यूएएलआर(बकाया ऋण)	2.13	-0.44	-0.10	-0.17#
डब्ल्यूएएलआर(नये रुपया ऋण)	-	-	0.13	-0.51#

स्रोत: ब्लूमबर्ग और भारतीय रिजर्व बैंक
 *: आधार दर प्रणाली 1 जुलाई 2010 से प्रारंभ की गई थी। ** : आंकड़े 14 अगस्त 2015 तक के हैं।
 @ : अगले सहजता चरण में रेपो दर में कटौती से पहले वांछित चलनिधि की स्थिति पैदा करने के लिए सीआरआर में कटौती की गई।
 - : उपलब्ध नहीं। #: जून 2015 से संबंधित अंतिम बिंदु। डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर।
 \$: सहकारी बैंकों की बाजार से हतर लेनदेन शामिल हैं।
टिप्पणी: (i) नीति दर, जमा और आधार दरें माह के अंत की हैं, जबकि मुद्रा और बांड बाजार दरें मासिक औसत हैं।
 (ii) डब्ल्यूएएलआर के आंकड़े अर्न्तम हैं।

सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार दरें (आरआरबी को छोड़कर) (प्रतिशत)

माह के अंत में	रेपो दर	मीयादी जमा दरें		डब्ल्यूएएलआर	
		मध्यमान	डब्ल्यूएडी टीडीआर	बकाया रुपया ऋण	नये रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6
मार्च-14	8.00	7.74	8.79	12.21	11.64
जून-14	8.00	7.74	8.73	12.21	11.68
सितंबर-14	8.00	7.72	8.70	12.12	11.59
दिसंबर-14	8.00	7.55	8.64	12.11	11.59
मार्च-15	7.50	7.50	8.57	12.06	11.25
जून-15	7.25	7.22	8.43	11.94	11.08
अगस्त-14, 15	7.25	7.14	-	-	-
घट-बढ़ (प्रतिशत बिंदु) (15 जनवरी 2015 से)	-0.75	-0.39	-0.21	-0.17	-0.51

:- उपलब्ध नहीं है।
डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू मीयादी जमा दर।
टिप्पणी: डब्ल्यूएडीटीडीआर और डब्ल्यूएएलआर के आंकड़े अनंतिम हैं।

दर (डब्ल्यूएएलआर) में पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई, जो बढ़ते अनर्जक ऋणों (एनपीए) के बीच जोखिम विमुखता और उधार की कम माँग वाले वातावरण में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को बनाए रखने के बैंकों के प्रयासों को दर्शाते हैं। रेपो दर में कटौती के प्रथम चरण के बाद से बैंकों द्वारा मंजूर किए गए नए रुपया ऋणों पर

भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) 51 आधार अंकों की गिरावट के साथ 11.08 प्रतिशत हो गई (सारणी III.2)। तथापि, इसी अवधि के दौरान बकाया रुपया ऋणों पर भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में केवल 17 आधार अंकों (बीपीएस) की ही कमी आई क्योंकि पहले से वितरित ऋणों पर ब्याज दरों काफ़ी समय बाद पुनर्निधारित की जाती है।

III.26 यद्यपि नीति दरों में 75 आधार अंकों की कटौती के प्रति वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिक्रिया खुलकर सामने नहीं आयी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उधार दरों में उतार-चढ़ाव एकसमान नहीं है जो बैंकों का विभेदक जोखिम निर्धारण को प्रदर्शित करते हैं। (सारणी III.3)।

III.27 वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई आधार दर प्रणाली बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली से बेहतर है जो सब-प्राइम दरों पर बड़े ऋणों की मंजूरी की अनुमति नहीं देता है। बैंक निधि की लागत के आधार पर अथवा अन्य कोई प्रासंगिक बाजार आधारित बेंचमार्क के आधार पर अपने उधार दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आधार दरों को 9.70-10.15 प्रतिशत की सीमित सीमा में हैं। तथापि आधार दरों में बहुत अधिक कमी-बेशी नहीं होती है और मौद्रिक नीति के संचरण में कठिनाई सामने आ रही है।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भारत औसत उधार दर (आरआरबी को छोड़कर)* - चुनिंदा क्षेत्र (वे दरें जिनपर 60 प्रतिशत या अधिक कारोबार की संविदा की जाती है)

(प्रतिशत)

माह का अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएस एमई	बुनियादी ढांचा	वैयक्तिक ऋण			
					आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मार्च-14	10.70	13.06	13.10	13.09	10.85	12.38	12.96	35.46
जून-14	10.79	13.05	13.04	13.05	10.61	12.09	12.91	36.70
सितंबर-14	10.79	13.01	13.09	13.02	10.52	11.97	12.90	38.23
दिसंबर-14	10.93	12.95	13.05	13.05	10.76	11.83	12.90	37.86
मार्च-15	10.96	12.80	12.91	12.89	10.99	11.62	12.87	37.88
जून-15	10.76	12.62	12.36	12.24	10.81	11.39	12.58	37.87
घट-बढ़ (प्रतिशत बिंदु) (जन 15 की तुलना में जून 15-15)	-0.17	-0.33	-0.69	-0.81	0.05	-0.44	-0.32	0.01

*: बकाया रुपया ऋण के आधार पर।
एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

III.28 जैसाकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप दर्शाया गया है, ऋण बाजार में धीमे संचरण के अनेक कारण हैं। संचरण में कठिनाई के प्रमुख कारकों में सावधि जमाराशियों के पुनर्मूल्यन में जड़ता, सरकारी उधार की अधिक मात्रा, सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल से संबद्ध छोटी बचतों (लोक भविष्य निधि सहित) पर प्रशासित ब्याज दरों में वार्षिक आधार पर पुनर्निधारित करने की व्यवस्था, ब्याज दर अनुदान, अधिक मात्रा में अनर्जक आस्तियां और अनौपचारिक वित्त की उल्लेखनीय रूप से उपस्थिति शामिल हैं। वैकल्पिक वित्तीय आस्तियों के साथ-साथ भौतिक बचत के रूप में जमाराशियों के संभावित माइग्रेसन से भी जोखिम सामने आ सकता है क्योंकि इसमें वास्तविक उच्च प्रतिफल ज्यादा मिलने की आशा होती है। इसके अलावा, आधार दर की गणना में रेपो दर प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है और यह केवल थोक निधीयन की लागत के माध्यम से परिचालित होती है जो रेपो दर में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।

III.29 सहज परिस्थिति में, बैंक ऋणों का मूल्यन करते समय आधार दर में कमी-बेशी करने के बजाए आधार दर से ऊपर के स्प्रेड में कमी-बेशी करते हैं। यह एक अपारदर्शी कार्यप्रणाली है जो नए और पुराने उधारकर्ताओं में भेदभाव करता है। ऋण के मूल्यन पर गठित कार्यकारी समूह द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है और तदनुसार जनवरी 2015 में बैंकों को ऋण का मूल्यन करने में अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के साथ प्रत्येक तीन वर्षों में इससे संबंधित तौर-तरीके में संशोधन की स्वतंत्रता दी गई जो अवधि पहले पांच वर्ष थी।

III.30 इसके अतिरिक्त, स्प्रेड को मनमाने ढंग से तय करने संबंधी मुद्दे को सुलझाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि : (क) ग्राहक से लिए जाने वाले स्प्रेड संबंधी घटक की रूपरेखा के संबंध में बोर्ड-अनुमोदित नीति बनाई जाए; और (ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक के ऋण जोखिम प्रोफाइल में गिरावट होने अथवा प्रीमियम के स्वरूप में परिवर्तन के अलावा वर्तमान उधारकर्ता से लिए गए स्प्रेड में (संघीय और बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं को छोड़कर) वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। आगे चलकर, इन उपायों से भारत के ऋण मूल्यन संबंधी ढांचे में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार आने की संभावना है।

III.31 दिनांक 7 अप्रैल 2015 को घोषित वर्ष 2015-16 के अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि निधियों की सीमांत लागत के आधार पर परिकलित आधार दरों को नीति दरों में हुए परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मौद्रिक नीति के संचरण की क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक, बैंकों को सीमांत निधि लागत निर्धारण से अपने आधार दर तय करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक बार वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि., जो एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक है, बाजार की ब्याज दरों की विभिन्न सूचकांकों का प्रकाशन प्रारंभ कर देगा तब रिजर्व बैंक बैंक को बैंकिंग उत्पादों के मूल्यन के लिए बाह्य बेंचमार्क के रूप में ऐसे सूचकांकों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। *संवृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानित और वास्तविक पथ (ट्रेजेक्टरीज)*

III.32 रिजर्व बैंक की संवृद्धि और मुद्रास्फीति अनुमान अत्यधिक अनिश्चितता और जोखिमों के बदलते संतुलन में तैयार किए जाते हैं। जबकि बेसलाइन अनुमानित पथ को निर्मित करने हेतु सामान्य धारणाओं (मुद्रास्फीति और संवृद्धि के कतिपय प्रमुख निर्धारकों को शामिल करते हुए) का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्ध्वमुखी/अधोमुखी जोखिमों के परिणामस्वरूप बेसलाइन से संवृद्धि पथ और मुद्रास्फीति के संभावित विचलन को मौद्रिक नीति रिपोर्ट में जोखिम संतुलन के आकलन के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

III.33 अंतर्निहित परिस्थितियाँ जो व्यापक रूप से अप्रत्याशित थीं, में हो रहे बड़े परिवर्तन को ध्यान में रखकर 2014-15 की चौथी तिमाही के दौरान वास्तविक मुद्रास्फीति पथ सितंबर 2014 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में जो दर्शाया गया था उसकी तुलना में उल्लेखनीय ढंग से नीचे रहा। अन्य बातों के साथ-साथ दो प्रमुख घटकों के कारण यह संशोधन अनिवार्य हो गया। प्रथम, फरवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) - संयुक्त (सी) सीरीज आधार को 2010=100 से 2012=100 अद्यतन किया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2014 में नई सीरीज में मुद्रास्फीति औसतन 50 आधार अंक था जो कि पुरानी सीरीज में दर्ज किए गए आधार अंक से निम्न था। अलग-अलग महीनों में विचलन (+)0.04 से (-)1.11 प्रतिशत पाइंट भिन्न रहा। दूसरा, सितंबर 2014 से जनवरी 2015 के बीच कच्चे मूल्यों में तीव्र गिरावट दर्ज की गई तथा

औसतन कच्चा तेल मूल्य 36 प्रतिशत था जोकि सितंबर 2014 के मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में माने जानेवाले बेसलाइन अनुमान से कम था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी 2015 में राष्ट्रीय खातों पर नई सीरज का विमोचन रिजर्व बैंक के अनुमान के लिए एक और प्रमुख आघात था। 2014-15 के लिए संवृद्धि अनुमान को कायम रखा गया और वह जनवरी 2014 से 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा, जब तक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी /फरवरी 2015 में संशोधित राष्ट्रीय खाता संख्या जारी नहीं किए गए। पुराने आधार के अनुसार प्राप्त डेटा की तुलना में सीएसओ के डेटा (नया डेटा) में अपेक्षा से अधिक तेजी से संवृद्धि हुई जो सीएसओ के प्राक्कलन के अनुसार 2014-15 हेतु रिजर्व बैंक की अनुमानित आउटपुट संवृद्धि में विचलन का प्रमुख कारक थी। रिजर्व बैंक अपने विश्लेषण को संशोधित करने और आधुनिक बनाने तथा क्षमताओं का पूर्वानुमान लगाने में लगातार कार्यरत है ताकि सुनिश्चितता और स्थिरता में सुधार हो सके। मौलिक संशोधनों के चलते अनुमान निष्पादन में सुधार तथा आपूर्ति की बड़ी मात्रा / बाहरी आघातों के बावजूद ये प्रयास मौद्रिक नीति के आगामी संचालन के लिए एक प्रमुख चुनौती रहेगी।

मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना

III.34 रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ढाँचे का उद्देश्य मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को जितना संभव हो सके उतना लक्ष्य के समीप नियंत्रित करना है। 2014-15 के दौरान प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना विशेषकर 2009-2013 के अनुभव से आई सख्ती को तोड़ना एक प्रमुख चुनौती रही।

III.35 अपस्फीति थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति के आधार पर एक अत्यधिक उदार मौद्रिक नीति रुझान की बढ़ती प्रत्याशाओं की पृष्ठभूमि के चलते मुद्रास्फीति लक्ष्य को निश्चित करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक -संयुक्त (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति को औपचारिक रूप से अपनाने की स्थिति में 2015 की पहली छमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के बीच विचलन भी मौद्रिक नीति संचार के लिए एक प्रमुख चुनौती रही। विशेषज्ञ समिति ने सभी नीति संबंधी मामलों जिसमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) निहित है की जांच की थी। समिति ने मौद्रिक नीति संचालन के लिए अन्य उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उचित मुद्रास्फीति माप की भी समीक्षा की। दो मूल्य सूचकांक - सीपीआई-सी और डब्ल्यूपीआई में मर्दों की कवरेज में भिन्नता है। खाद्य का वजन सीपीआई-सी बास्केट में लगभग 46 प्रतिशत है जोकि डब्ल्यूपीआई के 24 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। लगभग सीपीआई-सी का चौथाई भाग सेवाओं का बना हुआ है जबकि यह घटक डब्ल्यूपीआई में शामिल नहीं है। अतः भारत में मूल्य सूचकांकों के उपलब्ध उपायों में सीपीआई-सी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई में हाल की कमी वैश्विक पण्य मूल्यों जिसमें कच्चा पेट्रोलियम तथा धातु और रसायन जैसे औद्योगिक कच्चे माल शामिल हैं, में तीव्र गिरावट के कारण हुई। सामान्यतः विभिन्न मूल्य सूचियों के अनुसार भिन्न-भिन्न मुद्रास्फीति प्रवृत्तियां लंबे समय तक नहीं रहती हैं। भिन्नता बने रहने के बावजूद अर्थव्यवस्था में सभी एजेंटों की प्रत्याशाओं को सीपीआई-सी मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुसार नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होगा, फिर भी विभिन्न प्रवृत्तियां जनसंख्या के विविध वर्गों पर अंतरीय कल्याणकारी प्रभाव डाल सकती हैं जो उनके अपने उपभोग बास्केट तथा उत्पादन प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किए गए इनपुट के प्रकार पर निर्भर होगा।

अनिश्चित तथा अलग-अलग समय की मैक्रो-डायनामिक्स

III.36 आधुनिक मौद्रिक नीति परिचालित ढांचा, गतिशील चलनिधि और वित्तीय परिस्थितियों के अंतर्गत मूल्य स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करता है। तथापि, मैक्रो वित्तीय सहलग्नता उल्लेखनीय ढंग से परिवर्तित हो सकता है तथा मौद्रिक नीति के परिचालन को इसे पहचानना चाहिए और समयबद्ध रूप से प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। इस संदर्भ में वास्तविक ब्याज दर अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह स्थिर नहीं है और यह समय-समय पर भिन्न हो सकती है। 2014-15 की चौथी तिमाही में भारत के लिए वास्तविक ब्याज दर का मॉडल-आधारित आकलन लगभग 50 आधार अंक की एक मानक त्रुटि +/- सहित 0.6 से 3.1 प्रतिशत की एक विस्तृत सीमा की जानकारी देता है। (बॉक्स III.2)

III.37 तथापि, ऐसी कतिपय चुनौतियां हैं जो 2014-15 के दौरान संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाईं। पहला, और अधिक प्रभावी

बॉक्स III.2

भारत में विभिन्न समयावधि में स्वाभाविक ब्याज दर

1990 से केन्द्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति रुझान के मूल्यांकन में विशेषकर लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य साधने (एफआईटी) की बढ़ती लोकप्रियता तथा टेलर के ब्याज दर नियमों के उपयोग के बाद विकसेल (1898) द्वारा प्रतिपादित स्वाभाविक ब्याज दर मानक संदर्भ संकल्पना बन गया है। जबकि आरंभ में संतुलनकारी वास्तविक दर के रूप में इसकी संकल्पना की गई थी जिस पर अपेक्षित बचत अपेक्षित निवेश के बराबर है, आधुनिक निर्माण में इसे वास्तविक ब्याज दर के साथ समीकृत किया जाता है जो एक शून्य आउटपुट अंतर के साथ अटल है तथा कारोबार चक्र में मुद्रास्फीति उनके लक्ष्य के आस-पास स्थिर है। किसी भी टेलर नियम प्रकार के मौद्रिक नीति रुझान मूल्यांकन में स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर को प्रायः स्थिर माना जाता है, भले ही वास्तव में समय के चलते यह आपूर्ति और मांग आघातों के जवाब में भिन्न-भिन्न हो और जिसकी बड़े और निरंतर होने की संभावना हो सकती है।


उत्पादन में प्रवृत्ति परिवर्तन, बढ़ती आबादी और अपने जीवन-चक्र में बचत निर्णयों तथा उपभोग के संदर्भ में हाउसहोल्ड की समय प्राथमिकता, स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर के व्यावहारिक निर्धारक हैं। वैश्विक बचत की प्रचुरता जो वैश्विक वित्तीय संकट के पूर्व थी ने वैश्विक स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दरों को पहले ही महत्वपूर्ण अधोगामी दबाव प्रदान कर दिया था। वैश्विक संकट के बाद, निवेश मांग में पतन और तदोपरांत ऐसा लगता है कि निगमों और हाउसहोल्डों द्वारा अत्यधिक डीलीवरेजिंग ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दरों पर अधोगामी दबाव बढ़ा दिया है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था के आकलन से यह पता चलता है कि स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर जो 1990 में 3.5 प्रतिशत था घटकर 2007 में लगभग 2 प्रतिशत हो गया और वह 2008 और 2009 के आर्थिक मंदी के वर्षों में तीव्रता से शून्य हो गया और तब से 2014 (विलियम्स 2015) तक पांच वर्षों के लिए शून्य के निकट रहा। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मध्यम दौड़ में निरंतर अवरूढ़ के चलते स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर शून्य के निकट रहा।

भारत में वैश्विक संकट के बाद कुल फैक्टर उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई जो स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर को नीचे धकलने में प्रमुख संरचनागत कारक है। उच्च संवृद्धि की पूर्व-संकट अवधि के सापेक्ष में 2009-10 से 2014-15 के छह-वर्ष अवधि के दौरान सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वार्षिक वृद्धि दर में तीव्र गिरावट, उद्यमियों की समय प्राथमिकता में बदलाव दर्शाता है अर्थात् अत्यधिक अनिश्चितता के बीच प्रतीक्षा करके नई निवेश परियोजनाओं में विलंब करना। इसके बजाय, रोजगार और आय संवृद्धि हेतु कमजोर हो रहे आउटलुक के बीच हाउसहोल्ड को निरंतर उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा और स्वर्ण तथा स्थावर संपदा के रूप में मुद्रास्फीति बचाव

के लिए उनकी प्राथमिकता से वित्तीय बचत में गिरावट दर्ज की गई। अनुकूल जन सांख्यिकी तथा उपभोग को सुचारू बनाने के लिए आजीवन बचत व्यवहार और ऋण हेतु मांग के पैटर्न संबंधी बदलाव (शिफ्ट) भी स्वाभाविक वास्तविक दर को बदल सकता था।

जब इतने सारे कारक स्वाभाविक वास्तविक दर को सशक्त रूप से बदल सकता है, तब भारत के लिए विभिन्न समयावधि में स्वाभाविक वास्तविक दर का कालमन फिल्टर (लोबाच एंड विलियम्स 2003) का प्रयोग करते हुए किया गया आकलन आगे के समय में 0.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की सीमा में चला गया और यह प्रतीत होता है कि यह 2010 से धीरे-धीरे अब 2 प्रतिशत तक घट गया (चार्ट 1)। स्वाभाविक ब्याज दर का अनुमान अंतर्निहित मॉडेल, चर वस्तुओं के चयन, संभावित आउटपुट के अनुमान लगाने के लिए मान्यताओं, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का निरूपक मान और मुद्रास्फीति लक्ष्य (अर्थात् 6 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशत) पर भी अति संवेदनशील है। तदनुसार, जोखिम रहित स्वाभाविक वास्तविक ब्याज दर के वैकल्पिक अनुमान 2014-15 की चौथी तिमाही के लिए 0.6 से 3.1 प्रतिशत की सीमा दर्शाता है। स्वाभाविक दर के वास्तविक मूल्य की अनिश्चितता मौद्रिक नीति संचालन के लिए एक चुनौती है।



संदर्भ:

विलियम्स, जॉन सी. (2015), दि डिक्लाइन इन दि नैचुरल रेट ऑफ इंटररेस्ट। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेन फ्रान्सिसको, मार्च 2.

लाबाच, थॉमस एडं जॉन सी. विलियम्स (2003), 'मेजरिंग दि नैचुरल रेट ऑफ इंटररेस्ट', रिव्यू ऑफ इकोनोमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, 85 (4), नवंबर।

अनुकूल चलनिधि परिचालन को सहायता प्रदान करने के लिए चलनिधि स्थितियों का एक बेहतर मूल्यांकन, सरकारी नकदी शेष का पूर्वानुमान लगाने में शामिल अनिश्चितताओं के कारण बाधित रहा। दूसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था पर बाह्य प्लवन प्रभाव (स्पिल ओवर) के असर का मूल्यांकन करने की क्षमता भी सीमित थी। इसका कारण था

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को आकस्मिकता के साथ चित्रण करना और विशेषकर, विश्व भर में इन घटनाओं की अहमियत और समय का अस्पष्ट मूल्यांकन करना। तीसरा, जमाराशियों और उधार दरों में रेपो दर की कटौती का प्रेषण अधूरा रहा तथा मौद्रिक नीति के सुगम होते चक्र में क्रेडिट संवृद्धि मंद रही। उपर्युक्त विभिन्न कारकों

तथा रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद भारत में बैंकों के थोक निधियन के निम्न स्तर शेयर ने भी जमाराशि और उधार दरों के प्रति नितिगत दर के प्रभावी प्रेषण को आंशिक रूप से बाधित किया है। भारत में बैंक निधीयन में खुदरा जमाराशियों / बचत की प्रधानता है जो नीति दर की कटौती के जवाब में निधि की लागत में निरंतर मितव्ययता को रोकता है।

2015-16 की कार्यसूची

III.38 2014-15 के लिए निर्धारित एजेंडा के संदर्भ में अनुकूल पण्य मूल्यों की सहायता से सरकार के राजकोषीय उपायों तथा अनुकूल आपूर्ति प्रबंधन के होते हुए मौद्रिक नीति का रुझान दीर्घकालीन और सार्थक अवस्फीति को निर्धारित पथ से नीचे के स्तर तक ले जाने में मददगार रहा। रेपो दर संकेतक और दैनंदिन सामान्य और अनुकूल चलनिधि परिचालनों के जवाब में बाजार दबाव के माध्यम से इन दरों को निर्धारित करते हुए मुद्रा बाजार दरों की निम्न अस्थिरता में नये चलनिधि प्रबंधन ढाँचे का योगदान रहा। पूर्वानुमान लगाने और परिदृश्य विश्लेषण करने के लिए दो मेक्रो मॉडलों की स्थापना की गई तथा दो छमाही मौद्रिक नीति रिपोर्ट के प्रकाशन का आगामी नए मौद्रिक नीति ढाँचे के प्रमुख पहलुओं पर बढ़ती पारदर्शिता के साथ संचार को मजबूत बनाने में योगदान रहा।

III.39 इसके आगे, 2015-16 के दौरान रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रुझान का ध्यान जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत से नीचे के

लक्ष्य की ओर एक क्रमिक और टिकाऊ अवस्फीति प्रक्रिया कायम करने पर केन्द्रित होगा ताकि 2017-18 के अंत तक 4 प्रतिशत की केंद्रीकृत रूप से अनुमानित दर हासिल किया जा सके। साथ ही, मौद्रिक नीति प्रेषण तंत्र की क्षमता को सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि बैंक उधार दर की तुलना में नीतिगत दर में हाल ही में हुई कटौती सबसे कम थी जिससे मौजूदा आधार दर प्रणाली के अंतर्गत प्रेषण में आ रही बाधाओं का पता चलता है। अंतरण में आ रही बाधाओं को पहचानना तथा वैकल्पिक पद्धति कार्यान्वित करना जैसे सीमांत लागत आधारित ऋण कीमत निर्धारण या बैंक उधार दर हेतु उचित बेंचमार्क पहचानना रिजर्व बैंक के लिए प्राथमिकता रहेगी। इस संबंध में यह अनिवार्य होगा कि मुद्रा बाजार की अवधि खंड विकसित करके बाजार आधारित बेंचमार्क विकसित किया जाए। अतः रातोंरात निर्धारित दर चलनिधि सहायता पर निर्भरता कम करके दीर्घावधि रिपो की नियमित निलामी के माध्यम से क्रमिक रूप से चलनिधि सहायता प्रदान करनी होगी। ऐसा करते समय यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सीमित सीमाओं में रेपो दर से अन्य मुद्रा बाजार दरों तथा भारत औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) विचलन को कम किए जाए। रिजर्व बैंक, चलनिधि प्रबंधन के अपने लिखतों का पता लगाने तथा उसे बढ़ाने के प्रयास जारी रखेगा जिसमें खुला बाजार परिचालन के माध्यम से तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त चलनिधि को सोखने के लिए एक जमाराशि सुविधा शामिल है।

रिजर्व बैंक ने देश भर में व्यापक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने और ऋण वितरण में सुधार लाने के अपने प्रयास जारी रखा। कृषि ऋण में वृद्धि को जोर दिया जाना जारी रखने के अलावा वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने पर प्रमुखता से जोर दिया गया ताकि ये क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर सकें। रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रारंभ किए जाने से बहुत बल मिला।

IV.1 रिजर्व बैंक ने पूर्ण सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक की विकासात्मक एवं विनियामकीय भूमिका के अंतर्गत संस्थानों की हिफाजत में वित्तीय उत्पादों का प्रावधान करने को हमेशा प्राथमिकता दी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को समुचित वित्तीय सुनिश्चित किया जा सके। वर्षों के दौरान, समाज की विविध वित्तीय संबंधी जरूरतों तक पहुंचने के लिए नवनेमों के साथ ऋण प्रदान करने की प्रणाली का विकास एवं विस्तार हुआ है। हाल ही में, प्रयास यह रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने एवं संभावनाओं तथा शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में प्राप्त किए गए अनुभवों का विस्तार भौगोलिक क्षेत्रों एवं समाज के उन वर्गों तक किया जाए जिनको मूल्यन की क्षमता के अभाव के कारण विषम ऋण बाजारों द्वारा छोड़ दिए जाने की प्रवृत्ति होती है। 2014-15 में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने, बेहतर समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करने तथा अधिक व्यापकरूप से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया।

IV.2 इसके अनुरूप, वित्तीय समावेशन का नोडल विभाग होने के कारण वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडी) ने देश भर में व्यापक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के लिए समय पर आसानी से ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि दक्ष और समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास किया जा सके।

2014-15 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

IV.3 बेहतर समावेशिता को बढ़ावा देने के अपने प्रमुख उद्देश्य से प्रेरित रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान, सभी बैंक रहित गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने और ऋण प्रदान करने में सुधार लाने हेतु वित्तीय समावेशन को बैंकों के लिए एक सुकर प्रस्ताव बनाने के प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय समावेशन के रोडमैप के वर्तमान चरण- II, जिसमें 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की परिकल्पना की गई है, के अंतर्गत कार्यनीति में बैंक रहित गांवों की पहचान करने और ऐसे गांवों को कवर करने के लिए बैंकों को आबंटित करना शामिल था। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया है जो दिशानिर्देशों पर दुबारा विचार करेगा।

IV.4 रिजर्व बैंक अपनी विकासात्मक भूमिका के अनुसार दक्ष एवं समग्र ऋण प्रदान करने, विशेषरूप से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता देता है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक रूप से कृषि, एमएसएमई क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करना समाहित है। वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ताकि क्षेत्र की संभावनाओं का विस्तार किया जा सके और ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा सके। वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन के लिए रिजर्व बैंक के समकालिक प्रयासों के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रारंभ होने से वित्तीय समावेशन के प्रयासों को बहुत प्रोत्साहन मिला। ऋण वितरण को सरल बनाने के लिए, सभी प्रकार के ऋणों में राशि

का ध्यान रखे बिना, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) एवं संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया। एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित व्यापार प्राप्तियां और बड़ा प्रणाली (टीआरडीएस) के रूप में विलंबित भुगतान के मुद्दे से निपटने के लिए प्रणाली की शुरूआत करने, एमएसएमई से संबंधित मामलों में अनुसंधान करने, एमएसएमई प्रभागों के प्रभारी अधिकारियों एवं वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उनका आयोजन करने जैसे नवोन्मेषी कदम उठाए गए। इनके अतिरिक्त, अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने से संबंधित मामलों में ध्यान देने के लिए रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई प्रभागों की स्थापना की गई।

ऋण प्रदान करना

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

IV.5 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से तात्पर्य अथव्यवस्था के उन क्षेत्रों से है जिन्हें, व्यवहार्य एवं ऋण पात्रता होने के बावजूद विशेष प्रावधान किए बिना यथा समय पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण विशिष्टरूप से, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए कृषकों, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों, आवास के लिए गरीबों, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों, अन्य निम्न आय वाले समूहों और कमजोर तबकों, को दिए जाने वाले कम मूल्य के ऋण होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों का विस्तार देश भर में कोने-कोने तक है। पहाड़ी एवं तटवर्ती क्षेत्रों में इनका विशेषरूप से फैलाव है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान किए जाने को उनके सामान्य कारोबारी

सारणी IV.1: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

31 मार्च को बकाया	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2014	16,190 (39.4)	4,645 (43.9)	907 (35.8)
2015	17,512 (37.3)	5,303 (42.8)	970 (35.9)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दर्शाई गई संख्याएं एएनबीसी या सीईओबीई की तुलना में प्रतिशत संबंधित समूहों में जो भी अधिक हैं, को प्रदर्शित करती हैं।
2. वर्ष 2015 से संबंधित आंकड़े अर्न्ततम हैं।

परिचालनों के हिस्से के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे लक्षित करके, सभी ऋणों के मूल्यन को स्वतंत्र कर दिया गया है, हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि बहुत अधिक मूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। (सारणी IV.1)

IV.6 आंतरिक कार्य दल की अनुशंसाओं के आधार पर अप्रैल 2015 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। एमएसएमई क्षेत्र को जोर देने की मंशा से मध्यम उद्यमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। मध्यम उद्यमों के अलावा, दो नई श्रेणियां, नामतः सामाजिक आधारभूत संरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना - एक नई दृष्टि

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं :

- लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 8 प्रतिशत (कृषि के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत) तथा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 7.5 प्रतिशत लक्ष्य अलग से निर्धारित किए गए हैं जिनको 2017 तक चरणबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाना है। 2017 में समीक्षा के उपरांत 2018 के बाद इन लक्ष्यों को 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर भी लागू किया जाएगा।

- मध्यम उद्यमों, सामाजिक आधारभूत संरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने हेतु प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में 2016-17 से, संबंधित वर्ष के अंत में 'तिमाही' औसत के आधार पर निगरानी करना।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) को व्यापार के लिए उपयुक्त लिखत माना जाएगा। खरीदकर्ता (कमी पूरी करने वाला

(जारी...)

बैंक) विक्रेता बैंक (जिस बैंक ने पीएसएल की आवश्यकताओं से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो) को किसी विशिष्ट तारीख के लिए लागू निर्धारित राशि के पीएसएल दायित्व की खरीद के लिए 'मूल्य/शुल्क' अदा करेगा।

- ₹1 मिलियन तक के शिक्षा ऋणों (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऋण सहित) को, स्वीकृत राशि को ध्यान में रखे बिना, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त ऋण माना जाए।
- 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 32 प्रतिशत तक निर्यात ऋण या बैलेंस शीट में

दर्शाए गए निवेशों से इतर ऋण की समतुल्य राशि (सीईओबीई), जो अधिक हो, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में उपयुक्त माना जाए। 20 या अधिक शाखाओं वाले देशी बैंकों तथा विदेशी बैंकों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष की समान तारीख की तुलना में वृद्धिशील निर्यात ऋण को एएनबीसी या सीईओबीई के 2 प्रतिशत तक (जो अधिक हो) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा।

- 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों से एएनबीसी या सीईओबीई के 40 प्रतिशत, जो अधिक हो, के कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को 2020 तक चरणबद्ध ढंग से प्राप्त करने की अपेक्षा है।

कृषि के लिए ऋण का प्रवाह

IV.7 कृषि ऋण के लिए लक्ष्य प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की अगुआई में, हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का वास्तविक प्रवाह लक्ष्य से अधिक रहा है। हालांकि, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 2013-14 तथा 2014-15 में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए (सारणी IV.2)।

कृषि में दबावग्रस्त आस्तियां

IV.8 कृषि क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में 2010 से निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे अन्य बातों के अलावा कृषि ऋणों की वसूली में कमी का पता चलता है (सारणियां IV.3 एवं IV.4)।

IV.9 सरकार द्वारा कृषि ऋणों को ब्याज में आर्थिक सहायता की योजना (छूट) के माध्यम से पुनर्भुक्तान को प्रोत्साहित किए जाने के बावजूद आस्ति गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। योजना को प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों की जांच कर रही है। योजना को 2015-16 तक बढ़ा दिया गया है।

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रवाह

IV.10 एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में सरकार तथा रिजर्व बैंक के ध्यान केंद्रित किए जाने के असर निरूपित करते हुए इस क्षेत्र में ऋण में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है जबकि 2014-15 के दौरान समग्ररूप से बैंक ऋण में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.5)।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम

IV.11 एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह की बाधाओं से निपटने के लिए वर्ष के दौरान बहुत से कदम उठाया। एमएसएमई क्षेत्र को विलंबित भुगतान के मुद्दे के समाधान के लिए एमएसएमई के इनवासों/विनिमय बिलों को भुनाने की सुविधा प्रधान करने के लिए टीआरईडीएस की संकल्पना की गई है (विवरण के लिए अध्याय IX देखें)। टीआरईडीएस से प्राप्य राशि की उगाही में तेजी आएगी तथा इस क्षेत्र में रूग्णता की घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(₹ बिलियन)

मार्च अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक		सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	4,750	5,090	1,250	1,199	1,000	827	7,000	7,116
2014-15*	5,400	5,997	1,400	1,384	1,200	1,025	8,000	8,406

*: अर्न्तितम

सारणी IV.3: कृषि क्षेत्र में अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

मार्च अंत में	बकाया कृषि ऋण (₹ बिलियन)	कृषि में सकल एनपीए * (₹ बिलियन)	बकाया कृषि ऋण की तुलना में सकल एनपीए (कृषि) का अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
2010	4,636	104	2.2
2011	5,072	167	3.3
2012	5,802	248	4.3
2013	6,428	302	4.7
2014	7,698	340	4.4
2015	8,295	391	4.7

* सिर्फ अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी)

IV.12 रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने निम्नलिखित के लिए विशिष्ट एमएसएमई प्रभागों की स्थापना की है (i) ऋण प्रवाह तथा रूग्णता के बारे में क्षेत्र से आंकड़े क्रमवार व्यवस्थित करना तथा उनका विश्लेषण करना; (ii) क्षेत्र में एमएसएमई इकाईयों की देखभाल तथा पुनरूद्धार के लिए किए गए बैंकों के प्रयासों की निगरानी करना; (iii) चिह्नित एवं गैर-चिह्नित संकुलों में बैंकिंग गतिविधियों निगरानी करना तथा जहां कहीं आवश्यक हो, बैंकिंग गतिविधि को बढ़ाने के लिए कदम उठाना; (iv) एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाले बैंक कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण की गतिविधियां आयोजित करना; तथा (v) एमएसएमई से संबंधित मामलों के संबंध में अनुसंधान करना, जैसे कि ऋण संबंधी मामले, संकुलों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, रूग्णता तथा क्षमता निर्माण।

IV.13 रिजर्व बैंक का कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे बैंकों के एमएसएमई प्रभागों की क्षमता निर्माण करने तथा उद्यमिता-संवेदना का विकास करने के प्रयास के रूप में एमएसएमई प्रभाग के प्रभारी अधिकारियों तथा वाणिज्य बैंकों के प्रशिक्षकों के लिए

सारणी IV.4: प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

वर्ष	कुल मांग (₹ बिलियन)	कुल वसूली (₹ बिलियन)	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4
2012	1,917.7	1,428.9	74.5
2013	2,596.2	1,975.7	76.1
2014	2,814.9	2,066.0	73.4

सारणी IV.5: एमएसई में ऋण प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2014	12.6 (12.3)	8,510.9 (23.9)	15.7
2015	13.8 (10.1)	9,664.8 (13.6)	17.8

टिप्पणियां: 1. 2015 से संबंधित आंकड़े अर्न्तम हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को प्रतिशत में सूचित करते हैं।
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। सीएबी, पुणे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया है जो बाद में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशिष्ट एमएसएमई शाखाओं के शाखा प्रबंधकों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

वित्तीय समावेशन

2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए रोडमैप

IV.14 रिजर्व बैंक ने सभी बैंक रहित गांवों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इस कार्य हेतु 2,000 से कम जनसंख्या वाले लगभग 490,000 बैंक रहित गांवों को चिह्नित किया गया और रोडमैप के जारी चरण -II के अधीन उन गांवों को कवर करने के लिए बैंकों को आबंटित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 के अंत में, 390,387 गांवों को 14,207 शाखाओं, 357,856 कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) तथा आटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) एवं मोबाइल वैनो इत्यादि जैसे अन्य 18,324 माध्यमों से कवर किया गया। वर्तमान में चालू पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के कारण बैंकों को चरण II के तहत कवरेज को पूर्व निर्धारित 31 मार्च 2016 के स्थान पर 14 अगस्त 2015 तक पूरा करने को कहा गया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

IV.15 औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उससे वंचित जनसंख्या तक विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने 28 अगस्त 2014 को पीएमजेडीवाई प्रारंभ किया। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं - (i) किसी बैंक की शाखा या कारोबारी प्रतिनिधि केंद्र में मूलभूत बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलने की

सुविधा; (ii) दुर्घटना बीमा कवर (₹0.1 मिलियन) तथा जीवन बीमा कवर (₹30,000); तथा (iii) 6 महीनों तक खाते का संचालन संतोषप्रद होने पर खाते में जमा से अधिक राशि निकालने (ओवरड्राफ्ट) की सुविधा। योजना प्रारंभ किए जाने से 30 जून 2015 तक 165.7 मिलियन खाते खोले गए। भारत सरकार ने पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों सहित बीएसबीडी खाता धारकों के लिए अनुदान, भुगतान खाते में जमा करने करना प्रारंभ किया है तथा बीमा एवं पेंशन उत्पादों को भी खातों से संबद्ध करने की शुरुआत की है। इन खातों में गतिविधियां बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रारंभ करना; (ii) सावधानी बरतते हुए समुचित ऋण उत्पाद (कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र) उपलब्ध कराना; (iii) कारोबारी प्रतिनिधियों के नेटवर्क को मजबूत करना; तथा (iv) वित्तीय साक्षरता के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।

IV.16 2 अप्रैल 2015 को मुंबई में आयोजित रिजर्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के समारोह का मुख्य विषय वित्तीय समावेशन रखा गया था जिससे वित्तीय समावेशन के बारे में रिजर्व बैंक के ध्यान केंद्रित किए जाने का पता चलता है (बॉक्स IV.2)।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

IV.17 रिजर्व बैंक, बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के माध्यम से उच्चतम स्तर पर वचनबद्धता के साथ संरचित एवं योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन को अपनाए जाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। 2014-15 में खोली गई कुल 3,445 ग्रामीण बैंक शाखाओं में से 2,230 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गईं। लगभग 155 मिलियन मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए जिससे कुल बीएसबीडीए की संख्या 398 मिलियन हो गई। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए 147 मिलियन खाते भी इसमें शामिल हैं। 2.6 मिलियन लघु कृषि क्षेत्र ऋणों (किसान क्रेडिट कार्ड -केसीसी) एवं 1.8 मिलियन लघु गैर-कृषि क्षेत्र ऋणों (सामान्य क्रेडिट कार्ड - जीसीसी) को जोड़कर ऐसे खातों की कुल संख्या बढ़कर क्रमशः लगभग 42.5 मिलियन एवं 9.2 मिलियन हो गई (सारणी IV.6)।

वित्तीय समावेशन में बाधाएं

IV.18 वित्तीय समावेशन के तहत उठाए गए नए कदमों के कारण वंचित वर्ग के लोगों के मूलभूत खाते बढ़ी संख्या में खोले जाने के बावजूद इन खातों का परिचालनगत बना रहना सुनिश्चित करने के

बॉक्स IV.2

भारतीय रिजर्व बैंक के 80 वर्ष : वित्तीय समावेशन सम्मेलन

रिजर्व बैंक ने 02 अप्रैल 2015 को मुंबई में वित्तीय समावेशन सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित अन्य गण्यमान्य लोगों में बैंकिंग तथा वित्त जगत के विशेषज्ञों के अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल, भारत के वित्त मंत्री तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल थे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त इतिहास : 1935-1981 का विमोचन किया।

प्रधानमंत्री जी ने रिजर्व बैंक की स्थापना का शताब्दी वर्ष पूर्ण होने तक चरणबद्ध ढंग से लक्ष्य निर्धारित करते हुए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक को प्रोत्साहित किया।

सम्मेलन के हिस्से के रूप में निम्नलिखित विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं : (i) 'वित्तीय समावेशन-सभी प्रयत्नों का असर होने दें'; (ii) 'वित्तीय समावेशन के लिए कारोबारी मामला तैयार करना - क्या आगे की राह बीसी मॉडल है?'; (iii) 'वित्तीय समावेशन - आगे की राह'; (iv) 'वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्संबंध'। विचार-विमर्श से उभर कर आई कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार, रिजर्व बैंक तथा बैंकों के मिलेजुले प्रयासों की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण, नवोन्मेषी माध्यमों/ प्रौद्योगिकी तथा बीसी मॉडल का ईष्टतम प्रयोग करने के मिलेजुले रूपों का प्रयोग किया जाना होगा।
- बीसी मॉडल से संबद्ध जोखिमों को सुरक्षित प्रणाली की स्थापना, समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग, प्रभावी पर्यवेक्षण, दक्ष नगदी प्रबंध सेवाएं तथा क्षमता निर्माण करके कम किया जा सकता है।
- ग्राहकों द्वारा प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता के स्तर को बढ़ाने के लिए बैंकों की ओर से निरंतर वित्तीय साक्षरता के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी।
- अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में ग्राहकों की जागरूकता होना उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का अभिन्न अंग है। इसके लिए बैंकों को मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का विकास करने की भी अनिवार्यता होगी।

सारणी IV.6: वित्तीय समायोजन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सारांश

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	मार्च 2015 को समाप्त वर्ष	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्रगति
1	2	3	4	5
गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखाएं	33,378	46,126	49,571	3,445
गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखा रहित मोड	34,316	337,678	504,142	166,464
गांवों में बैंकिंग केंद्र - कुल	67,694	383,804	553,713	169,909
बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	60,730	96,847	36,117
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	60.2	126.0	210.3	84.3
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	44.3	273.3	365.0	91.7
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	13.3	116.9	187.8	70.9
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	10.7	39.0	74.6	35.6
कुल बीएसबीडीए (संख्या मिलियन में)	73.5	243.0	398.1	155.1
कुल बीएसबीडीए (राशि ₹ बिलियन में)	55	312.3	439.5	127.3
बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ लिया गया (संख्या मिलियन में)	0.2	5.9	7.6	1.7
बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ लिया गया (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	16.0	19.9	3.9
केसीसी (संख्या मिलियन में)	24.3	39.9	42.5	2.6
केसीसी (राशि ₹ बिलियन में)	1,240.1	3,684.5	4,382.3	697.8
जीसीसी (संख्या मिलियन में)	1.4	7.4	9.2	1.8
जीसीसी (राशि ₹ बिलियन में)	35.1	1,096.9	1,301.6	204.7
आईसीटी खातों में बीसीटी लेनदेन (संख्या मिलियन में)*	26.5	328.6	477.0	477.0
आईसीटी खातों में बीसीटी लेनदेन (राशि ₹ बिलियन में)*	6.9	524.4	859.8	859.8

* : वित्तीय वर्ष के दौरान।

लिए प्रयासों को जारी रखना होगा। सभी सरकारी भुगतान बैंकिंग के माध्यम से किए जाएं तो यह संभव है। इससे आगे बढ़ते हुए, ये लेनदेन बैंकिंग तंत्र के माध्यम से करने के लिए बैंकों को समुचित पारिश्रमिक प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी बैंकिंग सेवाएं अंततः, देश भर में तैयार किए गए बैंकिंग कारोबारियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किए जाने की अपेक्षा किए जाने के कारण यह आवश्यक है कि बैंकिंग कारोबारियों के परिचालनों पर बैंकों द्वारा समुचित नियंत्रण प्रणाली का होना सुनिश्चित किया जाए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग कारोबारी मॉडल की सफलता देश भर में समुचित नेटवर्क कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक आश्रित है।

ऋण वितरण को सरल बनाना

IV.19 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया है कि राशि को ध्यान में रखे बिना, सभी प्रकार के ऋणों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं (एसएचजी एवं जेएलजी सहित) से बेबाकी प्रमाणपत्र लेना बंद करें। बैंकों को ऋण मूल्यांकन में सावधानी बरतने के

वैकल्पिक ढांचे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक समाहित हो सकते हैं - (i) ऋण संबंधी सूचना देने वाली कंपनियों के माध्यम से ऋण के अतीत पर नजर रखना; (ii) स्वयं का घोषणापत्र या उधारकर्ता का घोषणापत्र; (iii) प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्रचना एवं प्रतिभूत ब्याज (सीईआरएसएआई) का केंद्रीय पंजीयन; (iv) आपसी निगरानी; (v) ऋण प्रदानकर्ताओं के बीच सूचना साझा करना; तथा (vi) सूचना की तलाश (निर्धारित-अपनी समय-सीमा के बाद अन्य ऋण प्रदानकर्ताओं को लिखकर सूचित करना)।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता कैंप

IV.20 रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता का विस्तार करने के प्रयास अपने सीधे उपायों के अलावा बैंकों के माध्यम से भी किए जाते हैं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार वित्तीय साक्षरता केंद्र (एलएलसी) एवं बैंकों की ग्रामीण शाखाएं से कम से कम महीने में एक वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करने की अपेक्षा होती है, जिनमें वित्तीय

सारणी IV.7: वित्तीय शिक्षा केंद्रों द्वारा की गई गतिविधियां

विवरण	2013-14 (अप्रैल-मार्च)	2014-15# (अप्रैल-मार्च)
1	2	3
कार्यशील एफएलसी की संख्या	942	1,181
संपन्न गतिविधियों की संख्या *	56,985	84,089
प्रतिभागियों की कुल संख्या*	3,826,068	5,238,358
कैंप में भाग लेने के बाद खाता खोलने वाले प्रतिभागियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	1,442,546
कैंप में भाग लेने के समय पहले से खाता धारक प्रतिभागियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	2,890,204

* आउटडोर तथा इनडोर -दोनों गतिविधियां शामिल हैं। हालांकि, अप्रैल 2014 से इनडोर गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।
: अर्न्तितम

रूप से वंचित लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना होता है। इनके अतिरिक्त, बैंकों को ऐसे कैंपों का आयोजन बैंक रहित स्थानों पर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मार्च 2015 के अंत में, देश में 1,181 एफएलसी कार्यरत हैं जबकि मार्च 2014 के अंत में इनकी संख्या 942 थी। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 की अवधि में, बैंकों की 32,509 ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन किया गया और एफएलसी तथा बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित कैंपों में 5.7 मिलियन प्रतिभागियों के खाते खोले गए (सारणी IV.7 एवं IV.8)।

2015-16 के लिए कार्यसूची

IV.21 आगे चलकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने का प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) जारी करने की कार्यप्रणाली क्रियान्वित की जाएगी। इससे बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के उपकरण के रूप में मदद मिलेगी तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में उनके तुलनात्मक लाभों को लिवरेज करने की अनुमति/छूट मिलेगी। वित्तीय समावेशन के लिए मापनीय मध्यावधिक (पांच वर्ष) कार्ययोजना तैयार करने के लिए

सारणी IV.8: ग्रामीण शाखाओं द्वारा की गई गतिविधियां

विवरण	2014-15*
1	2
ग्रामीण शाखाओं की संख्या	52,934
कैंप आयोजित करने वाली ग्रामीण शाखाओं की संख्या	32,509
आयोजित किए गए कैंपों की संख्या	306,188
प्रतिभागियों की कुल संख्या	14,826,647
कैंप में भाग लेने के बाद खाता खोलने वाले प्रतिभागियों की संख्या	5,657,092
कैंप में भाग लेने के समय पहले से खाताधारक प्रतिभागियों की संख्या	6,686,518

* : अर्न्तितम

रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि मार्ग तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती)। लीड बैंक, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), केसीसी, एसएचजी और बैंक संबंध तथा बीसी मॉडल जैसी वर्तमान योजनाओं के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन किए जाएंगे।

IV.22 वर्ष के दौरान टीआरडीएस का कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी संकल्पना एमएसएमई के इनवाइसों/विनिमय बिल भुनाने की सुविधा उपलब्ध कराने के प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एमएसएमई इकाइयों की देखरेख और पुनरूद्धार करने, इस प्रकार की इकाइयों में ऋण प्रवाह तथा रूग्णता के मिलान एवं विश्लेषण के लिए बैंकों के प्रयासों की निरंतर निगरानी की जाएगी। रिजर्व बैंक ने 'उद्यमिता-संवेदना' का विकास करने एवं बैंकों की ओर से संपर्क करने वाले कार्यकर्ताओं के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इससे, कार्यकर्ताओं को एमएसएमई उद्यमियों की ऋण संबंधी वास्तविक जरूरतों को समझने एवं यथासमय प्रतिक्रिया देने में मदद मिलने की अपेक्षा की जाती है।

V

वित्तीय बाजारों का विनियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2014-15 में रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों में सुधार हेतु कई उपाय किए। इन प्रयासों का उद्देश्य सहभागिता को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और बाजार को गहन, प्रभावी, ऐक्सेस-योग्य और स्थिर बनाना है। समुचित लिखतों और पर्याप्त सहभागिता को महत्व देकर मुद्रा बाजार का विकास करना। इसके अलावा, इनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार को व्यापक व गहन बनाने में योगदान हेतु विदेशी मुद्रा विनियमों को परिष्कृत व औचित्यपूर्ण बनाना था। डेरिवेटिव बाजारों के मामले में 2014-15 के दौरान ओवर द काउंटर एवं एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिवों दोनों में प्रलेखन संबंधी अपेक्षाओं को सरल बनाने और सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय किए गए।

V.1 वित्तीय बाजारों को व्यापक व गहन बनाना और उनके विनियमन हेतु समुचित संरचना तैयार करना रिजर्व बैंक में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2014-15 के दौरान 2013-14 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में बताए गए पांच स्तंभों वाले दृष्टिकोण से अपनी विकासात्मक व विनियामक नीतियों के संचालन हेतु रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार क्षेत्र के, खास तौर पर अस्थिर व अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय परिवेश के परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न खंडों की चलनिधि, कार्यकलाप और आघात-सहनीयता के स्तर में सुधार करने हेतु कई उपाय किए ताकि ये बाजार भारत की संवृद्धि के लिए वित्तपोषण करने में प्रभावी ढंग से मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य सहभागिता को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा बाजारों को गहन, प्रभावी, ऐक्सेस-योग्य व स्थिर बनाना है।

V.2 मुद्रा बाजार के संदर्भ में मीयादी/रिपो बाजारों को और विकसित करने का प्रयास किया गया। जहां तक सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार का प्रश्न है पूर्व की भांति उद्देश्य यह रहा कि चलनिधि की स्थिति बेहतर करना और व्यापक सहभागिता, जिसके अंतर्गत विदेशी निवेशक और निवासी भारतीय शामिल हैं, को साकार करना। विदेशी मुद्रा बाजार के परिप्रेक्ष्य में चालू व पूंजी तथा आवक व जावक दोनों प्रकार के लेनदेनों के उदारीकरण पर जोर दिया गया। डेरिवेटिव खंड के संबंध में उद्देश्य यह था कि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सहभागिता को बढ़ाना। रिजर्व बैंक के तीन विभागों को मुख्यतः वित्तीय बाजारों के विकास एवं विनियमन, वित्तीय बाजार परिचालनों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन की भूमिकाएं सौंपी गई हैं।

वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजारों का विनियमन, विकास और निगरानी समेकित तरीके से करने के अधिदेश से 03 नवंबर 2014 को एफएमआरडी की स्थापना की गई। इस विभाग के प्रमुख कार्यकलापों के अंतर्गत मुद्रा, जी-सेक, विदेशी मुद्रा और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों का विनियमन एवं विकास करना शामिल है। यह विभाग वित्तीय बेंचमार्क संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री. पी. विजय भास्कर) की सिफारिशों को लागू करने, वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा बाजार निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। एफएमआरडी के एक अंश के रूप में बाजार आसूचना कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव है। आगे यह विभाग (i) सभी सहभागियों के लिए बाजार ऐक्सेस संबंधी मानदंडों को आसान बनाने; (ii) उत्पादों के विकल्पों को बढ़ाने और सभी खंडों पर सहभागिता को बढ़ाने; (iii) वैश्विक मानकों के अनुरूप बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने; तथा (iv) नीतिगत निविष्टि के तौर पर बाजार विश्लेषण और निगरानी तंत्र का प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

2014-15 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.4 वर्ष 2014-15 के दौरान एफएमआरडी ने सहभागिता को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा बाजारों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए। रिजर्व बैंक को इस कार्य हेतु परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व को शामिल करते हुए अप्रैल 2015 में मुद्रा, फोरेक्स और जी-सेक बाजार संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) (अध्यक्ष : हारून आर. खान) का गठन किया गया।

V.5 वित्तीय बेंचमार्क संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से फरवरी 2015 में फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) नामक एक नई कंपनी, जिसका प्रवर्तन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा), भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, का कार्य-संचालन शुरू हुआ। पहले कदम के तौर पर 22 जुलाई 2015 को एफबीआईएल ओवरनाइट मुंबई अंतर-बैंक पेशकश दर (एफबीआईएल-ओवरनाइट माइबोर) की शुरुआत की गई।

V.6 प्रमुख अंतर-बैंक ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों की कीमत व मात्रा की सूचना के प्रकटीकरण हेतु

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) में एक समुचित सार्वजनिक प्रसार प्रणाली की स्थापना की जानी थी। तदनुसार, सीसीआईएल ने 13 अप्रैल 2015 से अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया वायदा और अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया करेंसी ऑप्शनों से संबंधित आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना शुरू किया। इस प्रकार प्रसारित आंकड़े सकल आधारित थे, जिनमें टेनर-वार लेनदेन दर शुरुआती, उच्च, निम्न, अंतिम, भारित औसत दर (डब्ल्यूएआर), मात्रा और लेनदेनों की संख्या के रूप में अंतर्निहित अस्थिरता शामिल है (बॉक्स V.1)।

V.7 योजना के अनुसार शॉर्ट सेल के लिए सीमाओं को बढ़ाया गया है और ओटीसी बाजार में शॉर्ट सेल करने की अनुमति दी गई

बॉक्स V.1

जी20 की प्रतिबद्धताएं और भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में सुधार

वर्ष 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिक्रियास्वरूप जी20 ने वित्तीय प्रणाली के विनियमन और निगरानी को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कई सुधारमूलक कदम उठाए तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) को इन कदमों के समन्वय का कार्य सौंपा। सुधारमूलक कदमों के अंतर्गत पारदर्शिता बढ़ाना और ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों की आघात-सहनीयता को उन्नत बनाना शामिल है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति के निदेशानुसार ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए गठित एक कार्यान्वयन समूह (अध्यक्ष: श्री आर. गांधी) ने इन सुधारमूलक कदमों के लिए रूपरेखा बनाई है।

मानकीकरण

- ऋण चूक स्वैपों (सीडीएस) में अंतर-बैंक व्यापारों और ओवरनाइट माइबोर पर आधारित रुपया ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) के मानकीकरण किए जाने के बाद अन्य बेंचमार्कों के लिए संदर्भित ब्याज दर स्वैपों (आईआरएस) को चरणबद्ध रूप से मानकीकृत किया जाएगा।

- विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों के मानकीकरण के संबंध में 2015 के अंत तक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वे अक्सर 'बिल्कुल सादा' स्वरूप के होते हैं और करेंसी स्वैपों, विदेशी मुद्रा में आईआरएस (एफसीवाई) और ब्याज दर ऑप्शनों में बाजार चलनिधि कम रहती है।

- एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म ट्रेडिंग जैसे-जैसे फोरेक्स ऑप्शनों, करेंसी स्वैपों (सीएस), एफसीवाई-आईआरएस और एफसीवाई व सीडीएस में ब्याज दर ऑप्शनों का विकास होगा वैसे-वैसे ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

ट्रेड रिपोर्टिंग (टीआर) को रिपोर्ट करना

- सभी ओटीसी फोरेक्स और ब्याज दर डेरिवेटिवों, रुपया आईआरएस/वायदा दर करार (एफआरए) और सीडीएस में ग्राहक के लेनदेनों के मामले में एफसीवाई ब्याज दर ऑप्शनों को तब रिपोर्टिंग ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा, जब चलनिधि में बढ़ोतरी होने लगेगी।

- अतः टीआर को ओटीसी डेरिवेटिवों की रिपोर्टिंग संबंधी जी20 प्रतिबद्धता के मामले में भारत पूर्णतः कंफ्लायंट बन गया है।

केंद्रीय समाशोधन

- 80 प्रतिशत से अधिक आईआरएस ट्रेडों को बिना किसी विनियामक अधिदेश के गैर-गारंटीकृत आधार पर केंद्रीय रूप से समाशोधित किया जाता रहा है। आईआरएस ट्रेडों के लिए समाशोधन आधारित केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) उपलब्ध कराने हेतु सीसीआईएल को सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है, जिसका परिचालन शीघ्र ही शुरू होगा।

- फोरेक्स डेरिवेटिवों के मामले में फोरेक्स वायदों के सीसीपी समाशोधन को अनिवार्य बना दिया गया है। फोरेक्स ऑप्शनों के लिए सीसीपी समाशोधन, सीएस, आईआरएस और एफसीवाई में ब्याज दर ऑप्शनों तथा सीडीएस, जिनमें चलनिधि कम रहती है, की समीक्षा 2015 के अंत तक की जाएगी।

मार्जिन अपेक्षाएं

- ओटीसी डेरिवेटिवों, जिनके अंतर्गत सीडीएस भी शामिल है, के लिए विस्तृत तौर-तरीके मार्जिन अपेक्षाओं और अन्य अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित बासेल कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

गैर-केंद्रीकृत ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए पूंजी अपेक्षाएं

- सीसीपी को दिए गए बैंकों के एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षाओं संबंधी नियम 01 जनवरी 2014 से लागू हुए हैं, जिनके कारण केंद्रीकृत समाशोधित उत्पादों के लिए पूंजी अपेक्षाएं कम हुई हैं। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकृत समाशोधित डेरिवेटिवों के लिए ऋण मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) पूंजी प्रभार को भी लागू कराया गया है।

है। प्रतिवर्ती रिपो के अंतर्गत अर्जित की गई जी-सेक का रि-रिपो करने की भी अनुमति दी गई है। जी-सेक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की सहभागिता को सुसाध्य बनाना इस वर्ष का एक प्रमुख अधिदेश रहा। इस संबंध में एफपीआई को द्वितीयक बाजार में किसी प्रतिपक्षकार से सीधे जी-सेक अर्जित करने की अनुमति दी गई और इस प्रक्रिया में किसी दलाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी-सेक में सभी एफपीआई लेनदेनों का निपटान टी+2 आधार पर करने की अनुमति दी गई है। एफपीआई को अपने निवेश पर प्राप्त कूपनों का जी-सेक की मौजूदा सीमा के बाहर पुनर्निवेश करने की अनुमति दी गई तथा उन्हें ऐसी कर्ज प्रतिभूतियों पर कूपन रसीदों को हेज करने की भी अनुमति दी गई जो आगामी 12 माह में देय होने वाली हों।

V.8 नए उत्पादों की शुरुआत और बाजारों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक्सचेंजों में भारत सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों पर 6-वर्षीय और 13-वर्षीय नकद निपटान ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) के लेनदेन की अनुमति दी गई जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि क्रमशः 4-8 वर्ष और 11-15 वर्ष हो। ब्याज दर ऑप्शन प्रारंभ करने हेतु एक कार्यसमूह (अध्यक्ष : प्रो. पी.जी. आप्टे) का गठन किया गया है।

V.9 फोरेक्स बाजारों में प्रलेखन कार्य को कम बोझिल बनाने की दृष्टि से हेजिंग संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षकों से अपेक्षित प्रमाणीकरण के स्थान पर उस संस्था के पदनामित अधिकारियों से ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) बाजार दोनों में वचन-पत्र लिया जाने लगा है। ओटीसी और ईटीसीडी बाजारों में आयातकर्ताओं के लिए हेजिंग की पात्र सीमाएं उनके पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्यातकों के लिए निर्धारित सीमाओं के बराबर लाई गईं। बिना किसी अंतर्निहित एक्सपोजर तैयार करने की अपेक्षा के एक्सचेंजों पर अनुमेय पोजीशन सीमाओं को बढ़ाकर अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा अन्य सभी करेंसी-युग्मों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

V.10 विदेशी संस्थाओं की ऑनशोर हेजिंग बाजारों तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के ऋणदाताओं

को अपने विदेशी बैंक के साथ स्वैप लेनदेन करने की अनुमति दी गई, जिससे भारत में स्थित श्रेणी-1 के प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक के साथ ऋण समर्थित ऋण स्वैप लेनदेन किया जा सकेगा। ब्याज दर स्वैप्स (आईआरएस) में पारदर्शिता में सुधार लाने तथा भागीदारी को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, आईआरएस करारों के लिए एक नामरहित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म 03 अगस्त, 2015 की सीसीआईएल द्वारा गारंटीशुदा निपटान के साथ प्रारंभ किया गया है जिसे एक दिनी माईबोर बेंचमार्क से संदर्भित किया गया है।

V.11 जहां तक कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए कुछ क्षेत्रों का संबंध है हालांकि कार्रवाई शुरू की जा चुकी है फिर भी कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है। तयशुदा लेनदेन प्रणाली ऑर्डर-मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लैटफॉर्म के अपग्रेडेशन के मामले में सीसीआईएल को आवश्यक अनुमोदन दे दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए संरचना, मेसेजिंग ढांचे और प्रौद्योगिकी की बुनियादी संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है, वहीं सॉफ्टवेयर का विकास अंतिम चरण में है।

V.12 भारत सरकार की कर्ज प्रतिभूतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटानों की संभावनाओं का पता लगाना एक और योजनाबद्ध कार्रवाई रही। इस संबंध में भारत सरकार तथा यूरोक्विलयर और क्लियरस्ट्रीम जैसी प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा डिपाजिटरियों (आईसीएसडी) के साथ निरंतर विचार-विमर्श किया गया। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला एक व्यवहार्य तंत्र 2015-16 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.13 कर्ज प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए सीमा तय करने की पद्धति में पिछले कई वर्षों में बदलाव हुआ है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करके ये सीमाएं तय करने की संरचित प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही आवधिक समीक्षाओं का ढांचा तैयार करना चाहता है। जी-सेक में रिटेल सहभागिता को बढ़ाने पर रिजर्व बैंक अपना ध्यान केंद्रित करता रहा है। सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल) के रूप से डीमैट रूप में तथा विलोमतः प्रतिभूतियों के निर्बाध अंतरण को साकार करने की दृष्टि से यह घोषणा की गई कि डीमैट खातेदारों को एनडीएस-ओएम पर लेनदेन करने का विकल्प

उपलब्ध कराया जाएगा। दिसंबर 2015 तक उपायों पर कार्रवाई करने हेतु सभी स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों को समाहित करते हुए एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया गया है।

V.14 गहन व चलनिधि संपन्न कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार सदा ही भारत सरकार और वित्तीय विनियामकों के नीतिगत लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। कॉर्पोरेट बॉण्डों में रिपो को मूर्त रूप देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म की शुरुआत किए जाने पर विचार किया जाएगा। ओटीसी फोरेक्स बाजार में ऑपशन्स खंड को चलनिधि उपलब्ध कराने तथा सर्वांगीण सहभागिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्यातकों और आयातकों को अपने संविदागत एक्सपोजरों पर ऑप्शनों का रक्षित अधिलेख (राइट कवर) करने की अनुमति देने संबंधी अंतिम दिशानिर्देश सितंबर 2015 तक जारी किए जाएंगे। ब्याज दर ऑप्शनों संबंधी कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। बाजार के सहभागियों के लिए बेंचमार्क सबमिशन प्रथाओं के मूल्यांकन का ढांचा भी 2015-16 के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.15 संगठनात्मक पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में निगरानी कार्य को अलग करने की दृष्टि से 3 नवंबर 2014 को पूर्ववर्ती वित्तीय बाजार विभाग (एफएमडी) से एफएमओडी की स्थापना की गई। इससे एफएमओडी प्रमुखतः परिचालनात्मक विभाग बन गया जो वित्तीय बाजार परिचालनों को दक्षतापूर्वक पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। एफएमओडी की भूमिका तेजी से बढ़ती वास्तविक अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने हेतु सक्रिय, कारगर और स्थिर वित्तीय बाजारों को साकार करने की है।

वर्ष 2014-15 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.16 एफएमओडी को प्रमुख रूप से रिजर्व बैंक की नीतियों के अनुसार बाजार परिचालन करने का कार्य सौंपा गया है। पिछले वर्षों की भांति वर्ष 2014-15 की कार्य-सूची में भी हाजिर और वायदा खंडों दोनों में अपने परिचालनों के माध्यम से फोरेक्स बाजार में सुव्यवस्थित परिस्थिति बनाए रखने को काफी महत्व दिया गया। चलनिधि प्रबंध परिचालनों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में चलनिधि को समुचित स्तर पर बनाए रखने की दिशा में भी प्रयास किए गए।

इसके अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (स्थिर/परिवर्ती दर रिपो/विभिन्न स्वरूप के प्रतिवर्ती रिपो) और ओवरनाइट सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), अन्य स्थायी सुविधाएं तथा खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) शामिल हैं ताकि मौद्रिक नीति संकेतों का संचरण अधिक कारगर तरीके से करने की दृष्टि से मुद्रा बाजार की दरों एवं नीति दरों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। वित्तीय बाजारों और बाजार परिचालनों में हो रही गतिविधियों के संबंध में नियमित आधार पर विश्लेषण और अनुसंधान भी किए गए।

V.17 वर्ष 2014-15 के दौरान रुपया की विनिमय दर में स्थिरता दिखाई पड़ी, जबकि पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त 2013 के दौरान रुपया में टैपर टेंट्रम की वजह से अत्यंत उतार-चढ़ाव हुआ। बेहतर चलनिधि प्रबंध के लिए सितंबर 2014 में चलनिधि समायोजन सुविधा में परिवर्तन किया गया जिसके साथ ही दुरुस्ती की दृष्टि से परिवर्ती दर रिपो/प्रतिवर्ती रिपो नीलामियों के उपयोग के अलावा अधिक बारंबार विविध अवधि की मीयादी रिपो नीलामियां आयोजित की गईं। इन कदमों ने मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने और मुद्रा बाजार की दरों को नीति दरों के बिलकुल करीब लाने में मदद की।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.18 इस विभाग का उद्देश्य चलनिधि प्रबंध परिचालनों को कारगर ढंग से पूरा करने, विदेशी मुद्रा परिचालन करने, जिसके अंतर्गत कारगर तरीके से मध्यक्षेप करना भी शामिल है, और वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करने के लिए प्रयास करते रहना है। इस विभाग का उद्देश्य सुचारु एवं अधिक लोचदार चलनिधि प्रबंध परिचालनों को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन करना भी है।

विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.19 बढ़ते वैश्वीकरण और उभरती कारोबार प्रथाओं और मॉडलों के मद्देनजर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठाना जरूरी है। चूंकि अल्पावधि से मध्यम अवधि में भारत को पूंजी घाटे की

स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, अतः विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा ढांचा होना चाहिए जो सरल, व्यापक व सिद्धांतों पर आधारित हो ताकि विनियामक लागत में कमी की जा सके और कारोबार भी निर्बाध रूप से चलाया जा सके। इसका कार्यान्वयन पूंजी खाता उदारीकरण की दिशा में प्रगति हासिल करने के अतिमहत्वपूर्ण सिद्धांत के तहत रहते हुए तथा समष्टि-विवेकपूर्ण स्थिरता संबंधी अडचनों की परिस्थिति में किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के अंतर्गत एफडीआई इस प्रयोजन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.20 बाह्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति की बहाली को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 2013-14 में उठाए गए कई आपातकालीन कदमों को वापस लिया तथा चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए मजबूत व स्थिर पूंजी प्रवाहों को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण में अनुपूरक बचतों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2014-15 में विदेशी निवेश व्यवस्था को और सरल बनाने तथा देशी फर्मों व विदेशी निवेशकों दोनों के लिए उसे और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में प्रयास किए गए। ईसीबी के मौजूदा ढांचे की समीक्षा पर भी विचार किया गया।

एफडीआई में छूट और एफपीआई व्यवस्थाएं

V.21 किसी भारतीय कंपनी द्वारा अंशतः अदा किए गए इक्विटी शेयरों और वारंटों के संबंध में एफडीआई और एफपीआई के लिए पात्र लिखतों की नीति की समीक्षा करने के बाद यह अनुमति दी गई कि उन्हें एफडीआई और एफपीआई योजनाओं के प्रयोजन से पात्र लिखत के रूप में माना जाए। एफडीआई ढांचे में और अधिक स्वतंत्रता व लचीलापन लाने की दृष्टि से सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में शेयरों, जो विकल्प खंडों वाले अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर/डिबेंचर हों या जो बगैर विकल्प खंडों वाले (आश्चस्त प्रतिफल के बिना) हों, के निर्गम व अंतरण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य-निर्धारण पद्धति के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर कीमत तय करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों को उनके

द्वारा देय ऐसी निधियों पर इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दी गई, जिनके विप्रेषण के लिए फेमा, 1999 या अन्य नियमों/विनियमों या निदेशों के अंतर्गत सरकार या रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित नहीं हो।

V.22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अनुकूल एफडीआई नीति के अनुसार श्रेणी-1 के एडी बैंकों को अनिवासी भारतीय द्वारा निवेशक/निवेशकों द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी शेयरों की गिरवी रखे जाने हेतु अनुमति दी गई ताकि निवासी भारतीय निवेशिती कंपनी को दी गई ऋण सुविधाओं को प्रतिभूत किया जा सके। सरकार द्वारा एफडीआई नीति में घोषित परिवर्तनों के बाद (क) सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक; (ख) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रेलवे बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेशों को सुसाध्य बनाने हेतु विनियमों में संशोधन किया गया। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई के 26 प्रतिशत के पूर्ववर्ती स्तर को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया।

V.23 22 जनवरी 2015 को रिजर्व बैंक ने नई निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 अधिसूचित की जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों को निक्षेपागार रसीदों में अंतरित किए जाने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र प्रतिभूतियां जारी या अंतरित करने के लिए पात्र बनता है।

ईसीबी के ढांचे की समीक्षा

V.24 ईसीबी के कार्य का दायरा बढ़ाया गया और मान्यता-प्राप्त अनिवासी भारतीय ऋणताओं को पात्र निवासी भारतीय उधारकर्ताओं को भारतीय रुपया में ऋण देने की अनुमति दी गई। यह सुविधा ईसीबी व्यवस्थाओं की संरचना तैयार करने का अवसर प्रदान करने के अलावा उधारकर्ताओं से ऋणदाताओं पर मुद्रा जोखिम अंतरित करती है। ईसीबी की प्राप्तियों के डा-डाउन की व्यवस्था बेहतर ढंग से तैयार करने तथा अनुमत अंतिम प्रयोजनों के लिए उनके परवर्ती उपयोग को साकार करने की दृष्टि से पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में स्थित श्रेणी-1 के एडी बैंकों में मीयादी जमा में ईसीबी प्राप्तियां उपयोग करने तक और अधिकतम छह माह की अवधि के लिए रखने की अनुमति दी गई। ईसीबी जुटाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों के सेट को अपेक्षाकृत और व्यापक बनाया गया जिसके

अंतर्गत अचल आस्तियों के अलावा चल आस्तियों तथा वित्तीय प्रतिभूतियों को भी शामिल किया गया।

गैर-ट्रेड जावक विप्रेषणों और यात्रा-संबंधी लेनदेनों का सरलीकरण

V.25 विदेशी संयुक्त उपक्रमों (जेवी), पूर्णतः स्वाधिकृत अनुषंगी संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) तथा उप अनुषंगी संस्थाओं के लिए निवासी भारतीयों को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष ओवरसीज निवेश (ओडीआई) से संबंधित नीतियों को उधार बनाया गया। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अपनी विदेशी एसडीएस के शेयरों का गिरवी रखा जाना और देशी/ विदेशी आस्तियों पर ऋण-भार का सृजन करना भी शामिल है।

V.26 हाल में पूंजी अंतर्वाह में आई तेजी को बनाए रखने तथा समष्टि विवेकपूर्ण प्रबंधन के अंश के रूप में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सीमा को 1,25,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2,50,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। इसके अलावा, लेनदेनों को आसान बनाने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाते के लेनदेन) नियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निवासी भारतीयों को उपलब्ध चालू खाते के लिए एक्सचेंज/ विप्रेषणों को निर्मोचित करने की सभी सुविधाएं इस सीमा के अंतर्गत शामिल की गईं।

V.27 नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाने वाले लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ₹25,000 के मूल्य तक उच्चतर मूल्य वर्ग के नोट ले जाने की अनुमति दी गई। इससे पहले, उक्त दो देशों की यात्रा पर जाने वाले लोगों को बिना किसी सीमा के केवल ₹100 तक के मूल्यवर्गों में भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति दी गई थी।

निर्यात संबंधी आंकड़ा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीएमपीएस)

V.28 आंकड़ों की रिपोर्टिंग को प्रभावी व सरल बनाने के साथ ही निर्यात संबंधी लेनदेनों की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी निगरानी को मूर्त रूप देने के लिए मार्च 2014 में ईडीएमपीएस शुरू की

गई। निर्यात संबंधी सभी लेनदेनों के लिए ईडीएमपीएस में एक एकल मास्टर डेटाबेस है और इसका प्रयोग सर्वसंबंधितों द्वारा किया जाता है (यथा- भारतीय रिजर्व बैंक, सीमा-शुल्क विभाग और बैंक)। ईडीएमपीएस ने निर्यात संबंधी ऐसे लेनदेनों में रहने वाली विसंगतियों के लंबे अरसे के मुद्दे को कारगर ढंग से दूर कर लिया जिनकी रिपोर्टिंग सीमा-शुल्क विभाग द्वारा की गई हो, लेकिन उनका पता बैंकिंग चैनल में नहीं चला हो।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)

V.29 आईएफएससी के कार्यसंचालन को सुसाध्य बनाने हेतु मार्च 2015 में विनियमावली तैयार की गई जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्था की किसी शाखा को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाएगा तथा भारत के निवासी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले उनके लेनदेनों को उस प्रकार से माना जाएगा जिस प्रकार एक अनिवासी और निवासी भारतीय के बीच होने वाले लेनदेनों को माना जाता हो तथा यह फेमा, 1999 के प्रावधानों के अधीन है।

रुपय में अंकित विदेशी बांड

V.30 कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को 2013 से विदेशी बाजारों में रुपया बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई, जिस पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करने के बाद अप्रैल 2015 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह निर्णय लिया था कि पात्र भारतीय कॉर्पोरेटों को रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड जारी करने हेतु ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाए। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं और पात्र उधारकर्ताओं द्वारा रुपया संबद्ध बॉण्डों के विदेशी निर्गम संबंधी ढांचे का प्रारूप सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया तथा इससे संबंधित नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.31 विदेशी मुद्रा प्रबंध की दिशा में देश द्वारा हासिल की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा कारोबार संचालन को आसान बनाने की दृष्टि से उभरते कारोबार मॉडलों व प्रथाओं तथा फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों में तालमेल बिठाना जरूरी है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि (i) फेमा के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं, जिनकी शुरुआत पिछले वर्ष

की गई थी, को औचित्यपूर्ण एवं सरल बनाने का कार्य पूरा किया जाए; (ii) प्रश्नाधीन विषय से संबंधित सभी अनुदेशों को समाहित करने वाली मास्टर विनियमावली को और यूज़र फ्रेंडली तरीके से जारी किया जाए; तथा (iii) विदेशी मुद्रा के प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले विनियामक बोझ को कम करने हेतु उसमें प्रस्तुत विवरणियों को युक्तियुक्त बनाया जाए। ईसीबी दिशानिर्देशों को सरल बनाने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा रिजर्व बैंक देशी व

विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुंच बनाने संबंधी ढांचे की समीक्षा करते समय इस समिति की सिफारिशों का ध्यान रखेगा (दूसरा चरण, भाग- II : विदेशी मुद्रा उधार, रिपोर्ट; III अध्यक्ष : श्री एम.एस. साहू)। रिजर्व बैंक आईडीपीएमएस के स्थायित्व से प्रोत्साहित होकर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके आयात संबंधी आंकड़ा प्रोसेसिंग तथा निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) की स्थापना हेतु कार्रवाई शुरू करेगा।

आर्थिक मंदी के बाद और क्षेत्र-विशेष से जुड़े कारकों की वजह से, बैंकिंग क्षेत्र आस्ति गुणवत्ता में गिरावट की समस्या से घिर गया है। प्रतिक्रियास्वरूप रिजर्व बैंक ने प्रारंभिक स्तर पर ही दबाव की पहचान करने और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ, रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विशिष्ट श्रेणी के बैंकों को अनुमति देते हुए बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने का कार्य किया। आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को वसूली प्रबंधन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक व्यवस्था को शेष बैंकिंग क्षेत्र के समरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्राहक संरक्षण पर ध्यान देते हुए रिजर्व बैंक ने ग्राहक अधिकारों का चार्टर जारी किया, जिसमें बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है।

VI.1 समीक्षाधीन वर्ष में वित्तीय स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ा है - अमरीका की मौद्रिक नीति को सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अनिश्चितता से घिरा था, और इसी दौरान वहां से आने वाले तथ्यों पर बाजार में होने वाली प्रतिक्रियाओं ने सेन्टीमेन्ट, आस्ति कीमतों और पूंजी प्रवाह के लिए रिस्क ऑन रिस्क ऑफ स्विच का काम किया; यूरो क्षेत्र और जापान में वित्तीय आस्ति मूल्यों में बड़े उतार-चढ़ाव के साथ अत्यधिक समायोजनशील मौद्रिक नीतियों; और उदीयमान बाजारों वाली अर्थव्यवस्था में वित्तीय संतुलन को फिर से लाने और घरेलू अतिसंवेदनशीलता के प्रबन्धन, अधिकाधिक कॉरपोरेट ऋण-प्रस्तता और बाजार तथा चलनिधि जोखिमों के बढ़ते एक्सपोजर मौजूद थे। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए वित्तीय प्रणाली के बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों घटकों पर ध्यान देने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए समष्टिगत विवेकपूर्ण उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो गए।

VI.2 वैश्विक और घरेलू गतिविधियों के संयोग से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता पर दबाव को देखते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक का फोकस विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत करने पर था, जिसके लिए इन्हें बासेल-III मानदंडों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों द्वारा स्थापित मानदंडों के साथ समरूप किया गया।

VI.3 प्रौद्योगिकीय समुन्नयन और उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास को शेयर करने को बढ़ावा देते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों की विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को बैंकिंग प्रणाली के साथ संयोजित करके मजबूत बनाया गया। बैंकिंग संरचना, इसके विशिष्ट डोमेन सहित, में नए प्रतियोगियों यथा लघु वित्त और भुगतान बैंकों को प्रविष्ट करते हुए, और गैर-बैंक प्राधिकृत संस्थानों को अपने दायरे में लाकर भुगतान प्रणाली संरचना की पहुंच का विस्तार करते हुए बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। रिजर्व बैंक ने विदेशों में परिचालन कर रहे भारतीय बैंकों और भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों के बीच अधिकाधिक सहयोग को बढ़ाने और पर्यवेक्षी जानकारी को साझा करने के लिए अन्य देशों के पर्यवेक्षी समुदायों के साथ समझौता ज्ञापन/पत्रों के आदान-प्रदान/ सहयोग प्रतिज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

VI.4 बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई दबावग्रस्त आस्तियों पर प्राथमिकता के स्तर पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। शुरुआती सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मैकेनिज्म के अलावा, बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई, जिसमें पुनर्चित आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधान, आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों और देनदारी की अपेक्षित पुनर्संरचना करके वसूली प्रबंधन शामिल थे।

VI.5 इस दिशा में वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन और पर्यवेक्षण और साथ ही ग्राहकों के हितों का ध्यान रखने वाले रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों ने वर्ष 2014-15 में अपने लिए कार्य योजना

का कार्यक्रम बनाया। आगामी पैराग्राफों में उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों, निहित चुनौतियों और 2015-16 के आगे की योजना को दर्शाया गया है।

वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.6 विश्वयापी वित्तीय संकट के बाद वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखना केन्द्रीय बैंकों का प्रमुख दायित्व हो गया है। जुलाई 2009 में रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना भारत में वित्तीय विन्यास को मजबूत बनाने, और साथ ही वित्तीय प्रणाली की प्रभावी समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से की गई। सतत आधार पर समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी, प्रणालीगत दबाव परीक्षण करके और देश में वित्तीय स्थिरता हेतु वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) नामक संस्थागत व्यवस्था को सहायता देने के अलावा वित्तीय स्थिरता की स्थिति के बारे में प्रचार के माध्यम से इस कार्य को पूरा करना परिकल्पित है।

2014-15 की कार्यसूची - कार्यान्वयन की स्थिति

VI.7 2014-15 की योजना के अनुसार - वित्तीय स्थिरता संबंधी दो रिपोर्टों का प्रकाशन हुआ - एक दिसम्बर 2014 में और दूसरी जून 2015 में। यह रिजर्व बैंक का सतत प्रयास है कि दबाव परीक्षण व्यवस्था में सुधार लाया जाए। तदनुसार समष्टि दबाव परीक्षण पद्धति में प्रयुक्त चरांकों (उदाहरण के लिए थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग, और मांग दर के स्थान पर भारित औसत लेन्डिंग दर) को परिष्कृत किया गया। इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता यूनिट को अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ - जोखिम भारित आस्तियों के डायनामिक की मॉडलिंग, और कॉर्पोरेट क्षेत्र का संकट और बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभाव की मॉडलिंग के क्षेत्रों में संयोजित किया गया ताकि दबाव परीक्षण व्यवस्था में और भी परिष्कार तथा नए प्रागाक्ति मॉडलों का विकास किया जा सके। दबाव ग्रस्त आस्तियों पर जोर देते हुए विद्युत, तथा हस्पात और स्टील उद्योग का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली की सहनशक्ति का

अनुमान लगाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर इनके प्रभाव का आकलन किया गया।

VI.8 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उपसमिति के सचिवालय के रूप में वित्तीय स्थिरता इकाई ने 2014-15 के दौरान उप-समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया। उप-समिति की इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है कि ग्राहकों की सभी वित्तीय आस्तियों को सिंगल विन्डो के माध्यम से देखने के लिए 'एकाउन्ट एग्रीगेशन' सुविधा का सृजन करने हेतु व्यवस्था की जाए। उप-समिति में विचार-विमर्श के आधार पर केन्द्रीय प्रतिभूतिकरण रजिस्ट्री, एसेट रीकन्स्ट्रक्शन एन्ड सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट ऑफ इंडिया को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की केन्द्रीय रजिस्ट्री का कार्य सौंपा गया ताकि केवाईसी के लिए दृष्टिकोण और साथ ही पूरे वित्तीय क्षेत्र में इसका अंतर-प्रयोग सुनिश्चित हो सके।

VI.9 राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों को मजबूत बनाने के लिए उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न कदम उठाए गए ताकि जमाराशि स्वीकार करने वाली अप्राधिकृत स्कीमों के बारे में बाजार आसूचना का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जा सके। बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम तैयार किया गया।

VI.10 कॉर्पोरेटों को बीमा कम्पनियों द्वारा उधार दिए जाने के बारे में सूचना हासिल करने के संबंध में उप-समिति के निर्देशों के आधार पर बीमा कम्पनियों को सूचित किया गया कि वे सेन्ट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट में अभिदाता बनें, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित बड़े ऋण से संबंधित सूचना की एक रिपॉजिटरी है।

VI.11 इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के एक उप-समूह के रूप में कार्य करने वाली वित्तीय स्थिरता इकाई द्वारा अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी) के लिए सचिवालय का भी कार्य किया जाता है और 2014-15 के दौरान इसने चार बैठकों का आयोजन किया, जिसमें अन्य विषयों के अलावा, एलईआई, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का पूंजी बाजार में एक्सपोजर संबंधी रिपोर्टिंग, एकाउन्ट एग्रीगेशन और कॉमन

केवाईसी पर विचार किया गया। आईआरटीजी ने सभी विनियामकों को सूचित किया कि वे अपने क्षेत्राधिकार में चिन्हित संस्था द्वारा एलईआई का प्रयोग अनिवार्य करने पर रोड मैप तैयार करें।

2015-16 की कार्यसूची

VI.12 इसके बाद दिसम्बर 2015 और जून 2016 में एफएसआर के प्रकाशन और समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी करना परिकल्पित है, साथ ही एफएसडीसी की उप-समिति की बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता इकाई द्वारा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों का विश्लेषण जारी रहेगा। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि दबाव-परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त उपायों और तकनीकों की समीक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों / अन्य केन्द्रीय बैंकों के साथ सहकार्य किया जाए।

वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.13 बैंकिंग विनियमन के क्षेत्र में रिजर्व बैंक का अथक प्रयास है कि प्रबल और सहनशील बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित की जाए जो कि सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हो और समाज के सभी वर्गों की वित्तीय और सहसम्बद्ध जरूरतों को दक्षता और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो। तदनुसार, इस विभाग ने बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने के लिए 2014-15 में कई उपाय आरंभ किए।

2014-15 की कार्यसूची - कार्यान्वयन की स्थिति

बासेल III- चलनिधि मानक

VI.14 2014-15 के दौरान बासेल III के चलनिधि संबंधी दो अनुपातों को लागू करने में विशेष प्रगति हुई, यथा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) जिसे बैंकों के अल्पावधि चलनिधि जोखिम प्रोफाइल में सहनशीलता लाने हेतु निर्धारित किया गया है, और निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) जिसमें अल्पावधि होलसेल फंडिंग पर अतिनिर्भरता को सीमित करना अपेक्षित है। यद्यपि भारतीय बैंकों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 1 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत की अपेक्षा के साथ लागू

होना है, जबकि 1 जनवरी 2018 से न्यूनतम 100 प्रतिशत अपेक्षा के साथ एनएसएफआर को लागू करना निर्धारित है।

बासेल III लीवरेज अनुपात (एलआर)

VI.15 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के अनुसार ही रिजर्व बैंक ने जनवरी 2015 में जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के विश्वसनीय प्रतिपूरक के रूप में लीवरेज अनुपात की संशोधित रूपरेखा जारी की। यद्यपि भारतीय बैंकों के लिए अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात उन्हीं फाइनेल नियमों के अनुरूप रखा जाएगा, जो बीसीबीएस द्वारा 2017 के अंत में निर्धारित किए जाएंगे, तब तक रिजर्व बैंक समानांतर परिचालन के तौर पर 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक लीवरेज अनुपात के अनुसार और बैंकों द्वारा टीयर 1 लीवरेज अनुपात के सार्वजनिक प्रकटीकरण के प्रयोजन से अलग-अलग बैंकों की निगरानी करेगा।

प्रतिचक्रिय पूंजी बफर (सीसीसीबी) व्यवस्था

VI.16 भारत में प्रतिचक्रिय पूंजी बफर के कार्यान्वयन से सम्बंधित दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें सीसीसीबी के घटकों, सीसीसीबी को क्रियाशील बनाने के निर्णयों के लिए मुख्य और अनुपूरक संकेतकों, और संकेतकों पर आधारित सीसीसीबी का अंशांकन शामिल है। इस बफर अपेक्षा के कार्यान्वयन की घोषणा पहले कर दी जाएगी और चार तिमाहियों का आरंभिक समय दिया जाएगा, ताकि सीसीसीबी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिले।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों (डी-एसआईबी) के साथ व्यवहार हेतु रूपरेखा

VI.17 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के अभिनिर्धारण की विश्वयापी प्रथा के अनुसार ही रिजर्व बैंक ने भी डीएसआईबीएस के साथ व्यवहार करने के लिए रूपरेखा जारी की है, जिसमें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के अभिनिर्धारण हेतु प्रविधि और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के लिए अतिरिक्त विनियामक/पर्यवेक्षी नीति पर विचार किया गया। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नाम प्रतिवर्ष अगस्त माह में प्रकट किए जाएंगे, यह कार्य 2015 में शुरू होगा।

बृहद एक्सपोजर संरचना

VI.18. किसी एकल प्रतिपक्ष या सहसम्बद्ध प्रतिपक्षों के समूह के पास किसी बैंक की आस्तियों के संकेन्द्रण में प्रणालीगत जोखिम

रहता है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार संस्थागत व्यवस्था विकसित की है ताकि बड़े एक्सपोजरों से बचाव और सहज उपचारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके।

कॉरपोरेट बॉन्डों पर आंशिक ऋण बढ़ोतरी

VI.19 वर्ष 2014-15 के दौरान उन तरीकों को तलाशा गया जिनसे अपनी दीर्घावधि संसाधन अपेक्षाओं के लिए कॉरपोरेटों को बैंकों से

वित्त पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अनुक्रम में बैंकों को प्रारूपी-दिशानिर्देश जारी किए गए कि निगम-गत बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण बढ़ोतरी की जाए। इस बारे में अंतिम दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

दबावग्रस्त आस्तियों की क्षमता बढ़ाना

VI.20 परियोजनागत वित्त संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अधिकाधिक संरूपित करने की दिशा में बढ़ने हेतु बैंकों को अनुमति दी गई कि

बॉक्स VI.1

बृहद एक्सपोजर संरचना और बाजार प्रणाली के माध्यम से ऋण आपूर्ति में बढ़ोतरी से संबंधित चर्चा-पत्र

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकेन्द्रण जोखिम पर ध्यान देने के लिए प्रतिपक्षों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर संबंधी विनियामक और सांविधिक सीमाओं का निर्धारण किया गया है। सन 1989 से ही रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के एकल और सामूहिक उधारकर्ताओं से संबंधित एक्सपोजर के लिए विनियामक सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं। वर्तमान में एक्सपोजर सीमाएँ पूँजी-निधियों के क्रमशः 15 और 40 प्रतिशत पर रखी गई हैं। अवसंरचनागत वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त सीमाओं की अनुमति है। बैंक के बोर्ड के विशेष विवेकाधिकार के तहत एक्सपोजर की ये सीमाएँ पूँजी-निधियों के क्रमशः 25 प्रतिशत और 55 प्रतिशत तक रखी जा सकती हैं। इसके अलावा, प्रतिपक्ष, क्षेत्रगत और क्रियाकलाप आधारित कुछ अन्य एक्सपोजर सीमाएँ भी हैं (सारणी 1)।

बृहद एक्सपोजरों के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय नियामक समरूपता लाने के उद्देश्य से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अप्रैल 2014 में 'सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एन्ड कन्ट्रोलिंग लार्ज एक्सपोजर्स' जारी

किए जो कि 1 जनवरी 2019 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। तदनुसार किसी एकल प्रतिपक्ष या सह-संबद्ध प्रतिपक्षों के किसी एक समूह के लिए किसी बैंक के सभी एक्सपोजर परिमाणों का योग हर समय संबंधित बैंक के उपलब्ध पात्र पूँजीगत आधार अर्थात् बासेल-III कैपिटल फ्रेमवर्क में परिभाषित मानदंडों को पूरा करने वाली टीयर-1 पूँजी की प्रभावी रकम के 25 प्रतिशत से उच्चतर नहीं होना चाहिए।

रिजर्व बैंक का भी प्रयास है कि भारत में एक्सपोजर सीमाओं (एकल और समूह दोनों) को बीसीबीएस लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क के अनुरूप किया जाए। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के बारे में एक विमर्श-आलेख 27 मार्च 2015 को जारी किया गया था। जिसमें संबंधित पहलुओं के बारे में विचार मांगे गए, जैसे कि बड़े कॉरपोरेटों द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले उधारों के अनुपात को प्रतिबंधित करना और उनसे दीर्घावधिक वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार-व्यवस्था (कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, और अन्य लिखतों) का प्रयोग करवाना।

सारणी 1 : प्रमुख एक्सपोजर सीमाएँ

विशिष्ट प्रतिपक्ष/क्षेत्र/क्रियाकलाप	विनियामक एक्सपोजर सीमाएँ
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों जो मुख्य तौर पर स्वर्ण- आभूषणों के बदले ऋण देने में संलग्न हैं	सीएफ का 7.5 प्रतिशत; अवसंरचना कार्यों हेतु इसे सीएफ के 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एएफसी / आईएफसी को छोड़कर)	सीएफ का 10 प्रतिशत; अवसंरचना कार्यों हेतु इसे सीएफ के 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
पूँजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर	निवल मालियत का 20 प्रतिशत
पूँजी बाजार में समग्र एक्सपोजर	निवल मालियत का 40 प्रतिशत
मांग मुद्रा बाजार से उधार लेना	पाक्षिक औसत के आधार पर सीएफ का 100 प्रतिशत ; किसी भी दिन इसे सीएफ के 125 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
मांग मुद्रा बाजार को उधार देना	पाक्षिक औसत के आधार पर सीएफ का 25 प्रतिशत; किसी भी दिन इसे सीएफ के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अंतर-बैंक देयताएं	विगत वर्ष की 31 मार्च को निवल मालियत का 200 प्रतिशत ;न्यूनतम 11.25 प्रतिशत सीआरएआर वाले बैंकों के लिए निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी लिखतों में निवेश और निर्गमकर्ता बैंकों/वित्तीय संस्थानों की पूँजी स्थिति के लिए पात्र।	सीएफ का 10 प्रतिशत*
अन्य बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशिता बैंक की इक्विटी पूँजी का 5 प्रतिशत*
लीजिंग, किराया खरीद और फैक्ट्रिंग संवाएं	ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए बैंक के कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत

*: किसी संविधि के प्रावधानों के तहत किसी अन्य बैंक में एक बैंक/वित्तीय संस्था की इक्विटी होल्डिंग निर्धारित सीमाओं के दायरे से बाहर रहेगी।

एएफसी-आस्तित्व वित्तपोषण कम्पनियाँ; आईएफसी-अवसंरचना वित्तपोषण कम्पनियाँ सीआरएआर: पूँजी और जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात; एफआई: वित्तीय संस्थान

(जारी...)

भारत में लार्ज एक्सपोजर वह है जिसमें किसी बैंक को एक प्रतिपक्षी या सह-सम्बद्ध प्रतिपक्षों के समूह से एक्सपोजर के सभी परिमाणों का योग उस बैंक के पात्र पूंजीगत आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या अधिक हो। केन्द्र सरकार, रिजर्व बैंक, अंतर-दिवसीय एक्सपोजरों, अंतर-समूह एक्सपोजरों और अर्हता प्राप्त सेन्ट्रल काउन्टर पार्टियों के क्लीयरिंग एक्सपोजरों को लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत लार्ज एक्सपोजर सीमा में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (एसआईबीएस), विश्वव्यापी और स्वदेशी दोनों (जीएसआईबी और डी-एसआईबी), के रूप में प्रतिपक्षों के लिए विभेदीकृत सीमाओं को लागू किया जाता है। एकल नाम वाले प्रतिपक्षों के मामले में बैंकों को उनकी वर्तमान एक्सपोजर सीमा सह-सम्बद्ध प्रतिपक्षों को रिजर्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के तहत केवल 'नियंत्रण' मानदंड के बदले में 'नियंत्रण' के साथ-साथ आर्थिक रूप से आपसी निर्भरता के आधार पर अभिनिर्धारित किया जाएगा।

लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत एक्सपोजरों के आकलन की अनुमति जोखिम आधारित पूंजीगत फ्रेमवर्क तकनीकों के आधार पर क्रेडिट जोखिम लघुकरण (सीआरएम) समायोजन को हिसाब में लेने के बाद दी जाएगी। संरचनागत उत्पादों में अन्तर्निहित प्रतिपक्षों से एक्सपोजर का निर्धारण करने के लिए 'अनुसंधान परक दृष्टिकोण' पर विचार किया जाए।

सबसे बड़े 10 बैंक के सर्वोच्च 20 सामूहिक उधारकर्ताओं के एक्सपोजरों के अध्ययन से प्रकट होता है कि सह-सम्बद्ध प्रतिपक्षों के समूहों को औसत एक्सपोजर इन बैंकों के सीएफ का 10.6 प्रतिशत है, जबकि अनुमेय सीमा सीएफ का 40 प्रतिशत है। टीयर-1 पूंजी की दृष्टि से वर्तमान औसत एक्सपोजर 14.75 प्रतिशत है जबकि प्रस्तावित लार्ज एक्सपोजर सीमा 25 प्रतिशत है। इसलिए, यह अनुमान है कि प्रस्तावित लार्ज एक्सपोजर सीमा का अनुपालन करते समय सामूहिक एक्सपोजरों के बारे में बैंकों को किसी महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

एक परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवन के 80 प्रतिशत अंशों तक संरचनागत दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रदान करें, इसमें आस्ति-देयता के बीच बेमेलपन, एक सीमा तक निधियों की लागत में बढ़ोतरी से बचने के लिए आवधिक रूप से पुनः वित्तपोषण का और उधारकर्ता संस्था के स्वामित्व में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक परिचालनों को आरंभ करने की तारीख को बढ़ाये जाने का विकल्प रहे। इन उपायों से आशा है कि परियोजनागत वित्त में जटिलताओं से निपटने में बैंकों की क्षमता में और मजबूती आएगी।

ऋण की युक्तिपूर्ण पुनर्संरचना (एसडीआर)

VI.21 पुनर्संरचना पैकेज के तहत परियोजना को सक्षम बनाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होने वाले खातों के स्वामित्व में परिवर्तन आरंभ करने के लिए बैंकों की क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयोजन से रिजर्व बैंक ने जून 2015 में एसडीआर योजना का सूत्रपात किया। एसडीआर के तहत संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलआर) का संरक्षण प्राप्त लेनदार अपनी ऋण की बकाया को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कीमत-निर्धारण फार्मूले के अनुसार 'उचित कीमत' पर इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं, कतिपय शर्तों के अधीन इन शेयरों को सेबी के आईसीडीआर (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2009 से छूट प्राप्त है। इस संपरिवर्तन के बाद संयुक्त उधारदाता मंच में शामिल उधारदाता सामूहिक रूप से प्रमुख शेयरधारक बन जाते हैं। आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के प्रयोजन से एसडीआर को पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा। कम्पनी के कार्यों को चलाने के लिए संयुक्त उधारदाता मंच द्वारा उचित

व्यवसायी प्रबंधन वर्ग नियुक्त किया जा सकता है और इसमें अपनी होल्डिंग का यथाशीघ्र विनिवेश किया जाना चाहिए। इस बारे में यूनियन बजट 2015-16 में समेकित ऋणशोधन अक्षमता संहिता के प्रस्ताव से संभावित है कि पुनर्संरचना और वसूली प्रक्रिया में तेजी, स्पष्टता, अनुमानपरकता और निष्पक्षता आएगी (बाक्स VI.2)।

इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार

VI.22 किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से कुल निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित रूप 50 मिलियन की सुविधाएँ लेने वाले इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं से व्यवहार का नियंत्रण करने वाले विनियमों को 2014-15 के दौरान मजबूत किया गया और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया गया कि असहयोगी उधारकर्ताओं की शिनाख्त और रिपोर्टिंग के लिए पारदर्शी व्यवस्था तैयार करें।

बैंकिंग डोमेन में दो नए प्रतियोगी

VI.23 स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रिजर्व बैंक ने फरवरी 2013 में निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए रूपरेखा तैयार की है। तदनुसार अप्रैल 2014 में इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिनान्स कम्पनी लिमिटेड नामक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और बंधन फाइनान्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (सूक्ष्म वित्त संस्थान) को बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिए गए। जून-जुलाई 2015 में

बॉक्स VI.2 भारत में बैंकरप्सी प्रक्रिया

सख्त बैंकरप्सी कानूनों से लेनदार-देनदार संबंधों में मजबूती आती है क्योंकि इनसे लेनदारों और देनदारों दोनों के अधिकारों का संरक्षण होता है, अनुमान-परकता बढ़ती है, उधार देने के साथ जुड़े हुए जोखिम स्पष्ट हो जाते हैं, और बैंकरप्सी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण का कुशलतापूर्वक संग्रह सुनिश्चित हो जाता है। यूनिन बजट 2015-16 में बैंकरप्सी कानूनों में सुधारों का अभिनर्धारण महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में किया गया और विश्वव्यापी मानकों के अनुरूप ही समेकित बैंकरप्सी संहिता का प्रस्ताव किया गया ताकि आवश्यक न्यायिक क्षमता का प्रावधान किया जा सके। इससे विधिक निश्चितता, गति और कारोबार में सहजता की बढ़ोतरी संभावित है।

इस समय भारत में कॉरपोरेट बैंकरप्सी के बारे में कोई समेकित नीति/कानून नहीं है। खस्ताहाल कम्पनियों के पुनरुत्थान और पुनर्स्थापन के लिए अपनी सुपरिचित कमियों के बावजूद रुग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआइसीए), 1985 अभी तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉरपोरेट पुनर्संरचना कानून के रूप में विद्यमान है। भारत में कॉरपोरेट संरक्षा शासन को सुधारने के लिए अन्य विधायी प्रयासों को अभी तक परिचालन स्तर पर नहीं लाया गया है। उदाहरण के लिए, सभी कम्पनियों के लिए अनुमेय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-XIX में व्यापक और अधिक संतुलित निगम संरक्षा प्रक्रिया का प्रावधान है, लेकिन इसे अभी तक प्रवर्तन हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है। इसी प्रकार रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के संबंध में शक्तियों के प्रयोग हेतु कम्पनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण का प्रावधान है, जो अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

विद्यमान कमियों को दूर करने की दृष्टि से अगस्त 2014 में बैंकरप्सी विधि सुधार समिति (बीएलआरसी) (अध्यक्ष: श्री टी. के. विश्वनाथन) की स्थापना हुई वर्तमान विधिक संरचना के परीक्षण और तात्कालिक सुधारों का सुझाव देने, और व्यक्तिगत तथा कारोबारी दिवालियेपन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत हेतु 'दिवालिया संहिता' तैयार करने का कार्य सौंपा गया है अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार बैंकरप्सी विधि सुधार समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- यदि देनदार कम्पनी मांग का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर एकल निर्विवाद ऋण के निर्धारित मूल्य की चुकौती में विफल रहती है, या

ऋण चुकाने की अक्षमता की संभावना के आधारों पर पूर्वपिक्षा के रूप में संरक्षित लेनदार द्वारा बचावकारी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

- ऋण के 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले असंरक्षित लेनदार उस देनदार कम्पनी के खिलाफ बचावकारी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- कम्पनी रुग्ण घोषित हो जाने पर मूल्य में 75 प्रतिशत संरक्षित लेनदार सीधे ही कम्पनी प्रशासक नियुक्त कर सकेंगे।
- कम्पनी अधिनियम 2013 में संशोधन ताकि पुनरुत्थान की योजना की स्वीकृति के समय एक ही वर्ग के लेनदारों से समान व्यवहार हो, और असहमत लेनदार उतना तो प्राप्त करें जितना लिक्विडेशन में प्राप्त करते।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन कर प्रशासनिक व्यवस्था की जाए ताकि बैंकों द्वारा संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु समितियों के माध्यम से सक्षम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तीय संकट का समाधान किया जा सके।
- यूएस और यूके की बैंकरप्सी संहिताओं में बैंकरप्सी घोषित करने के लिए दायर दावों के प्रवर्तन हेतु स्वतः/अंतरिम ऋण स्थगन का प्रावधान है। हालांकि एसआइसीए के तहत स्वतः ऋण स्थगन के साथ समस्याओं को देखते हुए प्रस्ताव है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के वर्तमान प्रावधानों को बरकरार रखा जाए, जबकि ऋण स्थगन देने या नहीं देने के बारे में एनसीएलटी द्वारा विवेक का प्रयोग करने के बारे में स्पष्ट सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाए।

भारत में बैंकरप्सी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु समेकित और तात्कालिक संरचना बैंकरप्सी विधि सुधार समिति को तैयार करनी होगी। इससे देश में क्रेडिट परिवेश में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

सन्दर्भ:

भारत सरकार (2015), 'बैंकरप्सी विधि सुधार समिति की अंतरिम रिपोर्ट,' वित्त मंत्रालय.

आइडीएफसी को भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेन्स प्रदान किया गया।

विशिष्ट कार्यसाधक बैंकों को लाइसेंस

VI.24 'भुगतान बैंकों' और 'लघु वित्त बैंकों' से संबंधित दिशानिर्देश 27 नवम्बर 2014 को जारी कि गए। ये बैंक 'विशिष्ट'

या 'विशिष्ट कार्यसाधक' बैंक है और इनका सामान्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। रिजर्व बैंक को लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए क्रमशः 72 और 41 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कि समीक्षाधीन है। अभी 11 आवेदकों को भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सिद्धांतः अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा सुविधा केन्द्र (आइएफएससी) की सुविधा हेतु नवीन बैंकिंग संरचना

VI.25 गुजरात अन्तरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी में आईएफएससी की स्थापना करने की भारत सरकार की घोषणा का अनुसरण करते हुए रिजर्व बैंक ने आईएफएससी बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत जीआईएफटी और सुदृढ़ विनियामक ढाँचे वाली अन्य भावी आईएफएससी की संस्थाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। आईबीयू से अपेक्षा है कि वह अनिवासी और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 2009 के प्रावधानों के अधीन आने वाले निवासियों को भी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करेगी।

कॉरपोरेट गवर्नेन्स

VI.26 रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित भारत में बैंकों के गवर्नेन्स बोर्डों की समीक्षा समिति (अध्यक्ष: डॉ. पी. जे. नायक) की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए कि - बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की जाए; सात महत्वपूर्ण विषयों को समीक्षा कैलेन्डर के स्थान पर लिया जाए; और कार्यपालक से इतर निदेशकों को मुहावजा। इसके अलावा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को कार्यपालक प्रबंध निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष दो पदों में विभाजित कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति की नवीकृत प्रक्रिया सरकार द्वारा आरंभ की जा चुकी है।

केवाईसी मानदंडों को सरल किया गया

VI.27 अप्रैल 2014 में केवाईसी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ताकि बैंक खातों को खोलने और उनके परिचालन में कठिनाइयों को सहज किया जा सके। तदनुसार केवाईसी को नवीकृत करते समय 'कम जोखिम' वर्ग वाले ग्राहक का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। अपरिवर्तित स्थिति के मामले में 'कम जोखिम' वाले ग्राहकों हेतु नवीकरण करते समय पहचान और पते का नया प्रमाण जरूरी नहीं है। प्रमाण को स्वयं-प्रमाणित करने की अनुमति है और बैंक डाक/मेल से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकार कर सकते

हैं; और यदि कोई केवाईसी अनुपालन कर चुका ग्राहक उसी बैंक में दूसरा खाता खोलने का इच्छुक है तो नए कागजात की जरूरत नहीं है। खाता खोलते समय बैंक अब तृतीय पक्ष की यथोचित सतर्कता पर भरोसा कर सकते हैं, बशर्ते तृतीय पक्ष नियंत्रित और पर्यवेक्षित हो और ग्राहक के साथ यथोचित सतर्कता के अनुपालन हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हों।

केवाईसी अनुपालन नहीं होने के मामले में खातों की आंशिक रूप से फ्रीजिंग

VI.28 बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं होने के मामले में बैंकों को चाहिए कि ऐसे खातों की चरणबद्ध तरीके से 'आंशिक रूप से फ्रीजिंग' करें ताकि धनशोधन और आंतकवादियों के लिए वित्त व्यवस्था के खतरे को कम किया जा सके। यदि 'आंशिक फ्रीजिंग' के छह माह के बाद भी खाते हेतु केवाईसी का अनुपालन नहीं होता तो बैंक ऐसे खाते को 'निष्क्रिय' कर सकते हैं। ऐसे खाते को केवाईसी कागजात प्रस्तुत करके पुनः संचालित किया जा सकता है।

जमाराशि प्रतिदेयता, विभेदक दरों हेतु एकमात्र मानदंड

VI.29 बैंकों को 16 अप्रैल 2015 से यह अनुमति दी गई है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन ₹10 मिलियन से कम की जमाराशियों के लिए समयावधि और समयपूर्व-आहरण सुविधा के आधार पर और ₹10 मिलियन और इससे अधिक की जमाराशियों पर मात्रा, समयावधि और समयपूर्व-आहरण सुविधा के आधार पर सावधि जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर दे सकते हैं। हालांकि व्यक्तियों से संबद्ध ₹1.5 मिलियन और इससे कम की सभी सावधि जमाराशियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से धारित) के लिए समयपूर्व-आहरण सुविधा अनिवार्यतया होनी चाहिए।

दंडात्मक प्रभारों को औचित्यपूर्ण बनाना

VI.30 1 अप्रैल 2015 से बैंकों से अपेक्षित है कि निष्क्रिय बचत खातों में न्यूनतम शेष नहीं रखने के लिए दंडात्मक प्रभार लगाने से पहले ग्राहक को एसएमएस/ईमेल/पत्र द्वारा सूचित करें। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभारों को प्रत्यक्ष रूप से पाई गई कमी की सीमा

के समानुपात में होना चाहिए और ग्राहक को नोटिस देने की तारीख से एक माह के बाद लगाया जाना चाहिए।

बीमा उत्पादों का वितरण

VI.31 बीमा वितरण क्रियाकलापों का संचालन करने वाले बैंकों को ग्राहक संरक्षण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए, उदाहरण के लिए - जब ग्राहक कोई उत्पाद खरीदने की इच्छा प्रकट करे केवल तभी बीमा उत्पाद बेचते समय ग्राहक की उपयुक्तता सुनिश्चित की जाए, कमीशन/प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे ही स्टाफ को किए जाने पर निषेध, बीमाकर्ता से अर्जित ब्रोकरेज/शुल्क का प्रकटीकरण करने में पारदर्शिता, केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन और शिकायतों के निवारण की मजबूत व्यवस्था की जरूरत।

2015-16 की कार्यसूची

VI.32 2014-15 में विनियामक क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने वाली स्थिति को जारी रखते हुए आगामी वर्ष बढ़े एक्सपोजर की पद्धति और एनएसएफआर हेतु फाइनल फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। इसके अलावा, प्रतिपक्ष से क्रेडिट जोखिम एक्सपोजरों, पिलर-3 प्रकटीकरणों और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श हेतु प्रारूपी दिशानिर्देश रिजर्व बैंक जारी करेगा। ये विनियम अपने-अपने क्षेत्रों में संशोधित बीसीबीएस के मानदंडों को प्रकट करेंगे।

VI.33 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक अंगीकार कर चुके बैंकों के लिए अनुमेय लेखांकन मानकों के समानुरूपण की दिशा में भी रिजर्व बैंक उचित उपाय आरंभ करेगा। लघु वित्त बैंकों/भुगतान बैंकों की स्थापना करने हेतु उपयुक्त आवेदकों को सिद्धान्त रूप से अनुमोदन जारी किए जाएंगे, जबकि उनके लिए विनियामक रूपरेखा का निरूपण किया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) के भविष्य पर परामर्श प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जबकि यूनिवर्सल बैंकों की ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए प्रारूपी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

VI.34 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में परिलब्धियों और व्यवसायीकरण सहित गर्वनेन्स सुधारों के बारे में नायक समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन आगे बढ़ाया जाएगा। अधिक प्रभावी मौद्रिक अंतरण के लिए बैंकों द्वारा अपनी आधार-दर के निर्धारण

हेतु समय-बद्ध रीति से निधियों की सीमांत लागत आधारित निर्धारण हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के बारे में वर्तमान रूपरेखा की समीक्षा उदीयमान अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के साथ-साथ अब तक प्राप्त अनुभवों के अनुसार की जाएगी। नवम्बर 2013 में जारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई रूपरेखा के विभिन्न पक्षों के बारे में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए जाएंगे ताकि अतिरिक्त स्पष्टता आ सके। निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व के बारे में भी दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे जिसमें मताधिकार की अधिकतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना भी शामिल होगा।

सहकारी बैंक - सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.35 भारतीय वित्तीय प्रणाली में शहरी सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ने हमेशा यह प्रयास किया है कि विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा को मजबूत बनाया जाए ताकि वे गर्वनेन्स की दृष्टि से वित्तीय रूप में मजबूती से सामने आएं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अलावा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियम बनाने में सहकारी बैंक विनियमन विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.36 सहकारी बैंक विनियमन विभाग के 2014-15 की कार्यसूची में पर्यवेक्षी कार्रवाई की संशोधित रूपरेखा निर्धारित करने, शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में संपरिवर्तित करने और शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को वाणिज्य बैंकों द्वारा टेक-ओवर करने में सुविधा हेतु विधिक/विनियामक संशोधनों पर फोकस किया गया है। तदनुसार 2014-15 में पर्यवेक्षी कार्रवाई की संशोधित रूपरेखा तैयार की गई। शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में संपरिवर्तित करने में सुविधा के लिए विधिक संशोधनों के बारे में यद्यपि कम्पनी अधिनियम 2013 में समर्थनकारी प्रावधान हैं, तथापि बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम में तदनुसूची प्रावधानों की जरूरत है, जिनके बारे में सरकार के साथ विचार चल रहा है।

वाणिज्य बैंकों द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को टेकओवर करने के बारे में वर्ष के दौरान विनियमों में आवश्यक सुधार किए गए। यह वाणिज्य बैंकों को उचित कीमत के आधार पर प्रयास को पूरा करने लायक बनाता है। वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

आरक्षित निधि अपेक्षाएँ

VI.37 बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 लागू होने के अनुसरण में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों हेतु नकदी आरक्षित निधि अनुपात अपेक्षाओं और सभी शहरी सहकारी बैंकों हेतु सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षाओं को वाणिज्यिक बैंकों के समानरूप किया गया। तदनुसार शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2015 तक निर्दिष्ट सांविधिक चलनिधि अनुपात का अनुपालन करें। राज्य सहकारी बैंकों / जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास जमा-राशियों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास जमा सावधि जमाराशियों को 1 अप्रैल 2015 से सांविधिक चलनिधि अनुपात में शामिल करने का पात्र नहीं माना गया है। राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि 1 अप्रैल 2015 से केवल अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात रखरखाव करें। समीक्षा के बाद उन्हें अनुमति दी गई कि 31 मार्च 2017 तक चरणबद्ध रूप में अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात हेतु सावधि जमाराशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों में शिफ्ट करें।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा प्रदान करना

VI.38 चलनिधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से 28 नवम्बर 2014 से चलनिधि समायोजन सुविधा का विस्तार उन अनुसूचित सहकारी बैंकों तक किया गया जो कोर बैंकिंग समाधान समर्थित हैं, जिनकी पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) कम-से-कम 9 प्रतिशत है और जो चलनिधि समायोजन सुविधा के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों का पूर्णतया अनुपालन करते हैं।

प्रौद्योगिकी अभिग्रहण

VI.39 वित्तीय प्रणाली के साथ समाहित करने और विनियामक रिपोर्टिंग में सुधार लाने के प्रयोजन से शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 दिसम्बर 2014 तक सीबीएस का कार्यान्वयन

करें। जून 2015 के अंत तक 1577 में से 1040 शहरी सहकारी बैंकों ने सीबीएस क्रियान्वित किया गया। वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) बैंक मानने के लिए सीबीएस के कार्यान्वयन का निर्धारण अतिरिक्त मानदंड के रूप में किया गया है, इस मानदंड का प्रयोग शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिनमें नई शाखाओं का खोलना भी शामिल है। पारदर्शिता और उद्देश्यपरकता लाने के प्रयोजन से एक बैंक को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान 'विनियामक सहूलियत' जैसे महत्वपूर्ण पहलू को पुनः परिभाषित किया गया ताकि मानक विनियामक प्रावधानों की अनुपालन को शामिल किया जा सके।

VI.40 वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग (केवल अवलोकन) सुविधाएँ देने की अनुमति है, बशर्ते वे इन्टरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 6 (IPv6) का प्रयोग कर रहे हों। वे रिजर्व बैंक की पूर्व-अनुमति लिए बिना ही ऑन साइट/ऑफ साइट/ मोबाइल एटीएम भी खोल सकते हैं, बशर्ते उनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹0.5 बिलियन हो।

VI.41 इसी प्रकार कारोबार बढ़ाने और अपने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने की दृष्टि से राज्य सहकारी बैंक भी रिजर्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन लिए बिना कतिपय निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए ऑफ साइट/मोबाइल स्वतः चालित टेलर मशीन (एटीएम) खोल सकते हैं, इन उपायों का लक्ष्य है कि सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों के समकक्ष ले आया जाए।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा

VI.42 जैसाकि विगत वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था कि दबाव की यथाशीघ्र पहचान और उसके निवारण के लिए शहरी सहकारी बैंकों के मामले में पर्यवेक्षी/ विनियामक कार्रवाई को जरूरी बताने वाले ट्रिगर प्वाइंट को संशोधित किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करें, यदि अग्रिमों और सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक हो जाए या विगत दो लगातार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वृद्धिशील सकल गैर निष्पादक आस्ति अनुपात 3 प्रतिशत अंक रहा हो, दोनों में से जो भी स्थिति पहले हो। विनियामक पूंजी का 9 प्रतिशत से नीचे गिरना, लगातार दो वर्षों में हानि होना, और क्रेडिट-डिफॉजिट

अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक होना सुधारात्मक कार्रवाई के अन्य ट्रिगर हैं।

VI.43 शहरी सहकारी बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया है कि वे ₹10 मिलियन और इससे अधिक की रकम की धोखाधड़ी के मामलों की अलग से निगरानी और अनुसरण के लिए विशेष समिति का गठन करें, जबकि सामान्य तौर पर धोखाधड़ी के अन्य सभी मामलों की निगरानी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति करती रहेगी। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे चारों क्रेडिट इनफॉर्मेशन कम्पनियों के सदस्य बनें और उन्हें हिस्टारिकल डाटा प्रदान करें ताकि क्रेडिट आसूचना की परिशुद्धता बढ़ सके।

2015-16 की कार्यसूची

VI.44 शहरी सहकारी बैंकों हेतु उच्च शक्तिप्राप्त समिति (अध्यक्ष - श्री आर. गाँधी) का गठन किया गया है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार, आकार, रूपांतरण और लाइसेंसिंग शर्तों की जाँच करने और समुचित सेट की सिफारिश करने संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसी वर्ष के दौरान इन्हें लागू करने पर विचार किया जाएगा। इसी वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों में सांविधिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय आरंभ किए जाएंगे। शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के विनियमन में सामंजस्य की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ : गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग

VI.45 गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र के विनियमन का मार्गदर्शन वित्तीय स्थिरता का संरक्षण करते हुए ऋण वितरण की अतिरिक्त प्रणालियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत से होता है। गैर बैंकिंग विनियमन विभाग का गठन पूर्ववर्ती गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को संविभाजित करके किया गया है, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और आत्मनिर्भर प्राथमिक डीलरों के विनियमन हेतु नोडल विभाग है। विश्वव्यापी वित्तीय संकट को प्रबल बनाने में शैडो बैंकिंग की भूमिका के साथ-साथ स्वदेशी स्तर पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन में कमियों को सुधारने और विनियमों में सामंजस्य पर फोकस किया ताकि ऋणों

के वितरण के नए तरीके और अंतिम छोर तक पहुंच हो सके। इसके अलावा, 2008-09 के दौरान तत्कालीन आंध्र प्रदेश में संकट के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी एमएफआई द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष के दौरान इनके विनियमन की समेकित समीक्षा भी पूरी की गई।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए विनियामक रूपरेखा की समीक्षा

VI.46 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र अपने आकार, परिचालनों, प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता और वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के क्षेत्र में नए क्षेत्रों में प्रवेश की दृष्टि से काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तदनुसार, इस क्षेत्र की समस्त विनियामक रूपरेखा की इस दृष्टि से समीक्षा की गई कि समय के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलाप आधारित विनियमन की तरफ बढ़ा जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतर जोखिम प्रोफाइल वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का विनियमन नरमी से किया जाए (बॉक्स VI.3)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विनियमन का संयोजन

VI.47 गैर बैंकिंग क्षेत्र के विनियमों को बैंकिंग क्षेत्र के साथ संयोजित करने से न केवल प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी बल्कि यह न्यूनतर विनियामक विवाचन में मदद करता है और प्रणालीगत जोखिम की संभावित वृद्धि को बैंकिंग प्रणाली के बाहर ही रखता है। तदनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा शेयरों के बदले में ऋण देने, अग्रिमों को नया रूप देने, अवसंरचना और कोर उद्योगों को दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की व्यवस्था करने, समयपूर्व ऋण चुकौती प्रभार लगाने और अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के निजी विनियोजन को शामिल करते हुए कई विनियामक प्रयास शुरू किए गए।

शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह (एसबीआईजी)

VI.48 शैडो बैंकिंग क्रियाकलापों के प्रति वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दृष्टिकोण के अनुसार ही अंतर विनियामक अध्ययन किया गया ताकि भारत में गैर बैंक ऋण मध्यस्थन की प्रकृति की शिनाख्त हो सके। तदनुसार शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह का गठन किया गया ताकि वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दिशानिर्देशों की तुलना में विनियामक अनुपालना के स्तर का आकलन किया जा सके और सुधारों के कार्यान्वयन हेतु संभावित दृष्टिकोण तैयार हो सके। शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट की शीघ्र प्रस्तुति अपेक्षित है।

बॉक्स VI.3


गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्ति गुणवत्ता और संशोधित दिशानिर्देश

हाल ही के वर्षों में अर्थव्यवस्था में धीमापन आते ही समस्त वित्तीय गिरावट के कारण प्रणालीगत रूप से जमा राशि नहीं स्वीकारने वाली महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में भी परिवर्तन आया। मार्च 2015 के अंत में दिए गए ऋण के प्रतिशत की तुलना में उनका सकल एनपीए बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट 1)।

आरंभिक वित्तीय दबाव को समझने के लिए पहले से चेतावनी देने वाली प्रणाली को मजबूत बनाने की दृष्टि से मार्च 2014 में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को निर्देश दिया गया कि वे 'विशेष उल्लेख खातों' का उप-आस्ति वर्ग सृजित करें। उन्हें यह भी कहा गया कि संबंधित क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट सेन्ट्रल रिपोर्टिंग ऑफ इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट में करें। रियायती संरचना / अवधि के साथ बुनियादी संरचना के लिए दीर्घावधि ऋण (जिसे 5/25 संरचना के रूप में जाना जाता है) देने संबंधी बैंकों को प्रोत्साहित करने वाली योजना का लाभ जनवरी 2015 से एनबीएफसी को भी प्रदान किया गया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए नवम्बर 2014 में जारी संशोधित विनियामक व्यवस्था में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए गैर निष्पादक आस्ति मानदंडों को चरणबद्ध तरीके से बैंकों के समरूप किया गया है। तदनुसार किसी ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की समय-सीमा को मार्च 2018 तक क्रमिक रूप से घटाकर 90 दिन किया जाएगा। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन को अशोध्य ऋणों की वसूली के मामलों में अन्य वित्तीय संस्थानों के समकक्ष लाने के लिए ₹5 बिलियन और इससे अधिक की आस्ति आकार वाली और रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सरफेसाई अधिनियम, 2002 के अनुसार 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा।

विनियामक रूपरेखा में अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :



- सभी विद्यमान गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अप्रैल 1999 से पहले पंजीकृत) के लिए जरूरी है कि मार्च 2017 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम ₹20 मिलियन की निवल स्वामित्वाधीन निधियां हासिल करें, यदि विफल रहे तो उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ही जमाराशि स्वीकार कर सकती हैं। जिन विद्यमान आस्ति वित्तीय कम्पनियों की रेटिंग नहीं हुई है उन्हें मार्च 2016 के अंत तक अपनी रेटिंग करानी होगी। इसके अलावा, जमाराशि स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए जमाराशि स्वीकार करने की सीमा निवल स्वामित्वाधीन निधि का 1.5 गुणा निर्धारित की गई है।
- जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के बारे में प्रणालीगत महत्व परिभाषित करने हेतु सीमा को संशोधित करके ₹5 बिलियन कर दिया गया है।
- जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सीआरएआर और क्रेडिट संकेन्द्रण मानदंडों से छूट प्रदान की गई है।
- एनबीएफसी-एनडी-एसआई और सभी एनबीएफसी-डी के लिए कठिन विवेकपूर्ण मानदंड चरणबद्ध रूप से निर्धारित किए गए हैं - न्यूनतम टीयर 1 पूंजी अपेक्षा को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत (मार्च 2017 के अंत तक) किया जाना है, मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को 0.4 प्रतिशत (मार्च 2018 के अंत तक) किया जाना है और निर्धारित क्रेडिट संकेन्द्रण मानदंडों से 5 प्रतिशत रियायत को समाप्त किया गया है।

सभी एनबीएफसी-डी और ₹5 बिलियन से अधिक का आस्ति आकार रखने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआई को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों हेतु अतिरिक्त कॉरपोरेट गवर्नेन्स मानक और प्रकटीकरण मानदंड जारी किए गए। तदनुसार इन गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन और निदेशकों के लिए फिट और उचित मानदंडों के निर्धारण हेतु विभिन्न समितियों का सृजन करना होगा। इन्हें आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट गवर्नेन्स दिशानिर्देश तैयार करके अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने होंगे।

संदर्भ :

भारतीय रिजर्व बैंक (2014), वित्तीय संकट का पूर्व-अभिज्ञान, ऋणदाताओं हेतु समाधान और उचित वसूली के त्वरित उपाय : अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों का पुनरुत्थान, मार्च।

भारतीय रिजर्व बैंक (2014), गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए संशोधित विनियामक व्यवस्था, नवम्बर।

भारतीय रिजर्व बैंक (2015), अवसंरचनात्मक और कोर उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लोचशील संरचना, जनवरी।

मुद्रा लिमिटेड

VI.49 यूनिन बजट 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसरण में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का विनियमन और पुनर्वित्तीय करने हेतु

18 मार्च 2015 को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेन्स एजेन्सी (मुद्रा) की स्थापना की गई (बॉक्स VI.4)।

बॉक्स VI.4

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट रीफाइनान्स एजेन्सी (मुद्रा) लिमिटेड

यूनियन बजट 2015-16 में मुद्रा लि. की स्थापना की घोषणा की गई, जो कि विनिर्माण, कारोबार और सेवा क्रियाकलापों में संलग्न सूक्ष्म/लघु कारोबारी संस्थाओं को ऋण देने के व्यवसाय में लगी सभी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विनियमन और पुनर्वित्तीयन के लिए उत्तरदायी होगी, और यह लघु/सूक्ष्म व्यवसायी उद्यमों को वित्त प्रदान करने वाले अंतिम वित्तपोषकों को वित्त प्रदान करने वाले राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय स्तर के समन्वयकर्ताओं के साथ काम करेगी। सरकार द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने से बची रह गई रकम में से ₹200 बिलियन की रकम मुद्रा को आबंटित की जाएगी ताकि अंतिम वित्त पोषकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त निधि का सृजन हो सके। मुद्रा को बजट में से ₹300 बिलियन की रकम भी दी

जाएगी ताकि सूक्ष्म उद्यमों को प्रदत्त ऋणों की गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी कोष का सृजन हो सके।

मुद्रा की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समुचित विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। विधान का अनुमोदन होने तक लघु / सूक्ष्म उद्यमों के विकास और वित्त पोषण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई के रूप में 18 मार्च 2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत मुद्रा लि. की स्थापना की गई, और इसे 6 अप्रैल 2015 को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। सिडबी को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजी की क्रॉस-होल्डिंग के लिए मुद्रा में ₹7.5 बिलियन के निवेश से छूट प्रदान की गई है।

2015- 16 की कार्यसूची

VI.50 बैंकों और गैर बैंकों के बीच विनियामक संपरिवर्तन की प्रक्रिया को 2015-16 में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए क्रियाकलाप आधारित विनियम की परिकल्पना की गई है, इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विभिन्न वर्गों को समाप्त कर दिया जाएगा। पहले कदम के तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को प्रणामी रूप से दो शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है यथा - प्रमुख निवेश कम्पनियां (सीआईसी) और अप्रमुख निवेश कम्पनियां। इसके अलावा, सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को रिजर्व बैंक के विनियामक दायरे में लाया जा रहा है।

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

VI. 51 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है इसका लक्ष्य सुरक्षित एवं प्रभावी बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए पर्यवेक्षी नीतियों और कार्यनीतियों का निरूपण तथा कार्यान्वयन करना है। इस प्रयास के तहत बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में प्रबंधन कार्यप्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग अन्य देशी विनियामकों के साथ समन्वय करके निर्धारित वित्तीय संगुट की निगरानी करने के लिए एफएसडीसी की उप समिति के संरक्षण के

तहत स्थापित अंतर विनियामक मंच के सचिवालय के रूप में भी कार्यकर्ता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) तथा क्षमता वर्धन

VI. 52. रिजर्व बैंक प्रणामी तौर पर निष्पादन आधारित कैमल्स (अर्थात् पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबन्धन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) व्यवस्था की तरफ से दूरदर्शी आरबीएस ढांचे की ओर बढ़ रहा है ताकि जोखिम की प्रारंभिक पहचान, समय रहते तथा उचित पर्यवेक्षी हस्तक्षेप तथा आमतौर पर पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में वैश्विक स्तर की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुधार लाया जा सके। वर्ष 2014-15 में आरबीएस के तहत दो और बैंकों को लाया गया जिससे मुख्य बैंकों की कुल संख्या 30 हो गई। 2015-16 मूल्यांकन अवधि से 6 और बैंकों ने आरबीएस प्रणाली को अपना लिया है। वाणिज्यिक बैंकों से डाटा संग्रहण को दुरुस्त कर आरबीएस मॉडल को भी अनुकूल बनाया गया। बैंक स्तर पर तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसमें आरबीएस के लिए एक सुदृढ़ प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) पर जोर डालना शामिल है।

वित्तीय संगुट (एफसी) की निगरानी

VI. 53 अन्य घरेलू विनियामकों के साथ समन्वय करके रिजर्व बैंक ने दो बैंक संचालित एफसी के साथ चर्चा बैठकें आयोजित की

और एनएफसी के परिचालनों में समूह स्तर और अंतर विनियामक मुद्दों की समीक्षा करने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा आयोजित एक बीमा कंपनी द्वारा संचालित एफसी की चर्चा बैठक में सहभागिता की।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) तथा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

VI. 54 गहन जांच को सक्रिय करने वाले संवेदनशील वित्तीय संकेतकों के विचलन पर नजर रखने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसकी बारीकियों पर काम किया जा रहा है। साथ ही सबसे पहले 2002 में प्रारंभ किए गए वर्तमान पीसीए ढांचे को भी नवीनतम किया जा रहा है, जिसके बाद अन्य विनियामकों के साथ समन्वय कर वित्तीय सह-सगठनों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा।

वैश्विक पर्यवेक्षी सहयोग

VI.55 क्रॉस बार्डर पर्यवेक्षी सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए रिजर्व बैंक ने 2014-15 में 6 विदेशी बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों यथा - द हांगकांग मॉनिटरी अथॉरिटी; द सेन्ट्रल बैंक ऑफ केन्या; बैंको सेंट्रल डू ब्रासिल; द बैंक ऑफ युगांडा; सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स; और मालदीव मॉनिटरी प्राधिकारी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तीन अमरीकी वित्तीय विनियामकों अर्थात् फेडरल रिजर्व सिस्टम के निदेशक मंडल, मुद्रा निंत्रक कार्यालय और फेडरल डिपाजिट इंश्यूरेंस के साथ सहयोग संवाद स्थापित किया गया है। अभी तक, रिजर्व बैंक ने विदेशी पर्यवेक्षकों/विनियामकों के साथ 26 समझौता ज्ञापनों, एक पर्यवेक्षी सहयोग पत्र तथा एक सहयोग-करार किया है।

VI.56. क्रॉस बार्डर समेकित पर्यवेक्षण के बारे में बीसीबीएस के सिद्धांतों के आधार पर रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी महाविद्यालयों का गठन कर रहा है जिसकी विदेशों में भी प्रचुर उपस्थिति होगी। ऐसे पर्यवेक्षी महाविद्यालय भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा एक्सिस बैंक लि. के लिए स्थापित किए गए हैं।

2015-16 की कार्यसूची

VI.57 इसी क्रम में, भारत में कार्यरत सभी छोटे विदेशी बैंकों को आरबीएसके अंतर्गत लाया जाएगा। एक ओर सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों यथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सिडबी, भारतीय निर्यात आयात (एग्जिम) बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निरीक्षण हेतु नई प्रणाली बनाई जा रही है, साथ ही समुन्नत विश्लेषण सहित सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग के लिए संशोधित प्रणाली जल्द ही प्रारंभ किए जाने की संभावना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के सहयोग से बीमा कंपनियों से भी सीआरआईएलसी जानकारी एकत्र करने का प्रस्ताव है।

VI.58. सभी स्थानेतर निगरानी और निरीक्षण प्रणाली (ओस्मोस) विवरणों को एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल)/डेटा वेयरहाउस परिवेश में परिवर्तित करने की योजना है ताकि पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए एकल सूचना प्रणाली विकसित की जा सके। धोखाधड़ी का पता लगाने, रिपोर्ट करने तथा निगरानी करने के लिए जल्द ही नई व्यवस्था 7 मई 2015 को शुरू की गई है। इसके अलावा, बैंकों के उपयोग के लिए केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री पर भी विचार किया जा रहा है। यद्यपि विनियामक निकायों द्वारा पृथक प्रणालियों के प्रयोग से जानकारी के स्वतः प्रवाह की प्रक्रिया में बाधा आती है, तथापि रिजर्व बैंक डेटा प्रस्तुति के पूर्णतया यंत्रचालित माध्यमों की तरफ बढ़ने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता रहेगा।

VI.59. आरबीएस प्रणाली, प्रणाली संपरीक्षा, प्रौद्योगिकी सूचना संवेदनशीलता(आईटी)/वेधन परीक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए 2015-16 में क्षमता वर्धन की योजना लाई जाएगी। ईडब्ल्यूएस के साथ-साथ पुनर्निर्मित पीसीए ढांचे को 2015-16 में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। एफसी के लिए पीसीए ढांचा विकसित करने के लिए संबंधित कार्य अन्य देशी विनियामकों के साथ समन्वय करके लिए जाएंगे। विनियामक निकायों में अनुपालन की परिपाटी सुधारने के लिए रिजर्व बैंक नए तरीके खोज रहा है जिसमें उचित दंडात्मक उपाय भी सम्मिलित है।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.60. पूर्ववर्ती शहरी सहकारी बैंक विभाग (यूबीडी) को संविभाजित करके स्थापित बनाए गए इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य अलग-अलग शहरी सहकारी बैंकों तथा समग्र क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करना है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI. 61 इस वर्ष के दौरान 968 शहरी सहकारी बैंकों, इनमें सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, 'सी' तथा 'डी' श्रेणियों के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तथा 'ए' एवं 'बी' श्रेणियों के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनका ऑन-साइट निरीक्षण तथा उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई। नौ शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि दो शहरी सहकारी बैंकों का अन्य शहरी सहकारी बैंकों के साथ विलय किया गया तथा सात शहरी सहकारी बैंकों पर 'समग्र सम्मिलित निदेश' लागू किए गए। सभी 1589 शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण ऑफ-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली द्वारा किया गया। सूचना एकत्रित, संसाधित तथा प्रसारित करने के लिए एकल मंच विकसित करने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों की 13 विवरणियों को वर्तमान की ऑफ-साइट पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली से एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली में परिवर्तित किया गया। यूसीबी की व्यवसायिकता तथा गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

2015-16 की कार्यसूची

VI.62 शहरी सहकारी बैंकों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए 2015-16 में ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कम करने का विचार है। आगामी वर्ष में सभी विवरणियों का एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग परिवेश में परिवर्तन पूरा कर लिया जाएगा। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में क्षमता-वर्धन के उपायों को आगामी वर्ष में भी आगे बढ़ाया जाएगा।

एन बी एफ सी : गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.63 यह विभाग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी विंग है और इसका लक्ष्य जमाकर्ताओं, ग्राहकों तथा अन्य पण्यधारकों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ देश की वित्तीय व्यवस्था को इस क्षेत्र

से होने वाले जोखिमों से सुरक्षित करते हुए स्वस्थ तथा मजबूत एनबीएफसी क्षेत्र के लिए योग्य परिवेश स्थापित करना है। इस विभाग का यह भी प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय क्रियाकलापों में संलग्न निकायों हेतु विधिक/विनियामक व्यवस्था के बारे में जनसाधारण की जागरूकता को बढ़ाया जाए।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.64 ऑन साइट निरीक्षण का फोकस “जमाराशि स्वीकारने” व “प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण” जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बना रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान जमाराशि स्वीकारने वाली 72 कंपनियों और जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली 182 कंपनियों का निरीक्षण किया गया। दोषी तथा अनधिकृत घटकों से निपटने के लिए, राज्य स्तरीय सहयोग समिति का मई 2014 में पुनर्गठन किया गया और राज्य सरकार के मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष रहे तथा सचिवीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई, ताकि बाजार आसूचना का नियमित आदान-प्रदान सुगम किया जा सके और समन्वित रूप से समयोचित कार्रवाई की जा सके। रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों के दो सम्मेलनों का भी आयोजन किया ताकि अनधिकृत निकायों द्वारा निधियों के संग्रहण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। रिजर्व बैंक के 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में बाजार आसूचना (एमआई) कक्ष का गठन किया गया।

प्रतिभूतिकरण/आस्ति पुननिर्माण

VI.65 आस्ति पुननिर्माण कंपनियां (एआरसी) उधार वसूली प्रक्रिया में स्थिरतापूर्वक अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं (सारणी VI.1)। मार्च 2015 के अंत तक रिजर्व बैंक में 15 प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्संरचना कंपनियां पंजीकृत थीं। मार्च 2015 के अंत तक आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा अधिगृहीत आस्तियों का बही मूल्य लगभग ₹508 बिलियन रहा। यद्यपि एआरसी पहले ही ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के अंतर्गत हैं, उनके बढ़ते महत्व को देखते हुए आगामी वर्ष में उनका पर्यवेक्षण ऑन-साइट निरीक्षण के माध्यम से किया जाएगा।

2015-16 की कार्यसूची

VI.66 लघु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियामक विवरणियां प्रस्तुत करने से अब तक छूट थी 2015-16 में इन्हें

तालिका VI.1: एआरसी सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर

(₹ बिलियन)

मद	मार्च 14	मार्च 15
1	2	3
स्वामित्वाधीन निधि	30.2	34.0
एससी/आरसी द्वारा अधिगृहीत आस्तियों की अधिकृत लागत	205.8	226.6
कुल जारी एसआर	204.1	224.4
एससी/आरसी द्वारा अपने खातों में धारित एसआर	13.8	29.9
विक्रेता बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा धारित एसआर	187.6	191.6
अन्य क्यूआईबी को जारी एसआर की रकम	2.4	2.9
एफआईआई द्वारा धारित एसआर	0.2	0.0
भुगतान करके मुक्त कराई गई एसआर (वर्ष के दौरान)	11.9	16.5

एसआर : प्रतिभूति प्राप्तियाँ; क्यूआईबी: अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता;
 एफआईआई: विदेशी संस्थागत निवेशक
स्रोत: कॉस्मॉस विवरणियाँ (तिमाही)

ऑफ-साइट निगरानी के अंतर्गत लाया जाएगा। एसएलसीसी सदस्यों/जनसाधारण में जानकारी के प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में एक विशिष्ट वेबसाइट का विमोचन किया जाएगा। इस प्रणाली के पूरी तरह से चालू हो जाने पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बड़े उधारकर्ताओं के बारे में सीआरआईएलसी सूचना विश्लेषण हेतु ली जाएगी। विभाग द्वारा अपनाई जा रही परामर्श पद्धति को 2015-16 में औपचारिक बनाते हुए इस उद्योग के साथ आवधिक संव्यवहार का रूप देने का प्रस्ताव है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.67 रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा दिए जा रहे निक्षेप बीमा में सभी बैंकों को कवर किया जाता है, जिसमें देश के स्थानीय क्षेत्र के बैंक, आरआरबी तथा सहकारी बैंक शामिल हैं। जमाराशि बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के कोर प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव डिपोजिट इंश्योरेंस सिस्टम (2014) के अनुसार जमाराशियों का बीमा कवरेज सीमित होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और अधिकांश जमाकर्ताओं को कवर करने वाली होनी चाहिए लेकिन इसमें जमाराशियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया होता है। जमाराशियों हेतु बीमा की वर्तमान सीमा एकल अधिकार और एकल क्षमता में प्रति जमाकर्ता ₹0.1 मिलियन है। दिनांक 31 मार्च 2015 के अनुसार 92.3 प्रतिशत खाते पूरी तरह से संरक्षित थे। राशि की मात्रा के अनुसार देखा जाए तो ₹26.1 ट्रिलियन की जमाराशि को बीमा सुरक्षा दी गई जो कि आकलन योग्य जमाराशियों का लगभग 31 प्रतिशत हुआ। एक प्रभावी निक्षेप बीमा डिजाइन में यह सक्षमता होनी चाहिए कि यह इस पर अंतरित जोखिमों के लिए प्रतिपूर्ति हासिल करते हुए अपने जोखिम का प्रबंधन करे। अतः प्रीमियम का जोखिम आधारित संग्रहण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है (बॉक्स VI.5)।

VI.68 पिछले वर्ष के ₹1.0 बिलियन की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान परिसमापन/ पुनर्संरचना/ सामामेलन में शामिल

बॉक्स VI.5

बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम

निक्षेप बीमा बैंकों के लिए अधिक लीवरेज चुनने तथा बैंकों के ग्राहकों के लिए निगरानी में ढील का प्रोत्साहक बन सकता है। इस प्रकार के नैतिक संकट से बचने के लिए निक्षेप बीमा का प्रीमियम ऐसा होना चाहिए जो बैंक की गतिविधियों से जुड़े प्रभावी अंतर्निहित जोखिम को सही रूप में प्रदर्शित करे। निक्षेप बीमा योजना के लिए जोखिम-समायोजित प्रीमियम शुरू करके इसमें आंशिक कमी की जा सकती है। यद्यपि इसकी तुलना में सादा-दर प्रीमियम प्रणाली समझने में तथा लागू करने में आसान होती है, मगर इसमें उस जोखिम के स्तर को शामिल नहीं किया जाता जो बैंक द्वारा निक्षेप बीमा प्रणाली पर पड़ सकता है और इसे सभी बैंकों के लिए प्रीमियम दर तथा जोखिम प्रोफाइल की दृष्टि से अनुचित माना जा सकता है (आईएडीआई 2011)।

निक्षेप बीमा संबंधी साहित्य में जोखिम आधारित प्रीमियम निर्धारण की दो भिन्न पद्धतियाँ बताई गई हैं। संभावित हानि की कीमत के आकलन की पद्धति बैंक द्वारा चूक करने की संभाव्यता पर आधारित है, जिसका आकलन या तो मूलभूत

सिद्धांतों, रेटिंग या फिर बाजार विश्लेषण से किया जा सकता है। मेटिन प्रकार की पद्धति में एक कंपनी के चूक करने की संभाव्यता का आकलन करने के लिए विकल्प कीमत निर्धारण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।

व्यवहार में जोखिम आधारित अंशदानों को अंशदान-आधार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे सदस्यों की जोखिम प्रवृत्ति के एक समानुपातिक घटक और संबंधित देश की बैंकिंग प्रणाली में समग्र स्थितियों को प्रकट करने वाले एक घटक के अनुपात में समायोजित किया जाता है। (वाल्टर और शैलर, 2012) प्रीमियम आकलन को साधारण जोखिम समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है :

$$P_{it} = r_{s,t} * r_{it} * D_{it}$$

जिसमें, बैंक विशेष के जोखिम आधारित अंशदान (Pit) में मात्रा और जोखिम के चरक शामिल होते हैं और इसे अंशदान-आधार (Di,t), सामान्यतया पात्र (जारी...)

जमाराशियों की कुल रकम, के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसमें से एक सदस्य (विशिष्ट जोखिम) की जोखिम अवस्थिति के समानुपात की प्रतिशतता (ri,t), और देश की बैंकिंग प्रणाली (प्रणालीगत जोखिम) की समग्र स्थिति को प्रकट करने वाली प्रतिशतता (rst) को स्थिति अनुसार घटाया या जोड़ा जाता है।

यूरोपीयन संघ की प्रथाओं से ज्ञात होता है कि सभी सदस्य राज्यों में किसी सदस्य संस्थान के जोखिम के मूल्यांकन के लिए वर्तमान में लागू किए जा रहे मुख्य वित्तीय अनुपात में विविधता है और उन्हें परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त चरांक एक-समान नहीं हैं। 2014-ईयू डायरेक्टिव ऑन डिपॉजिट इन्श्योरेन्स स्कीम्स, में जोखिम उपायों के लिए एक सामान्य सा निर्देश दिया गया है और इनकी बारीकियों को सदस्य राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यूएस में, नवंबर 2006 में जोखिम आधारित मूल्यांकन के लिए नए नियम जारी किए गए थे और 2010 में अधिनियमित वित्तीय सुधार अधिनियम को देखते हुए जोखिम संबंधी प्रीमियम में महत्वपूर्ण परिष्करण किए गए। छोटे बैंकों के लिए, पर्यवेक्षी कैमल्स रेटिंग को वित्तीय अनुपात के साथ संयोजित किया गया ताकि निक्षेपों के बदले जोखिम आधारित मूल्यांकन दर निर्धारित की जा सके। बड़े बैंकों के लिए, सन 2011 में यूएस फेडरल डिपॉजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ने जोखिम विभेदीकरण योजना अपनाई जिसमें कैमल श्रेणी तथा जोखिम के दूरदर्शी वित्तीय उपायों को समायोजित किया गया।

भारत में, बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने के लिए आवधिक सिफारिशें होती रही हैं। बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति रिपोर्ट (1998) ने संरचनात्मक मुद्दों पर फोकस करने के साथ-साथ समान-दर प्रीमियम प्रणाली की जगह जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। भारत में निक्षेप बीमा में सुधार पर रिजर्व बैंक की कपूर समिति (1999) ने भी इसकी पुनरावृत्ति की। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी

निगम द्वारा गठित ऋण जोखिम मॉडल पर समिति (2006) ने भी जोखिम आधारित प्रीमियम प्रारंभ करने की सिफारिश की थी और इसकी शुरुआत राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों से करने के लिए कहा था।

विगत में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बावजूद जोखिम आधारित प्रीमियम को प्रचलन में नहीं लाया जा सका, इसका कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, हाल ही तक सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ये बीमाकृत बैंकों का 90% होते हैं) के पुनर्गठन का कार्य चल रहा था, सभी बीमाकृत बैंकों, विशेषकर सहकारी बैंकों की सख्त पर्यवेक्षी रेटिंग का अभाव, जो कि रेटिंग मॉडल के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होता है। तथापि, पण्यधारकों और जन प्रतिनिधियों से वर्तमान के निक्षेप बीमा कवर ₹0.1 मिलियन को बढ़ाने के लिए निरंतर मांग आती रही है। प्रीमियम की दरों को बीमाकृत बैंकों की जोखिम प्रोफाइलों के साथ अंशांकित किए बिना, बीमा कवर में बढ़ोतरी से तो केवल अंतर्निहित नैतिक संकट का जोखिम ही बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, मार्च 2015 में बैंकों के लिए विभेदीकृत प्रीमियम पर समिति (अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह) का गठन किया गया ताकि भारत में जोखिम आधारित प्रीमियम की शुरुआत करने के लिए सिफारिश की जा सके।

संदर्भ:

इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इन्श्योरर्स (2011), 'जनरल गाइडेन्स फॉर डेवलपिंग डिफ्रेशियल प्रीमियम सिस्टम', अक्टूबर।

वाल्टर और शैलर (2012), ऐन अल्टरनेटिव वे ऑफ कलकुलेटिंग रिस्क बेस्ड प्रीमियम इन न्यू पैराडिगम इन बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट और रेगुलेशन इन बालिंग एरल, एसयूईआरएफ।

यूरोपियन कमीशन (2008), 'रिस्क बेसड् कन्ट्रीब्यूशन इन ईयू डिपॉजिट गारंटी स्कीमस् : करेन्ट प्रैक्टिसेस, ज्वाइंट रिसर्च सेन्टर।

30 सहकारी बैंकों के मामले में लगभग ₹3.2 बिलियन के दावों का निपटान किया गया। मार्च 2015 के अंत में निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) की मात्रा ₹504.5 बिलियन रही, जिससे आरक्षित निधि अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत राशि) 1.9 प्रतिशत रहा।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.69 रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक इकाई राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का गठन 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत हुआ जो कि स्थानीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधान एजेंसी के रूप में काम करने के लिए तथा ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य आकस्मिक सहायता प्रदान किया जा सके।

VI.70 आवास वित्त की शीर्षस्थ संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। 30 जून 2015 की स्थिति

के अनुसार एनएचबी में 65 आवास वित्त कंपनियों पंजीकृत थीं। राष्ट्रीय आवास बैंक का फोकस अल्प आय आवास वर्ग को आवास हेतु वहन-योग्य वित्त के बाजार आधारित नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देने पर है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा एचएफसी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं को उनके द्वारा दिए गए आवासीय ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान करती है। यह वृहद स्तर के एकीकृत आवासीय परियोजनाओं तथा स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक तथा निजी सार्वजनिक भागीदारी, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, राज्य स्तरीय आवासन बोर्ड तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की विस्तृत श्रेणियों को परियोजना ऋण देता है। वर्ष 2014-15 में इसका संचयी वितरण ₹218.5 बिलियन रहा जिसका 25.4 प्रतिशत (₹55.4 बिलियन) ग्रामीण आवास निधि तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास ऋण के लिए दिया गया।

VI.71 सरकार ने ऋण संस्थानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए तथा ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत घटकों की प्रगति की निगरानी के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक का चयन किया है। सीएलएसएस का कार्यान्वयन देशभर के सभी 4041 सांविधिक कस्बों (2011 की जनगणना के अनुसार) में किया जाएगा और यह प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (एचएफए) मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें स्लम-वासी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक कई सरकारी योजनाओं जैसे शहरी गरीबों हेतु आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी), 1 प्रतिशत ब्याज, आर्थिक सहायता योजना और सोलर पूंजी सब्सिडी योजना के लिए भी नोडल एजेंसी रहा है।

VI.72 भारत सरकार द्वारा अल्प आय आवास के लिए संस्थापित ऋण जोखिम गारंटी न्यास का प्रबंधन भी राष्ट्रीय आवास बैंक करता है ताकि शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय आवास बैंक ने जुलाई 2007 में रेजिडेक्स योजना आरंभ की, ताकि पूरे भारत में 26 शहरों में आवासीय सम्पदा की कीमतों पर नजर रखी जा सके। केन्द्र सरकार ने 2014-15 में एनएचबी के आबंटन को ₹40 बिलियन से बढ़ाकर ₹80 बिलियन कर दिया ताकि देश में ग्रामीण आवास को विस्तार तथा समर्थन दिया जा सके।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.73 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) का फोकस लोकहित का अनुशीलन करने, आसूचना विषमताओं, उत्पादों के सीमित विकल्पों, अपर्याप्त प्रकटीकरणों, आदि से उत्पन्न असंतुलनों को कम करके, वित्तीय सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच सम-स्तरीयता प्रदान करने पर है। उपभोक्ता संरक्षण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रमुख माध्यम है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

उपभोक्ता अधिकारों का चार्टर

VI.74 बैंक उपभोक्ताओं के संरक्षण तथा ग्राहक सेवा के मानक तय करने हेतु संरचनागत उपाय के तौर पर रिजर्व बैंक द्वारा 2014-15 में बैंक उपभोक्ताओं के लिए एक व्यापक, सर्वसमावेशक सिद्धांतों के रूप में “उपभोक्ता अधिकारों के चार्टर” का निरूपण किया गया (बॉक्स VI.6)। इसके बाद भारतीय बैंक संघ तथा बीसीएसबीआई ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता अधिकार चार्टर के आधार पर ग्राहक अधिकार नीति/संहिता का मॉडल तैयार किया। बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 जुलाई 2015 तक अपने-अपने

बॉक्स VI.6 उपभोक्ता अधिकार चार्टर

3 दिसंबर 2014 को जारी उपभोक्ता अधिकार चार्टर में बैंक उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए व्यापक तथा सर्वसमावेशक सिद्धांत प्रतिष्ठापित किए गए हैं और इसमें बैंक उपभोक्ताओं के ‘पांच’ आधारभूत अधिकार स्पष्ट किए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं :-

- उचित व्यवहार का अधिकार : उपभोक्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदाता, दोनों को ही विनम्र व्यवहार पाने का अधिकार है। उपभोक्ता को वित्तीय उत्पाद प्रस्तावित और प्रदान करते समय अनुचित अधारों यथा लिंग, आयु, धर्म, जाति या शारीरिक क्षमता की वजह से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- पारदर्शी, उचित तथा निष्कपट लेनदेन का अधिकार: वित्तीय सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उसके द्वारा तैयार की गई संविदा या करार आम आदमी के लिहाज से पारदर्शी, सरल और सुग्राह्य हो। उत्पाद की कीमत, उससे जुड़े

जोखिमों, उपभोक्ता की जिम्मेदारियों तथा उत्पाद के जीवन-चक्र के दौरान लागू नियमों और शर्तों का साफतौर पर खुलासा किया जाना चाहिए। उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार या अनुचित मार्केटिंग प्रथाओं, निग्रहकारी संविदा शर्तें या भ्रामक प्रतिवेदन नहीं किया जाना चाहिए। इन संबंधों की समयावधि में वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को शारीरिक-क्षति की धमकी, अनुचित दबाव या खुल्लम खुल्ला पीड़ा नहीं पहुंचा सकता।

- उपयुक्तता का अधिकार : प्रस्तावित उत्पाद उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार होने चाहिए और उपभोक्ता की वित्तीय परिस्थिति के आकलन तथा समझ पर आधारित होने चाहिए।
- गोपनीयता का अधिकार : उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए जब तक कि उपभोक्ता ने ऐसा न करने के लिए अपनी सहमति वित्तीय सेवा प्रदाता को नहीं दी हो अथवा कानून के अंतर्गत ऐसी (जारी...)

जानकारी प्रदान करना अपेक्षित हो अथवा यह किसी व्यापारिक उद्देश्य के जनादेश के लिए प्रदान किया गया हो (उदाहरणार्थ: ऋण सूचना कंपनी को)। उपभोक्ता को सत्यनिष्ठा से ऐसे संभावित व्यापार उद्देश्य के जनादेश की जानकारी दी जानी चाहिए। उपभोक्ता को ऐसे सभी प्रकार के संपर्क से संरक्षण का अधिकार है जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम से हो।

- (v) शिकायतों का निवारण तथा क्षतिपूर्ति का अधिकार: उपभोक्ता को अधिकार है कि वह प्रस्तावित उत्पादों के लिए वित्तीय सेवा प्रदाता को जिम्मेदार ठहरा सकता है और वह किसी वैध शिकायत के निवारण का साफ और आसान रास्ता पाने का अधिकारी भी है। प्रदाता को चाहिए

कि तृतीय पक्ष के उत्पादों के विक्रय से उत्पन्न शिकायतों के निवारण की सुविधा भी प्रदान करे। वित्तीय सेवा प्रदाता उसके द्वारा या किसी और कारण से होने वाली गलतियों, आचरण में चूक, गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के लिए क्षतिपूर्ति नीति की सूचना दे। इस नीति में ऐसी घटानाओं के होने पर उपभोक्ता के अधिकार तथा कर्तव्य निहित होने चाहिए।

यह अधिकार उपभोक्ता को अनुचित भेदभाव, अनुचित व्यापार या मार्केटिंग प्रथा, निग्रहकारी संविदा शर्तें या भ्रामक अभिवेदन से बचाते हैं और इनका उद्देश्य उचित आवश्यकता आधारित वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा देना है जिसके साथ उसमें निहित विभिन्न जोखिमों और प्रभावों की बेहतर समझ हो।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक अधिकार नीतियों को निरूपित करें तथा इसके आंतरिक कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करें।

बैंकों में आंतरिक लोकपाल

VI.75 बैंक उपभोक्ताओं को उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों तथा विदेशी बैंकों को आंतरिक लोकपाल के रूप में मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) नियुक्त करने के लिए सूचित किया गया जो उन शिकायतों की जाँच करें जिनका बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समाधान नहीं / आंशिक समाधान किया गया है।

कार्यक्षेत्र स्तर की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना तथा जागरूकता बढ़ाना

VI.76 उचित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कुछ बैंकों की शाखाओं की आकस्मिक जाँच की गई ताकि बैंक द्वारा

अन्य पक्ष के उत्पादों जैसे बीमा तथा म्यूचुअल फंड की अनुचित बिक्री से संबंधित शिकायतों पर कार्यक्षेत्र स्तर की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित की जा सके। प्राप्त प्रतिउत्तर सभी पण्यधारकों को भेजे गए। पैसों के फर्जी प्रस्तावों की बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए, बैंकिंग लोकपाल योजना की उपलब्धता सहित ऐसे फर्जी प्रस्तावों पर लोक जागरूकता अभियान विशेषकर ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में चलाए गए।

2015-16 की कार्यसूची

VI.77 रिजर्व बैंक का लक्ष्य है कि बैंकों में (उपभोक्ता अधिकार चार्टर) को पूरी तरह से लागू किया जाए। 2015-16 में बैंकिंग लोकपाल योजना की भी पूर्ण समीक्षा की जा रही है। अर्धनगरीय इलाकों में बैंकों द्वारा अनुचित विक्रय तथा देश के विभिन्न इलाकों में बंद/खराब एटीएमों की दशा पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यक्षेत्रों के दौरे/अध्ययन करने की योजना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकारों के उधार-कार्यक्रमों को अनेक चुनौतियों जैसे उधार के आकार के बढ़ जाने तथा वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफल में वृद्धि होने के बावजूद सफलतापूर्वक संपन्न किया। बैंक ने परिपक्वता की अवधि लंबी रखने, ऋण-पोर्टफोलियो के समेकन तथा द्वितीयक बाजार को अधिक चलनिधि की उपलब्धता की रणनीति जारी रखी। रोलओवर जोखिम को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान ऋण-पोर्टफोलियो की परिपक्वता अवधि बढ़ा दी गई, जिसके फलस्वरूप भारत लागत में मामूली-सी वृद्धि करनी पड़ी। लंबे समय की परिपक्वता वाले ऋण की बढ़ी रुचि का लाभ उठाते हुए रिजर्व बैंक ने 2015-16 में 40 वर्षीय प्रतिभूति निर्गम करने की घोषणा की है ताकि प्रतिफल वक्र को 30 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सके। वर्ष 2015-16 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यसूची मर्कों का निरूपण किया गया है जैसे सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यानीति, राज्य-उधार के लिए नियमित तिमाही कैलेंडर, राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) योजना की समीक्षा, सरकारी ऋण बाजार को गहन और व्यापक बनाने के लिए कुशल बाजार की आधारभूत सुविधा और निवेशकों के आधार को विस्तृत किया जाना।

VII.1 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 20 और 21 के अनुसार रिजर्व बैंक का यहा दायित्व और अधिकार है कि वह भारत में केंद्र सरकार के कारोबार के संव्यवहार और उसके लोक ऋण का प्रबंधन करे। इसी प्रकार, रिजर्व बैंक संघशासित क्षेत्र पुदुचेरि सहित सभी 29 राज्य सरकारों के ऋण-प्रबंधक के रूप में है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत रिजर्व बैंक और सिक्किम सरकार के साथ हुए करार के अनुसार सिक्किम सरकार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों का बैंकर भी है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों को उनकी प्राप्ति एवं भुगतान के अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार के अग्रिम को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) कहा जाता है, यह अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (5) के अनुसार प्रदान किए जाने की तारीख से प्रत्येक मामले में तीन महीने के भीतर वापस करना होता है।

VII.2 रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र को एक सुदृढ़, गहन, अधिक कुशल एवं समावेशी प्रणाली के रूप में परिवर्तित करने के लिए अपने स्तर पर एक मध्यावधि कार्यसूची तैयार की है। इस व्यापक कार्यसूची के अंतर्गत ऋण प्रबंधन का दृष्टिकोण, जिसका दायित्व आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को सौंपा गया है, में निम्नलिखित शामिल हैं: सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप एक

विस्तृत ऋण प्रबंधन कार्यानीति, उधार लेने की लागत को न्यूनतम बनाना, विविध प्रकार के निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिपक्वता अवधि को बढ़ाना, लोक ऋण का समेकन तथा रोलओवर जोखिम को सक्रिय स्विच/बाईबैंक परिचालन के माध्यम से कम करना।

2014-15 की कार्यसूची और कार्यान्वयन की स्थिति

VII.3 वर्ष 2014-15 में ऋण प्रबंधन रणनीति का निम्नलिखित लक्ष्य था :

- ऋण प्रबंधन कार्यों का समुचित तरीके से संचालन तथा भारत सरकार के बाजार उधार-कार्यक्रम को सहज एवं बाधरहित तरीके से कम-से-कम उधारी लागत पर सफलतापूर्वक पूरा करना;
- वर्ष की पहली व दूसरी छमाही में नए बांड निर्गमों, जिसमें गैर-मानक परिपक्वता वाले बांड शामिल हैं, सहित निर्गमों का उचित वितरण सुनिश्चित करना ताकि वर्ष की पहली छमाही में बहुत अधिक शोधन से बचा जा सके;
- भारत सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल को आसान बनाना ताकि वर्ष 2014-15 में बाईबैंक / स्विच के माध्यम से शोधन के दबाव को कम किया जा सके;

- iv) नीलामी संबंधी जानकारी को बाजार के सहभागियों एवं अन्य हितधारकों में तेजी से और बड़े पैमाने पर प्रसारण सुनिश्चित करना;
- v) प्राथमिक व्यापारियों द्वारा सेमी-लिक्विड और इल्लिक्विड सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार बनाने की योजना के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में चलनिधि को प्रोत्साहित करना; और
- vi) नकदी प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाना तथा राज्यों के सीएसएफ/जीआरएफ (अर्थात् समेकित ऋण-शोधन निधि/ गारंटी उम्मेचन निधि) पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.4 वर्ष 2014-15 में सकल बाजार उधार ₹5920 बिलियन (बीई ₹6000 बिलियन) और निवल बाजार उधार ₹4532 बिलियन जुटाया गया, जिससे सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के 90.3 प्रतिशत को निधि प्रदान की गई, बावजूद इसके कि इसे जुटाने में अनेक चुनौतियों जिनका उल्लेख बाद में किया जाएगा, का सामना करना पड़ा था (सारणी VII.1)। 2014-15 में अपेक्षाकृत चलनिधि की स्थिति सहज थी और बाजार स्थिर था, इसलिए केवल तीन अवसरों पर प्राथमिक व्यापारियों को ₹53 बिलियन का दायित्व सौंपा गया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में 26 अवसरों पर ₹175 बिलियन की राशि का दायित्व सौंपा गया था।

VII.5 वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण-प्रबंधन परिचालनों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती यह थी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बाजार से लिए गए उधार का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में सकल एवं निवल (अर्थात्

चुकौती को छोड़कर) दोनों तरह से बढ़ गया था, खासतौर से राज्य सरकार का, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक बाजार में ऋण-निर्गमों का आकार काफी बढ़ा हो गया था। रिजर्व बैंक ने 118 दिन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की 'ट्रेजरी बिल और एसडीएल (राज्य विकास ऋण)' अथवा जिसमें कुल 548 निर्गम थे और 41 हामीदारी नीलामियां की गईं। दूसरी चुनौती वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफल के बढ़े हुए स्तर की थी और जब उधार-कार्यक्रम को लाया गया तब उधार की लागत की चुनौती पैदा हो गई। इस प्रकार की परीक्षा की घड़ी में, ऋण-प्रबंधन की प्रभावशीलता को इस बात से मापा जा सकता है कि परिपक्वता अवधि में वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत प्रतिफल में 12 आधार अंक की साधारण वृद्धि करके 8.51 प्रतिशत कर दिया गया था। तीसरी चुनौती यह थी कि रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान पुनः निर्गम के माध्यम से ऋण-समेकन की प्रक्रिया जारी रखी और बाईबैक/स्विचेस के माध्यम से शोधन के दबाव को आसान बना दिया तथा सरकारी ऋण के परिपक्वता प्रोफाइल की अवधि बढ़ा दी जिससे रोलओवर जोखिम को कम किया गया।

VII.6 हालांकि, वर्ष के दौरान सरकारी दिनांकित प्रतिभूति पर प्रतिफल शुरुआती महीने के उच्च स्तर से धीरे-धीरे घट गया (चार्ट VII.1), किंतु 2014-15 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक रहा। लंबी अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियों के अधिक निर्गमों से बकाया ऋण की औसत परिपक्वता कम हो गई है (सारणी VII.2)।


VII.7 सरकारी ऋण के समेकन के हिस्से के रूप में, 95 प्रतिशत प्रतिभूतियों को पुनः जारी किया गया। बाईबैक/स्विचेज प्रक्रिया संचालित की गई ताकि भारत सरकार की प्रतिभूतियों के परिपक्वता

सारणी VII.1 : केंद्र सरकार की सकल और निवल बाजार उधारियां

मद	2004-05	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
1	2	3	4	5	6
निवल उधारियां	460	4,674	4,685	4,532	1,757 (4,564)
सकल उधारियां	803	5,580	5,635	5,920	2,670 (6,000)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बजट अनुमान हैं। 2. आंकड़ों में बाईबैक/स्विचेस शामिल नहीं हैं।
#: दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निर्गम; *: 14 अगस्त 2015 तक की स्थिति।

चार्ट VII.1 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों का भारत औसत प्रतिफल (संचयी)



प्रोफाइल सहज बनाया जा सके और शोधन का दबाव कम किया जा सके। बाजार से ₹188 बिलियन की राशि अल्पावधि प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की प्रक्रिया सितंबर 2014 में रिजर्व नीलामी के माध्यम से पूरी की गई और ₹88 बिलियन के स्विचेज का संचालन फरवरी 2015 में किया गया (सारणी VII.3) रिजर्व बैंक के पोर्टफोलियो से ₹302 बिलियन की प्रतिभूतियों के कन्वर्शन का कार्य मार्च 2015 में किया गया। इन उपायों के माध्यम से रिजर्व बैंक ने जहां बकाया

ऋण की परिपक्वता अवधि को बढ़ाना सुनिश्चित किया, वहीं भारत सरकार के लिए रोलओवर जोखिम को कम किया है।

VII.8 वाणिज्यिक बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के प्रमुख निवेशक बने रहे, जो मार्च 2015 के अंत तक लगभग 43 प्रतिशत धारित किए हुए हैं, उसके बाद बीमा कंपनियों और भविष्य निधि कंपनियों की क्रमशः 21 प्रतिशत व 8 प्रतिशत धारिता थी। रिजर्व बैंक की धारिता पिछले दो वर्ष के उच्च 16 प्रतिशत से काफी घटकर 14 प्रतिशत रह गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) जो हाल की अवधि में सक्रिय बाजार प्रतिभागी के रूप में उभरे हैं, का हिस्सा एक वर्ष पहले की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है।

VII.9 वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार का ट्रेजरी-बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधार ₹4779 बिलियन था, जो वर्ष 2013-14 से 6 प्रतिशत कम था। 2014-15 के अंत के आसपास ट्रेजरी-बिलों पर प्रतिफल भी ठीक था जो चलनिधि की सहज स्थिति को दर्शाता है। बाजार विकास कार्यनीति का अनुसरण जारी रखते हुए रिजर्व बैंक ने बाजार के सहभागियों और अन्य हितधारकों में नीलामी से संबंधित जानकारी को तेजी से और बड़े पैमाने पर पहुंचाना सुनिश्चित किया। ट्रेजरी-बिलों, एसडीएल तथा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी के परिणामों को ई-कुबेर और एनडीएस-ओहम में प्रकाशित करने की प्रणाली को अपनाया

सारणी VII.2 : केंद्र सरकार का बाजार ऋण-स्वरूप

(आय प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में परिपक्वता पर प्रतिफल की सीमा			वर्ष के दौरान के निर्गम			बकाया स्टॉक (मार्च के अंत में)	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारत औसत प्रतिफल	प्रतिभूतियों की अवधि	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.80	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	5-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.67	7.97
2013-14*	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.39	6-30	14.22	10.00	7.99
2014-15*	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.67	10.23	8.08

टिप्पणी: # : एमएसएस के अंतर्गत जारी निर्गम शामिल नहीं हैं;

* : मुद्रास्फीति से जुड़े बांडों तथा भारत सरकार की बाईबैंक/स्विचेज वाली प्रतिभूतियों को छोड़कर।

सारणी VII.3: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि बिलियन ₹ में)

अवशेष परिपक्वता	2012-13		2013-14		2014-15	
	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	470	8.42	110	1.95	-	-
5 -9.99 वर्ष	1,910	34.23	2,305	40.91	2,350	39.69
10-14.99 वर्ष	1,730	31.00	1,340	23.78	1,510	25.51
15-19.99 वर्ष	270	4.84	930	16.50	960	16.22
20 वर्ष और अधिक	1,200	21.51	950	16.86	1,100	18.58
कुल	5,580	100.00	5,635	100.00	5,920	100.00

गया था, साथ ही इन परिणामों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।


नकदी प्रबंधन

VII.10 सरकार का राजकोषीय वर्ष लगभग ₹1284 बिलियन की नकदी के साथ प्रारंभ हुआ और नकदी की स्थिति मई 2014 के तीसरे सप्ताह तक सहज बनी हुई थी (चार्ट VII.2)। सरकार के खर्चों के फलस्वरूप नकदी राशि घट गई और सरकार ने पिछले वर्ष के 42 दिन की तुलना में इस वर्ष कुछ-कुछ अंतराल पर कुल मिलाकर 61 दिन अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सुविधा ली। सरकार ने नवंबर 2014 में ₹100 बिलियन के नकदी प्रबंध बिल (सीएमबी)

भी जारी किए।

VII.11 16 दिसंबर, 2014 से रिजर्व बैंक की संशोधित चलनिधि संरचना के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखी हुई सरकारी की नकदी की नीलामी परिवर्ती दर रेपो पर की जा रही है। नीलामी के लिए गणना की गई भारत सरकार के नकदी शेष की भरपाई बकाया परिवर्ती दर रेपो की भारत औसत दर पर की जाती है। सरकार का राजकोषीय वर्ष के अंत में नकदी शेष ₹1573 बिलियन था।

VII.12 केंद्र सरकार के लिए वर्ष 2014-15 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) और दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) क्रमशः ₹350 बिलियन और ₹200 बिलियन निर्धारित किया गया था। वर्ष 2015-16 की पहली छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाकर ₹450 बिलियन कर दिया गया है।



राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

बाजार उधारियां

VII.13 रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत तेलंगाना सरकार के साथ उनकी नकदी और ऋण प्रबंधन के कार्यों को संचालित करने के लिए 2 जून, 2014 से प्रभावी एक करार किया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक अब सभी 29 राज्यों और पुदुचेरि संघशासित क्षेत्र (यूटी) का ऋण प्रबंधक बन गया है। 2014-15 में बाजार उधार कार्यक्रम में सभी ने भाग लिया जिससे निवल उधार में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

VII.14 बाजार से अधिक उधार के बावजूद, वर्ष के दौरान जारी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय पिछले वर्ष के 9.18 से घटकर 8.58 रह गई है। इसके साथ साथ भारित औसत स्प्रेड भारत सरकार की प्रतिभूतियों की तुलनायोग्य परिपक्वताओं की तुलना में काफी घटकर 38 आधार अंक रह गया जबकि पिछले वर्ष यह 75 आधार अंक था।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.15 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक 1937 से राज्य सरकारों को उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए डब्ल्यूएमए प्रदान करता रहा है। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के हैं, जैसे (i) साधारण अर्थोपाय अग्रिम या बिना शर्त के अग्रिम, और (ii) विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए) अथवा सुरक्षित अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए) अथवा सुरक्षित अग्रिम (राज्य सरकार के साथ किए गए करार में संशोधन करते हुए एसडब्ल्यूएमए का नाम जून 2014 में बदलकर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) कर दिया गया है)। ओवरड्राफ्ट की स्थिति तब पैदा होती है जब रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दिया गया ऋण एसडीएफ और डब्ल्यूएमए की सीमा से अधिक होता है।

VII.16 संघ शासित राज्य पुदुच्चेरि सहित राज्यों के कुल अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) में नवंबर 2013 को 50 प्रतिशत की वृद्धि करके ₹154 बिलियन किया गया था जिसे 2014-15 में भी जारी रखा गया है। राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए और ओडी का मासिक औसत उपयोग 2014-15 में अधिक रहा, जबकि डब्ल्यूएमए का सहारा लेने वाले राज्यों की संख्या अपरिवर्तित अर्थात् 12 रही है। एसडीएफ का सहारा लेने वाले राज्यों की संख्या 2013-14 के 12 राज्यों की तुलना में बढ़कर 14 हो गई है। 2014-15 में ओडी लेने वाले राज्यों की 10 संख्या रही जबकि 2013-14 में यह संख्या 8 थी।

VII.17 हाल ही में, रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी बैंकिंग कारोबार से संबंधित की गई नई पहल से राज्य सरकारों के नकदी प्रबंधन की कार्यक्षमता बढ़ने की संभावना है (बॉक्स VII.1)।

सारणी VII.4 : राज्यों की बाजार उधारियां

(₹ बिलियन)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16@
1	2	3	4	5
निवल आबंटन	1,881	2,185	2,365	उन
सकल आबंटन	2,187	2,506	2,564	उन
वर्ष दौरान जुटाई गई सकल राशि	1,772	1,967	2,408	824
वर्ष दौरान जुटाई गई निवल राशि	1,467	1,646	2,075	720
भारित औसत प्रतिफल (%)	8.84	9.18	8.58	8.22
भारित औसत स्प्रेड (आधार अंक)	71	75	38	34
बकाया एसडीएल (अवधि के अंत में)	9,291	10,619	12,755	13,474

@: 12 अगस्त 2015 की स्थिति के अनुसार।

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.18 राज्य सरकारों के फंड मैनेजर के रूप में, रिजर्व बैंक उनकी समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) का रखरखाव कर रहा है। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार एसडीएल और अन्य उच्च लाभ देने वाली प्रतिभूतियों (उदाहरण के लिए ट्रेजरी बिल) में निवेश करना शुरू कर दिया है। सीएसएफ और जीआरएफ में बकाया निवेश मार्च 2015 के अंत में ₹703 बिलियन रही, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत वृद्धि है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के पदाधिकारियों में जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में बैंक ने त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ओड़िशा और उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में क्षमता बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

2015-16 की कार्यसूची

VII.19 केंद्र सरकार के बजट 2015-16 में वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्र की निवल बाजार उधारियों में मामूली वृद्धि होने का पूर्वानुमान किया गया है। समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार के

बॉक्स VII.1 सरकारी बैंकिंग में की गई नई पहल

सरकारी बैंकिंग कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस और रूस में यह कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है जबकि यूके और आस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। भुगतान संसाधन का कार्य फ्रांस और रूस में केंद्रीकृत है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में केंद्रीकृत नहीं है। इस संबंध में, बड़े देश अर्थात् अमरीका, चीन और भारत ने स्वरूप और लेनदेन के प्रकार के आधार पर मिश्रित दृष्टिकोण अपनाया है (चार्ट 1)।

सरकारी बैंकिंग सेवाओं में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए की गई पहल के रूप में, रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की ई-प्राप्तियों/ई-लेनदेनों की प्रक्रिया/डाटा संरचना में एकरूपता और मानकीकरण करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया था। समूह ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2014 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट की सिफारिशों में सभी राज्यों के लिए एक व्यापक समान मॉडल को अपनाने और रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा, ई-कुबेर के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है। मई 2015 में रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राज्य वित्त सचिव सम्मेलन में की गई चर्चा के अनुसार पूरे भारत में रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया था, तदनुसार, एक कार्यदल इसकी निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए गठित किया गया है। आज की तारीख तक 15 राज्यों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और कार्यान्वयन के विविध स्तरों पर हैं। शेष बचे राज्यों को इसके अंतर्गत लाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

ई-प्रति और ई-भुगतान की सुविधा ई-कुबेर में प्रदान की गई है ताकि बेहतर परिचालनगत कुशलता एवं सरकारों के बेहतर निधि प्रबंधन की सुविधा प्रदान की जा सके। ई-प्राप्ति प्रणाली में एजेन्सी बैंक के जरिए राजस्व संग्रह, रिजर्व

बैंक को सूचनाओं का प्रवाह और संबंधित राज्य सरकार के खाते में निधि का अंतिम अंतरण की सुविधा प्रदान की गई है। यह प्रणाली किसी प्रकार के पुनर्मिलान के बिना तेजी से कार्य करती है। राज्य के राजस्व संग्रह में सहभागी एजेन्सी बैंक को आईएसओ 20022 प्रारूप फाइल में दैनिक प्राप्तियों का विवरण तैयार करना होता है और उसे ई-कुबेर पोर्टल, जिसका उपयोग बैंक, रिजर्व बैंक के साथ अपने इंटरफ़ेस करने में करते है, पर अपलोड करना होता है। फाइल का संसाधन करने के बाद सभी संबंधित सूचनाओं के साथ ई-स्कॉल को स्ट्रेट-थू-प्रॉससिंग (एसटीपी) तरीके से राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता है। केंद्र सरकार के लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-कुबेर के इंटरफ़ेस की सुविधा एसटीपी आधार पर अंतर-सरकारी लेनदेन के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों को प्रदान कर दी गई है।

जिन राज्यों में केंद्रीकृत ट्रेजरी प्रणाली है, वहां उसकी आईटी प्रणाली को ई-कुबेर के साथ जोड़ने का कार्य किया जाएगा और सरकार द्वारा किए गए भुगतान का विवरण किसी प्रकार के मैनुअल हस्तक्षेप के बिना भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली को सीधे प्राप्त, संसाधित और अंतरित किया जाएगा। लेनदेन-वार-ई-स्कॉल विधिवत भुगतान की स्थिति (सफल अथवा वापसी) का उल्लेख करते हुए उसी दिन भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी प्रकार के भुगतान सही तरह से संसाधित किए गए हैं और किसी प्रकार के विलंब के बिना लाभार्थी को प्राप्त हो गए हैं।

प्रौद्योगिकी विकास का अधिकतम लाभ लेने के लिए कारोबार प्रक्रिया, रिइंजीनियरिंग पर एक कार्य समूह गठित किया गया है जिसमें सरकारी एजेन्सी, बैंक और रिजर्व बैंक होंगे। यह समूह सरकारी कारोबार, संबंधित संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग ढांचे के लिए कार्यप्रवाह, प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करेगा। इस संबंध में समूह से अपेक्षा की गई है कि वह अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2015 तक प्रस्तुत करे। इस प्रकार के प्रयासों से आने वाले वर्षों में सरकारों के नकदी प्रबंधन सहित सरकारों की बैंकिंग व्यवस्था काफी बेहतर होगी।

संदर्भ :

पेसोआ, एम. और एम. विलियम्स (2012), सरकारी नकदी प्रबंधन: ट्रेजरी और केंद्र सरकार, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति के बीच संबंध।

पटनायक, एस. और आई. फैबोइम (2011), ट्रेजरी एकल खाता : सरकारी नकदी प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति के लिए एक आवश्यक टूल।

चार्ट 1: सरकारी बैंकिंग कारोबार की अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं

		निम्नलिखित के साथ बैंकिंग परिचालन	
		केंद्रीय बैंक	वाणिज्यिक बैंक
भुगतान संसाधन	ट्रेजरी (केंद्रीकृत)	फ्रांस, रूस	यूएसए, चीन, भारत
	व्यय इकाइयां (विकेंद्रीकृत)	दक्षिण अफ्रीका	यूके, आस्ट्रेलिया

स्रोत: पेसोआ और विलियम्स (2012) पर आधारित

संकेत और मुद्रास्फीतिकारी दबाओं में कमी के चलते बाजार उधार कार्यक्रम उधारी लागत को कम करते हुए समुचित ढंग से पूरा होने की आशा है।

VII.20 2015-16 के दौरान अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के समान भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके एक मध्यवर्ती ऋण प्रबंधन रणनीति जनता के बीच रखी जाएगी। भारत सरकार के

परिपक्वता प्रोफाइल को प्रबंधित करने और रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए यह योजना बनाई गई है कि 2015-16 की दूसरी छमाही से खरीद वापसी और स्विचेस निर्गम के नियमित कैलेंडर का भाग होगा। अपेक्षाकृत सपाट प्रतिफल वक्र को ध्यान में रहते हुए बीमा कंपनियों और पेंशन फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए 2015-16 के दौरान एक 40 वर्षीय प्रतिभूति जारी करने का प्रस्ताव है।

VII.21 राज्य सरकार की बाजार उधारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में वृद्धि की गई है। बाजार उधारियों के पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए सभी राज्यों को वर्ष 2015-16 से लागू निर्गम के तिमाही कैलेंडर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इस प्रकार का पहला कैलेंडर 2015-16 की दूसरी तिमाही में घोषित किया गया है। राज्यों को भी यह सूचित किया गया है कि वे अपने राज्यों में निवेशकों को सक्रिय रूप से शामिल करें ताकि निवेशक आधार को बढ़ाया जा सके।

VII.22 राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस) की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है और इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।

VII.23 रिजर्व बैंक रीटेल निवेशकों को आसान और बढ़ी हुई पहुंच उपलब्ध कराना जारी रखेगा। इसी के भाग के रूप में, सभी

मिड-सेगमेंट और गिल्ट खाते रखने वाले रीटेल निवेशकों को भाग लेने के लिए ई-कुबेर प्लेटफार्म पर एक वेब-आधारित समाधान लागू किया जा रहा है। सरकारी प्रतिभूति बाजार को और अधिक विकसित करने हेतु प्राथमिक व्यापारी (पीडी) द्वारा चुनिंदा अल्प चलनिधि वाली प्रतिभूतियों में बाजार विकसित करने की योजना लागू की जाएगी। रीटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया-सुविधा मौजूदा समय में मात्र ट्रेजरी बिलों के अलावा दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों पर लागू है। ट्रेजरी बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया-सुविधा वैयक्तिकों को भी प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके रिजर्व बैंक शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन बढ़ाने के लिए सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) से डीमैट रूप में और इसके विपरीत भी प्रतिभूतियों में बिना किसी रुकावट के लगातार लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऋण बाजार में इस प्रकार के प्रवाह से संबंधित जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के आकार और विस्तार संबंधी ढांचे को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कार्य करेगा।

VII.24 रिजर्व बैंक लोक ऋण प्रबंध एजेन्सी (पीडीएमए) की स्थापना के लिए शुरुआती प्रक्रिया में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा।

2014-15 में भी बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में तेजी बनी रही। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नोटों की सत्यनिष्ठा में सुधार लाने के लिए सुरक्षा विशेषताओं को और मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाई गई। रिजर्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध के आधार का दायरा बढ़ाने के प्रयोजन से बैंकों के साथ करार किया। भारत सरकार के साथ परामर्श करके रिजर्व बैंक ने मुद्रा के स्वदेशीकरण की दिशा में प्रयास किया।

VIII.1 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना और इसकी धारा 22 में रिजर्व बैंक के प्रमुख सांविधिक कार्य के संबंध में जिस प्रकार की अपेक्षा की गई है, उसके अनुक्रम में 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा प्रबंध कार्य के लिए अपनायी गई पद्धति यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी कि जनता को व्यापार के लिए उचित रूप से आवश्यक विभिन्न मूल्यवर्ग के साफ-सुथरे बैंक नोटों और सिक्कों की आपूर्ति पूरी हो सके और बैंक नोटों एवं सिक्कों का निर्माण, संग्रहण तथा वितरण और गंदे एवं कटे-फटे नोटों एवं अप्रचलित सिक्कों को नष्ट करना सुनिश्चित हो।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

VIII.2 प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान के गैर-नगदी माध्यमों के प्रयोग के बाद भी 2014-15 में बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में वृद्धि हुई।

परिचालनगत बैंक नोट

VIII.3 पिछले वर्ष की तुलना में परिचालनगत बैंक नोटों के मूल्य में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च 2015 के अंत में यह बढ़कर ₹ 14,289 बिलियन हो गया। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान परिचालनगत बैंक नोटों की मात्रा में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 83.6 बिलियन नग हो गई। मार्च 2015 के अंत में परिचालनगत बैंक नोटों के कुल मूल्य में 85 प्रतिशत ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के नोट थे। मार्च 2015 के अंत में परिचालनगत बैंक नोट की मात्रा में 54 प्रतिशत ₹10 और ₹100 मूल्यवर्ग के नोट थे। (सारणी VIII.1).

परिचालनगत सिक्के

VIII.4 2014-15 में परिचालनगत सिक्कों की मांग में निरंतर वृद्धि देखी गई। परिचालनगत सिक्कों के कुल मूल्य में 12.1

सारणी VIII.1: परिचालनगत बैंक नोट

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015
1	2	3	4	5	6	7
2 एवं 5	11,624 (15.8)	11,698 (15.1)	11,672 (13.9)	46 (0.4)	46 (0.4)	46 (0.3)
10	25,168 (34.2)	26,648 (34.5)	30,304 (36.3)	252 (2.2)	266 (2.1)	303 (2.1)
20	3,825 (5.2)	4,285 (5.5)	4,350 (5.2)	77 (0.6)	86 (0.7)	87 (0.6)
50	3,461 (4.7)	3,448 (4.5)	3,487 (4.2)	173 (1.5)	172 (1.3)	174 (1.2)
100	14,421 (19.6)	14,765 (19.1)	15,026 (18.0)	1,442 (12.4)	1,476 (11.5)	1,503 (10.5)
500	10,719 (14.6)	11,405 (14.7)	13,128 (15.7)	5,359 (46.0)	5,702 (44.4)	6,564 (46.0)
1,000	4,299 (5.9)	5,081 (6.6)	5,612 (6.7)	4,299 (36.9)	5,081 (39.6)	5,612 (39.3)
कुल	73,517	77,330	83,579	11,648	12,829	14,289

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल मात्रा/मूल्य में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

प्रतिशत की वृद्धि हुई, किंतु मात्रा की दृष्टि से यह वृद्धि 8.0 प्रतिशत रही। (सारणी VIII.2).

सिक्कों की बढ़ी हुई मांग और आपूर्ति बढ़ाने के उपाय

VIII.5 हाल के वर्षों में, आपूर्ति की तुलना में सिक्कों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण रहा - देश में चल रहे कई टॉल प्लाजा, बस/ऑटो/ट्रेन/टैक्सी के किरायों की संरचना

सारणी VIII.2: परिचालनगत सिक्के

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015
	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788 (17.4)	14,788 (16.1)	14,788 (14.9)	7 (4.6)	7 (4.1)	7 (3.6)
₹1	35,884 (42.4)	38,424 (41.9)	41,627 (42.1)	36 (23.5)	38 (21.9)	42 (21.7)
₹2	22,113 (26.1)	24,823 (27.1)	27,038 (27.3)	44 (28.8)	50 (28.9)	54 (27.8)
₹5	10,675 (12.6)	11,577 (12.7)	12,761 (12.9)	53 (34.6)	58 (33.5)	64 (33.0)
₹10	1,267 (1.5)	2,017 (2.2)	2,750 (2.8)	13 (8.5)	20 (11.6)	27 (13.9)
कुल	84,727	91,629	98,964	153	173	194

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

और विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शीघ्र खपत होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) के छोटे-छोटे रूप में बढ़ते प्रयोग के मद्देनजर ग्रामीण और शहरी गरीबों की संपन्नता में हुई वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिक्कों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन सारणी VIII.3 में दी गई है।

VIII.6 बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की टकसालों से सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने को कहा तथा वितरण को आगे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त कदम उठाए हैं:

- (i) दुकानदारों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों, टॉलगेट एजेंसियों, आदि को सिक्कों की उनकी जरूरतों के लिए निकटतम करेंसी चेस्ट के साथ जोड़ा गया;

सारणी VIII.3: सिक्कों की मांग और आपूर्ति

वर्ष	(मिलियन नग)	
	मांग	आपूर्ति
1	2	3
2012-13	9,554	6,878
2013-14	12,033	7,677
2014-15	13,840	7,907

- (ii) बैंकों को सूचित किया गया कि वे सिक्का मेलों का आयोजन करें ताकि लोगों को सीधे ही सिक्के प्राप्त हो सकें;

- (iii) बड़ी तादाद में सिक्कों का उपयोग करने वालों जैसेकि बड़े खुदरा व्यापारी और टॉल प्लाजा को सूचित किया गया कि वे बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल/कार्ड/ई-टोकन का प्रयोग बढ़ाएं ताकि सिक्कों पर उनकी निर्भरता कम हो सके और;

- (iv) बैंकों को क्वाइन वेंडिंग मशीन (सीवीएम) और ऐसी मशीनें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो लोगों को नगदी संबंधित सेवा प्रदान कर सके।

VIII.7 रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि टकसालों में उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने तक अल्पावधि उपाय के रूप में सिक्कों के आयात की अनुमति दी जाए; सिक्का ढलाई अधिनियम, 2011 के अनुसार निजी पार्टियों द्वारा सिक्कों को ढालने की अनुमति दी जाए; और मध्यम अवधि के उपाय के रूप में टकसालों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए/नए टकसाल स्थापित किए जाएं। रिजर्व बैंक इन उपायों पर भी कार्य रहा है कि जनता को सिक्कों को फिर से संचलन में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मुद्रा प्रबंध की मूलभूत संरचना

VIII.8 मुद्रा प्रबंध की मूलभूत संरचना में 19 निर्गम कार्यालय, 4,132 करेंसी चेस्ट (उप राजकोष कार्यालयों और कोच्चि में रिजर्व के करेंसी चेस्ट सहित) और देश भर में वाणिज्यिक, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के फैले हुए छोटे सिक्कों के 3,813 डिपो शामिल हैं (सारणी VIII.4)। वर्ष के दौरान करेंसी चेस्ट खोलने के लिए कई स्तरों पर अनुमोदन लेने के स्थान पर एकल स्तरीय अनुमोदन प्रणाली की शुरुआत के साथ इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

लीड बैंक योजना

VIII.9 2013 में प्रायोगिक आधार पर मुद्रा प्रबंध के लिए लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जिले की पहचान करके उसमें एक अग्रणी बैंक निर्धारित किया गया और इसके परिणामस्वरूप लीड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उस क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो से समन्वय करके वह यह सुनिश्चित करे कि लोगों की साफ-सुथरे नोटों और

सारणी VIII.4: मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार करेसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2,033	1,930
एसबीआई एसोसिएट बैंक	763	733
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,162	987
निजी क्षेत्र के बैंक	153	149
सहकारी बैंक	4	4
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5
राज्य राजकोष कार्यालय (एसटीओ)	7	0
भारिबैं	1	1
कुल	4,132	3,813

सिक्कों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी हों। लीड बैंक मुद्रा प्रबंध के लिए एक नोडल बैंक (बीसीएम) के रूप में कार्य करते हुए इन मुद्दों पर ध्यान देगा, जैसेकि गैर-करेसी चेस्ट शाखाओं को करेसी चेस्ट के साथ जोड़ना, उस क्षेत्र में बैंक शाखाओं से बैंक नोटों और सिक्कों की आपूर्ति एवं निर्गम की सुविधा मुहैया कराना, डायवर्जन अनुरोध को तुरंत भेजना और जनता की शिकायतों का निपटान करना। नोडल बीसीएम असली नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और कटे-फटे नोटों को बदलने पर जागरूकता बढ़ाने/साक्षरता अभियान चलाने से संबंधित कार्य करती है। एक वर्ष के परिचालन के बाद, इस योजना की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 2014-15 में इसे जारी रखा जाए और 2015-16 में इसे जारी रखना समीक्षाधीन है।

स्वच्छ नोट नीति

बैंक नोटों और सिक्कों की मांग का आकलन और आपूर्ति

VIII.10 मुद्रा की मांग का आकलन करने के लिए अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक जीडीपी में वृद्धि की संभावनाएं, मुद्रास्फीति की दर और मूल्यवर्ग-वार गंदे नोटों को नष्ट करने की दर शामिल हैं। तदनुसार, बैंक नोटों की कुल आपूर्ति 2014-15 में बढ़ाकर 23.7 बिलियन नग कर दी गई, जबकि 2013-14 में यह 20.9 बिलियन नग थी

सारणी VIII.5: बैंक नोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल तथा एसपीएमसीआईएल द्वारा रिज़र्व बैंक को आपूर्ति

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (मिलियन नग)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6
5	0	0	0	0	0
10	12,164	9,467	6,000	9,417	4,000
20	1,203	935	4,000	1,086	5,000
50	994	1,174	2,100	1,615	2,050
100	5,187	5,131	5,200	5,464	5,350
500	4,839	3,393	5,400	5,018	5,600
1,000	975	818	1,500	1,052	1,900
कुल	25,362	20,918	24,200*	23,652	23,900

* : वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में प्रकाशित आंकड़े बाद में संशोधित किए गए।
बीआरबीएनएमपीएल : भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एसपीएमसीआईएल : भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

(13.1 प्रतिशत की वृद्धि) (सारणी VIII.5)। सिक्कों की आपूर्ति में भी 2013-14 के 11.6 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (सारणी VIII.6)

गंदे बैंक नोटों को नष्ट करना

VIII.11 2014-15 के दौरान, लगभग 15.1 बिलियन नग गंदे बैंक नोट नष्ट किए गए जबकि लक्ष्य 17.1 बिलियन का था और 2013-14 के दौरान 14.2 बिलियन नग नष्ट किए गए।

सारणी VIII.6: सिक्कों की मांग और एसपीएमसीआईएल द्वारा रिज़र्व बैंक को आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)				
	2013-14		2014-15		2015-16
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6
50 पैसे	50	40	40	20	40
₹1	5,418	3,092	6,000	3,247**	6,100
₹2	3,546	2,424	4,000	2,367	4,000
₹5	1,819	1,393	2,000	1,091	2,100
₹10	1,200	728	1,800	1,187	2,000
कुल	12,033	7,677	13,840*	7,912**	14,240

* : वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में प्रकाशित आंकड़े बाद में संशोधित किए गए।
** : ₹ 1 करेसी नोटों की 5 मिलियन नग शामिल है।

**सारणी VIII.7: पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या
अप्रैल से मार्च**

(नगों की संख्या)

वर्ष	पता लागया गया भारिबैं में	अन्य बैंकों में	कुल
1	2	3	4
2013-14	19,827 (4.1)	468,446 (95.9)	488,273 (100.0)
2014-15	26,128 (4.4)	568,318 (95.6)	594,446 (100.0)

नोट: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

जाली नोट

VIII.12 वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली में 594,446 नग जाली नोटों का पता लगाया गया, जिनमें से 95.6 प्रतिशत का पता वाणिज्य बैंकों ने लगाया, जबकि 4.4 प्रतिशत का पता रिजर्व बैंक के कार्यालयों में हुआ (सारणी VIII.7)। 2014-15 के दौरान, पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या में ₹2 और ₹5 को छोड़कर सभी मूल्यवर्ग के नोटों में वृद्धि हुई (सारणी VIII.8)।

VIII.13 इस अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुक्रम में कि अलग-अलग श्रृंखला के बैंक नोट एक-साथ परिचालन में नहीं होने चाहिए, 2005

से पहले के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 2014 में शुरू की गई। हालांकि 2005 से पहले के इन अधिकांश नोटों को बैंक शाखाओं के जरिए परिचालन से वापस ले लिया गया है, यह निर्णय लिया गया कि वापस लेने की तारीख को 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ाया जाए ताकि बचे 2005 से पहले के पुराने डिजाइन के बैंक नोट वापस लिए जा सकें और जनता को कम-से-कम असुविधा हो।

प्रतिभूति मुद्रण और वितरण पर खर्च

VIII.14 देश भर में नोटों का वितरण तेजी से करने के लिए, रिजर्व बैंक ने एक ऐसी योजना को लागू करते आया है जिसके तहत नोट मुद्रण प्रेस से करेंसी चेस्ट को सीधे ही बैंक नोटों का प्रेषण हो सके और बार-बार की जाने वाली लॉजिस्टिक एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं से बचा जा सके। 2014-15 (जुलाई-जून) के दौरान, प्रतिभूति मुद्रण में कुल ₹37.6 बिलियन खर्च हुआ, जबकि 2013-14 में ₹32.1 बिलियन खर्च हुआ। यह वृद्धि मुख्य रूप से इस कारण से हुई थी कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक बैंक नोटों की आपूर्ति हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान, रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके मुद्रा को देश में ही प्रिंट करने (बॉक्स VIII.1), बैंक

**सारणी VIII.8: परिचालनगत नोटों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में
मूल्यवर्ग-वार पता लगाए गए जाली नोट (नगों में)
(अप्रैल से मार्च)**

मूल्यवर्ग (₹)	2013-14			2014-15		
	जाली नोटों की संख्या	परिचालनगत नोट	एनआईसी के अनुपात में एफआईसीएन	जाली नोटों की संख्या	परिचालनगत नोट	एनआईसी के अनुपात में एफआईसीएन
1	2	3	4	5	6	7
2 and 5	1	11,698,000,000	0.00000000	0	11,672,000,000	0.00000000
10	157	26,648,000,000	0.00000001	268	30,304,000,000	0.00000001
20	87	4,285,000,000	0.00000002	106	4,350,000,000	0.00000002
50	6,851	3,448,000,000	0.00000199	7,160	3,487,000,000	0.00000205
100	118,873	14,765,000,000	0.00000805	181,799	15,026,000,000	0.0000121
500	252,269	11,405,000,000	0.00002212	273,923	13,128,000,000	0.00002087
1000	110,035	5,081,000,000	0.00002166	131,190	5,612,000,000	0.00002338
कुल	488,273	77,330,000,000	0.00000631	594,446	83,579,000,000	0.00000711

एफआईसीएन: जाली भारतीय करेंसी नोट। एनआईसी: परिचालनगत नोट।
नोट: इसमें पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

बॉक्स VIII.1: मुद्रा मुद्रण के स्वदेशीकरण के प्रयास

चीन के बाद केवल भारत करेंसी नोटों का सबसे बड़ा निर्माता एवं उपभोक्ता है। मार्च 2015 के अंत में ₹14.3 ट्रिलियन बैंक नोट (मूल्य की दृष्टि से) परिचालन में थे और इसके साथ ही भुगतान के लिए करेंसी ही प्रभावशाली माध्यम बनी हुई है।

1980 के दशक में अंत तक, करेंसी नोटों की निरंतर बढ़ती मांग सरकारी नोट प्रेस (नासिक और देवास) की क्षमता से अधिक हो गई। रिजर्व बैंक ने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के माध्यम से 1996 में मैसूर और साल्बनी में दो करेंसी प्रेस की स्थापना की, उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) और 1999 तक देश को करेंसी नोट मुद्रण के मामले में आत्म-निर्भर बनाया। वर्तमान में, भारत में परिचालित 40 प्रतिशत से अधिक करेंसी नोट सरकार के प्रेस द्वारा मुद्रित किए जाते हैं, जबकि बाकि बचे 60 प्रतिशत रिजर्व बैंक के करेंसी प्रेस से निकलते हैं। तथापि, करेंसी मुद्रण हेतु आवश्यक प्रमुख अवयवों के लिए रिजर्व बैंक मोटे तौर पर आयात पर निर्भर है। स्याही के मामले में, भारत में ऑफसेट और इन्टैग्लियो स्याही का उत्पादन होता है, जबकि ऑप्टिकली वेरिफेबल इंक का आयात किया जाता है। बैंक नोटों की मौजूदा श्रृंखला में प्रयोग होने वाली कुछ सुरक्षा विशेषताएं जैसेकि सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का भी आयात किया जाता है। जहां तक बैंक नोटों में प्रयोग होने वाले पेपर का संबंध है, करेंसी नोट

मुद्रण के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक पेपर का केवल 5 प्रतिशत ही भारत में उत्पादित होता है और बाकि के लिए आयात की आवश्यकता होती है। आयात पर निर्भरता के कारण लागत, गुणवत्ता और सामयिकता के लिहाज से करेंसी मुद्रण की प्रक्रिया असुरक्षित हो जाती है।

रिजर्व बैंक ने देश में ही करेंसी नोट का मुद्रण करने से जुड़े फायदे जैसेकि सुनिश्चित, सुगम एवं समय पर आपूर्ति, लागत में किरफायत (आयात बिल में कमी के द्वारा), रोजगार सृजन और जालसाजी को रोकने में प्रभावी रोक को देखते हुए एक बहु-स्तरीय रणनीति की शुरुआत की है। स्वदेशीकरण की गति को बढ़ाने के लिए, मैसूर में 12,000 एमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक पेपर मिल स्थापित की जा रही है जोकि करेंसी मुद्रण के लिए पेपर की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा करेगा। रिजर्व बैंक बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में घरेलू स्तर पर योग्यता को विकसित करने के क्षेत्र में भी प्रयास कर रहा है। सुरक्षा विशेषताओं के स्वदेशीकरण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के प्रयोजन से, रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष: श्री आर गांधी) गठित की है जो ऐसी एजेंसियों/संस्थानों की पहचान करेगा जिन्हें अगले कुछ वर्षों में स्वदेशी सुरक्षा विशेषताएं विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

नोटों का जीवनकाल बढ़ाने और सिक्कों की बनावट एवं आकार से जुड़े मुद्दों का हल निकालने की दिशा में सम्मिलित प्रयास किया।

मुद्रा प्रबंध विभाग

VIII.15 मुद्रा प्रबंध के मामले में, मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम) देश भर में विभिन्न मूल्यवर्ग के साफ-सुथरे बैंक नोटों और अच्छे सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में बाधा-रहित आपूर्ति और परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक के लिए तय किए गए लक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हैं- प्लास्टिक बैंक नोटों का फील्ड परीक्षण, बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशना, स्टोरेज, परिवहन, वितरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन का प्रयोग करना; प्रायोगिक आधार पर पूरी तरह स्वचालित नगद प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना, जाली नोटों से पार पाने के लिए करेंसी नोट मुद्रण प्रौद्योगिकी के नवीनतम खोजों का प्रयोग करते हुए बैंक नोटों की नई श्रृंखला की शुरुआत करना, सिक्कों को प्रयोक्ता अनुकूल बनाने और अधिक समय तक चलने के लिए उन्हें फिर से डिजाइन करना और बैंक नोटों की

पैकिंग में सुधार लाना ताकि उनकी हैंडलिंग में सुविधा हो और उनके परिचालन की प्रक्रिया को और अधिक श्रम-अनुकूल बनाया जा सके।

2014 -15 के लिए एजेंडा: कार्यान्वयन की स्थिति

प्लास्टिक बैंक नोटों का फील्ड परीक्षण

VIII.16 ₹10 के मूल्यवर्ग में प्लास्टिक के भारतीय बैंक नोटों की आपूर्ति के प्रस्ताव का अनुरोध किया गया था और इसका तकनीकी मूल्यांकन किया गया। तथापि, इसमें कुछ तकनीकी कमजोरियां सामने आईं और इस प्रक्रिया को आगे और नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए विकल्पों की तलाश

VIII.17 बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने के प्रयोजन से किए जाने वाले उपायों का मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें हितधारकों और अनुसंधान संस्थाओं को शामिल किया गया है। इस विषय पर एक अध्ययन को हाथ में लिया गया है और 2015-16 में इसके पूरा होने की संभावना है।

पूरी तरह से स्वचालित नगद प्रसंस्करण केंद्र

VIII.18 यह महसूस किया गया कि हब एंड स्पोक मॉडल से दक्षता और बढ़ेगी। तदनुसार, वाणिज्य बैंकों को ऐसे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और दो बैंकों ने सीपीसी की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है।

जालसाजों से आगे बने रहना

VIII.19 वर्ष के दौरान ₹100 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में एक नई संख्यांकन पद्धति की शुरुआत की गई। अन्य सभी मूल्यवर्ग में चरणबद्ध तरीके से नई संख्यांकन पद्धति शुरू की जाएगी। सुरक्षा विशेषताओं की आपूर्ति के लिए एक पूर्व अर्हता वैश्विक बोली के माध्यम से जून 2015 में, नई सुरक्षा विशेषताओं के शुरुआत की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

सिक्कों की पुनः डिजाइनिंग और बैंक नोटों की पैकिंग में सुधार

VIII.20 भारत सरकार ने सिक्कों की बनावट और आकार पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति से रिजर्व बैंक भी जुड़ेगा। हितधारकों के साथ परामर्श करके यह निर्णय गया कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) समझौता 127 और सिफारिश 128 (जिसमें किसी वयस्क कामगार द्वारा उठाया जाने वाला भार 55 किग्रा से अधिक न हो) के अनुरूप, बैंक नोटों की पैकिंग के लिए नालीदार फाइबर बॉक्स की शुरुआत की जाए। वर्तमान में प्रयोग में लाए जाने वाले लकड़ी के बॉक्सों की तुलना में इस प्रकार के बॉक्स अधिक पर्यावरण अनुकूल होंगे। दो प्रिंटिंग प्रेस ने नए नालीदार फाइबर बॉक्सों में बैंक नोटों की आपूर्ति शुरू कर दी है।

2015-16 के लिए एजेंडा

VIII.21 रिजर्व बैंक ने 2014-15 में नई श्रृंखला के बैंक नोट, नई संख्यांकन पद्धति, अक्षम लोगों के लिए ब्रेल जैसे साइन और स्वच्छ नोट नीति के क्षेत्र में शुरू की गई गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए 2015-16 के दौरान निम्नलिखित पहल करने की योजना बनाई है। बैंक नोटों के जीवनकाल को बढ़ाने की दिशा में प्लास्टिक बैंक नोटों की विशेषताएं विकसित करने के प्रयोजन से टेंडर पर विचार किया

जाएगा। इसके अलावा, बैंक नोटों के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों को तलाशने की पहल की जाएगी।

ग्राहक सेवा

VIII.22 बैंकों द्वारा बैंक नोटों और सिक्कों से संबंधित सेवाएं मुहैया कराने के संबंध में प्रोत्साहन और दंड योजना को तर्कसंगत किया जाएगा। लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए वैकल्पिक उपायों के प्रोत्साहन से बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण नेटवर्क मजबूत किए जाएंगे। इसके अलावा, नोट वापसी नियम, जिसकी पिछली समीक्षा 2009 में की गई थी, उस पर आगे और सुधार करने पर विचार किया जाएगा। रिजर्व बैंक भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के स्वदेशीकरण के अपने मध्यम/लंबी अवधि के लक्ष्य को जारी रखेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनपीएमएल)

VIII.23 बैंक नोटों का उत्पादन बढ़ाने और देश में बैंक नोटों की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के प्रयोजन से रिजर्व बैंक द्वारा 03 फरवरी 1995 को बीआरबीएनपीएमएल की स्थापना की गई थी जो पूरी तरह से रिजर्व बैंक की स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। कंपनी के दो प्रेस, एक कनार्टक के मैसूर में और दूसरा पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में है।

VIII.24 बीआरबीएनपीएमएल में बैंक नोटों की वार्षिक आवश्यकता का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है और मार्च 2015 के अंत तक यह रिजर्व बैंक को 15,515.88 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति कर चुका है। 2014-15 के दौरान इसका कर पश्चात् शुद्ध मुनाफा ₹1.38 बिलियन रहा, जबकि पिछले वर्ष इसका कर पश्चात् शुद्ध मुनाफा ₹1.33 बिलियन था।

VIII.25 कंपनी अपनी उत्पादकता और परिचालनगत दक्षता को अनुसंधान, विकास गतिविधियों और प्रक्रिया नवोन्मेषण के जरिए लगातार बढ़ा रही है। कंपनी ने गुणवत्ता का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने मैसूर और साल्बोनी स्थित प्रयोगशालाओं में जांच और अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की हैं। इन प्रयोगशालाओं में वर्तमान में बैंक नोटों का जीवनकाल बढ़ाने, बैंक नोटों के लिए मूलभूत आधार

के चयन और उनका मूल्यांकन करने, विभिन्न वस्तुओं तथा उनकी विशेषताओं की तुलना करने और सुरक्षा विशेषताओं का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

VIII.26 12,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की स्थापना मैसूर में अक्टूबर 2010 में की गई थी और इसकी स्थापना भारत सरकार की स्वामित्व वाली एसपीएमसीआईएल और रिज़र्व बैंक की

सब्सिडियरी बीआरबीएनएमपीएल के बीच एक समान हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। तथापि, संबंधित एजेंसियों से प्राप्त होने वाले अनुमोदन और प्रक्रिया में समस्या के कारण इस सुविधा का परिचालन अवरुद्ध हो गया। इसके 2015-16 से उत्पादन शुरू करने की संभावना है। आशा है कि इस सुविधा से बैंक नोटों के पेपर के आयात में उल्लेखनीय कमी आएगी और विनिर्माण में इससे आत्मनिर्भरता में आएगी।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहित करने और नकदी संव्यवहार कम करने वाली सामाजिक व्यवस्था के विज्ञान के अनुसरण में, रिजर्व बैंक देश में सुरक्षित, समावेशी और कुशल भुगतान प्रणालियां विकसित करने के प्रयास में निरंतर लगा हुआ है। एटीएम लेनदेनों, प्रीपेड भुगतान लिखतों, व्हाइट लेबल एटीएम और छोटे मूल्य के संपर्क-रहित कार्ड द्वारा प्रस्तुत भुगतानों से संबंधित नीतियों के युक्तीकरण की दिशा में किए गए प्रयास इसमें शामिल हैं। इनके अलावा, बिल भुगतानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने और एमएसएमई बिल भुनाने के क्षेत्र में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली (टीआर, डीएस) हेतु नीतिगत फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए रिजर्व बैंक ने अनेक आंतरिक आईटी उपाय भी प्रारंभ किए हैं।

भुगतान और निपटान प्रणालियां विभाग

IX.1 भली प्रकार से विकसित किसी वित्तीय प्रणाली के लिए कुशल और सुरक्षित भुगतान और निपटान प्रणालियां महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भुगतान और निपटान प्रणालियों के मामले में यह विभाग रिजर्व बैंक का नोडल बिंदु है, जिसका ध्यान नकदी का कम संव्यवहार करने वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर प्रस्थान करना और इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों की कुशलता और सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही साथ परिचालनों की सहजता में सुधार भी लाना है। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिस पर जोर दिया गया है, वह है अंतर-परिचालनीय भुगतान प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के जरिए वित्त तक पहुंच बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भुगतान प्रणाली संबंधी गतिविधियों के लिए मजबूत विधिक आधार प्रदान करना। बाधा रहित वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक कई वर्षों से नियमित आधार पर भुगतान और निपटान प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नकद और कागज आधारित लेन-देनों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भुगतानों की ओर क्रमिक झुकाव हो रहा है। इन सब उपायों को करते समय रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी में होने वाले विकास को ध्यान में रखा और भुगतानों के वातावरण में नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाया।

भुगतान प्रणालियों में रुझान और प्रगति

IX.2 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में अंतरण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए दृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों ने लेन-देन की उच्च मात्रा दर्ज की (सारणी IX.1) तदनुसार, कागज-आधारित समाशोधन प्रणालियों द्वारा प्रसंस्कृत किए गए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य दोनों संदर्भों में निरंतर गिरावट दिखाई पड़ी। समग्र रूप से भुगतान और निपटान प्रणालियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में मात्रात्मक रूप से 27.1 प्रतिशत की उच्चतर और मूल्य के संदर्भ में 5.4 प्रतिशत की निम्नतर संवृद्धि दर्ज की।

कागजी समाशोधन

IX.3 कुल लेन-देनों की तुलना में कागज-आधारित लेन-देनों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में कम होती जा रही है। मात्रा के रूप में, 2014-15 के दौरान हुए कुल लेन-देनों की तुलना में कागज-आधारित लेन-देनों का प्रतिशत 25.4 ही था, जो पिछले वर्ष के 33.9 प्रतिशत की तुलना में कम था। मूल्य के रूप में भी उनके हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से कम होकर 5.4 प्रतिशत रह गई।

इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतान

IX.4 इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों में कवरेज और उपयोग दोनों के संदर्भ में संवृद्धि प्रोत्साहित करने वाली रही है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सुविधा, व्यापार संवाददाता (बीसी) केंद्रों के अलावा, 161 बैंकों की 121,845 शाखाओं में उपलब्ध थी।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली के संकेतक - वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	68.5	81.1	92.8	676,841.0	734,252.4	754,032.4
कुल वित्तीय बाजार समाशोधन (2 + 3 + 4)	2.3	2.6	3.0	501,598.5	621,569.6	672,455.6
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.2	120,480.4	175,261.9	167,646.0
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.7	0.9	1.0	119,948.0	161,848.2	179,372.0
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.4	1.5	1.8	261,170.1	284,459.5	325,437.6
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	70.8	83.7	95.7	1,178,439.5	1,355,822.0	1,426,488.0
खुदरा भुगतान						
कुल कागजी समाशोधन (5+6+7)	1,313.7	1,257.3	1,195.8	100,181.8	93,316.0	85,439.3
5. चेक ट्रैकेशन प्रणाली	275.0	591.4	964.9	21,779.5	44,691.4	66,769.9
6. माइक्रर समाशोधन	823.3	440.1	22.4	57,504.0	30,942.8	1,850.4
7. गैर-माइक्रर समाशोधन	215.3	225.9	208.5	20,898.3	17,681.8	16,819.0
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (8+9+10+11+12)	694.1	1,108.3	1,687.4	31,881.1	47,856.3	65,365.5
8. ईसीएस नामे	176.5	192.9	226.0	1,083.1	1,268.0	1,739.8
9. ईसीएस जमा	122.2	152.5	115.3	1,771.3	2,492.2	2,019.1
10. एनईएफटी	394.1	661.0	927.6	29,022.4	43,785.5	59,803.8
11. त्वरित भुगतान सेवा (आइएमपीएस)	1.2	15.4	78.4	4.3	95.8	581.9
12. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	-	86.5	340.2	-	214.8	1,220.9
कुल कार्ड भुगतान (13+14+15)	932.6	1,261.8	1,737.7	2,052.1	2,575.4	3,324.5
13. क्रेडिट कार्ड	396.6	509.1	615.1	1,229.5	1,539.9	1,899.2
14. डेबिट कार्ड	469.1	619.1	808.1	743.4	954.5	1,213.4
15. प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआह)	66.9	133.6	314.5	79.2	81.0	211.9
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15 तक)	2,940.3	3,627.4	4,620.9	134,115.0	143,747.7	154,129.3
कुल जोड़ (1 से 15)	3,011.1	3,711.1	4,716.6	1,312,554.5	1,499,569.7	1,580,617.3

:- लागू नहीं

नोट: 1. आरटीजीएस में मात्र ग्राहक और अंतरबैंक लेनदेन शामिल हैं।

- संपार्श्वीकृत उधार तथा ऋण देयताओं (सीबीएलओ), सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के माध्यम से किया जाता है।
- चेकों की समस्त मात्रा को चेक संसाधन केंद्रों में अंतरित कर देने से देश में अब कोई चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (माइक्रर)चेक संसाधन केंद्र (सीपीसी) नहीं हैं।
- कार्ड के आंकड़े सिर्फ बिंदु पर किए गए लेनदेनों से संबंधित हैं।
- एनएसीएच प्रणाली एनपीसीआह द्वारा (29 दिसंबर 2012 में) शुरू की गई थी ताकि अंतरबैंक, बड़ी मात्रा वाले, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन जो दोहराने योग्य और आवधिक स्वरूप के हैं, के लिए सुविधाजनक हो सके।
- हो सकता है कि संख्या का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े मेल न खाते हो।

2014-15 में एनईएफटी ने लगभग ₹60 ट्रिलियन मूल्य के 928 मिलियन लेन-देनों का निष्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष ₹44 ट्रिलियन मूल्य के 661 मिलियन लेन-देन निष्पादित किए गए थे। केवल मार्च, 2015 माह में ही एनईएफटी ने अब तक की सबसे अधिक मात्रा 106 मिलियन लेन-देनों का निष्पादन किया।

IX.5 थोक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं(ईसीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन

गृह का जोड़) के संबंध में भी वृद्धि का रुझान दृष्टिगत होता है। बैंकों ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई) द्वारा चलाई जा रही एनएसीएच और रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जा रही ईसीएस दोनों ही सुविधाओं का उपयोग करना जारी रखा।

IX.6 जहां तक कार्ड लेनदेनों का संबंध है, 2014-15 के दौरान, क्रेडिट कार्डों के जरिए लगभग ₹1.9 ट्रिलियन मूल्य के 615 मिलियन लेनदेन निष्पादित किए गए, जबकि डेबिट कार्डों

के जरिए ₹1.2 ट्रिलियन मूल्य के 808 मिलियन लेन-देन व्यहृत किए गए। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला, इनके जरिए ₹212 बिलियन मूल्य के 314 मिलियन लेन-देन रिकार्ड किए गए। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, जो भुगतान विकल्पों में अपेक्षाकृत नई हैं, उन्होंने भी उत्सावर्धक वृद्धि दर्ज की है और उन्होंने वर्ष के दौरान ₹1 ट्रिलियन मूल्य के 171 मिलियन लेन-देनों को निष्पादित किया।

2014-15 के लिए कार्यसूची: क्रियान्वयन स्थिति

मोबाइल बैंकिंग

IX.7 2014-15 की कार्यसूची के एक भाग के रूप में, यह योजना बनाई गई थी कि मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और आवश्यक आधारभूत कार्य किए जाएंगे ताकि हितधारकों को शामिल किया जा सके और बैंकों के बीच मोबाइल बैंकिंग के लिए मानक एप्लीकेशन लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने, ग्राहकों को शामिल करने, लेनदेनों की सुरक्षा और ग्राहक शिकायतों के लिए मानकों को निर्धारित किया जा सके। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में दिसंबर 2014 में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि देश में मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ाया जा सके। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए सरल पंजीकरण संबंधी विकल्पों को अपने ग्राहकों को एटीएम के माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाए ताकि इस प्रकार की सेवाओं के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके। एनपीसीआई, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच नेटवर्क (एनएफएस) पर एटीएम के जरिए मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया में है, एनपीसीआई को सूचित किया गया था कि वो ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा) प्लैटफार्म (एनयूयूपी) के संदर्भ में, बैंकों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों (एमएनओ) के बीच उद्योग सहमतियों हेतु मानक तय करें।

व्यापार प्राप्तियां एवं बट्टा प्रणाली (टीआरूडीएस)

IX.8 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए तीव्र और कुशल वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराने के लिए यह प्रस्ताव किया गया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक टीआरूडीएस बनाया

जाए ताकि एमएसएमई, उनके कारपोरेट क्रेताओं और साथ ही उनके वित्तपोषकों, को निकट लाया जा सके, और चलनिधि के प्रबंधन में एमएसएमई क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही बाधाओं को कम किया जा सके। टीआरूडीएस में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कारपोरेट क्रेता प्रतिभागी होंगे। यह प्रणाली प्राप्तियों के साथ ही साथ देयताओं की फैक्ट्रिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। तदनुसार, टीआरूडीएस को बनाने के लिए नीतिगत उपाय किए गए। टीआरूडीएस को बनाने के लिए सात आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी संवीक्षा की जा रही है ताकि भुगतान और निपटान प्रणालियां (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत 2015-16 के दौरान उनको प्राधिकृत करने पर विचार किया जा सके।

भारत बिल भुगतान प्रणालियां (बीबीपीएस)

IX.9 2014-15 के लिए निर्धारित कार्यसूची के अनुसार नवंबर 2014 में बीबीपीएस के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। बीबीपीएस को एनपीसीआई द्वारा संपूर्ण-भारत हेतु एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली के रूप पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत विकसित किया जा रहा है जो एजेंट्स के नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को अंतर-परिचालनीय और सुगम बिल भुगतान सेवाओं की पेशकश करेगा। ऐसी आशा है कि यह ग्राहकों, जिन्हें अपने बिल भुगतान करने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों (संबंधित बिल प्रदाताओं द्वारा एक ही स्थान पर) का उपयोग करना पड़ता है, को अपना बिल भुगतान करने में पेश आ रही समस्याओं को दूर करेगा। भारत बिल भुगतान केंद्रीय यूनिट (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए एनपीसीआई को प्राधिकृत करने और भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट (बीबीपीओयू) को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया 2015-16 के दौरान पूरी कर ली जाएगी।

भुगतान प्रणालियों का समेकन

IX.10 ईसीएस समूह और एनएसीएच एक समान सेवाएं ही उपलब्ध कराते हैं। 2014-15 की कार्यसूची में जैसा कि उल्लेख किया गया था, ईसीएस समूह से लेन-देनों की मात्रा को एनएसीएच में दिसंबर 2014 से अंतरित कर भुगतान प्रणालियों के समेकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस प्रकार, लगभग सभी प्रतिभागी अब एनएसीएच प्रणाली के साथ जुड़ गए हैं।

2014-15 के दौरान अन्य गतिविधियां

IX.11 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विभाग के उद्देश्य के अनुसरण में वर्ष के दौरान निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए।

इंफ्रास्ट्रक्चर/सेवा प्रदाताओं का विस्तार

IX.12 भुगतान विकल्पों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 9 निकायों को प्राधिकार जारी किए गए जिससे 2014-15 में प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। पीपीआई चलाने के लिए 2014-15 में 5 निकायों के जुड़ने से उनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई। शेष चार निकायों को धनांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) (सीमा-पार आनेवाले विप्रेषण) और तत्काल धन अंतरण के लिए प्राधिकृत किया गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 7881 डब्ल्यूएलए थे जिसमें से 4,932 टियर III से टियर VI केट्रों में थे।

IX.13 बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा प्रदाताओं के साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप परिचालित हों। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मूल्यांकन टेम्पलेट बनाया है। गैर-बैंक निकायों को टेम्पलेट के अनुसार स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सुरक्षा और कुशलता

IX.14 भुगतान प्रणालियों के विकास में भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और कुशलता महत्वपूर्ण होती है, एनईएफटी प्लैटफॉर्म को डेटा केंद्र संरचना के तहत यूनिक्स प्लैटफॉर्म पर अंतरित किया गया जिससे न केवल प्रसंस्करण क्षमता में इजाफा हुआ बल्कि इसने व्यापार निरंतरता की चिंता को भी समाप्त कर दिया। इसी प्रकार, बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों के संबंध में पुनःनिर्मित तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में हाईब्रिड विशेषताओं को सक्रिय करने से जहां लेन-देनों का निपटान सकल आधार पर करने

की सुविधा मिली वहीं इसके साथ ही बहुपक्षीय प्रति-संतुलन भी संभव हो गया। इसके अलावा, कुशलता और ग्राहक सेवा पक्ष को सुधारने के लिए, निपटान हेतु भावी दिनांकित लेन-देनों (तीन व्यापारिक दिनों तक) की स्वीकार्यता को सक्रिय कर दिया गया है और आरटीजीएस के व्यापारिक घंटों को बढ़ा दिया गया है।

IX.15 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में कुछ जोखिमों को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ने कई उपाय किए। सीसीआईएल ने अपने अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देनों के यूएसडी-भारतीय रुपए संबंधी निपटान को अप्रैल 2015 में भुगतान *बनाम* भुगतान (पीऍपी) में अंतरित करके 'हर्सटैट जोखिम' को दूर किया है। इसने विदेशी मुद्रा वायदा क्षेत्र में पोर्टफोलियो कंप्रेशन के अपने पहले चक्र को पूरा करते हुए लगभग 62 प्रतिशत कंप्रेशन प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार प्रतिपक्षी एक्सपोजर को कम किया है। सीसीआईएल ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)/वायदा दर करार (एफआरए) व्यापारों के लिए ऑनलाइन आधार पर विदेशी मुद्रा वायदा में रुपए के डेरीवेटिव हिस्से में एक्सपोजर की भी जांच कर रहा है जो कि समय रहते मार्जिन की पर्याप्तता का पता लगाने की सुविधा देता है और इस प्रकार सीसीआईएल द्वारा किए गए व्यापारों के अस्वीकृत होने के जोखिम को कम करता है।

ग्राहक सहूलियत और नवोन्मेष

IX.16 भुगतान प्रणाली के उपयोग में सहूलियत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में अंतरण की भी सुविधा देने के लिए पीपीआईज, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम उपयोग और अभिप्रमाणन के लिए अतिरिक्त कारक (एएफए²) से संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।

IX.17 पीपीआईज को जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों को दिसंबर 2014 में युक्तिसंगत बनाया गया था ताकि इनके उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। पूर्ण-केवाईसी के

¹ किसी एक पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार में बेची गई मुद्रा का भुगतान कर देना परंतु खरीदी हुई मुद्रा में भुगतान प्राप्त न कर पाने को विदेशी मुद्राविनिमय निपटान में जोखिम या 'हर्सटैट' जोखिम कहा जाता है।

² एएफए एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता पहचान के लिए अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध कराता है, जिसमें से एक प्रमुख रूप से भौतिक टोकन होता है, जैसे कि एक कार्ड और दूसरी व्यवस्था में इसे स्मरण करना होता है, जैसे कि एक सुरक्षा कोड।

लिए आंशिक -बंद पीपीआईज के लिए सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹100,000 कर दिया गया; उपहार कार्डों के लिए वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया; पूर्ण रूप से केवाईसी अनुपालित बैंक खातों से आश्रित परिवार सदस्यों के लिए कई पीपीआईज जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई। देश में आने वाले विदेशी नागरिकों और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को सहूलियत देने के लिए और इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले नकद लेन-देनों को कम करने के लिए बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे विदेशी नागरिकों और एनआरआईज को भारत में रुकने के दौरान रुपए में अंकित खुली प्रणाली वाले पुनः न भर सकने वाले पीपीआई जारी कर सकते हैं। इस प्रकार के पीपीआईज के लिए ₹200,000 के साथ ₹50,000 प्रतिमाह की नकद आहरण सीमा अनुमत की गई है।

IX.18 डब्ल्यूएलए के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई ताकि डायनमिक मुद्रा परिवर्तन (डीसीसी) की सुविधा के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्डों की स्वाकार्यता अनुमत की जा सके। डब्ल्यूएलए ऑपरेटर्स को अब यह अनुमति दी गई है कि वे अपने प्रायोजक बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ डब्ल्यूएलए को नकदी आपूर्ति हेतु संबंध स्थापित कर सकते हैं।

IX.19 कार्ड लेन-देनों की सुरक्षा तथा सहूलियत के पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानने के लिए, एएफए की अपेक्षा जिसे सुरक्षा परिचालनों हेतु पूर्व में लागू किया गया था से छोटे मूल्य के प्रस्तुत कार्ड लेन-देनों के लिए छूट प्रदान की गई जिसमें संपर्क रहित (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीजा) ईएमवी चिप कार्ड का उपयोग किया गया। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे समुचित वेग (वेलॉसिटी) नियंत्रण की व्यवस्था रखने के साथ ही साथ ग्राहक पर लगने वाली अधिकतम देयता, यदि कोई हो, का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

कम नकदी संव्यवहार की ओर जाना

IX.20 अंतरपरिचालनीय एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक रूप से एटीएम के फैलाव को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में एटीएम से होने वाले अनिवार्य मुफ्त लेन-देनों को युक्तिसंगत बनाया गया। अब से, 6 मेट्रो केंद्रों पर बचत खाता धारकों के लिए अन्य बैंकों की एटीएम पर मुफ्त लेन-देनों की न्यूनतम संख्या को प्रतिमाह

पांच से घटाकर तीन कर दिया गया है। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बचत खाता धारकों को अपनी स्वयं की एटीएम पर प्रतिमाह कम-से-कम पांच मुफ्त लेन-देन मुहैया कराएं। अनिवार्य मुफ्त एटीएम लेन-देनों के अलावा किए गए लेन-देनों के लिए बैंकों को अपने ग्राहकों से अधिकतम ₹20 प्रति लेन-देन (सेवा कर अतिरिक्त) तक प्रभार लेने की अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, एटीएम पर और अधिक बार मुफ्त लेन-देन की पेशकश करने के लिए बैंक अपनी स्वयं की नीतियां बना सकते हैं।

ठोस विधिक ढांचा और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अनुपालन

IX.21 भुगतान प्रणालियों के लिए एक ठोस विधिक ढांचा होना भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसरण में पीएसएस अधिनियम 2007 में कुछ संशोधन लागू किए गए।

IX.22 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एक्सचेंज से इतर (ओटीसी) डेरीवेटिव बाजारों को मजबूत बनाने के लिए व्यापार निक्षेपागारों (टीआर) तथा विधिक निकाय पहचान प्रणाली (एलईआई) को दिए जाने वाले महत्व में तेजी आई। इसके अलावा, केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) कार्यप्रणाली और इसके दिवालिया होने की स्थिति में विधिक निश्चितता भी महत्वपूर्ण है। किसी सीसीपी के दिवालिया हो जाने की स्थिति में क्लोज आउट नेटिंग को विशिष्ट विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एवं इसके साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा टीआर तथा स्थानीय परिचालन यूनिट (एलओयू-एलईआई जारी करने के लिए एक निकाय) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भी पीएसएस अधिनियम, 2007 में-राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद, जिसमें बैंक ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें अपेक्षित संशोधन किए गए ताकि सीसीपी के दिवालियापन की स्थिति में क्लोज-आउट नेटिंग; टीआर के विनियमन एवं पर्यवेक्षण; एलईआई प्रणाली के तहत एलओयू और प्राधिकृत गैर-बैंक निकायों द्वारा परिचालित प्रणालियों के लिए ग्राहक निधि की सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर विधिक सहायता/ स्पष्टता प्रदान की जा सके।

IX.23 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों को केंद्र बिंदु में रखने के संदर्भ में, वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) द्वारा वित्तीय बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर के सिद्धांतों (पीएफएमआई) के अनुपालन की दिशा में प्रयास किए गए। इस उद्देश्य के प्रति भुगतान और बाजार

इंफ्रास्ट्रक्चर समिति-प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ), जो पीएफएमआई के प्रति प्रथम स्तर³ का मल्यांकन कर रहा है, ने भारतीय न्यायाधिकार क्षेत्र को '4'⁴ की रेटिंग दी है अर्थात् अंतिम कार्यान्वयन उपाय पूर्ण रूप में लागू हैं।

अन्य उपाय

IX.24 विभाग ने नवंबर 2014 में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार कोवलम, केरल में आयोजित किया, इसका मुख्य फोकस खुदरा भुगतानों में केंद्रीय बैंकों की बढ़ती भूमिका, नकदी से नकदी रहित वातावरण, खुदरा भुगतानों में गैर-बैंकों की भूमिका, खुदरा भुगतानों में नवोन्मेष, सरकारी भुगतान एवं विप्रेषण, जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा तथा वित्तीय समावेशन था। दिसंबर 2014 में एक 'भुगतान प्रणालियां नवोन्मेष दिवस' आयोजित किया गया ताकि भुगतान प्रणालियों में होने वाले विविध नवोन्मेषों के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। रिजर्व बैंक ने मई 2015 के दौरान उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों पर 14वीं एसईएसीईएन उन्नत पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसका विशिष्ट फोकस, 'सायबर अपराध में भुगतान प्रणालियों की आघात-सहनीयता' पर था।

2015-16 के लिए कार्य-सूची

IX.25 रिजर्व बैंक भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता रहेगा और एक सुविधाप्रदाता की भूमिका का निर्वाह करेगा जिसका फोकस भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और कुशलता पर बना रहेगा। भुगतान परिदृश्य में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम को देखते हुए रिजर्व बैंक आगामी 2/3 वर्षों की अवधि के लिए एक विज्ञान दस्तावेज तैयार करेगा। टीआर, डीएस और बीबीपीएस के परिचालन के लिए निकायों को प्राधिकृत करने के संबंध में कार्य 2015-16 में पूरा किया जाएगा।

IX.26 नकद लेन-देनों को हतोत्साहित करने और कार्ड लेन-देनों को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास के क्रम में अधिग्राहक

बैंकों द्वारा कार्ड स्वीकार्यता इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की जांच की जाएगी और सभी हितधारकों के साथ विचार करके अंतरपरिवर्तन/व्यापारी बट्टा दर (एमडीआर) के साथ ही एटीएम तथा पीओएस पर नकदी संबंधी ढांचे की समीक्षा की जाएगी।

IX.27 देश में ई-कॉमर्स का दायरा बढ़ने के साथ ही भुगतान समायोजकों और बिचौलियों की भूमिका में भी इजाजा हो रहा है। रिजर्व बैंक हितधारकों के साथ संपर्क बढ़ाएगा ताकि प्रत्यक्ष/परोक्ष विनियामकीय ढांचे की आवश्यकता/व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। पीएफएमआई के प्रति रिजर्व बैंक द्वारा 2015-16 में आरटीजीएस का मूल्यांकन किया जाएगा।

IX.28 विनियामकीय पर्यवेक्षण समिति (आरओसी) द्वारा सीसीआईएल को एलईआई जारी करने के लिए एलओयू के रूप में चिह्नित किया गया है और पूर्व-एलओयू के रूप में माना गया है। इसने भारत में एलईआई जारी करना प्रारंभ कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के साथ परामर्श करके एलईआई के उपयोग के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

IX.29 रिजर्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का सक्षम प्रयोग करने संबंधी अपने विज्ञान पर फोकस बनाए रखा और इसका प्रयोग बैंक के परिचालनों में समग्र रूप से कुशलता लाने, इसके ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर में सुधार करने, प्रशासन को सुदृढ़ करने और सुरक्षित एवं महफूज आईटी आधारित वातावरण में विश्लेषण एवं सूचना आधारित निर्णयन प्रक्रिया की सुविधा देने के लिए किया। केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटीएससी) इस विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक बनी रही। 2014-15 के दौरान आईटीएससी की तीन बैठकें हुईं और इसने रिजर्व बैंक में आईटी परियोजनाओं और सूचना सुरक्षा; डेटा भंडागार (वेयरहाउस); सूचना सुरक्षा से संबंधित लेखापरीक्षाओं; डेटा केंद्रों (डीसी) के परिचालनों; आपदा

³ क्या न्यायाधिकार क्षेत्रों ने एफएमआई के लिए लागू विनियामकीय ढांचे के भीतर प्राधिकरणों हेतु पांच उत्तरदायित्वों में से चार और एफएमआई के लिए 24 सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु विधेयक तथा अन्य नीतियों को अपनाने की प्रक्रिया को पूरा किया है।

⁴ रेटिंग स्तर 1: कार्यान्वयन उपायों का मसौदा प्रकाशित नहीं; रेटिंग स्तर 2: कार्यान्वयन उपायों का मसौदा प्रकाशित; रेटिंग स्तर 3: अंतिम कार्यान्वयन उपाय प्रकाशित; रेटिंग स्तर 4: अंतिम कार्यान्वयन उपाय पूर्णतया लागू; रेटिंग स्तर लागू नहीं; किन्हीं भी कार्यान्वयन उपायों की आवश्यकता नहीं (अर्थात् लागू नहीं)।

उद्धार कवायदों की क्षमता; और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के कार्यालय की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

इंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल (इकेपी)

IX.30 पुनःसंरचित इकेपी को नवंबर 2013 में प्रारंभ किया गया, यह रिजर्व बैंक के भीतर ज्ञान साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। 2014-15 के दौरान पोर्टल को ई-अध्ययन मॉड्यूल्स जैसी विशेषताओं के साथ समृद्ध किया गया और खोज विकल्पों में सुधार किया गया। उपयोगकर्ताओं का इसे अच्छा प्रतिसाद मिला जिससे पोर्टल के उपयोग स्तर में वृद्धि हुई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली

IX.31 2013-14 में बैंक में वीसी को अपग्रेड किया गया था, इसके उपयोग में काफी बड़े स्तर पर वृद्धि देखी गई; 2014-15 के दौरान बिंदुवार प्रयोक्ता आधारित सत्रों के अलावा, विभिन्न स्थानों को शामिल करते हुए 532 वीसी सत्र संचालित किए गए। इससे भौतिक बैठकों की आवश्यकता में कमी आई है।

मेल संदेश प्रणाली (एमएमएस)

IX.32 रिजर्व की कारपोरेट मेल मेसजिंग प्रणाली को उन्नत अभिलेखीय समाधान के साथ पुनः मजबूत बनाया गया और इसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। वर्ष के दौरान हार्डवेयर को अपग्रेड करने का कार्य किया गया और उसको इंस्टाल करने के बाद नई प्रणाली में अंतरित होने की प्रक्रिया सितंबर 2015 तक पूरी होने की आशा है।

डेटा मानकीकरण पर समिति

IX.33 डेटा मानकीकरण के संबंध में एक समिति (समन्वयक: श्री पी.पार्थसारथी) गठित की गई थी ताकि डेटा रिपोर्टिंग और डेटा मानकीकरण के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों में सहक्रियता तथा एकरूपता लाई जा सके। इस समिति ने फीडबैक लेने के लिए अपनी रिपोर्ट का मसौदा सार्वजनिक डोमेन में डाल था। प्राप्त

सुझावों के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसके द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ हो गया है।

कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) को बढ़ाना और ई-ट्रेजरी को स्थिर बनाना

IX.34 रिजर्व बैंक के सीबीएस, ई-कुबेर को बैंकों के लिए 2012 में प्रारंभ किया गया था ताकि वे सरकारी उधार कार्यक्रमों, चलनिधि समायोजन परिचालनों और चालू खाता परिचालनों में भाग ले सकें। वर्ष के दौरान, ई-कुबेर में परिवर्तन किए ताकि सरकार के नकद शेषों को नियोजन किया जा सके (अध्याय VII भी देखें)। जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता (डीईए) निधि योजना ई-कुबेर में प्रारंभ में लागू की गई थी, जिससे दो दिनों के भीतर लगभग ₹45 बिलियन निधि का प्रवाह हुआ था। बैंक के बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) के कोषागार परिचालनों को सफलता पूर्वक पुरानी प्रणाली से ई-कुबेर में अंतरित कर दिया गया। यह क्रियान्वयन विश्व के केंद्रीय बैंकों में अपनी प्रकार का पहला था, जिसने परिचालनगत कार्यकुशलता और लेखाविधि की प्रक्रियाओं में एकरूपता ला दी।

2015-16 के लिए कार्यसूची

IX.35 2015-16 के लिए निर्धारित प्रमुख उपायों को नीचे वर्णित किया गया है:-

बैंक की एक आईटी अनुषंगी की स्थापना करना

IX.36 बैंकिंग में बड़े स्तर की आईटी प्रक्रियाओं के एकीकरण के चलते केंद्रीय बैंकिंग के परिचालनों में वृहद परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तित होते वातावरण में बढ़ती हुई जटिलताओं और सायबर सुरक्षा तथा अन्य संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का एक समर्पित दल निरंतर इस कार्य के साथ जुड़ा रहे। इस दिशा में बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने बैंक की एक आईटी अनुषंगी का निर्माण करने का अनुमोदन किया है। इस प्रयास को उद्योग जगत के विशेषज्ञों की देख-रेख में आगे बढ़ाया जा रहा है।

बैंक में ईडीएमएस को लागू करना

IX.37 बैंक में कार्य प्रक्रियाओं का बढ़े स्तर पर इलेक्ट्रानिफिकेशन करने की दिशा में और 'कम कागज' वाले कार्यालयीन वातावरण की ओर जाने के लिए उपाय किए गए ताकि डेटा भंडारण के साथ इलेक्ट्रानिक वर्क फ्लो और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का निर्माण किया जा सके। ईडीएमएस परियोजना पिछले वर्ष प्रारंभ की गई थी और यह प्रगति पर है। बैंक की समग्र कार्य कुशलता पर ईडीएमएस की विशाल क्षमताओं और अपने स्टाफ को ज्ञान के साथ सशक्तकरण करने में इसकी भूमिका को देखते हुए, बाजार में उपलब्ध विविध सॉफ्टवेयर उत्पादों का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त एक विस्तृत व्यापारिक री-इंजीनियरिंग प्रक्रिया (बीपीआर) प्रारंभ की गई है। ऐसी आशा की जा रही है कि 2016 की प्रथम छमाही के दौरान इसको प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाएगा।

डेटा केंद्रों (डीसी) पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पुनर्रचना

IX.38 डीसी से एप्लीकेशन प्रणालियों के बढ़ने के साथ ही और विद्युत शक्ति की उच्चतर आवश्यकता होने से यह आवश्यक हो गया है कि डीसी के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए। वातावरणीय अनुकूलता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर सर्वर्स के वर्चुअलाइजेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में वर्ष के दौरान आरटीजीएस प्रणाली को एक नए आईबीएम मेनफ्रेम प्रणाली पर अंतरित कर दिया गया।

आईएसओसी का क्रियान्वयन

IX.39 उद्यम-वार आईटी सुरक्षा की देखभाल के लिए आईएसओसी का निर्माण किया जा रहा है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) द्वारा परियोजना का प्रारंभ किया गया और इसके बाद संभावित बोलीकर्ताओं को छांटा गया। निविदा की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इस परियोजना के अप्रैल 2016 में पूर्ण होने की आशा है।

ई-कुबेर सीबीएस का उपयोग करते हुए सभी राज्यों में ई-रसीदों और ई-भुगतानों का विस्तार

IX.40 ई-कुबेर की मानकीकृत ई-रसीद और ई-भुगतान संबंधी सुविधा अधिकतर राज्यों को प्रदर्शित कर दी गई और हाल ही में राज्य के वित्त सचिवों के सम्मेलन में भी इसे दिखाया गया। इसके फलस्वरूप, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों ने 2014-15 में इस प्रणाली का उपयोग प्रारंभ कर दिया। अन्य राज्य इसके क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 2015-16 में सभी प्रमुख राज्यों में इस प्रणाली का उपयोग बढ़ाने पर फोकस केंद्रित करते हुए प्रयास किए जाएंगे।

सीबीएस के साथ एकीकृत मुद्रा प्रबंधक कार्यप्रणाली

IX.41 मुद्रा संचरण की गणना करना और उसकी रिपोर्ट करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे ई-कुबेर के साथ जोड़ा जाना है। प्रणालीगत अपेक्षाओं, रिवर्स प्रस्तुतीकरण, विचार-विमर्श, डिजाइन, विकास, परीक्षण और मॉड्यूलों को प्रारंभ करने संबंधी अध्ययन किए जाएंगे ताकि 2015-16 के दौरान इसे एकीकृत किया जा सके।

रिजर्व बैंक ने अपने 81वीं वर्ष के प्रारंभ में अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों एवं 2014-15 के विज्ञान को पुनः स्पष्ट किया। सहक्रिया निर्माण एवं वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक संरचना में ताल-मेल लाया गया। बैंक ने अपने मानव संसाधनों को प्रशिक्षण एवं विविध एक्सपोजर उपलब्ध कराने के जरिए अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। बैंक ने वर्ष के दौरान अनुसंधान के प्रचार-प्रसार एवं ज्ञान साझा को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां एवं लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए। रिजर्व बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता सुनिश्चित किए जाने एवं अपने परिचालनों तथा कार्य-पद्धति में उसके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा अपनाई गई। रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति पर फोकस करने और विश्व स्तरीय रेग्युलेटरी मानकों में सहभागिता के लिए भी कदम उठाए हैं।

X.1 इस अध्याय में रिजर्व बैंक के तीन महत्वपूर्ण घटकों - गवर्नेन्स, मानव संसाधन एवं संगठनात्मक प्रबंधन के अतिरिक्त कुछ विभागों के कार्यकलापों, यथा, संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सरकार एवं बैंकों को बैंकिंग सेवाओं, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन, आर्थिक अनुसंधान, सांख्यिकी, विधि मामलों, कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट, कॉरपोरेट सहायक सेवाओं, राजभाषा एवं परिसर के संबंध में चर्चा की गई है। 2014-15 के दौरान, रिजर्व बैंक अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों और विज्ञान को पुनः स्पष्ट करने के जरिए अपने गवर्नेन्स, प्रबंधन और परिचालन रूपरेखा को और अधिक बेहतर करने की मांग करता है। संगठनात्मक संरचना को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया ताकि कार्य-पद्धति में तालमेल लाया जा सके और उभरते परिचालन वातावरण को ध्यान में रखते हुए मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में उत्पाद वितरण को अनुकूल बनाया जा सके। प्रशिक्षण, एक्सपोजर एवं स्थानांतरण सहित समुचित प्रोत्साहन योजना के जरिए मानव संसाधन का विकास करना ध्यान देने योग्य प्रमुख कार्य-क्षेत्र था ताकि प्रभावी निष्पादन के लिए अपने स्टाफ-सदस्यों की क्षमता का उपयोग किया जा सके। रिजर्व बैंक अपनी सूचना नीति के जरिए पारदर्शिता लाने, ज्ञान साझा करने एवं जनता द्वारा दैनिक जीवन में सामना किए जा रहे वित्तीय जोखिमों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए व्यापक जनता तक पहुंचने की चेष्टा करता है। रिजर्व बैंक का जोखिम प्रबंधन और लेखापरीक्षा परिचालन, कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के सर्वांगीण दृष्टिकोण पर अत्यधिक केंद्रित है।

गवर्नेन्स संरचना

X.2 रिजर्व बैंक अपने मूल कार्यों का निर्वाह करते समय कॉरपोरेट गवर्नेन्स, निर्णयन की आजादी एवं गुणवत्ता तथा कॉरपोरेट आचार संहिता के संदर्भ में अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में उच्चतर मानक बनाए रखता है। बैंक की गवर्नेन्स संरचना यह सुनिश्चित करता है कि रिजर्व बैंक की सामान्य नीति, कार्यनीति, प्रशासन और कारोबार उसके मूल उद्देश्य के अनुसार है और अपनाई जा रही प्रक्रियाएं उनके साझा किए गए मूल्यों का अनुपालन करती हैं। सचिव विभाग, जो केंद्रीय बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, शीर्ष प्रबंध को सहायक सेवाएं उपलब्ध करता है।

X.3 केंद्रीय निदेशक मंडल गवर्नेन्स संरचना का शीर्ष निकाय है। इसमें गवर्नर की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक के चार उप गवर्नर, सराकारी नामिती एवं स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जो रिजर्व बैंक के उद्देश्यों के अनुरूप भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफल एवं सुप्रसिद्ध हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के स्थानीय हितों की रक्षा के लिए चार स्थानीय बोर्ड की व्यवस्था है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुरूप केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों को और स्थानीय बोर्ड में सदस्यों को नियुक्त/नामित करता है। केंद्रीय बोर्ड को तीन समितियों, यथा, केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) एवं भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की सहायता प्राप्त है। इसके

अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड की चार उप-समितियां, यथा, लेखापरीक्षा और जोखिम निगरानी उप-समिति, मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति, भवन उप-समिति और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति, भी हैं।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें और सीसीबी

X.4 केंद्रीय बोर्ड द्वारा 2014-15 में चेन्नै, नई दिल्ली (दो बैठकें), कोलकाता, हैदराबाद और गोवा में कुल 6 बैठकें आयोजित की गईं। भारत के माननीय वित्त मंत्री ने 10 अगस्त 2014 एवं 22 मार्च 2015 को नई दिल्ली में बजट-पश्चात आयोजित दो बैठकों का संबोधन किया। गवर्नर ने इन कतिपय बैठकों के अवसर पर संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों एवं वाणिज्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

X.5 सीसीबी द्वारा वर्ष के दौरान 46 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें से 22 बैठकें इलेक्ट्रॉनिक विधि से आयोजित की गईं जिससे एक ही स्थान पर साकार सम्मेलन करने की आवश्यकता से बचा जा सके। समिति ने रिजर्व बैंक के वर्तमान कारोबार के साथ निर्गम एवं बैंकिंग विभागों से संबंधित रिजर्व बैंक के साप्ताहिक स्थिति विवरण के अनुमोदन पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट मामलों एवं मुद्दों के संबंध में चर्चा करने के लिए दो बैठकें आयोजित की गईं।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड - परिवर्तन

X.6 श्री राजीव महर्षि, वित्त सचिव, भारत सरकार एवं डॉ. हसमुख अढिया, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत क्रमशः 25 नवंबर 2014 और 11 नवंबर 2014 को डॉ. अरविंद मायाराम एवं डॉ. गुरदयाल सिंह संधू की जगह केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किया गया। श्री अजय त्यागी, अवर सचिव (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व

बैंक अधिनियम, 1934, की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत दिनांक 22 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा श्री राजीव महर्षि की जगह केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया।

X.7 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार श्री कमल किशोर गुप्ता एवं श्री मिहिर कुमार मोइत्रा 25 अगस्त 2014 और 23 सितंबर 2014 से उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

निदेशकों की उपस्थिति

X.8 केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की सहभागिता का ब्यौरा सारणी X.1 में दिया गया है।

सारणी X.1: निदेशकों की उपस्थिति - 2014-15

नाम	भारिबैं अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	2	3	4
रघुराम जी. राजन	8(1)(ए)	6	6
हरून आर खान	8(1)(ए)	6	6
उर्जित आर पटेल	8(1)(ए)	6	5
आर. गांधी	8(1)(ए)	6	6
एस.एस. मूंदड़ा	8(1)(ए)	6	5
अनिल काकोडकर	8(1)(बी)	6	5
किरण एस. कर्णिक	8(1)(बी)	6	6
नचिकेत मोर	8(1)(बी)	6	6
वाइ.एच. मालेगाम	8(1)(सी)	6	6
दिपांकर गुप्ता	8(1)(सी)	6	3
जी.एम. राव	8(1)(सी)	6	5
इला भट्ट	8(1)(सी)	6	5
इन्दिरा राजारमण	8(1)(सी)	6	6
वाई.सी. देवेश्वर	8(1)(सी)	6	2
दामोदर आचार्य	8(1)(सी)	6	6
अरविंद मायाराम*	8(1)(डी)	3	1
गुरदयाल सिंह संधू**	8(1)(डी)	3	1
हसमुख अढिया #	8(1)(डी)	3	1
राजीव महर्षि ###	8(1)(डी)	3	1

* 25 नवंबर 2014 से निदेशक पद में नहीं रहे;
 ** 11 नवंबर 2014 से निदेशक पद में नहीं रहे;
 # 11 नवंबर 2014 से निदेशक के रूप में नामित;
 ### 25 नवंबर 2014 से निदेशक के रूप में नामित।

कार्यपालक निदेशक - परिवर्तन

X.9 श्री बी. महापात्र एवं श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक क्रमशः 31 अगस्त 2014 एवं 31 मई 2015 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. मायकल डी. पात्रा, श्री के.के. वोहरा एवं श्री जी. महालिंगम 7 अक्टूबर 2014 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। श्रीमती मीना हेमचन्द्र 01 जून 2015 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुईं।

निधन सूचना

X.10 27 जून 2006 से 23 सितंबर 2011 तक केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रह चुके श्री सुरेश न्योतिआ का 07 मई 2015 को कोलकाता में निधन हुआ। 27 नवंबर 2000 से 14 जून 2002 तक केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रह चुके डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग में निधन हुआ।

विदेशी गणमान्य अतिथियों/प्रतिनिधि मंडलों के दौरे

X.11 वर्ष के दौरान 12 देशों से बीस प्रतिनिधि मंडलों ने रिजर्व बैंक का दौरा किया। उनके द्वारा शीर्ष प्रबंध के साथ बहुत सारे बहुपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों और रिजर्व बैंक की कार्य-पद्धति के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में बैंक की नीतिगत पहलों पर विचार-विमर्श

किया गया। 2014-15 के दौरान रिजर्व बैंक का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य अतिथियों में निम्नलिखित शामिल हैं - नीदरलैंड की एच.एम. क्वीन मैक्सिमा, विकास के लिए समावेशी वित्त हेतु राष्ट्र संघ के महा-सचिव के विशिष्ट अधिवक्ता; राईट आनरबल जॉर्ज ओस्बोर्न, वित्त मंत्री, यूके; सुश्री पेन्नी प्रिट्ज़कर, अमरीका के वाणिज्य सचिव; श्री बिल गेट्स और उनकी टीम; डॉ. वलीओल्लाह सैफ़, सेंट्रल बैंक ऑफ़ ईरान के गवर्नर; राईट आनरबल ऐलन यारो, लंदन शहर के कमांडर; माननीय एन्डीयू रॉब, संसद सदस्य, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार एवं निवेश मंत्री; श्री जेकोब जे. ल्यू, अमरीकी राजकोष सचिव; श्री स्टेनले फिशर, उपाध्यक्ष, केंद्रीय गवर्नर मंडल, फेडरल रिजर्व प्रणाली, और सुश्री क्रिस्टीन लगाई, प्रबंध निदेशक, आईएमएफ।

गवर्नेंस में सुधार के उपाय

X.12 वर्ष के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ-साथ उसकी लागत को कम करने के उपाय किए गए। रिजर्व बैंक ने, अपनी स्थापना के 81वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, समसामयिक संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में दिए गए अपने मूल उद्देश्य को पुनः स्पष्ट किया (बॉक्स X.1).

बॉक्स X.1

भारतीय रिजर्व बैंक: मूल उद्देश्य, मूल्यों और लक्ष्यों का विवरण

चूंकि रिजर्व बैंक अपने अस्तित्व के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, जो रिजर्व बैंक का संस्थापक कानून है, की प्रस्तावना में दिए गए रिजर्व बैंक के मूल उद्देश्य को समसामयिक संदर्भ में पुनः स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की गई। इसका प्रयोजन है रिजर्व बैंक के कार्यनीतिक उद्देश्यों को अंकित करना और एक रूपरेखा तथा पृष्ठभूमि उपलब्ध करना जिसके अंतर्गत एवं सहारे रिजर्व बैंक की नीतियां बनाई जाएंगी और रिजर्व बैंक द्वारा निदेश दिया जाएगा। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने अपना 'मूल उद्देश्य, मूल्य और लक्ष्य' संबंधी विवरण अप्रैल 2015 में जारी किया जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मूल उद्देश्य

धारणीय आर्थिक संवृद्धि के अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना एवं दक्ष तथा समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना।

रिजर्व बैंक का मूल उद्देश्य राष्ट्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है:

रूप के आंतरिक और बाह्य मूल्य के प्रति विश्वास को बढ़ाना, एवं समष्टि-

आर्थिक स्थिरता में सहयोग करना;

बाजार और संस्थाओं को अपनी परिधि के अंतर्गत विनियमित करना ताकि वित्तीय प्रणाली स्थिरता एवं उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके;

वित्तीय और भुगतान प्रणाली में विश्वसनीयता, दक्षता, समग्रता एवं प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देना;

मुद्रा के कुशल प्रबंधन के साथ-साथ सरकार और बैंकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना; और

देश के संतुलित, साम्यिक और धारणीय आर्थिक विकास में सहयोग देना।

मूल्य

भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है जो रिजर्व बैंक के मूल उद्देश्य की खोज में संगठनात्मक निर्णयों और कर्मचारी की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है:

(जारी...)

लोक हित

भारतीय रिजर्व बैंक अपने कार्यों और नीतियों में लोक हित और सर्वहित को बढ़ावा देता है।

विश्वसनीयता और विचारों की आजादी

भारतीय रिजर्व बैंक अपने खुलेपन, भरोसा और जवाबदेही के जरिए विश्वसनीयता का उच्च मानक एवं विचारों की आजादी बनाए रखता है।

प्रतिक्रियाशीलता और नवोन्मेषण

भारतीय रिजर्व बैंक एक गतिशील संगठन है जो जनता की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील है और नवोन्मेषण तथा पूछताछ की भावना को बढ़ावा देता है।

विविधता और समग्रता

भारतीय रिजर्व बैंक विविधता और समग्रता का पोषण एवं समर्थन करता है।

आत्मविश्लेषण और उत्कृष्टता की खोज

भारतीय रिजर्व बैंक स्व-मूल्यांकन, आत्मविश्लेषण और व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध है।

लक्ष्य

रिजर्व बैंक एक अग्रणी केंद्रीय बैंक के रूप में लोक हित और सर्व हित के लिए प्रतिबद्ध है जो अपनी विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं अति सक्रिय नीतियों के लिए जाना जाता है।

X.13 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण मद्दों पर अनौपचारिक पूर्व-बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श किया गया ताकि बोर्ड के निर्णयन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य विनियमों में संशोधन किया गया ताकि सीसीबीज की साप्ताहिक बैठकों के बदले, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर, पाक्षिक बैठकें आयोजित की जा सकें। आगामी वर्ष में, रिजर्व बैंक निर्णयन प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के उपायों को खोजने का प्रयास जारी रखेगा।

संचार प्रक्रियाएं

X.14 रिजर्व बैंक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति द्रुत अनुक्रिया योग्य लचीली संचार नीति की ओर अग्रसर है। संचार विभाग (डीओसी) ने एक केंद्रीय स्कंध के रूप में पारस्परिक संचार अर्थात् पारदर्शी, समयबद्ध एवं विश्वसनीय प्रसार और प्रतिक्रिया के जरिए रिजर्व बैंक और जनता के बीच एक उपयोगी साझेदारी का निर्माण एवं पोषण करने का प्रयास किया है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

वेबसाइट नवीकरण

X.15 अप्रैल 2015 में, बैंक की नवीन वेबसाइट लागू की गई, जो कार्य-वार सूचना एवं खोज सुविधा के संबंध में अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल एक्सेस और नियोग्य प्रयोक्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी टूलबार उपलब्ध कराती है। वेबसाइट को अब दो सामाजिक मीडिया साइटों, यथा, ट्विटर और यूट्यूब के साथ एकीकृत किया गया है। तदनुसार, गवर्नर के मौद्रिक नीति के बाद के सम्मेलनों को

सामान्य तौर पर मीडिया में सीधे प्रसारित करने के अतिरिक्त इस वर्ष यूट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित किया गया।

जागरूकता अभियान और लोकसंपर्क कार्यक्रम

X.16 फर्जी प्रस्तावों का बड़ी मात्रा में शिकार हो रहे जनता को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा फर्जी ई-मेल के जोखिम के संबंध में जनता को सावधान करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान 'जागो ग्राहक जागो' चलाया गया। फर्जी मेल के संबंध में प्रिंट मीडिया में भी लोक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त मुद्रा नोटों की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं के संबंध में भी जागरूकता अभियान चलाया गया।

शीर्ष प्रबंध, अधिकारियों और मीडिया के लिए कार्यशालाएं

X.17 वर्ष के दौरान, प्रभावी मीडिया प्रबंधन के संबंध में शीर्ष कार्यपालकों, एवं नव नियुक्त क्षेत्रीय निदेशकों तथा मुख्य महाप्रबंधकों, प्रत्येक के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रबंधकों एवं सहायक महाप्रबंधकों के लेखन कौशल के संबंध में भी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और विज्ञप्तियों के संबंध में मीडिया के लिए कई अनौपचारिक लघु चर्चाएं/कार्यशालाएं की गईं।

संचार नीति की समीक्षा

X.18 लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाए जाने की वजह से संचार की भूमिका और अधिक महत्त्व रखती है, खास तौर पर स्फीतिकारी

प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में। इस पृष्ठभूमि के साथ ही कई बाह्य एवं आंतरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समिति (अध्यक्ष: डॉ. माइकल डी. पात्रा) द्वारा बैंक की संचार नीति की वर्तमान समीक्षा की जा रही है जो अपनी रिपोर्ट संभवतः 2015-16 के दौरान प्रस्तुत करेगी। रिजर्व बैंक में आंतरिक संचार को बेहतर करने की दिशा में, 2015 में रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए गवर्नर के साथ दो बैंकिंग हॉल कार्यक्रम, एक बंगलुरु और दूसरा चंडीगढ़ में आयोजित किए गए।

2015-16 की कार्यसूची

X.19 2015-16 के दौरान, हितधारकों के साथ गत वर्ष के समान बहुविध व्यवस्था/आउटरीच/अभियान जारी रखा जाएगा। फेसबुक और लिंकडइन जैसी सामाजिक मीडिया को रिजर्व बैंक की वेबसाइट के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई है ताकि युवा इसका एक्सेस कर सकें। 2015-16 के दौरान नेपाल में मीडिया के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। रिजर्व बैंक की संचार नीति की समीक्षा करने के लिए समिति की आगामी रिपोर्ट के आलोक में अनुवर्ती उपाय भी किए जाएंगे।

मानव संसाधन संबंधी पहल

X.20 रिजर्व बैंक में व्यापक स्तर पर परिचालन संबंधी कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आंतरिक क्षमताओं वाले एक मजबूत ढांचे की जरूरत है। अतः मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) के नेतृत्व में कारपोरेट स्तर पर और विभाग व प्रकार्य के स्तर पर भी लक्ष्य निर्धारित करने, परिवेश, आंतरिक क्षमताओं के बीच दोतरफा इंटरफेस के रूप में मानव संसाधन संबंधी पहल और रणनीतियां बनाई और विकसित की गई हैं।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.21 2014-15 में, विकसित वित्तीय क्षेत्र को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए क्लस्टर अप्रोच अर्थात् संबंधित क्षेत्रों को आपस में एक समूह में रखने की प्रणाली को अपनाने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया है (बॉक्स X.2)।

प्रशिक्षण

X.22 कौशल और ज्ञान वृद्धि करने से संबंधित की गई पहल का जोर तकनीकी और व्यवहारगत कौशल को विकसित करने

बॉक्स X.2 रिजर्व बैंक का संगठनात्मक पुनर्गठन

कुछ समय से, रिजर्व बैंक निरंतर गतिशील कारोबार परिवेश में कार्यनिष्पादन बढ़ाने हेतु अधिक लचीले और उत्तरदायी संगठनात्मक ढांचा को अपनाने से संबंधित अनेक रणनीतियों पर विचार कर रहा है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने संगठनात्मक पुनर्गठन पर एक समिति (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती; सह-अध्यक्ष, श्री बी. महापात्रा) गठित की थी। मोटे तौर पर, समिति की सिफारिशों और विस्तृत आंतरिक परामर्शी प्रक्रिया के परिणामों के आधार पर रिजर्व बैंक में संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया जो कि 03 नवंबर 2014

से लागू हुआ।

पुनर्गठन के बाद रिजर्व बैंक में दो नए विभाग अर्थात्: (i) कारपोरेट सेवाएं विभाग और (ii) अंतरराष्ट्रीय विभाग का गठन किया गया है। इसके साथ-साथ, कई मौजूदा विभागों को नया नाम दिया गया और कई विभागों में नई ईकाइयों का सृजन किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत विवरण सारणी 1-3 में दिया गया है।

सारणी 1: विभागों का पुनः नामकरण

पुरानी नामावली	नई नामावली
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी)	बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (आरपीसीडी)	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी)
ग्राहक सेवा विभाग (सीएसडी)	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)
व्यय और बजट नियंत्रण विभाग (डीईबीसी)	कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी)

(जारी...)

सारणी 2: नए विभागों का सृजन/उत्कीर्णन

मौजूदा विभाग	नए विभाग का नाम	टिप्पणी
शहरी बैंक विभाग (यूबीडी)	सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर) सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)	यूबीडी को समाप्त कर दिया गया है
वित्तीय बाजार विभाग (एफएमडी)	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)	एफएमडी को समाप्त कर दिया गया है
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)	गैर बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रभाग (डीएनबीएस)	डीएनबीएस से विनियमन अलग कर दिया गया है

सारणी 3: नई इकाईयों का सृजन

मौजूदा विभाग	नई इकाई का नाम
सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)	डीएसआईएम के भीतर आंकड़ा और सूचना प्रबंधन इकाई।
मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी)	एमपीडी के भीतर पूर्वानुमान और मॉडलिंग इकाई।
मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी)	एचआरएमडी के भीतर एचआर परिचालन इकाई।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)	एफएमआरडी के भीतर बाजार आसूचना इकाई।

उसी प्रकार, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को थ्री-टियर वर्गों में बांटा गया है। टियर-I में अथवा मेट्रो शहर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै स्थित रिजर्व बैंक के चार कार्यालयों को शामिल किया गया है। टियर-II अथवा गैर-मेट्रो शहर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् (i) अहमदाबाद; (ii) बेंगलुरु; (iii) भोपाल; (iv) भुवनेश्वर; (v) चंडीगढ़; (vi) गुवाहटी; (vii) हैदराबाद; (viii) जयपुर; (ix) जम्मू; (x) कानपुर; (xi) लखनऊ; (xii) नागपुर; (xiii) पटना और (xiv) तिरुवनंतपुरम को शामिल किया गया है।

टियर-III के क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 छोटे कार्यालयों अर्थात् (i) अगरतला; (ii) बेलापुर; (iii) देहरादून; (iv) गंगटोक; (v) कोच्चि; (vi) पणजी; (vii) रायपुर; (viii) रांची; (ix) शिलांग; (x) शिमला को शामिल किया गया है।

कार्य का आकार और मात्रा के आधार पर पुनर्गठित क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नलिखित क्लस्टर में रखा गया है :

टियर I और टियर II में चार क्लस्टर होंगे : (i) पर्यवेक्षण, बाजार आसूचना और अनुसंधान; (ii) मुद्रा और बैंकिंग सेवाएं; (iii) वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा; और (iv) मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) और इन्फ्रास्ट्रक्चर।

टियर III में तीन क्लस्टर होंगे : (i) पर्यवेक्षण और बाजार आसूचना; (ii) वित्तीय समावेशन/वित्तीय साक्षरता, लोगों में जागरूकता, ग्राहक सेवा, और अनुसंधान; और (iii) एचआरएम और इन्फ्रास्ट्रक्चर

ऐसी अपेक्षा है कि संगठनात्मक पुनर्गठन से बहुत अधिक मैनिजिरीअल सिनर्जी आएगी और अनेक प्रमुख कार्य क्षेत्रों में रिजर्व बैंक के स्टाफ-सदस्य अपनी विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

पर रहा है ताकि स्टाफ-सदस्यों की व्यक्तिगत कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और कार्य करने में उनकी क्षमता बढ़ सके। रिजर्व बैंक के छह प्रशिक्षण संस्थानों ने उनकी जरूरतों को पूरा किया (सारणी X.2).

बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण

X.23 2014-15 के दौरान, अनेक अधिकारियों को भारत और बाहरी प्रबंधन/बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया

सारणी X.2 : रिजर्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान: आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (जुलाई-जून)

प्रशिक्षण संस्थान	2012-13		2013-14		2014-15	
	कार्यक्रम	सहभागी	कार्यक्रम	सहभागी	कार्यक्रम	सहभागी
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	126	2,676	105	2,560	141	2,626*
सीएबी, पुणे	164	5,105	127	3,909	215	7,183®
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी I)	116	2,526	99	2,222	104	2,215
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी III)	64	1,492	70	1,510	98	2,036
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी IV)	58	1,184	37	725	53	1,041

*: 30 विदेशी सहभागी शामिल है। ®: 63 विदेशी सहभागी शामिल है। आरबीएससी : रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै; जेडटीसी: आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।

गया (सारणी X.3)। इसके अतिरिक्त, श्रेणी III और श्रेणी IV के अनेक कर्मचारियों को भारत में ही बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति और अध्ययन अवकाश

X.24 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छह अधिकारियों का चयन विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 अधिकारियों ने अध्ययन अवकाश लिया। इसके अलावा, 599 कर्मचारियों ने बैंक की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया।

अनुदान और धर्मादा

X.25 रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा कनसल्टेंसी को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹300 मिलियन; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कैफरल), मुंबई को ₹140 मिलियन, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹18.4 मिलियन, भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आइआईबीएम), गुवाहाटी को ₹6.9 मिलियन तथा लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स (एलएसई) में इंडिया आबजर्वेटरी एवं आईजी पटेल पद (चेयर) की स्थापना के लिए ₹10 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

आरबीआईक्यू

X.26 आरबीआईक्यू 2014 में लगभग 5,000 स्कूलों और 10,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत

सारणी X.3 : भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2012 - 13	874	510
2013 - 14	798	530
2014 - 15	913	562

वर्ष 2012 में की गई थी। पूरे भारत में 62 अलग-अलग स्थानों पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आंचलिक एवं राष्ट्रीय फाइनल मुंबई में आयोजित किया गया जिसका प्रसारण दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर किया गया।

औद्योगिक संबंध

X.27 2014-15 के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतः शांतिपूर्ण बने रहे। अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों के मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के साथ कर्मचारियों के कल्याण एवं सेवा स्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया।

सेवानिवृत्ति लाभ

X.28 2003 में केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 1997 से पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भुगतान की गई मासिक पेंशन में कुछ संशोधन किए थे। तथापि, सरकार ने पाया है कि पेंशन योजना में किए गए संशोधनों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमन, 1990 के विनियमन 2(2) में समुचित संशोधन न किया जाए और रिजर्व बैंक से इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया। अक्टूबर 2008 में, मासिक पेंशन में उपर्युक्त संशोधनों को केंद्रीय बोर्ड द्वारा वापस ले लिया गया। तथापि इसे मुंबई न्यायाधिकरण के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सम्माननीय हाईकोर्ट ने संशोधनों को वापस लेने के संबंध में रिजर्व बैंक के परिपत्र पर ध्यान नहीं दिया। पेंशन में संशोधन के लिए सभी पेंशनधारकों/सेवानिवृत्त सदस्य अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं। तथापि, आज की तारीख तक मामले का हल नहीं निकला है, यद्यपि, रिजर्व बैंक और सरकार इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं।

भर्ती और स्टाफ संख्या

X.29 वर्ष 2014 में 784 कर्मचारियों की भर्ती के साथ कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पहले के 17,360 की तुलना में 31 दिसंबर

सारणी X.4 : 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती (जनवरी-दिसंबर)

भर्ती का वर्ग	वर्ग वार संख्या				
	कुल	जिसमें से		कूल का प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
वर्ग I	182	27	13	14.8	7.1
वर्ग III	120	15	7	12.5	5.8
वर्ग IV					
(क) रखरखाव परिचारक	365	81	5	22.2	1.4
(ख) अन्य	117	12	4	10.3	3.4
कुल	784	135	29	17.2	3.7

अजा: अनुसूचित जाति; अजजा: अनुसूचित जनजाति.

2014 की स्थिति के अनुसार 16,794 रही। संवर्ग-वार कर्मचारियों का विवरण सारणी X.4 और सारणी X.5 में दिया गया है।

X.30 वर्ष 2014 के दौरान रिज़र्व बैंक प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन ने रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 4 बार मुलाकात की। 31 दिसंबर 2014 को रिज़र्व बैंक में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) की (सितंबर 1993 के बाद की गई भर्ती) संख्या 1,870 रही, जिसमें से 533 श्रेणी I में, 604 श्रेणी III में और 733 श्रेणी IV में हैं।

X.31 31 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,005 थी, जिनमें से 200

श्रेणी I में, 147 श्रेणी III में और 658 श्रेणी IV में रही। 31 दिसंबर 2014 को श्रेणी I, श्रेणी III और श्रेणी IV में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 234, 89 और 105 रही। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संख्या की संवर्ग-वार संख्या सारणी X.6 में दी गई है।

X.32 कुल स्टाफ संख्या के 29.2 प्रतिशत स्टाफ के साथ रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित कार्यालय में (केंद्रीय कार्यालय विभागों सहित) में सबसे अधिक स्टाफ सदस्य हैं (सारणी X.7)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

X.33 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में नए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ शिकायतों के निपटान के लिए सख्त समय-सीमा और आंतरिक शिकायत समिति को दंड लगाने सहित काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं। जहां, 2014 के दौरान रिज़र्व बैंक में यौन उत्पीड़न से संबंधित एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, वहीं इन मामलों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और बैंक के नए दिशा-निर्देश के बारे में स्टाफ/शिकायत समिति के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर जागरूकता/ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सारणी X.5 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या

वर्ग	वर्गवार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	7,864	7,565	1,133	1,128	499	479	14.9	6.3
श्रेणी III	3,916	3,573	586	499	252	193	14.0	5.4
श्रेणी IV	5,580	5,656	1,764	1,740	463	446	30.8	7.9
कुल	17,360	16,794	3,483	3,367	1,214	1,118	20.0	6.7

टिप्पणी : 31 दिसंबर की स्थिति।

सारणी X.6 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या
(30 जून 2015 की स्थिति)

ग्रेड	स्टाफ संख्या
1	2
ग्रेड ए	4,077
ग्रेड बी	1,552
ग्रेड सी	1,025
ग्रेड डी	271
ग्रेड ई	353
ग्रेड एफ	101
श्रेणी I में कुल	7,379
विशेष सहायक	815
वरिष्ठ सहायक	247
सहायक	2,381
शब्द संसाधन सहायक	173
सचिव	32
अन्य	272
श्रेणी III में कुल	3,920
रखरखाव स्टाफ	1,395
तकनीकी स्टाफ	135
सेवा स्टाफ	3,127
अन्य	715
श्रेणी IV में कुल	5,372
कुल स्टाफ संख्या	16,671

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

X.34 रिज़र्व बैंक में वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 8,044 अनुरोध सूचना के लिए तथा 1,021 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से सभी के जवाब दिए गए। 27 फरवरी 2015 से लागू, रिज़र्व बैंक ने अपने आप को सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया है ताकि आम जनता अपने आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलें ऑनलाइन फाइल कर सकें। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में पर स्टाफ-सदस्यों के लिए आरटीआई अधिनियम के संबंध में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समाधान और अन्य पहल

X.35 वेतन और अन्य कर्मचारी लाभ सहित अपने कर्मचारियों को समान, स्वचालित और नियम आधारित एचआर सेवाओं प्रदान करने के लिए एक एचआर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत

सारणी X.7: रिज़र्व बैंक के कार्यालय वार स्टाफ संख्या
(30 जून 2015 की स्थिति)

कार्यालय (उप कार्यालय सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	10	5	0	15
अहमदाबाद	275	168	231	674
बेलापुर	132	53	178	363
बेंगलुरु	460	185	220	865
भोपाल	153	126	123	402
भुवनेश्वर	148	115	170	433
चंडीगढ़	195	105	117	417
चेन्नै	433	340	354	1,127
देहरादून	19	6	2	27
गंगटोक	8	0	0	8
गुवाहाटी	195	136	187	518
हैदराबाद	311	158	243	712
जयपुर	216	148	181	545
जम्मू@	97	56	59	212
कानपुर	215	164	267	646
कोच्चि	33	34	29	96
कोलकाता	482	427	442	1,351
लखनऊ	150	106	146	402
मुंबई	609	325	959	1,893
नागपुर	240	205	234	679
नई दिल्ली	501	236	294	1,031
पणजी, गोवा	16	3	3	22
पटना	181	144	218	543
पुणे -सीएबी-सी आरडीसी-आईटीपी	66	37	69	172
रायपुर	20	6	0	26
रांची	16	7	0	23
शिलांग	9	5	0	14
शिमला	14	6	0	20
तिरुवनंतपुरम	209	115	131	455
कुल	5,413	3,421	4,857	13,691
के.का. विभाग #	1,966	499	515	2,980
सकल योग	7,379	3,920	5,372	16,671

सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय;
सीआरडीसी : केंद्रीय अभिलेख और प्रलेखन केंद्र;
आईटीपी : आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे;
@ : श्रीनगर उप-कार्यालय शामिल है;
: डीआईसीजीसी सहित केंद्रीय कार्यालय विभाग।

बैंक द्वारा की गई है, जिसका नाम *समाधान* है। एसएपी आधारित *समाधान* एप्लीकेशन कर्मचारियों को कहीं भी 24X7X365 आधार पर उनके कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट पर उपलब्ध होगा। त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए *समाधान* के कार्य करने में मानव हस्तक्षेप कम-से-कम होगा। समाधान की शुरुआत

होने से सभी कर्मचारियों के इस्टैब्लिशमेंट लेनदेनों को एक ही जगह से संसाधित करने के लिए एक एचआर परिचालन ईकाई बेंगलुरु में स्थापित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि नई दिल्ली में एक कारोबार निरंतरता कार्यस्थल की स्थापना की जाए। प्रशासनिक लागत को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए मुंबई में एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक ईकाई की स्थापना की गई है ताकि मुंबई स्थित सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) और जॉब-प्रोफाइल

X.36 समीक्षा के पहले चक्र से रैंकिंग मॉडल के साथ-साथ की-रिजल्ट-एरिया (केआरए) आधारित पीएमएस प्रणाली वर्ष 2013-14 से अपनाई गई है। इसके अलावा, अपेक्षित क्षमताओं की पहचान करने, इन क्षमताओं को विकसित करने और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समान स्थितियों का मानकीकरण करने के लिए सभी कार्यक्षेत्रों के जॉब-प्रोफाइल का संकलन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जॉब-प्रोफाइल को अंतिम रूप सितंबर 2015 तक और 'बी' और 'सी' ग्रेड के अधिकारियों के लिए जॉब प्रोफाइल को मार्च 2016 तक अंतिम रूप दिया जाना है।

सीनियर मैनेजमेंट रिट्रीट एवं अन्य गतिविधियां

X.37 2014 के लिए रिजर्व बैंक के सीनियर मैनेजमेंट रिट्रीट मसूरी में आयोजन किया गया जिसका मुख्य थीम 'आरबीआई@80: प्रतिगामी और अग्रगामी दृष्टि' था। ज्ञान साझा करने के अंतर-संस्थागत व्यवस्था के रूप में, मई 2015 में एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सेमिनार यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के सहयोग से कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 'वित्तीय स्थिरता: मुद्दे और चिंताएं' विषय पर आयोजित किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.38 संगठन के भीतर उपलब्ध क्षमताओं का मूल्यांकन करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) में भर्ती, नियुक्ति प्रणाली, संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद आंतरिक प्रक्रियाओं को बेतहर बनाने, प्रतिभा की पहचान

करने, प्रतिभा प्रबंधन और निरंतर क्षमता निर्माण जैसे एचआर से जुड़े सभी कार्यों को 2015-16 में करने की योजना बनाई है।

आरबीआई अकादमी

X.39 रिजर्व बैंक ने नवी मुंबई में आवासीय सुविधा सहित अत्याधुनिक संरचनायुक्त एक अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने स्टाफ-सदस्यों को ई-लर्निंग सहित समेकित शिक्षा और विकास प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, यह अकादमी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और अन्य क्षेत्रों के विदेशी केंद्रीय बैंकों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करेगा, ताकि बाह्य सहयोग और समग्र शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

क्षमता आधारित एचआर ढांचा

X.40 भविष्य में, एचआर ढांचा करियर योजना, नियुक्ति, लक्ष्यित शिक्षा और उत्तराधिकार योजना, समेकित एचआर प्रक्रियाएं बनाने के लिए क्षमता आधारित होगा। इसलिए, प्रत्येक भूमिका के लिए निर्धारित प्रकार्य एवं व्यवहारवादी क्षमता तथा मानव संसाधन की उपलब्ध क्षमताओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्टाफ की व्यवहारवादी क्षमता की मैपिंग का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

संरचित ई-लर्निंग

X.41 रिजर्व बैंक अपने स्टाफ-सदस्यों के लिए संरचित ई-लर्निंग की शुरुआत करने जा रहा है। पहले चरण में, ई-लर्निंग माड्यूल में मुख्यतः स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूह को ध्यान में रखते हुए समावेशी पाठ्यक्रमों और कक्षा पाठ्यक्रमों के सूपंरक के रूप में विशेष पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ज्ञान के व्यापक प्रासरण के लिए वेबिनार्स (वेब आधारित सेमिनार) का इस्तेमाल किया जाएगा।

समान संवर्ग भर्ती

X.42 2015 से ग्रेड बी पद के अधिकारियों के लिए समान भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उदाहरण के लिए, चयन की नई योजना भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेस बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के परामर्श से तैयार की जा रही है। चयन की आगामी नई

योजना लागू होने से भर्ती चक्र छोटा होने की संभावना है। समान भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर 2015 में संभवतः आयोजित की जाएगी।

बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

X.43 रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2012 में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) रूपरेखा अपनाई गई, जो जोखिम प्रबंधन के प्रति 'एकांगी' (साइलो) आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर 'संपूर्ण कारोबारी' नजरिया दर्शाता है। तदनुसार, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) द्वारा रिजर्व बैंक हेतु तीन-चरणीय ईआरएम योजना लागू करने पर विचार किया गया।

X.44 रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए *तिहरी-बचाव-व्यवस्था* दृष्टिकोण के अनुसार, कारोबार क्षेत्र (बीएज) पहली बचाव व्यवस्था

है क्योंकि बीएज अपने संबंधित जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करता है, जबकि जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) दूसरी बचाव व्यवस्था के तौर पर सभी बीएज को महत्वपूर्ण जोखिमों का पता लगाने में सहयोग करता है, जोखिम संबंधी नीतियों का निर्माण करता है, जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली तैयार करता है, जोखिम नियंत्रण संरचना (आरजीएस) को जोखिमों की सूचना देता है और रिजर्व बैंक में जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है (बॉक्स X.3)। अंततः, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, जो तीसरी बचाव व्यवस्था है, आरजीएस को जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के जरिए जोखिम आश्वासन प्रदान करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.45 2013-14 में जोखिम-रिपोर्टिंग संरचना लागू की गई, जो बीएज की जोखिम रूपरेखा बनाने के लिए जोखिम रजिस्टर

बॉक्स: X.3

केंद्रीय बैंकों में परिचालन जोखिम निगरानी रूपरेखा

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने परिचालन जोखिम को 'अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोग एवं प्रणाली या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि के जोखिम' के रूप में परिभाषित किया है। केंद्रीय बैंक भी परिचालन जोखिम के दायरे में हैं और, जोखिम-संवेदनशील संस्था होने के नाते, अपने वास्तविक एवं संभावित परिचालन जोखिम एक्सपोजर की बड़ी सावधानी से निगरानी करता है। तथापि, केंद्रीय बैंकों में परिचालन जोखिमों की निगरानी के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक सहित 61 से अधिक केंद्रीय बैंकों का अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्य-दल (आईओआरडब्ल्यूजी) परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) के संबंध में क्षमता के एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई ओआरएम रूपरेखा में आम तौर पर दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली एवं आवधिक जोखिम सर्वेक्षणों के अतिरिक्त जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली, जोखिम रिपोर्टिंग एवं हीट मैप शामिल हैं।

जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली में सामान्यतः जोखिम घटित होने की संभाव्यता एवं उसके प्रभाव की गंभीरता दोनों का उपयोग किया जाता है ताकि श्रेणीबद्ध मापक (जैसे, उच्च, पर्याप्त या स्वीकार्य) के जरिए उसका जोखिम स्तर निर्धारित किया जा सके। मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों कारकों के जरिए जोखिम घटित होने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। किसी संगठन पर परिचालन जोखिम घटित होने के प्रभाव को वित्तीय प्रभाव, कारोबारी परिचालनों/ग्राहक सेवा में बाधा, संस्था की प्रतिष्ठा पर आंच आना, या इन तीनों को संयुक्त रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जोखिम रिपोर्टिंग को जोखिम रजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें संस्था की प्रत्येक प्रक्रिया/गतिविधि की गणना, बुनियादी स्तर पर उससे जुड़े जोखिमों का

वर्णन, अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण, एवं नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुए शेष, अर्थात् अवशिष्ट जोखिम शामिल हैं।

हीट मैप, कारोबार क्षेत्र की जोखिम रूपरेखा की तस्वीर है, क्योंकि वह विभिन्न जोखिमों की कलर-कोडेड प्रस्तुति करता है। हीट मैप, नियंत्रण के प्रयोग के कारण, सभी जोखिम क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के स्थानांतरण को भी दर्शाता है। आईआरएस, संगठनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने एवं जोखिम के खिलाफ पूंजी बफर के निर्माण हेतु परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने की दृष्टि से परिचालन जोखिम संबंधी घटनाओं के संबंध में संस्थागत चेतना का निर्माण करता है। दूसरी तरफ, जोखिम सर्वेक्षण, परिचालन वातावरण में वर्तमान एवं उभरते जोखिमों की पहचान कर संगठन की जोखिम रूपरेखा की चालू अद्यतन क्रिया में सहयोग करता है।

संगठन की जोखिम संस्कृति जोखिम को पहचानने और, इस प्रकार, उसके जोखिमों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है, इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम के प्रति अपने स्टाफ की जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया ताकि संस्था में *जोखिम संस्कृति* को गहरा एवं व्यापक किया जा सके। इसे जोखिम निगरानी हेतु कंप्यूटरीकृत माहौल उपलब्ध कराने के जरिए सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कारोबार क्षेत्र जोखिम डेटाबेस का एक्सेस कर सके। साथ ही, रिजर्व बैंक में जोखिमों की रेटिंग हेतु सतत दृष्टिकोण लागू करने की दिशा में कार्य जारी है। कारोबार क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे रिजर्व बैंक में उभरते जोखिमों की पहचान एवं निगरानी करने के लिए एक साधन के रूप में जोखिम सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाता रहेगा।

तैयार करने हेतु दिशानिर्देश एवं टेम्पलेट विकसित करने के साथ ही वास्तविक एवं जरा-सी चूक घटनाओं वाली संस्थागत स्मृति के निर्माण के लिए घटना रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी। निर्धारित बीएज में से 5 ने जोखिम रजिस्टर तैयार कर लिए हैं और 27 बीएज में कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक में जोखिम संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए एक जोरदार जोखिम प्रबंधन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया।

X.46 वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक की पूंजी एवं आंतरिक आरक्षित निधियों की स्थिति का संरचित एवं व्यवस्थित तरीके से आकलन करने के लिए रिजर्व बैंक हेतु आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) का एक मसौदा तैयार किया गया (बॉक्स X.4)। इसके अलावा, वर्ष में, रिजर्व बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता की रूप-रेखा (आरएएफ) तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने पर भी विचार किया गया।

बॉक्स X.4 केन्द्रीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन एवं आर्थिक पूंजी

केन्द्रीय बैंकों का लोक नीति अधिदेश उनके जोखिम प्रबंधन के प्रसंग को वाणिज्यिक संस्थाओं से बिलकुल अलग करता है, और उनके जोखिम प्रबंधन में, लाभ में वृद्धि करने की अपेक्षा उनकी नीति की दक्षता को सुरक्षित रखने एवं बढ़ाने पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। लोक हित की खोज में 'नीति प्रबलता' के इस सिद्धांत के अनुसार केन्द्रीय बैंक को अपने तुलन पत्र में प्रायः पर्याप्त वित्तीय जोखिम धारण करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक रूप के बाह्य मूल्य में विश्वास को बनाए रखने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि रखता है, जो उनके तुलन पत्र का लगभग तीन-चौथाई है। आरक्षित निधियां भले ही बाह्य झटकों से देश की रक्षा करती हैं लेकिन उससे रिजर्व बैंक को भारी विनिमय दर जोखिम का सामना भी करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को ऐसे जोखिम उठाने ही पड़ते हैं, जिसके लिए कोई बचाव व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की भूमिका उसे व्यापक जोखिम के दायरे में भी डालता है, जिसमें बाजार के मध्यक्षेपों से होने वाली हानि, अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) की भूमिका, अंतिम बाजार निर्माता (एमएमएलआर) की भूमिका एवं अर्ध-राजकोषीय परिचालन शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि, इन अधिदेशों की वजह से केन्द्रीय बैंकों को वित्तीय प्रणाली को जोखिम-मुक्त करने के लिए प्रणालीगत वित्तीय तनाव के दौरान कभी-कभी जोखिम के विरुद्ध प्रति-सहजानुभूत (काउंटर-इंट्यूशिव) दृष्टिकोण अपनाने और अपने तुलन पत्र में अधिक जोखिम वहन करने की जरूरत पड़ सकती है।

केन्द्रीय बैंकों के जोखिम अत्यधिक हो सकते हैं एवं इसलिए उनकी हानि न तो असाधारण हैं और न ही नगण्य, जैसा कि आम तौर पर माना जाता है। हाल की अवधि में, विकसित देशों में बहुत सारे केन्द्रीय बैंकों को नुकसान सहना पड़ा जबकि उभरती/प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं को 1980 एवं 1990 में भी हानि उठानी पड़ी। आश्चर्यजनक बात है कि, इन केन्द्रीय बैंकों को सिक्का ढलाई मुनाफा करने के बावजूद नुकसान सहना पड़ा, जो उनकी वित्तीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है।

इन विशिष्ट चुनौतियों को देखते हुए, केन्द्रीय बैंकों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन की दिशा में सामान्य दृष्टिकोण है कि उनमें नीतिगत कार्यवाही से उत्पन्न

जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंधन नहीं किया जाता बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके तुलन पत्रों में इन जोखिमों को खपाने की पर्याप्त वित्तीय आघात-सहनीयता मौजूद है। इस प्रकार, वे जोखिम-अंतरण/लाभांश-सहजीकरण प्रक्रियाओं की पूरक व्यवस्था के साथ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक पूंजी बनाए रखते हैं।

घरेलू चलनिधि के प्रदाता के रूप में केन्द्रीय बैंकों को चाहिए कि वे पूंजी को वर्तमान चिंता के रूप में बने रहने न दें बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता के संबंध में नीति की दक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करें। कमजोर वित्त से केन्द्रीय बैंक को या तो सिक्का ढलाई मुनाफा करने, जो उनके मूल्य-स्थिरता संबंधी उद्देश्य के विरुद्ध है, या सरकार से पुनःपूंजीकरण कराने, जो उनकी स्वायत्तता पर प्रभाव डाल सकता है, पर निर्भर होना पड़ सकता है।

केन्द्रीय बैंक की पूंजी आवश्यकता पर्याप्त रूप से घट-बढ़ सकती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अनेक कारकों पर निर्भर करता है:

- *आघातों का आकार एवं केन्द्रीय बैंक के अधिदेश का कार्यक्षेत्र:* केन्द्रीय बैंक के दायित्वों का क्षेत्र जितना व्यापक होगा जोखिम भी उतना ही अधिक होगा एवं, इसलिए, पूंजी आवश्यकता भी अधिक होगी।
- *केन्द्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई लेखा नीति रूपरेखा:* जिन केन्द्रीय बैंकों की आस्तियों के मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन होता है उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ी अस्थिरता पाई जाती है, जिससे पूंजी आवश्यकता बढ़ती है।
- *संस्थागत व्यवस्थाएं:* केन्द्रीय बैंक के पुनःपूंजीकरण संबंधी सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ जोखिम अंतरण प्रणालियों के जरिए उनकी पूंजी आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है, यद्यपि समाप्त नहीं किया जा सकता।
- *सरकार की राजकोषीय गुंजाइश:* केन्द्रीय बैंक को पुनःपूंजीकरण की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक उस समय जब राजकोषीय स्थिति तनाव में हो, जैसे, वित्तीय संकट के कारण से। यह केन्द्रीय बैंक की पूर्व पुनःपूंजीकरण की अपेक्षा *प्रत्याशित* पूंजीकरण की स्थिति को सुदृढ़ करता है।

(जारी...)

यूरोपीयन केंद्र बैंक एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के केंद्रीय बैंक अपनी आरक्षित निधि पर्याप्तता/जोखिम प्रावधान निर्धारित करने हेतु जोखिम मूल्य, प्रत्याशित कमी, दबाव-परीक्षण एवं अन्य जोखिम मॉडल जैसी कार्य-प्रणालियों का उपयोग करते हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पास अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को रूप देने के लिए सु-विकसित आर्थिक पूंजी रूपरेखा मौजूद है। यह काम चुनौतिपूर्ण है क्योंकि रिजर्व बैंक न केवल अपने तुलन पत्र के जोखिमों अपितु उसके 'आकस्मिक जोखिमों', जो मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में उसकी लोक नीति भूमिका से उत्पन्न होता है, को भी वहन करने की योजना बना रहा है।

संदर्भ:

1. बेसकंड, जिओफ (2015), 'सेन्ट्रल बैंक परफार्मेंस, फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन', राष्ट्रीय आस्ति-देयता प्रबंधन यूरोप सम्मेलन, लंदन में 12 मार्च 2015 को दिया गया व्याख्यान।
2. क्युकरमेन ए. (2011), 'सेन्ट्रल बैंक फाइनेन्स एंड इंडिपेंडेंस - हाउ मच कैपिटल शुड ए सेन्ट्रल बैंक हैव?' केंद्रीय बैंकों की पूंजी संबंधी जरूरतें, एस.मिल्टन एवं पी.सिंक्लैर (ईडीएस.)।
3. स्कोबर्ट एफ. (2008), 'वाई टू सेंट्रल बैंक्स मेक लॉसस?' केंद्रीय बैंकिंग जर्नल, फरवरी।

2015-16 की कार्यसूची

X.47 आने वाले वर्ष में, रिजर्व बैंक में ईसीएफ को परिष्कृत कर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। आरएएफ, जिसका विकास हो रहा है, को लागू करने की भी योजना बनाई गई है। सभी बीएज के जोखिम रजिस्टर तैयार होते ही प्रत्येक बीए, क्षेत्रीय कार्यालय एवं संपूर्ण संगठन की जोखिम रूपरेखा/हीट मैप प्रकट हो जाएगा। घटना रिपोर्टिंग प्रणाली, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को प्रभावशाली तरीके से रोकने/निपटने की दृष्टि से सभी घटनाओं के स्वरूप की पहचान करने में मदद करेगा। उभरते जोखिमों की निगरानी हेतु सहयोग प्रदान करने के साथ ही शीर्ष जोखिमों की समीक्षा के लिए जोखिम सर्वेक्षण किए जाएंगे। संगठन में जोखिम संस्कृति को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर एवं सभी स्थानों में जोखिम जागरूकता लाने के प्रयास जारी रहेंगे।

रिजर्व बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

X.48 रिजर्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण, सुदृढ़ जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) रूपरेखा के अंतर्गत रिजर्व बैंक के जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण एवं गवर्नेंस प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता की जांच करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को नियमित रूप से प्रतिक्रिया देता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.49 जनवरी-दिसंबर 2014 की लेखापरीक्षा योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की गई थी। सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षकों का दल तैयार किया जा चुका है, प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और इन सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षाओं (आरबीआईएज) के हिस्से के रूप में आईएस लेखापरीक्षाएं की जा रही हैं। 'केंद्रीय बैंकर्स के लिए सार्क क्षेत्र में आंतरिक लेखापरीक्षा एवं उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन' पर फरवरी 2015 में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। व्यापक लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) में जोखिम रजिस्टर तैयार किए जा रहे थे। जहां तक संवेदनशीलता आकलन एवं व्यापन परीक्षण (वीएपीटी) का संबंध है, वीएपीटी हेतु बाह्य लेखापरीक्षकों को सूची में शामिल करने के लिए एक तकनीकी परामर्शी समूह (टीएजी) का गठन किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.50 वर्ष 2015-16 में, विभाग को निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना होगा: i) सीओडीज/ क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज) के जोखिम रजिस्ट्रों के आधार पर प्रमुखतः अनुपालन आधारित लेखापरीक्षा से आरबीआईए में सहज एवं निर्बाध अंतरण सुनिश्चित करना; ii) रिजर्व बैंक के लिए उपयुक्त समुचित एएमएस

एप्लीकेशन निश्चित करना, जो लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करेगा; iii) कॉर्पोरेट ई-मेल एवं तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) एप्लीकेशन का वीएपीटी आरंभ करना; iv) संशोधित प्रक्रियाओं/मानदंडों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना; और v) सभी नव भू-संपदा, आईटी संबंधित एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में प्रोजेक्ट लेखापरीक्षा हेतु समुचित दिशानिर्देश विकसित करना और साथ ही उसके कार्यान्वयन में संबंधित उपयोगकर्ता विभागों को सहयोग प्रदान करना।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.51 वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ बढ़ते व्यापार की वजह से रिजर्व बैंक द्वारा कई अन्य केंद्रीय बैंकों के समान समर्पित अंतरराष्ट्रीय विभाग का गठन किया गया। विभाग भारत के राष्ट्र हितों को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है एवं अंतरराष्ट्रीय समष्टिआर्थिक समन्वय तथा वैश्विक नियामक मानकों में प्रमुख भूमिका अदा करने का प्रयास करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

केंद्रीय बैंक की स्वैप व्यवस्थाएं

X.52 विभाग द्वारा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) का पृष्ठ भूमी कार्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप 15 जुलाई 2014 को फारटेल्जा में सीआरए संधि तथा 7 जुलाई 2015 को माँस्को में अंतर-केंद्रीय बैंक करार (आईसीबीए) पर हस्ताक्षर किए गए। सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का सहयोग प्रदान किया गया तथा एक विशेष/एड-हॉक स्वैप करार के अंतर्गत 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई।

बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ कार्य-व्यवहार

X.53 केंद्रीय एजेसी के तौर पर, विभाग द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की बेसल समिति (बीसीबीएस), वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) एवं भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) से संबंधित कार्य का समन्वय किया गया। विभाग द्वारा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की विभिन्न स्थायी

समितियों/समूहों के साथ भी समन्वय किया गया। जी-20 मंच पर, रूपरेखा कार्य दल (एफडब्ल्यूजी) एवं निवेश और अवसंरचना कार्य दल (आईआईडब्ल्यूजी) से संबंधित कार्य देखे गए। विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) के साथ आर्टिकल IV परामर्श का समन्वय किया गया और वर्तमान में कोटा की सामान्य समीक्षा के मामले को देख रहा है।

सार्क वित्त (एसएफ)

X.54 एसएफ पहलों में, रिजर्व बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा पूंजी प्रवाहों के संबंध में एक सहयोगात्मक अध्ययन शुरू किया गया। विभाग द्वारा लागू की गई एसएफ छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु चार छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 2014-15 के उत्तरार्ध में, विभाग की स्थापना उपरांत, विभाग द्वारा 23 विदेशी समूहों/प्रतिनिधि मंडलों के रिजर्व बैंक दौरे का संचालन किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.55 2015-16 में, विभाग सीआरए के परिचालन, सार्क वित्त डेटाबेस के निर्माण, वैश्विक मंच में बातचीत के महत्त्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में स्थिति प्रपत्र तैयार करना, फंड-बैंक द्वारा संभाव्य एफएसबी समकक्ष समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) का समन्वय एवं आईएमएफ के साथ आर्टिकल IV परामर्श की दिशा में कार्य करेगा। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता 2016 में करेगा। इस संबंध में विभाग सरकार के साथ मिलकर बैठकें आयोजित करेगा तथा कार्यसूची एवं योजना बनाएगा।

सरकारी और बैंक लेखा

X.56 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) सरकार के साथ-साथ रिजर्व बैंक के लेखाओं का कार्य देखता है। लेखा एवं उसके प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र में, रिजर्व बैंक अपने वार्षिक खातों/वित्तीय विवरणों के जरिए अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर अग्रसर है। सरकार के बैंकिंग कारोबार एवं उसकी आंतरिक लेखा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा बेहतर एवं अधिक कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आईटी स्रोतों का लाभ उठाया जाता रहा है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.57 सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं तकनीकी समितियों (I एवं II) द्वारा बताए गए लेखा नीति संबंधी परिवर्तनों को कार्यान्वित

किया जा चुका है। तदनुसार, रेपो एवं रिवर्स रेपो अंतरणों को पूर्व के बिक्री एवं क्रय अंतरणों के स्थान पर अब क्रमशः ऋण एवं जमाराशि अंतरणों के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त, भवन एवं मशीनरी, क्षत आस्ति एवं अर्जित लाभांश की मान्यता के पूंजीकरण/मूल्यहास से संबंधित नीतियों में किए गए परिवर्तनों को लागू किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.58 तकनीकी समिति-I की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार के साथ परामर्श कर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमन, 1949 में संशोधन कर साप्ताहिक खातों, तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा के फॉर्मेट में 17 जुलाई 2015 से संशोधन किए गए। तकनीकी समिति-I ने सिफारिश की थी कि रुपया प्रतिभूतियां उचित मूल्य पर की जाएं एवं अप्राप्त लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाए।

X.59 एजेंसी बैंकों में सरकार के कारोबार का निरीक्षण करने की प्रणाली की समीक्षा के लिए फरवरी 2015 में एक कार्य-दल गठित किया गया। अपेक्षा की जाती है कि दल अपनी रिपोर्ट अगस्त 2015 के अंत तक प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, एजेंसी बैंकों में सरकार के कारोबार के निरीक्षण में सुधार किया जाएगा। सरकार के कारोबार के व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) से संबंधित कार्य दल, जिसमें संबंधित सरकारी एजेंसियों, रिजर्व बैंक एवं एजेंसी बैंकों से सदस्य लिए जाते हैं, द्वारा अक्टूबर 2015 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। सरकार के कारोबार हेतु बीपीआर बाद में प्रारंभ किया जाएगा। इसे 2015-16 से लागू की जाएगी।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन

X.60 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का कार्य देखता है। उसके आकार के बढ़ने से, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंध करने के उद्देश्य से लेखा, मूल्यांकन उपायों, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, आईटी अवसंरचना सहित आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाना अनिवार्य हो गया है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.61 वर्ष के दौरान, बाजार एवं आस्ति वर्ग विविधता को उच्च स्तरीय एवं आंतरिक कार्यनीति समितियों के संपूर्ण मार्गदर्शन में सुरक्षा, चलनिधि एवं प्रतिलाभ की व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत देखा गया। तकनीकी समिति-II की सिफारिशों के अनुसरण में, मध्यक्षेप संबंधी कार्य एवं बंद-बाजार दरों पर रेपो स्वरूप के स्वैप हेतु बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का 30 जून 2014 तक लेखा शोधन किया गया। वर्तमान ट्रेजरी प्रणाली को अक्टूबर 2014 में नई स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट प्रणाली से बदला गया और बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में समन्वित किया गया। वर्ष के दौरान ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कतिपय अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं लागू और प्रलेखित की गईं। नियमित अभ्यास पर केंद्रित अधिक मजबूत आपदा उद्धार प्रणाली स्थापित की गई।

2015-16 की कार्यसूची

X.62 2015-16 की कार्यसूची में तकनीकी समिति-II की, प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसी) और स्वर्ण में मूल्यांकन परिवर्तन से संबंधित, शेष सिफारिशें भी हैं। बैंक, आपदा प्रेरित दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने की दिशा में वैकल्पिक जगहों से सीधा परिचालन करने की सोच रहा है। बैंक कम अर्जन वाले माहौल में चलनिधि एवं सुरक्षा के उद्देश्यों को त्यागे बिना प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन की रणनीति और कार्यनीति को परिष्कृत करने के अपने प्रयास को जारी रखेगा।

आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.63 केंद्रीय बैंकों में अनुसंधान एक समीक्षात्मक गतिविधि है। रिजर्व बैंक में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) को आर्थिक और नीतिगत संबंधी मामलों में अनुसंधान इनपुट और एमआईएस सेवाएं (अर्थात् प्रबंधन सूचना प्रणाली) उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। विभाग को समष्टि आर्थिक और मौद्रिक नीति मामलों में नीति उन्मुख अनुसंधान में ज्ञान केन्द्र के रूप में स्वयं को विकसित और स्थापित करने का भार सौंपा गया है। यह विभाग

मामला- आधारित मध्यम अवधि अनुसंधान एजेंडा का अनुसरण करता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

X.64 विभाग ने अपने प्रमुख प्रकाशन यथा वार्षिक रिपोर्ट, राज्य वित्त पर अध्ययन और भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन का कार्य किया। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 का मुख्य संदेश समझाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रों में मुख्यतः विश्वविद्यालयों में चार आउटरीच संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। जनवरी 2015 से साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक (डब्ल्यूएसएस) का प्रिंट-वर्शन बंद कर दिया गया और उसकी ऑन-लाइन उपलब्धता जारी रखना सुनिश्चित किया गया। मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, बाह्य ऋण, हाउसहोल्ड वित्तीय बचत और निधि प्रवाह संबंधी प्राथमिक आंकड़ों का नियमित संकलन और प्रसार होता रहा। वर्ष के दौरान, 1997-2007 की अवधि के लिए रिजर्व बैंक इतिहास खंड V से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया।

X.65 2014-15 के दौरान, 40 अनुसंधान पेपर्स संपन्न हुए जिसमें से नौ बाह्य देशी और विदेशी जर्नलों में प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ओकेशनल पेपर्स (बैंक का अनुसंधान जर्नल) में सात अनुसंधान पेपर्स शामिल थे। अनुसंधान-पत्र में अनेक अभिरूचि क्षेत्र : मुद्रास्फीति गतिकी, विनिमय दर, बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता, मौद्रिक नीति प्रसारण, वित्तीय स्थिरता और टैपर टॉक और उसका प्रभाव शामिल हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में विभिन्न उपक्रम प्रारंभ किए गए जैसे श्रेष्ठ अनुसंधान पेपर अवार्ड स्थापित करना, रिजर्व बैंक वर्किंग पेपर्स और सामाजिक पेपर्स के लिए बाहरी अनुसंधान नकारियों/विशेषज्ञों के साथ रिजर्व बैंक स्टाफ के सह-लेखन की अनुमति तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए आचार संहिता की रूप-रेखा तैयार करना।

X.66 विभाग द्वारा आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों में 11 फरवरी 2015 को मि.स्टेनले फिशर, उप-अध्यक्ष, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा 'अमेरिका में आर्थिक आउटलुक और मौद्रिक नीति' पर आयोजित सेमीनार शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'सुश्री क्रिस्टीन लगाई, प्रबंध निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति (आइएमएस) के साथ वार्ता' 17 मार्च 2015 को आयोजित किया

गया। वर्ष के दौरान तृतीय भारतीय रिजर्व बैंक चेयर प्रोफेसर्स एवं डीईपीआर रिसर्चर्स संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 'जोखिम प्रबंधन तथा समष्टि असंतुलन' के विस्तृत विषय-वस्तु के तहत आने वाले अनेक मुद्दों पर पेपर प्रस्तुत करना शामिल है। इसके अलावा, डीईपीआर अध्ययन सर्किल के भाग के रूप में अनेक विषय-वस्तुओं पर विभिन्न सेमीनार आयोजित किए गए जिनमें बाहरी विशेषज्ञों की सहभागिता रही।

2015-16 की कार्यसूची

X.67 इसके अलावा, अनुसंधान क्षेत्र जिन्हें 2015-16 के दौरान शामिल किये जाने पर विचार किया जायेगा वे हैं संवृद्धि और निवेश, विनिमय दर, मौद्रिक नीति प्रेषण अंतराल, वित्तीय बाजारों में मामले, संभाव्य आउटपुट, सर्वोत्कृष्ट मौद्रिक नीति नियम, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का देशी मूल्यों में अंतरण तथा खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को मूल मुद्रास्फीति में अंतरण। विभाग द्वारा 2015-16 के दौरान बहु संख्या में संगोष्ठी/व्याख्यान आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रबंधन सूचना प्रणाली में बदलाव लाने का प्रस्ताव है तथा प्रकाशनों को पुनर्गठित किया जायेगा। संपूर्ण रूप से इतिहास कक्ष के गठन के बाद इतिहास खंड V के ड्राफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा।

सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.68 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) सांख्यिकीय विश्लेषण और पूर्वानुमान, रिजर्व बैंक का डाटा वेयरहाउस का रख-रखाव, संरचित सर्वेक्षण का कार्य, बैंकिंग, कार्पोरेट तथा बाह्य क्षेत्रों से संबंधित व्यापक सांख्यिकीय प्रणालियों के प्रबंधन द्वारा जनता को समष्टि-वित्तीय सांख्यिकी उपलब्ध करवाता है तथा नीति को सांख्यिकीय सहायता और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करता है तथा रिजर्व बैंक के परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को देखता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

डाटा प्रबंधन, प्रसार और प्रकाशन

X.69 विभाग ने जहां संभव हो सका वहां समय-अंतराल कम कर के समय-सारणी के अनुसार बैंकिंग, कार्पोरेट और बाह्य क्षेत्र

संबंधी सांख्यिकी प्रस्तुत की। बचत और पूंजी निर्माण के आकलन तथा निजी कोर्पोरेट निष्पादन विश्लेषण के लिए कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ कोर्पोरेट नियामक फाइलिंग का डाटा इस्तेमाल किया गया। समन्वित संविभाग निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस) की आवधिकता वार्षिक से अर्ध-वार्षिक बढ़ाई गई। वर्कशॉप और प्रायोगिक सर्वेक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) में चरण-2 आधिकता के कार्यान्वयन में बैंक शामिल थे।

X.70 त्रैमासिक बीएसआर-1 डाटा जिसमें प्रत्येक बैंकों के खाते शामिल हैं उसका पहली बार आरंभ किया गया। ई-एक्सटेंसिबल कारोबार रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) - आधारित विवरणी प्रस्तुतीकरण का कार्य-क्षेत्र 23 नई विवरणियों के साथ व्यापक बनाया गया तथा अन्य 23 विवरणियों के लिए विकासात्मक कार्य आगे बढ़ रहा है। वर्ष के दौरान बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत करना, स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) प्रणाली के सही कार्यान्वयन हेतु बैंकों का मार्गदर्शन करना और एक्सबीआरएल प्रणाली को इससे सहलग्न करने जैसे कार्य आरंभ किए गए। बड़े ऋण पर रिपोर्ट के आधार पर एक क्रेडिट रिपोजिटरी विकसित की गई जिसमें प्रणाली-व्यापक मानकीकरण प्रयासों के एक भाग के रूप में आयकर-स्थायी खाता संख्या (आईटी-पीएन) को उधारकर्ता-पहचान के लिए शुरू किया गया।

सर्वेक्षण और अनुसंधान

X.71 मौद्रिक नीति निर्माण को इनपुट उपलब्ध कराने के लिए कतिपय सर्वेक्षणों की आवधिकता को नीति घोषणा चक्र के साथ समक्रमिक किया गया। सर्वेक्षण हेतु तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन के अंतर्गत सर्वेक्षणों में प्रणाली संबंधी सुधार प्रदान करने के प्रयास किए गए। आवासीय परिसंपत्ति कीमत निगरानी प्रणाली के प्रमुख परिणामों पर आधारित एक लेख जारी किया गया। पूर्वानुमान के ढांचे को अद्यतन किया गया तथा एक त्रैमासिक समष्टि ईकानोमेट्रिक मॉडल परिचालित किया गया। रिजर्व बैंक वर्किंग पेपर सिरीज / अन्य प्रकाशन / अकादमी सम्मेलनों में कतिपय अनुसंधान अध्ययनों का योगदान रहा।

2015-16 की कार्यसूची

X.72 वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति ने चरण-2 को अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) तक विस्तारित करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम), अंतर-राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा सिफारिशों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी अनुभाग के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका का विमोचन किया जाएगा। अधिक विवरणियों की मानकीकृत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए एक्सबीआरएल परियोजना का चरण III आरंभ किया जाएगा जहां बैंकों को अपनी स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) प्रणाली को एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग के अनुकूल बनाने के लिए राजी किया जाएगा। बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाने संबंधी कार्य जारी रखा जायेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूत सुविधा पर डाटाबेस (डीबीआईई), सार्क वित्त क्षेत्रीय सांख्यिकीय डाटाबेस के विकास तथा 'हैंडबुक ऑफ सार्कफाइनेंस' के संकलन में इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्पोरेट क्षेत्र निष्पादन, प्रत्याशा चैनल तथा समष्टिगत चरों का पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा।

विधि संबंधी मामले

X.73 रिजर्व बैंक के विधि विभाग अन्य विभागों को परामर्श तथा सहायता प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न मंचों पर लिए गए नीतिगत निर्णयों, कार्रवाई और स्थिति कानूनी तौर पर सुदृढ़ और बचाव योग्य हो। यह विभाग रिजर्व बैंक को आरटीआई अधिनियम संबंधी मामलों में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

X.74 वर्ष के दौरान गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहु संख्या में अपील और रिट याचिकाएं दायर की गईं जिनमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (0) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। उक्त प्रावधान ने रिजर्व बैंक को आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंड पर दिशा-निर्देश तैयार

करने हेतु सक्षम बनाया। तदोपरांत उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रावधान को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित किया है।

X.75 गुजरात उच्च न्यायालय को आयोनिक मेटालिक्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में एक मामले से निपटना पड़ा जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इरादतन चूककर्ताओं पर रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र तथा उस परिपत्र के आधार पर कतिपय बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती दी। तथापि, न्यायालय ने परिपत्र को जारी करने के रिजर्व बैंक के प्राधिकार को कायम रखते हुए यह सूचित किया कि सभी निदेशकों पर उनकी सहभागिता और जिम्मेदारी पर ध्यान दिए बिना परिपत्र को लागू करना ना तो उचित होगा और ना ही तर्कसंगत।

2015-16 की कार्यसूची :

X.76 इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार उपयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों से संबंधित मामलों तथा भारतीय वित्तीय संहिता (आइएफसी) के अधिनियमन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों में कतिपय संशोधन का अनुसरण करने की आवश्यकता है ताकि निश्चित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता और मानक को पूरा किया जा सके और कुछ प्रावधानों का स्पष्टीकरण देते हुए हटाया जा सके।

कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट बनाना

X.77 कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) 2014 में संगठनात्मक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में पहले के व्यय और बजट नियंत्रण विभाग में से उत्कीर्ण हुआ है। सीएसबीडी का प्रमुख कार्य एक गतिविधि आधारित और शून्य आधारित बजट अपनाकर रिजर्व बैंक का बजट तैयार करना तथा संसाधनों को किफायती रूप से आबंटित करना है। व्यय की निगरानी केन्द्रीय बोर्ड समिति को प्रेषित त्रैमासिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है। 2014-15 के दौरान, सीएसबीडी ने क्षेत्रीय निदेशकों, क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय विभागों के बजट अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चाएं की ताकि उन्हें आयोजित गतिविधियों पर ध्यान देने और बजट प्रक्रिया को व्यय निगरानी हेतु साधन के रूप में इस्तेमाल करने हेतु संवेदनशील बना सके।

2015-16 की कार्यसूची :

X.78 इसके अलावा, विभाग के निष्पादन क्षेत्र में रिजर्व बैंक की कूटनीतिक प्राथमिकता पहचानना है और तदनुसार संसाधन आबंटित करना शामिल है। निधिबद्ध बाहरी संस्थानों के संबंध में सीएसबीडी का ध्यान उनके अनुसंधान और पूंजीगत व्यय को सहायता प्रदान करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए उनके राजस्व खर्च का न्यूनतम निधियन करने पर केन्द्रित होगा। सीएसबीडी जून 2016 तक कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रतिपादित करेगा। वेतन का भुगतान और स्टाफ संबंधी भुगतान जो विभाग का प्रमुख कार्य है उसे मानव संसाधन और विकास विभाग (एचआरएमडी) द्वारा ले लेने की प्रक्रिया जारी है।

कोर्पोरेट सेवाएं

X.79 विशेषीकृत विभागों द्वारा उनके प्रमुख कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से कोर्पोरेट सेवाएं विभाग (डीसीएस) का निर्माण किया गया। यह विभाग पुनर्गठन के भाग के रूप में निर्मित किया गया है तथा उसके पास कार्यक्रमों/बैठकों/आतिथ्य के प्रबंधन के माध्यम से कोर्पोरेट सहायता सेवाएं उपलब्ध करना; दर संविदा के एवार्ड हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना; कार्यालय लेखन-सामग्री का केन्द्रीकृत प्रबंध, ईलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन; और उच्च प्रबंध तंत्र को प्रोटोकॉल सेवाएं प्रदान करने का अधिदेश प्राप्त है।

राजभाषा

X.80 रिजर्व बैंक ने हिंदी तथा इसके कामकाज को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 के दौरान, राजभाषा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना जारी रखा। रिजर्व बैंक का राजभाषा विभाग इस हेतु नोडल विभाग की भूमिका का निर्वाह करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.81 वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) की सदस्यता प्राप्त की। राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत रिजर्व बैंक के छह कार्यालयों को अधिसूचित किया गया। वर्ष के दौरान कई प्रतियोगिताओं एवं समारोहों का आयोजन किया गया, जिसमें मई 2015 में *राजभाषा अधिकारियों* के लिए दो-दिवसीय सम्मेलन भी शामिल है। कंप्यूटरीकृत वातावरण में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया और भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई उक्त परीक्षा में 156 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

X.82 सांविधिक प्रकाशनों के साथ ही अन्य प्रकाशनों को भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया। बैंकिंग तथा वित्त को समर्पित तिमाही हिंदी पत्रिका *बैंकिंग चिंतन-अनुचितन* प्रकाशित की जा रही है। अर्द्ध-वार्षिक ई-समाचार पत्र *‘राजभाषा समाचार’* का प्रथम अंक जनवरी 2015 में प्रकाशित किया गया।

X.83 संसदीय राजभाषा समिति ने 2015 में रिजर्व बैंक के कोच्ची कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर ई-बैंकिंग शब्दावली का विमोचन किया गया। तब से, शब्दावली को रिजर्व बैंक की वेबसाइट में अपलोड किया गया है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी -दोनों में खोज करने की सुविधा जैसी उन्नत विशेषताओं को शामिल किया गया है। संसदीय समिति ने रिजर्व बैंक के दिल्ली और कोलकाता कार्यालयों का भी दौरा किया। समिति ने रिजर्व बैंक में हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि करने एवं हिंदी विज्ञापनों पर व्यय बढ़ाने जैसे सुधारात्मक सुझाव दिए।

2015-16 की कार्यसूची

X.84 2015-16 की कार्य-योजना में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा व्यक्त सरोकार को स्वीकार किया गया है। 2015-16 को रिजर्व बैंक में *राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष* के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को समाहित करते हुए कार्य-योजना तैयार कर ली गई है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के स्तर को और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों तथा केंद्रीय कार्यालय विभाग प्रमुखों के लिए हिंदी कार्यशाला, क्षेत्रवार सम्मेलन, अनुवाद दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के महत्व को निरूपित करते हुए विभिन्न हिंदी समारोहों के आयोजन की योजना तैयार की गई है।

परिसर

X.85 परिसर विभाग रिजर्व बैंक की इमारतों की आधारभूत संरचना तैयार करता है और उनका रखरखाव करता है। 2014-15 में विभाग ने कुछ कार्यबाधित परियोजनाओं को सुचारू रूप दिया। डिजाइन एंड बिल्ड (डीबी) मोड के तहत अन्ना नगर, चेन्नै; दादर-परेल, मुंबई एवं अमीरपेट, हैदराबाद की रिहायशी कालोनियों और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई तथा रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नई

में अतिरिक्त छात्रावासों की परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। इम्फाल में उप-कार्यालय एवं आवासों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वित्तीय बाजार परिचालनों के लिए मुंबई में डीलिंगरूम और बेंगलुरु में समग्र मानव संसाधन प्रणाली (सीएचआरएस) की वर्तमान आधारभूत संरचना का उन्नयन किया गया।

हरित प्रयास

X.86 हरित नीति के हिस्से के रूप में, रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में ग्रीड इंटरैक्टिव सौर ऊर्जा प्लांटों की स्थापना की जा रही है। उत्पन्न होने वाली बेकार सामग्री (कचरा) का उपयोग करने के लिए कानपुर, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, बेंगलुरु एवं सीएबी, पुणे में जैविक कचरा परिवर्तक (ऑर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर) लगाए गए हैं।

स्वच्छ भारत - स्वच्छता जांच (सेनिटेशन ऑडिट)

X.87 केंद्रीय कार्यालय भवन (सीओबी), फोर्ट तथा बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, मुंबई स्थित कार्यालयों और मुंबई सेंट्रल कॉलोनी में प्रायोगिक आधार पर तृतीय पक्ष-स्वच्छता जांच की गई। इसके परिणामों के आधार पर सुधार करने और उनका निपटान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2015-16 की कार्यसूची

X.88 2015-16 के दौरान, भूमि एवं भवनों के वर्तमान भौतिक संसाधनों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि आगामी दो से तीन वर्षों में उनका ईष्टतम प्रयोग किया जाना और रखरखाव की लागत में कमी किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। देहरादून और रायपुर में रिजर्व बैंक के कार्यालयों का निर्माण प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। अपेक्षित वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में हो रहे विलंब के कारण डीबी मोड के तहत हौज खास कालोनी, नई दिल्ली; चेंबूर कॉलोनी, मुंबई का पुनर्विकास किए जाने और मुंबई में केफ्रल भवन के निर्माण में बाधाएं आईं।

X.89 अक्टूबर 2015 तक, 20 कार्यालयों में वर्तमान ऐनालॉग सीसीटीवी प्रणालियों के स्थान पर इंटरनेट प्रोटोकॉल सीसीटीवी परियोजना लागू की जा रही है। सीओबी में समन्वित सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के दिसंबर 2015 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। केंद्रीय कार्यालय भवन में स्थापित कार्ड आधारित भीतर प्रवेश की टर्नस्ट्राइट प्रणाली को क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी अपनाया जा रहा है।

30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के आकार में 10.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण इसके आस्ति पक्ष में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 21.50 प्रतिशत की वृद्धि तथा देयता पक्ष में परिचालन में नोटों की संख्या तथा जमाराशियों में क्रमशः 9.57 प्रतिशत और 37.60 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा है। जहां वर्ष 2014-15 में सकल आय में 22.66 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है, वहीं कुल व्यय में 11.92 प्रतिशत का ही इजाफा हुआ है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹526.79 बिलियन की तुलना में ₹658.96 बिलियन था जो 25.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XI.1 रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र से मोटे तौर पर इसकी उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम, टिप्पणियों सहित निम्नलिखित परिच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XI.2 वर्ष 2014-15 के दौरान तुलनपत्र के समग्र आकार में ₹2647.92 बिलियन अर्थात् 10.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹26,243.67 बिलियन था जो 30 जून 2015 को बढ़कर ₹28,891.59 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में वृद्धि होना रहा है। जबकि आस्ति पक्ष में वृद्धि की खास वजह परिचालन में नोटों की संख्या तथा जमाराशियों (डिपाजिट्स) में इजाफा होना रहा है। 30 जून 2015 को कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां (स्वर्ण सहित) 26.07 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां 73.93 प्रतिशत थीं, इसकी तुलना में 30 जून 2014 को ये क्रमशः 33.0 प्रतिशत और 67.0 प्रतिशत थीं।

XI.3 पिछले वर्ष के समान ही इस वर्ष भी कोई भी राशि आकस्मिकता-निधि में अंतरित नहीं की गई है। ₹10.00 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है जिसे आस्ति विकास निधि में अंतरित किया गया है, विशेष रूप से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की पूंजी में अंशदान देने हेतु, और अधिशेष राशि ₹658.96 बिलियन केंद्र सरकार को अंतरित की गई है। पिछले पाँच वर्षों में आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि की

राशियों तथा केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष राशि की स्थिति क्रमशः सारणी XI.1 और XI.2 में दी गई है।

XI.4 बेहतर तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने तथा अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को क्रमिक रूप से बेहतर बनाता जा रहा है। तुलनपत्र तथा लाभ और हानि विवरण के प्रस्तुतीकरण के तरीके की समीक्षा करने के लिए 2012-13 में एक तकनीकी समिति गठित की गई थी [अध्यक्ष: श्री वाय. एच. मालेगाम (तकनीकी समिति)], समिति ने रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के फार्मेट तथा विषय-वस्तु एवं लाभ और हानि लेखा के संबंध में तथा लाभ और हानि लेखा के नाम को बदलकर आय-विवरण करने जैसी अनेक सिफारिशों की हैं। इसके अलावा, समिति ने इसकी लेखांकन नीति में भी कुछेक परिवर्तन करने की सिफारिश की है। रिज़र्व बैंक के बोर्ड ने इन परिवर्तनों की

सारणी XI.1 आकस्मिकता निधि (सीएफ़) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ़) की राशियाँ

(बिलियन ₹ में)

30 जून की स्थिति	सीएफ़ में जमाराशि	एडीएफ़ में जमाराशि	कुल	कुल आस्तियों की तुलना में सीएफ़ और एडीएफ़ का प्रतिशत
1	2	3	4=(2+3)	5
2011	1707.28	158.66	1865.94	10.3
2012	1954.05	182.14	2136.19	9.7
2013	2216.52	207.61	2424.13	10.1
2014	2216.52	207.61	2424.13	9.2
2015	2216.14*	217.61	2433.75	8.4

* सीएफ़ में गिरावट का कारण 30 जून 2015 को वायदा संविदा पर एमटीएम हानि के कारण एफ़सीवीए में डेबिट बैलेन्स को समायोजित करना रहा है।

सारणी XI.2: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय

(बिलियन ₹)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
ए) सकल आय	370.70	531.76	743.58	646.17	792.56
बी) आंतरिक आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii)	134.02	270.25	287.94	0.00	0.00
(i) आकस्मिकता आरक्षित निधि	121.67	246.77	262.47	0.00	0.00
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि@	12.35	23.48	25.47	0.00	0.00
सी) निवल आय (ए-बी)	236.68	261.51	455.63	646.17	792.56
डी) कुल व्यय	86.55	101.37	125.49	119.34	133.56
ई) निवल प्रयोज्य आय (सी-डी)	150.13	160.14	330.14	526.83	659.00
एफ) निधियों को अंतरण *	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
जी) सरकार को अंतरित अधिशेष (ई-एफ)	150.09	160.10	330.10	526.79	658.96
सकल आय से व्यय को घटाकर सरकार के अंतरित अधिशेष का प्रतिशत	52.8	37.2	53.4	99.99	99.99

*: पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹10 मिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवस ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

@2014-15 के लिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसे कुल व्यय में शामिल कर लिया गया है।

सिफारिशों को लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है। इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने बैंक के साप्ताहिक विवरण के फार्मेट को 15 जुलाई 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 की संबंधित धाराओं में संशोधनों को भारत के राजपत्र में 6 जुलाई 2015 और बैंक के तुलनपत्र तथा आय-विवरण को 15 जुलाई 2015 को अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, बैंक का 2014-15 का वार्षिक लेखा नए फार्मेट में तैयार किया गया है।

XI.5 तुलनपत्र के फार्मेट और विषयवस्तु में तथा लाभ और हानि लेखा में किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- निर्गम और बैंकिंग विभागों के तुलनपत्रों को मिला दिया गया है और आस्ति एवं देयता की प्रत्येक मद को पंक्ति मद के रूप में दिखाया गया है जो अनुसूचियों द्वारा समर्थित है।
- ‘स्वर्ण मुद्रा और बुलियन’ जो पहले ‘अन्य आस्तियों’ का हिस्सा हुआ करता था और ‘सहयोगी संस्थाओं तथा सम्बद्ध संस्थाओं में निवेश’ जो पहले बैंकिंग विभाग के तुलनपत्र में ‘निवेश’ का हिस्सा हुआ करता था, अब तुलनपत्र के प्रमुख शीर्ष बना दिए गए हैं।

- लाभ और हानि लेखा का नाम बदलकर ‘आय-विवरण’ कर दिया गया है तथा आय शीर्ष को दो प्रमुख उप-शीर्षों यथा- ‘ब्याज’ और ‘अन्य’ में विभाजित कर दिया गया है जो अनुसूचियों द्वारा समर्थित हैं।
- व्यय के अंतर्गत एक नया शीर्ष ‘प्रावधान’ जोड़ा गया गया है जो आकस्मिकता निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में किए गए अंतरण के लेखांकन प्रयोजन से है।
- रिपोर्टिंग यूनिट को ‘रुपये हजार’ से बदलकर ‘रुपये बिलियन’ कर दिया गया है।

XI.6 सुपाट्यता और बेहतर प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से निवेश को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बैंकिंग विभाग तुलनपत्र के भाग के रूप में ‘विदेश में धारित राशियाँ’ और ‘निवेश’ को ‘निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग’ तथा ‘निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग’ के रूप में दिखाया गया है। ‘निर्गम विभाग की आस्तियाँ’ के भाग के रूप में ‘विदेशी प्रतिभूतियाँ’ और ‘भारत सरकार रुपये प्रतिभूतियाँ’ को अब क्रमशः ‘निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग’ तथा ‘निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग’ के रूप में दिखाया गया है। आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित

निधि का नाम बदलकर 'आकस्मिकता निधि' तथा 'आस्ति विकास निधि' कर दिया गया है।

XI.7 तकनीकी समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर कुछ परिवर्तन लेखांकन नीतियों में भी किए गए हैं जिन्हें 2014-15 से लागू भी कर दिया गया है। रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को पहले प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री माना जाता था। इस प्रकार के लेनदेन का चूँकि तात्पर्य उधार देना तथा निधियों को जमा करना है और प्रतिभूतियां उस लेनदेन के मात्र संपार्श्विक के रूप में होती हैं, इसलिए एलएएफ़ और मार्जिनल स्टैंडिंग फ़ैसिलिटी (एमएसएफ़) के अंतर्गत रेपो को अब उधार देना माना जा रहा है और रिवर्स रेपो को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धन जमा करना माना जा रहा है। तकनीकी समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि रुपये प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर आँका जाना चाहिए और उससे होने वाले किसी भी प्रकार के अप्राप्त लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा में अंतरित किया जाए। इसे वर्ष 2015-16 से लागू किया जाएगा।

XI.8 भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधि और अधिशेष के स्तर एवं उसकी पर्याप्तता तथा वितरण नीति की समीक्षा के लिए वर्ष 2013-14 में एक अन्य तकनीकी समिति

[अध्यक्ष: श्री वाय एच मालेगाम (तकनीकी समिति II)] का गठन किया गया था। तकनीकी समिति II की सिफ़ारिशों के आधार पर बैंक द्वारा हस्तक्षेप करने के संबंध में की गई वायदा संविदाओं को वर्ष 2013-14 से तुलनपत्र की तारीख को बाज़ार भाव पर दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा, लाभ को नज़रअंदाज़ करने और केवल हानि को हिसाब में लेने की पूर्व नीति के स्थान पर अब लाभ और हानि दोनों को हिसाब में लिया जा रहा है।

XI.9 तकनीकी समिति की अन्य प्रमुख सिफ़ारिशें जिन्हें 2015-16 में लागू किया जाएगा, इस प्रकार हैं: (i) रुपये में अंकित प्रतिभूतियों के पुनः मूल्यांकन करने की विधि को लेखा-मूल्य और बाज़ार-मूल्य, जो भी कम हो (एलओबीओएम) में परिवर्तित करते हुए उनका उचित मूल्यांकन करना, और (ii) करेंसी और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआरए) को स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (जीआरए) तथा विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन लेखा (एफ़सीआरए) में विभाजित करना।

XI.10 वर्ष 2014-15 के लिए तुलनपत्र और आय-विवरण, नए फार्मेट में अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-विवरण तथा लेख-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैं:

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2015 का तुलन-पत्र

(बिलियन ₹)

देयताएं	अनुसूची	2013-14	2014-15	आस्तियां	अनुसूची	2013-14	2014-15
पूंजी		0.05	0.05	बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.11	0.11
अन्य आरक्षित निधि	1	2.20	2.22	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	590.24	578.84
जमाराशि	2	3769.45	5186.86	निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	7	4,796.21	7,276.29
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	8961.70	8905.03	निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	8	6,684.68	5,174.97
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	370.83	802.32
				सहयोगी संस्थओं में निवेश	10	13.20	13.20
				अन्य आस्तियां	11	343.13	313.43
निर्गम विभाग की देयताएं				निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां			
जारी किए गए नोट	4	13,445.27	14,732.43	सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	6	649.78	637.23
				रुपये सिक्के		1.72	1.99
				निवेश-विदेश-निर्गम विभाग	7	12,783.31	14,082.75
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	8	10.46	10.46
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
कुल देयताएं		26,243.67	28,891.59	कुल आस्तियां		26,243.67	28,891.59

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2015 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि बिलियन ₹)

आय	अनुसूची	2013-14	2014-15
ब्याज	12	636.88	744.82
अन्य	13	9.29	47.74
	कुल	646.17	792.56
व्यय			
नोटों का मुद्रण		32.14	37.62
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		0.71	0.98
एजेंसी प्रभार	14	33.25	30.45
ब्याज		0.04	0.01
कर्मचारी लागत		43.24	40.58
डाक और संचार प्रभार		0.84	0.91
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.21	0.34
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.22	1.14
मरम्मत और रखरखाव		1.04	1.04
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.03	0.03
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय		0.02	0.03
विधिक प्रभार		0.05	0.04
विविध व्यय		4.93	7.97
मूल्यहास		1.62	2.42
प्रावधान		0.00	10.00
	कुल	119.34	133.56
उपलब्ध शेष राशि		526.83	659.00
घटाएं :			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवस ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि		0.01	0.01
बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि ¹		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		0.01	0.01
	केन्द्र सरकार को देय अधिशेष	526.79	658.96

1 इन निधियों का रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

मधुमिता एस. देब
मुख्य महाप्रबंधक

एस.एस. मूंदड़ा
उप गवर्नर

आर. गांधी
उप गवर्नर

ऊर्जित आर. पटेल
उप गवर्नर

हारून आर. खान
उप गवर्नर

रघुराम जी. राजन
गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलनपत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि बिलियन ₹ में)

		2013-14	2014-15
अनुसूची 1 :	अन्य आरक्षित निधि		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	0.23	0.24
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	1.97	1.98
	कुल	2.20	2.22
अनुसूची 2 :	जमाराशियां		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.00	1.01
	(ii) राज्य सरकार	0.42	0.43
	उप-योग	1.42	1.44
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,469.16	3,711.94
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	37.29	32.22
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	63.31	69.97
	(iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	4.81	10.71
	(v) अन्य बैंक (क्षे.ग्रा.बैं. भू.वि.बैं. आदि)	102.67	122.01
	उप-योग	3,677.24	3,946.85
	(सी) अन्य		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	38.62	40.75
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि	27.95	78.75
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की राशियां	10.13	14.71
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	2.53	4.33
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की राशियां	1.43	1.45
	(vi) पारस्परिक निधि	0.01	0.01
	(vii) अन्य	10.12	1098.57
उप-योग	90.79	1,238.57	
कुल	3,769.45	5,186.86	
अनुसूची 3 :	अन्य देयताएं और प्रावधान		
	(i) उपदान और अधिवर्षिता निधि	123.10	140.05
	(ii) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	2,216.52	2,216.14
	(iii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ)	207.61	217.61
	(iv) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा (सीजीआए)	5,721.63	5,591.93
	(v) निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा (आईआरए)	37.91	32.14
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा (एफसीबीए)	42.98	0.00
	(vii) वायदा संविदा मूल्यांकन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	0.39
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	16.55	16.81
	(ix) भारत सरकार को अंतरण योग्य अधिशेष	526.79	658.96
	(x) देय बिल	0.37	0.17
	(xi) विविध	68.24	30.83
कुल	8,961.70	8,905.03	
अनुसूची 4 :	निर्गमित नोट		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.11	0.11
	(ii) परिचालन में नोट	13,445.16	14,732.32
कुल	13,445.27	14,732.43	

2014-15 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

		2013-14	2014-15
अनुसूची 5 :	नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैं के पास) (i) नोट (ii) रुपये सिक्के (iii) छोटे सिक्के कुल	0.11 0.00 0.00 0.11	0.11 0.00 0.00 0.11
अनुसूची 6:	स्वर्ण के सिक्के और बुलियन (i) बैंकिंग विभाग (ii) निर्गम विभाग (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में) कुल	590.24 649.78 1,240.02	578.84 637.23 1,216.07
अनुसूची 7:	विदेशी मुद्रा आस्तियां (i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग (ii) निवेश-घरेलू - निधि विभाग कुल	4,796.21 12,783.31 17,579.52	7,276.29 14,082.75 21,359.04
अनुसूची 8:	निवेश घरेलू (i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग (ii) निवेश-घरेलू - निधि विभाग कुल	6,684.68 10.46 6,695.14	5,174.97 10.46 5,185.43
अनुसूची 9:	ऋण और अग्रिम (ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम (i) केंद्र सरकार (ii) राज्य सरकार उप-योग (बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक (iii) अन्य राज्य सहकारी बैंक (iv) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक (v) नाबार्ड (vi) अन्य उप-योग (सी) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश (ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि. (iv) अन्य (बी) निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर में निवेश (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि. (iv) अन्य उप-योग (डी) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश निधि: (ए) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम (बी) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांड / डिबेंचर में निवेश उप-योग कुल	0.00 6.66 6.66 294.17 0.00 1.34 0.00 0.00 68.66 364.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.83	0.00 25.77 25.77 732.03 0.00 0.45 0.00 0.00 44.07 776.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.32

वार्षिक रिपोर्ट

		2013-14	2014-15
अनुसूची 10:	सहयोगी संस्थाओं में निवेश (i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक (iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (iv) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि. कुल	0.50 4.50 0.20 8.00 13.20	0.50 4.50 0.20 8.00 13.20
अनुसूची 11:	अन्य आस्तियां (i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यहास को घटाकर) (ii) उपचित आय (ए+बी) ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर बी. अन्य मदों पर (iii) स्वैप परिशोधन लेखा (iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यांकन (आरएफसीए) (v) विविध कुल	5.22 225.90 3.09 222.81 59.30 42.85 9.86 343.13	3.92 206.26 3.16 203.10 94.33 0.00 8.92 313.43
अनुसूची 12:	ब्याज (i) घरेलू स्रोत ए. घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज बी. एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज सी. एमएसएफ परिचालन पर ब्याज डी. घरेलू प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ ई. मूल्यहास एफ. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज (ii) विदेशी स्रोत ए. विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज कुल	470.53 59.02 17.45 331.37 (-480.45) 37.46 201.50 636.88	436.30 28.29 1.88 139.15 (-98.28) 14.06 223.42 744.82
अनुसूची 13:	आय-अन्य (i) विदेशी आस्तियों पर प्राप्त छूट से (ii) विदेशी मुद्रा लेनदेनों के विनिमय से (iii) कमीशन (iv) प्राप्त किराया (v) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि (vi) प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं कुल	6.81 (-10.61) 12.57 0.05 0.01 0.46 9.29	4.40 29.62 13.38 0.05 0.02 0.27 47.74
अनुसूची 14:	एजेसी प्रभार (i) सरकारी लेनदेन पर एजेसी कमीशन (ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन (iii) विविध (राहत / बचत बांडों के अभिदान के लिए बैंकों को अदा किया गया संचालन प्रभार) (iv) बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क कुल	27.81 4.81 0.00 0.63 33.25	29.63 0.33 0.00 0.49 30.45

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा लगातार पालन की गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 103523 डब्ल्यू)

राकेश राठी
भागीदार
सदस्यता क्रम सं. 045228

कृते सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101961 डब्ल्यू)

मनीष संपत
भागीदार
सदस्यता क्रम सं. 101684

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 अगस्त, 2015

**30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के
संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन
नीतियों का विवरण**

1. सामान्य

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।”

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

- ए) बैंक नोटों का निर्गम।
- बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।
- सी) बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वाह करना।
- ई) भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंध करना।
- जी) बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकार के ऋण प्रबंधक की भूमिका का निर्वाह करना।
- आइ) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास।
- जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन सहित विकास कार्य।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए। निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा

की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार की करेंसी नोटों और उस समय परिचालनगत बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं। जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। वर्ष के दौरान शेयर पर लाभांश आय संबंधी नीति में संशोधन किया गया है और अब इसकी गणना उपचित आधार पर उस समय की जाती है जब नगदी आधार पर उसकी गणना करने की पूर्व नीति के प्रति उसकी गणना की प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखों में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें आय में से प्रभारित किया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(ए) स्वर्ण

स्वर्ण का पुनः मूल्य निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन के बुलियन बाजार ऐशोसिएशन (एलबीएमए) के औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर, किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

(बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह, माह तथा वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को इस प्रकार से दर्शाए जाने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में डाला जाता है और वे वहीं पर समायोजित रहती हैं। खजाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय “परिपक्वता तक धारित” प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोट्स में निवेश तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आइआइएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड) को छोड़कर, विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, लागत के आधार पर किया जाता है, जो प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर होता है। मूल्य वृद्धि या मूल्य हास को निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में दर्ज किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में जमा शेष बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत

में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नाम शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन आकस्मिक निधि में वापस जमा किया जाता है। 2013-14 तक आईआरए में इस प्रकार के नाम शेष को लाभ और हानि खाते में रखे जाने की नीति थी। विदेशी खजाना बिलों और वाणिज्यिक पत्रों को बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत के अनुसार रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट को दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के अनुसार की जाती है। दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री/पुनःप्राप्ति पर, विक्रय की गई प्रतिभूतियों, जो निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखी गई हों, के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय खाते में अंतरित किया जाता है।

(सी) वायदा/स्वैप संविदाएं

रिज़र्व बैंक द्वारा उसके हस्तक्षेप करने के परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन वार्षिक आधार पर 30 जून को किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) लाभ को ‘विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के मूल्यन खाता’ (एफसीवीए) में जमा किया जाता है जिसे वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन खाता (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी के नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) हानि को एफसीवीए में नामे किया जाता है जिसके अंतर्गत वायदा कारोबारों के मूल्यन खाते के लिए पीएफसीवी में प्रतिपक्षी राशि जमा की जाती है। 30 जून की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि के तहत रखा जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाएगा तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि क्रमशः इस प्रकार की वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ और हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर रिवर्स कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

जहां एफसीवीए एवं पीएफसीवीए “अन्य देयताओं” का हिस्सा होती हैं, वहीं आरएफसीए और एसएए “अन्य आस्तियों” का हिस्सा होती हैं।

2.4 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियां

बैंक के घरेलू निवेश के भाग के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य (एलओबीओएम) पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) द्वारा अधिसूचित किए अनुसार प्रचलित आय-ब्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य में कमी का समायोजन, यदि कोई हो, चालू ब्याज आय से किया जाता है। नोट निर्गम और प्रतिभूतियां जिन्हें फंड जैसे कि उपदान और सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण, स्वास्थ्य सहायता निधि और जमाकर्ता की शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड के प्रति चिह्नित किया गया है, के समर्थन में धारित गैर ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में और उसके बाद बाजार भाव पर दर्शाया गया है।

(बी) खजाना बिल

खजाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

(सी) शेयर

शेयर में निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत के अनुसार किया जाता है।

2.5 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

वर्ष 2014-15 से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिपो को ऋण देने के रूप में लिया जा रहा है और ‘ऋण और अग्रिम’ के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि ‘रिवर्स रिपो’ जमाराशि के रूप में लिया जा रहा है और ‘जमा-अन्य’ के तहत दर्शाया जा रहा है। पिछले वर्ष तक एलएएफ और एमएसएफ के तहत रिपो को रुपया प्रतिभूतियों की खरीद के रूप में और रिवर्स रिपो को रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री के रूप में लिया गया था।

2.6 अचल आस्तियां

- (ए) अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दिया जाता है।
- (बी) कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (₹0.1 मिलियन और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि के संबंध में विवरण सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्त श्रेणी	मूल्यहास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

- (सी) पट्टाधारित भूमि पर परिशोधन प्रीमियम और भवनों पर मूल्यहास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्त श्रेणी	मूल्यहास की दर/परिशोधन
पट्टाधारित भूमि और उस पर बने भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
पूर्ण स्वामित्व वाली (फ्रीहोल्ड) भूमि पर बने भवन	10 प्रतिशत

- (डी) ₹0.1 मिलियन से कम लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य आस्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित लाभ/हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं। आसानी से कही ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि का लागू दरों पर पूंजीकृत और मूल्यहास किया गया है।

(ई) ₹0.1 मिलियन और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर की गयी है।

(एफ) अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास लगाया गया है।

(जी) रखाव मूल्य की हानि/पुनःविवरण के मूल्यांकन के लिए भवनों को दो वर्गों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

(i) भवन जो उपयोग में हैं किंतु भविष्य में ध्वस्त किए जाने हेतु चिह्नित किए गए हैं/भविष्य में त्याग दिए जाएंगे : इस प्रकार के भवनों के उपयोग का मूल्य भविष्य में जिस तारीख तक त्यागी/ध्वस्त किए जाने की संभावना है, की अवधि के लिए मूल्यहास का कुल है। बही मूल्य और इस प्रकार से निकाले गए मूल्यहास के कुल के बीच के अंतर को आय विवरण में लिया गया है और मूल्यहास में शामिल किया गया है।

(ii) भवन जो त्याग दिए/खाली कर दिए गए हैं : इस प्रकार के भवनों को प्राप्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य, यदि आस्ति को भविष्य में बेचने की संभावना है)/विध्वंस मूल्य घटाकर स्क्रेप मूल्य (यदि भविष्य में ध्वस्त किए जाएंगे) पर दर्शाया जायेगा। यदि मूल्य ऋणात्मक है, तो इस प्रकार के भवनों के रखाव मूल्य को ₹1 पर दर्शाया जाएगा। बही मूल्य और प्राप्य मूल्य (अर्थात् निवल बिक्री मूल्य)/विध्वंस मूल्य को घटाकर स्क्रेप मूल्य के बीच का अंतर आय विवरण में लिया गया है और मूल्यहास में शामिल किया गया है। आस्ति को “अन्य आस्तियां” - “विविध ” शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

2.7 कर्मचारी लाभ

‘अनुमानित इकाई ऋण’ प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे के संबंध में टिप्पणियां

XI.11 बैंक की देयताएं और आस्तियां

XI.11.1 देयताएं

i) पूंजी

रिजर्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

₹ 0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ-राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जो कि तुलन-पत्र में ‘अन्य देयताओं’ की मद का एक हिस्सा है।

iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत जुलाई 1964 में ₹ 100 मिलियन

की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिजर्व बैंक की ओर से पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान किए गए वार्षिक सहयोग की राशि जमा की जाती है। 1992-93 से इस निधि में बैंक से प्रत्येक वर्ष ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि जमा की जाती है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 0.24 बिलियन रही।

बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹ 500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी को रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष बैंक की आय से सिर्फ ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹ 1.98 बिलियन रही।

सी. अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है और प्रत्येक निधि के लिए प्रति वर्ष ₹ 10 मिलियन की टोकन राशि नाबार्ड को प्रेषित की जाती है।

iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एगिजम बैंक) और नाबार्ड, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की रिजर्व बैंक में रखी जाने

वाली जमाराशियां, कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित विविध खातों की राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की राशि होती हैं। वर्ष 2013-14 में डीईए निधि का सृजन जमाकर्ताओं के हितों में वृद्धि करने और इस प्रकार के अन्य संगत उद्देश्यों के लिए किया गया था। कुल जमाराशि 30 जून 2014 के ₹3,769.45 बिलियन की तुलना में 30 जून 2015 में 37.60 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए ₹5,186.86 बिलियन रही।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिजर्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों की राशियों, क्रमशः ₹1.01 बिलियन और ₹0.43 बिलियन, का योग ₹1.44 बिलियन था।

बी. जमाराशियां - बैंक

बैंक, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु रिजर्व बैंक के पास अपने चालू खातों में जमाराशि रखते हैं। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक की चालू खाता जमाराशि ₹3,946.85 बिलियन रही जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹3,677.24 बिलियन थी, जो वर्ष के दौरान 7.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सी. जमाराशियां-अन्य

‘जमाराशि - अन्य’ में भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की राशियां, जमाकर्ता शिक्षा

और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की राशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बकाया रिवर्स रिपो की राशियां होती हैं। 2014-15 से, रिवर्स रिपो अंतरणों को बैंक के पास निधियों की जमाराशियों के रूप में माना जा रहा है एवं इसलिए बकाया रिवर्स रिपो अब 'जमाराशि-अन्य' का हिस्सा बन गया है। 'जमाराशियां-अन्य' के अंतर्गत राशि 30 जून 2014 के ₹90.79 बिलियन से 1,264.21 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2015 को ₹1,238.57 बिलियन हो गई जो प्रमुख रूप से बैंक द्वारा रिवर्स रिपो अंतरणों के अंतर्गत धारित राशियों के कारण है।

v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि, एवं प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। 2013-14 तक, ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधियों की राशियों को 'जमाराशि-अन्य' के अंतर्गत दर्शाया गया है। उन्हें अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि क्रमशः आकस्मिक एवं आंतरिक पूंजी व्यय के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है, जबकि 'अन्य देयताओं' के शेष घटक, जैसे, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफसीवीए) अप्राप्त बाजार मूल्य पर दर्शाए गए लाभ/हानि को दर्शाते हैं। अन्य देयताएं और प्रावधान 30 जून 2014 के ₹8,961.70 बिलियन से 0.63 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 को ₹8,905.03 बिलियन रह गए, जो प्रमुख रूप से सीजीआरए की राशियों में गिरावट के कारण हुआ।

ए. आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि (पूर्व में आकस्मिकता आरक्षित निधि) अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं

से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं।

बी. आस्ति विकास निधि

1997-98 में सृजित आस्ति विकास निधि (पूर्व में आस्ति विकास आरक्षित निधि) आंतरिक पूंजीगत खर्चों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थाओं में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष आय में से उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक में बतौर पूंजी और निवेश किए जाने हेतु ₹10 बिलियन की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई।

सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करते हुए, स्वर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) और स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आय विवरण में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे तुलन-पत्र की मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन (सीजीआरए) मद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सीजीआरए, एफसीए और स्वर्ण के मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ की संचित निवल राशि को दर्शाता है एवं इसलिए, इसका आकार आस्ति आधार के आकार और विनिमय दर तथा स्वर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलता है। 2014-15 के दौरान, सीजीआरए की राशि 30 जून 2014 के ₹5,721.63 बिलियन से 2.27 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 को ₹5,591.93 बिलियन रह गई, जो मुख्य रूप से अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना

में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि तथा स्वर्ण मूल्य में गिरावट के कारण हुई।

डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार आईआरए में ₹32.14 बिलियन राशि थी जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹37.91 बिलियन थी।

ई. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान

30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा के एमटीएम में ₹0.39 बिलियन की निवल हानि हुई, जिसे पीएफसीवीए में प्रतिपक्षी जमा करने के साथ एफसीवीए में नामे डाला गया। वर्तमान नीति के अनुसार, एफसीवीए में नामे डाला गया। वर्तमान नीति के अनुसार, एफसीवीए में ₹0.39 बिलियन के नामे शेष को 30 जून 2015 को आकस्मिकता निधि से समायोजित किया गया और इसे 01 जुलाई 2015 को रिवर्स किया गया। तदनुसार, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए और पीएफसीवीए की राशियां क्रमशः शून्य और ₹0.39 बिलियन थीं जबकि यह 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹42.98 बिलियन तथा शून्य थीं। सीजीआरए, आईआरए, एफसीवीए और पीएफसीवीए के गत पांच वर्षों की राशियों की स्थिति नीचे सारणी XII.3 में दी गई है।

एफ. भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में

सारणी XI.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए), वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफसीवीए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियाँ

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)	विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफसीवीए)#	वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफसीवीए)@	निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए)
1	2	3	4	5
2011	1,822.86	0.01	--	42.69
2012	4,731.72	24.05	--	122.22
2013	5,201.13	16.99	--	24.85
2014	5,721.63	42.98	0.00	37.91
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14

2012-13 तक तुल्य खाता, विनिमय समकारी खाता(ईईए) था;
@ 2013-14 के दौरान आरंभ किया गया

मूल्यहास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अतिकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अन्य कर का भुगतान नहीं करना है और धन कर का भुगतान करने से भी बैंक को छूट प्राप्त है। तदनुसार, सांविधिक निधि के लिए ₹0.04 बिलियन की राशि का योगदान सहित व्यय का समायोजन करने के बाद और आवश्यक प्रावधानों के बाद वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹658.96 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹12.69 बिलियन की तुलना में ₹11.46 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

जी) देय बिल

रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है और स्वयं की भुगतान संबंधी आवश्यकता को मांग ड्राफ्ट(डीडी) और भुगतान आदेश(पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) जारी करके पूरा भी करता है। इस मद की शेष राशि बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2014 के ₹0.37 बिलियन से घटकर 30 जून 2015 को ₹0.17 बिलियन रह गई जिसका मुख्य कारण डीडी/पीओ को कम इस्तेमाल करना था।

एच) विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी का नकदीकरण आदि मदें शामिल हैं। 2013-14 तक इस मद में रेपो लेनदेनों पर रखी मार्जिन शामिल थी जिसे अब चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो की लेखा-पद्धति में परिवर्तन के कारण समाप्त कर दी गयी है। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2014 के ₹68.24 बिलियन से घटकर 30 जून 2015 को ₹30.83 बिलियन रह गई जिसका कारण एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रेपो के संबंध में मार्जिन लेखांकन की समाप्ति था।

vi. निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिजर्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। परिचालनगत करेंसी नोटों की संख्या 9.57 प्रतिशत

से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹14,732.43 बिलियन हो गई जबकि यह 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹13,445.16 बिलियन थी।

XI.11.2 आस्तियां

11.2.1 बैंकिंग विभाग(बीडी) की आस्तियां

आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के, सोने के सिक्के और बुलियन, विदेशी करेंसी आस्तियां, रुपये प्रतिभूतियों में निवेश, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, ऋण और अग्रिम, सहयोगी संस्थाओं में निवेश, अन्य आस्तियां दर्शाई जाती हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

यह रिजर्व बैंक बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.11 बिलियन थी जो 30 जून 2014 की राशि के बराबर है।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिजर्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 265.49 मेट्रिक टन की शेष राशि बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में मानी जाती है। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2014 के ₹590.24 बिलियन से 30 जून 2015 को 1.93 प्रतिशत घटकर ₹578.84 बिलियन रह गया, इसका मुख्य कारण सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आना है।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2014-15 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया

गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) विदेशी निवेश - बैंकिंग विभाग(बीडी)

रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) को तुलन-पत्र में निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (क) 'निवेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में दर्शाया गया है तथा (ख) 'निवेश- विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग के आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है जैसाकि "निर्गम विभाग

आस्तियां" पर पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। निवेश- विदेश- बीडी में (i) अन्य केन्द्रीय बैंकों में जमाराशियाँ, (ii) अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस में जमाराशियाँ), (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष, (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। निवेश-विदेश-आईडी में जमाराशियाँ, खजाना बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। पिछले दो वर्षों से संबंधित रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XI.4 में दी गई है।

सारणी XI.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण (एफसीए)

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2014	2015
1	2	3
I निर्गम विभाग की आस्तियां निवेश- विदेशी- निर्गम विभाग (निर्गम विभाग के 2013-14 के तुलनपत्र के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियां)	12,783.31	14,082.75
II बैंकिंग विभाग में रखी गयी आस्तियां		
क) 'निवेशों' में शामिल (2013-14 तक)	1,069.45	0.00*
ख) निवेश- विदेशी- बैंकिंग विभाग	3,726.76	7,276.29@
कुल	17,579.52	21,359.04

* : बीआईएस और स्विफ्ट शीर्षों के अंतर्गत धारित विदेशी प्रतिभूतियां तथा शेयर को वर्ष के दौरान निवेश- विदेशी- बैंकिंग विभाग में अंतरित किया गया है।

@ : ₹ 99.08 बिलियन की एसडीआर मूल्य शामिल है।

टिप्पणियां :

- 30 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के अंशतः चुकता शेयरों की न मांगी गई राशि ₹ 1.08 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹ 1.12 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक 8.74 बिलियन एसडीआर (₹ 783.74 बिलियन/12.29 बिलियन अमरीकी डालर) की अधिकतम राशि तक आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत नोट खरीद करार के अंतर्गत पहले ही किये गये वायदे के अनुसार 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 637.55 बिलियन) शामिल है ,संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2015 को उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत 0.84 बिलियन एसडीआर (₹ 75.22 बिलियन/1.18 बिलियन अमरीकी डालर) की राशि निवेश की गई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यूके द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 318.77 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2015 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे बांडों में 2.10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 133.89 बिलियन) का निवेश किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार (एनपीए) 2012 के अनुसार, रिजर्व बैंक 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 637.55 बिलियन) तक की राशि के आईएमएफ के एसडीआर मूल्यवर्गीत नोट की खरीद कर सकता है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिजर्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान एसडीआर 0.57 बिलियन (₹ 51.16 बिलियन, 0.82 बिलियन अमरीकी डालर) का अंतरण रिजर्व बैंक को किया गया । 30 जून 2015 को रिजर्व बैंक में एसडीआर शेष धारिता 1.1 बिलियन (₹ 99.08 बिलियन, 1.55 बिलियन अमरीकी डालर) थी।
- रिजर्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के अंतर्गत सार्क सदस्य देशों को क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये मिलाकर 2 बिलियन अमरीकी डालर की राशि देने की सहमति दी है। 30 जून 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान इस करार के अंतर्गत श्रीलंका (श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक को) ने 0.4 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 25.50 बिलियन) की राशि का उपयोग किया है।

v) निवेश - घरेलू - बीडी

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष तेल बॉन्ड शामिल हैं। तथापि, 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई खजाना बिल नहीं था। रिजर्व बैंक द्वारा धारित देशी प्रतिभूतियाँ जो बैंक के निवेश के भाग के रूप में धारित थी वह 22.58 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹6,684.68 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹5174.97 बिलियन रह गईं। इस गिरावट के कारण थे (क) एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रेपो/प्रतिवर्ती रेपो की लेखा-पद्धति में परिवर्तन (ख) बैंक द्वारा आयोजित चलनिधि प्रबंधन परिचालन तथा (ग) वर्ष 2014-15 के दौरान परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं उनसे विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलहकार समिति समूह की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 30 जून 2015 और 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार को देय कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम ₹25.77 बिलियन था जबकि 30 जून 2014 को यह राशि ₹6.66 बिलियन थी।

बी) वाणिज्य और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम

इसमें मुख्यतः निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत रिजर्व बैंक से पात्र बकाया निर्यात ऋण के बदले प्राप्त पुनर्वित्त, तथा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो के अंतर्गत बकाया राशि शामिल हैं। वर्ष 2014-15 से एलएएफ और एमएसएफ को उधार

के रूप में माना जा रहा है और उसे इस मद में दर्शाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस मद के अंतर्गत शेषराशि 147.87 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2014 के ₹295.51 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹732.48 बिलियन हो गई।

सी) नाबार्ड को ऋण और अग्रिम

रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

डी) अन्य को ऋण और अग्रिम

इस मद के शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित ₹44.07 बिलियन का बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 35.81 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹68.66 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹44.07 बिलियन रह गई जिसका प्रमुख कारण था सिडबी द्वारा ऋण की चुकौती।

vii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश

30 जून की स्थिति के अनुसार सहयोगी संस्थाओं / सहायक में धारिताओं का ब्यौरा सारणी XI.5 में प्रस्तुत है।

सारणी XI.5: सहायक संस्थाओं में धारिताएँ

(राशि ₹ बिलियन में)

	लागत	% धारिता
1	2	3
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	1
सी) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	4.50	100
डी) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8.00	100
कुल	13.20	

viii) अन्य आस्तियां

ए) 'अन्य आस्तियां' में अचल आस्तियां (मूल्यहास की निवल राशि), देशी और विदेशी निवेशों पर उपचित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन (आरएफसीए) में धारित शेष राशियाँ तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि होते हैं। 'अन्य आस्तियां' में बकाया राशि 8.66 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹343.13 बिलियन से जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹313.43 बिलियन हो गई जिसका मुख्य कारण वायदा संविदा पर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य में लाभ के बजाय 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य में हानि थी।

बी) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रेपो है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जा रहा है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। इस खाते में शेष राशि 59 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹59.30 बिलियन से 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹94.33 बिलियन हो गई। इस खाते में धारित राशियों को अंतर्निहित संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स कर दिया जाएगा।

सी) वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

वायदा संविदा जो मध्यक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में दर्ज किए जाते हैं वे 30 जून को बाजार भाव पर दर्शाए जाते हैं। निवल लाभों को आरएफसीए में दर्ज करना अपेक्षित है और उसे अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया जाना चाहिए। वायदा संविदाओं पर दैनिक बाजार मूल्यों की हानि के कारण 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार इस खाते में कोई शेष राशि नहीं थी।

11.2.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, विदेशी मुद्रा आस्तियां, भारत सरकार की बिना ब्याज वाली रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन भारत में जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XI. 6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 649.78 बिलियन से 1.93 प्रतिशत घटकर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 637.23 बिलियन रह गया है जिससे बुलियन के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी का पता चलता है। जारी किए गए नोटों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित विदेशी मुद्रा आस्तियां जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 12,783.31 बिलियन थीं वे 10.17 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,082.75 बिलियन हो गईं। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹1.72 बिलियन थी जो 15.70 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार ₹1.99 बिलियन हो गई। बिना ब्याज के रुपया प्रतिभूतियों की राशि में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे ₹10.46 बिलियन के स्तर पर बनी रहीं।

सारणी XI.6: स्वर्ण की भौतिक धारिता

1	30 जून 2014 की स्थिति	30 जून 2015 की स्थिति
	मात्रा मेट्रिक टन में	
2	3	
जारी किए गए नोट को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.26	292.26
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	265.49	265.49
कुल	557.75	557.75

सारणी XI.7(ए): विदेशी मुद्रा भंडार

(₹ बिलियन में)

1	30 जून की स्थिति के अनुसार		घटबढ़	
	2014	2015	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	17,530.21 [^]	21,100.56 [#]	3,570.35	20.37
स्वर्ण	1,240.02	1,216.07 [@]	(-) 23.94	(-) 1.93
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	268.31	259.03	(-) 9.28	(-) 3.46
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	103.23	83.96	(-) 19.27	(-) 18.67
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	19,141.77	22,659.62	3,517.86	18.38

[^] : इसमें रिज़र्व बैंक के पास ₹49.31 बिलियन की एसडीआर धारिता शामिल नहीं है, इसे एसडीआर धारिता के अंतर्गत शामिल किया गया है।
[#] : (क) भारत सरकार से ग्रहीत रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग, जो ₹ 99.08 बिलियन बैठती है, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में ₹ 133.89 बिलियन के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप के तहत श्री लंका को उधार दिए गए ₹ 25.50 बिलियन, को छोड़कर।
[@] : इसमें से ₹ 637.23 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹ 578.84 बिलियन के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित रखा गया है।

सारणी XI.7(बी): विदेशी मुद्रा भंडार

(₹ बिलियन में)

1	30 जून की स्थिति के अनुसार		घटबढ़	
	2014	2015	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	289.32 [*]	331.55 ^{**}	42.23	14.59
स्वर्ण	20.63	19.07	(-) 1.56	(-) 7.56
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.47	4.06	(-) 0.41	(-) 9.17
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	1.72	1.32	(-) 0.40	(-) 23.26
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	316.14	356.00	39.86	12.61

^{*} : आइआइएफसी (यूके) बांडों में निवेशित 1,181 मिलियन अमरीकी डालर की राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रहीत 820.56 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर एसडीआर इसमें शामिल नहीं हैं।
^{**} : (क) भारत सरकार से रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रहीत 1,554 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य एसडीआर, जिसे एसडीआर होल्डिंग के तहत शामिल किया गया है, (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा निर्गत बांड्स में 2,100 मिलियन यूएस डालर के निवेश और (ग) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गए करेंसी स्वैप के तहत श्री लंका से प्राप्त 400 मिलियन यूएस डालर के समतुल्य एलकेआर, को छोड़कर।

XI.12 विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) एवं विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर)

विदेशी मुद्रा रिज़र्व (एफईआर) में स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, शामिल है। रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2014 एवं 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार (सारणी XI.7 क एवं ख) है।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XI.13 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटक ब्याज से होने वाली प्राप्तियां और अन्य मदें हैं जिसमें (i) डिस्काउंट, (ii) विनिमय, (iii) कमीशन तथा (iv) प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा, ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, शामिल हैं। इनमें, ब्याज से प्राप्त आय का हिस्सा प्रमुख होता है तथा अन्य स्रोतों जैसे-डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहता है।

विदेशी स्रोतों से आय

XI.14 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में 30.2 प्रतिशत की इजाफा हुआ, यह 2013-14 में ₹197.68 बिलियन थी जो 2014-15 में ₹257.44 बिलियन हो गई। इसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों के आकार में बढ़ोतरी होना रहा जो 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार ₹17,579.52 बिलियन था और 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह बढ़कर ₹21,359.03 बिलियन हो गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर होने वाली आय की दर 2013-14 की 1.21 प्रतिशत की तुलना में यह 2014-15 में 1.36 प्रतिशत उच्चतर थी (सारणी XI.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XI.15 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय में 19.29 प्रतिशत का इजाफा हुआ, यह 2013-14 के ₹448.49 बिलियन से बढ़कर 2014-15 में ₹535.00 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण रुपए में अंकित प्रतिभूतियों में मूल्यहास के कम होने के कारण हुआ क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य एक सीमित दायरे में बने रहे। मूल्यहास में ₹382.17 बिलियन की उल्लेखनीय कमी आई जिसने काफी हद तक प्रतिभूतियों की बिक्री पर अर्जित कम लाभ को समायोजित कर दिया क्योंकि बैंक की धारिता में से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की पूर्व व्यवस्था के बजाय अब रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान भारत औसत दर पर की जाने वाली मीयादी नीलामियों के आधार पर केंद्र सरकार को क्षतिपूर्ति की जाती है। घरेलू स्रोतों से होने वाली आय का विवरण सारणी XI.9 में दिया गया है।

XI.16 2014-15 में कूपन प्राप्तियां ₹436.30 बिलियन रहीं जो 2013-14 में ₹470.53 बिलियन की तुलना में कुछ कम थी क्योंकि खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) की बिक्री (एनडीएस-ओएम पर हुई बिक्री सहित) और परिपक्वता पर प्रतिभूतियों के मोचन के कारण रिजर्व बैंक की रुपए में अंकित प्रतिभूतियों की धारिता में कमी आई। वर्ष के दौरान कोई ओएमओ खरीद नहीं की गई।

XI.17 एलएएफ और एमएसएफ से हुई निवल ब्याज आय में रेपो ओर एमएसएफ पर ब्याज तथा बैंक द्वारा रिवर्स रेपो पर अदा किए गए ब्याज को घटाकर 60.53 प्रतिशत की कमी आई, यह 2013-14 में ₹76.47 बिलियन थी जबकि 2014-15 में यह ₹30.17 बिलियन थी क्योंकि भारिबैं द्वारा प्रदान की गई सुविधा (रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, मीयादी रेपो और मीयादी रिवर्स रेपो) के माध्यम से औसत दैनिक निवल चलनिधि का अंतर्वाह कम किया गया।

XI.18 केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से होने वाली आय में 21.91 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह ₹3.88 बिलियन थी जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह ₹4.73 बिलियन थी। केंद्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की मद में 2014-15 के दौरान ₹3.57 बिलियन प्राप्त हुए जबकि इसकी तुलना में 2013-14 में ₹3.22 बिलियन ही प्राप्त हुए थे क्योंकि पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा 9 दिनों के लिए ही ओडी का उपयोग किया था जबकि इस वर्ष उच्चतर औसत पर ओडी का उपयोग 19 दिनों के लिए किया गया। डब्ल्यूएमए/ओडी/विशेष आहरण निधि (एसडीएफ) पर

सारणी XI.8: विदेशी स्रोतों से सकल आय

(₹ बिलियन में)

मद	30 जून की स्थिति के अनुसार		घटबढ़	
	2014	2015	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी स्रोत	17,579.52	21,359.04	3,779.51	21.50
औसत एफसीए	16,368.93	18,909.29	2,540.36	15.52
एफसीए से अर्जन (ब्याज, चूट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	197.68	257.44	59.76	30.23
एफसीए से एफसीए के औसत प्रतिशत के रूप में अर्जन	1.21	1.36	0.15	12.40

सारणी XI.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

Item	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून, 2014	30 जून, 2015	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
घरेलू आस्तियां	8664.04	7656.01	(-)1008.03	(-)11.63
घरेलू आस्तियों का साप्ताहिक औसत	8694.77	7828.99	(-)865.78	(-)9.96
अर्जन (I + II+III)	448.49	535.00	86.51	19.29
I. ब्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय				
i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	331.37	139.15	(-)192.22	(-)58.01
ii) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	59.02	28.30	(-)30.72	(-)52.05
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	17.45	1.88	(-)15.57	(-)89.23
iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	470.53	436.30	(-)34.23	(-)7.27
v) मूल्यहास	(-)480.45	(-)98.28	382.17	79.54
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	397.92	507.35	109.43	27.50
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार को (केन्द्र और राज्य)	3.88	4.73	0.85	21.91
ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को	33.10	8.87	(-)24.23	(-)73.20
iii) कर्मचारियों को	0.48	0.46	(-)0.02	(-)4.17
उप जोड़ (i+ii+iii)	37.46	14.06	(-)23.40	(-)62.47
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	12.57	13.38	0.81	6.44
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है	0.53	0.21	(-)0.32	(-)60.38
उप जोड़ कुल (i+ii+iii+iv)	13.11	13.59	0.48	3.66

राज्यों से प्राप्त होने वाला ब्याज 2014-15 के दौरान ₹1.16 बिलियन था जबकि 2013-14 में यह ₹0.66 बिलियन था। इसका मुख्य कारण राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ का दैनिक औसत मात्रा में काफी अधिक उपयोग किया जाना था, 2013-14 के दौरान यह ₹8.51 बिलियन था जबकि 2014-15 में यह ₹14.46 बिलियन रहा।

व्यय

XI.19 रिजर्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे- एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खजाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। रिजर्व बैंक के कुल व्यय में 2014-15 में 11.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹133.56 बिलियन रहा जबकि 2013-14 में यह 119.34 बिलियन था।

i) ब्याज भुगतान

2014-15 के दौरान ₹0.01 बिलियन के ब्याज का भुगतान डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि को किया गया जिसकी स्थापना स्टाफ-सदस्यों के आश्रितों के लिए की गई है।

ii) कर्मचारी लागत

2014-15 में कर्मचारी लागत में 6.15 प्रतिशत की कमी आई और यह ₹40.58 बिलियन रही जबकि 2013-14 में यह ₹43.24 बिलियन थी। ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता लाभ कर्मचारी लागत के प्रमुख घटक हैं। ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि तथा अन्य निधियां जिनका मूल्यांकन उपचित आधार पर होता है में उपचित देयताओं के प्रति अंशदान में कमी आने से लागत में मुख्यतः कमी आई। 2014-15 में ₹14.83 बिलियन का अंशदान दिया गया जबकि पिछले वर्ष

₹18.09 बिलियन का अंशदान किया गया था। भविष्य निधि, ग्रैच्युटी और अधिवर्षिता निधि, छुट्टी नकदीकरण निधि और चिकित्सा सहायता निधि में शेष निधियों के समतुल्य भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, इन निधियों के लिए विशेष रूप से उद्दिष्ट की जाती हैं।

iii) एजेंसी प्रभार

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये शाखाएं सरकारी फुटकर लेनदेन के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। रिजर्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया है। सरकारी लेन-देन करने के लिए इन बैंकों को वर्ष 2014-15 में ₹29.63 बिलियन कमीशन अदा किया गया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में यह ₹27.81 बिलियन था, अर्थात् इसमें 6.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेनदेनों की संख्या और सरकारी प्राप्तियों तथा भुगतानों में शामिल राशि में वृद्धि होने से एजेंसी कमीशन में वृद्धि हुई।

बी. प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिजर्व बैंक ने 2014-15 के दौरान पीडी को ₹0.33 बिलियन का कुल हामीदारी कमीशन का भुगतान किया जबकि इसकी तुलना में 2013-14 में ₹4.81 बिलियन का भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान विविध कारणों जैसे -भारिबैं द्वारा 75 आधार अंकों की कमी करना, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आना, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में गिरावट आदि-से प्रतिफलों सहज हुए (10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल में लगभग 86 अंकों की कमी आई), जिससे पिछले वर्ष

की तुलना में इस बार हामीदारी कमीशन का भुगतान कम हुआ। चूंकि बाजार की स्थितियां बेहतर रहने और जोखिम की प्रत्याशा में कमी आई, जिससे पीडी ने पिछले साल, जब मई 2013 में यूएस फेड द्वारा घोषित टेपर टैट्रम के बाद बाजार में हल-चल की स्थिति थी, की तुलना में कम हामीदारी कमीशन की मांग की।

सी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे से हिस्से के प्रबंधन का कार्य बाहरी आस्ति प्रबंधकों को सौंपा गया है और रिजर्व बैंक की विदेशी आस्तियों को जो अभिरक्षक धारित करते हैं, उन्हें जुलाई-जून 2015 के दौरान ₹0.49 बिलियन राशि का भुगतान किया गया जबकि 2013-14 में राशि ₹0.63 बिलियन थी।

iv) नोट मुद्रण

नोटों के मुद्रण पर हुए खर्च में 2014-15 में 17.05 प्रतिशत का इजाफा हुआ जो बढ़कर ₹37.62 बिलियन हो गया जबकि 2013-14 में यह खर्च ₹32.14 बिलियन था। इसका मुख्य कारण बैंक नोटों की आपूर्ति में हुई वृद्धि रही।

v) अन्य खर्च

अन्य खर्च जिनमें खजाना के प्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा-परीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं में 39.74 प्रतिशत की इजाफा हुआ, 30 जून 2014 की स्थिति के अनुसार यह ₹10.67 बिलियन था जबकि 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार यह ₹14.91 बिलियन हो गया। प्राथमिक रूप से इस वृद्धि का कारण बैंकिंग विकास योजना पर हुआ खर्च है, 2013-14 में इस पर ₹0.53 बिलियन खर्च किए गए थे जबकि 2014-15 में इस पर ₹3.03 बिलियन खर्च किए गए।

vi) प्रावधान

इसके तहत ₹10 बिलियन की राशि एडीएफ में अंतरित की गई ताकि उसे एनएचबी की अंश पूंजी के रूप में निवेशित किया जा सके।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XI.20 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें मौजूदा वर्ष के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

लेखा-परीक्षक

XI.21 बैंक के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2014-15 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई और मैसर्स सीएनके एंड एसोसिएट, एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मैसर्स एम.चौधरी एंड कंपनी तथा मैसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन एवं मैसर्स वी.के.वर्मा एंड कंपनी द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

घटनाक्रम

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2014 से जून 2015*

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
मौद्रिक नीति विभाग	
05 अगस्त 2014	एसएलआर में 50 आधार अंकों की कमी कर इसे एनडीटीएल के बराबर 22 प्रतिशत कर दिया गया। यह 9 अगस्त 2014 से प्रभावी हुई।
30 सितंबर	ईसीआर चलनिधि को पात्र निर्यात क्रेडिट बकाया के 32 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया जो 10 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ।
15 जनवरी 2015	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.75 प्रतिशत किया गया।
03 फरवरी	एसएलआर में 50 आधार अंकों की कमी कर इसे एनडीटीएल का 21.5 प्रतिशत किया गया जो 7 फरवरी 2015 से प्रभावी हुआ। 7 फरवरी 2015 से ईसीआर सुविधा को प्रणाली स्तर की चलनिधि से बदल दिया गया।
20 फरवरी	सरकार और रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति ढांचे से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए, इसके द्वारा एक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को लागू किया गया।
04 मार्च	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.5 प्रतिशत किया गया।
02 जून	नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 7.25 प्रतिशत किया गया।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
14 अगस्त 2014	वर्तमान, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की पुनर्रचना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के रूप में किए जाने के क्रम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत स्व रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए।
13 नवंबर	नाबार्ड के जरिए 'भूमि हीन किसान' के संयुक्त देयता समूहों को 0.5 मिलियन का वित्त पोषण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए।
03 दिसंबर	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत जैन समुदाय को अल्प संख्यक समुदाय में शामिल करने की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें भी देने के लिए अनुदेश जारी किए गए।
09 दिसंबर	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ब्याज अनुदान योजना के संबंध में 2014-15 के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
10 दिसंबर	प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में कमी के श्रेणीकरण और इस प्रकार की श्रेणियों में बैंकों को उनके द्वारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में जमा की गई राशियों पर देय ब्याज को पुनः संरचित किया गया। संशोधित जमा दरों को प्राथमिक क्षेत्र के समग्र ऋण लक्ष्य में कमी के साथ जोड़ा दिया गया।
02 जनवरी 2015	एसएलबीसी समन्वयक बैंकों और अग्रणी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे पीएमजेडीवाई के अनुरूप 2000 से कम आबादी वाली बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने संबंधी प्रक्रिया को 14 अगस्त 2015 तक पूर्ण करें, पहले इसके लिए मार्च 2016 तारीख नियत की गई थी।
28 जनवरी	बैंकों से कहा गया कि वे वैयक्तिक उधारकर्ताओं (एसएचजी एवं जेएलजी सहित) से सभी प्रकार के ऋणों के लिए जिसमें सरकार प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं के तहत राशि की ओर ध्यान दिए बिना, 'बेबाकी प्रमाणपत्र की तब तक मांग न करें जब तक कि सरकार प्रायोजित योजना में स्वयं ही इस प्रकार का 'बेबाकी प्रमाणपत्र लेने का उल्लेख न किया गया हो।
25 फरवरी	पीएमजेडीवाई खातों में बैंकों द्वारा दिए गए ₹ 5,000/- तक के ओवरड्राफ्ट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (अन्य श्रेणी) और कमजोर वर्गों को दिए गए उधार की श्रेणी में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उधारकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 60,000/- और ग्रामीण क्षेत्रों से इतर के लिए ₹ 1,20,000/- से अधिक न हो।
13 मार्च	निःशक्त लोगों को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों को कमजोर तबकों की श्रेणी में वर्गीकृत करने की पात्रता प्रदान की गई।

*: यह सामग्री सांकेतिक प्रकृति की है। इसके विवरण रिजर्व बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
25 मार्च	प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
23 अप्रैल	आंतरिक कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित ऋण दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
21 मई	एसएचजी- बैंक संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रगति हेतु रिपोर्टिंग फॉर्मेट को संशोधित किया गया ताकि एनआरएलएम एवं एनयूएलएम के तहत एसएचजी को वित्त प्रदान करने संबंधी आंकड़ों को अलग-अलग जुटाया जा सके।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
23 जुलाई 2014	सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश को ऐसी प्रतिभूतियों तक सीमित कर दिया गया जिनकी न्यूनतम अवशेष परिपक्वता तीन वर्ष हो।
08 सितंबर	एफपीआई को अगले 12 महीनों में बकाया होने वाली ऋण प्रतिभूतियों की कूपन प्राप्तियों पर मुद्रा जोखिम को भारत में हेज करने की अनुमति प्रदान की गई
30 सितंबर	अर्थसुलभ सरकारी प्रतिभूति के लिए अधिविक्रय की सीमा बढ़ाकर इसे बकाया स्टॉक का 0.75 प्रतिशत या ₹600 करोड़, जो भी कम हो, कर दिया गया। जैसा कि अभी तक प्रचलित था, एनडीएस-ओएम के अलावा, ओटीसी बाजार में अधिविक्रय कर सूचना देने की अनुमति प्रदान की गई।
30 सितंबर	पिछले निष्पादन रास्ते के तहत वायदा करारों को निश्चित करने की आयातकों की पात्रता सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया (निर्यातकों के समान ही)।
19 दिसंबर	एफ-टीआरएसी पर किए गए व्यापारों की प्रतिपक्षियों द्वारा भौतिक सत्यापन संबंधी आदान-प्रदान की अपेक्षा को हटा लिया गया।
14 जनवरी 2015	पिछले निष्पादन रास्ते के तहत हेजिंग के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के तिमाही प्रमाण पत्र की आवश्यकता को ग्राहक के सीएफओ एवं सीएस द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र से बदल दिया गया।
03 फरवरी	भारत में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों को कॉर्पोरेट ऋण में रेपो के लिए पात्र अंतर्निहित के रूप में अनुमति दी गई।
03 फरवरी	काइपोरेट ऋण में एफपीआई के निवेश को उन लिखितों तक सीमित किया गया जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता न्यूनतम तीन वर्ष थी। अर्थसुलभ और मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड योजनाओं में एफपीआई निवेश को नामंजूर किया गया।
05 फरवरी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों, म्यूचुअल फंडों और बीमा कंपनियों को रिवर्स रेपो के जरिए जुटाई गई जी-सेक के संबंध में री-रेपो करने की अनुमति प्रदान की गई।
13 फरवरी	निवासी संस्थाओं को रद्द किए गए स्वैप की अवधि समाप्त होने के बाद ही एफसीवाई-आईएनआर स्वैप को फिर से बुक करने की अनुमति प्रदान की गई।
20 मार्च	पूर्णतया द्वितीयक बाजार लेनदेनों में एफपीआई द्वारा जी-सेक को टी+2 में निपटान करने की अनुमति दी गई और उन्हें एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट किया गया।
31 मार्च	ईटीडीसी बाजार में, अंतर्निहित जोखिम की स्थापना अपेक्षा के बिना ही, घरेलू निवेशकों और एफपीआई द्वारा भागीदारी के लिए पोजिशन सीमाओं को अमरीकी डॉलर-आईएनआर के लिए बढ़ा कर 15 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया और ईयूआर-आईएनआर, जीबीपी-आईएनआर एवं जेपीवाई-आईएनआर जोड़ों के लिए, सभी को एक साथ जोड़कर, इसे 5 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। ईटीडीसी बाजार में, सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र को जमा करने के स्थान पर इसे कंपनी के वित्त तथा लेखाओं के लिए वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी अथवा सीएफओ एवं सीएस द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा से बदल दिया गया।
14 मई	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों सहित, आरबीआई के पास पंजीकृत एनबीएफसी, जो एनबीएफसी के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करती हैं, उन्हें कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में सुलभ वायदा करार करने की अनुमति प्रदान की।
21 मई	रुप के विनियम जोखिम की हेजिंग के लिए, आईएनआर में अंकित बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के विदेशी उधारदाताओं को यह अनुमति दी गई कि वे अपने विदेशी बैंकों से स्वैप कर लें जो कि भारत में किसी एडी श्रेणी-1 के साथ बैंक-टु-बैंक स्वैप करार करेगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
12 जून	4-8 वर्षों की और 11-15 वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली जी-सेक में नकद में निपटान किए जाने वाले ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) की अनुमति प्रदान की गई। 10 वर्षीय नकद में निपटान किए जाने वाले आईआरएफ हेतु अंतर्निहित प्रतिभूति की अवशिष्ट परिपक्वता में छूट प्रदान कर उसे 8-11 वर्ष किया गया।
25 जून	एडी श्रेणी-1 बैंकों को अनुमत सीमाओं के भीतर, मामला-दर-मामला आधार पर रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बगैर निर्धारित अंतर-राष्ट्रीय/ बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
7 अगस्त 2014	रुपए की संदर्भ दर की गणना और प्रसार की प्रणाली को संशोधित किया गया, जो 1 सितंबर 2014 से प्रभावी हुई।
22 अगस्त	चलनिधि प्रबंध ढांचे में संशोधन किया गया जो 5 सितंबर 2015 से प्रभावी हुआ। रिपोर्टिंग पखवाड़े, अर्थात् प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार, के दौरान प्रत्येक नीलामी में संपूर्ण प्रणाली के एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत के एक चौथाई के बराबर राशि के लिए 14-दिवसीय परिवर्तनशील दरों वाली मीयादी रिपो बिक्री को पूर्वाह्न 11:00 से 11:30 बजे के बीच, चार बार करने की संशोधित प्रणाली प्रारंभ की गई।
20 फरवरी 2015	21 फरवरी, 2015 से रिजर्व रेपो एवं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी परिचालनों को सभी शनिवारों को भी प्रारंभ किया गया।
विदेशी मुद्रा विभाग	
03 जुलाई 2014	विदेशी सीधे निवेशों (ओडीआई) के लिए किसी भारतीय पक्ष द्वारा दी वित्तीय वचनबद्धता को उसकी नेट वर्थ के 400 प्रतिशत पर बहाल कर दिया गया, बशर्ते कि स्वचालित रास्ते के तहत वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया जाए।
07 जुलाई	पोत-लदान की तारीख से 180 दिन से अनधिक अवधि के लिए बेजमानती ऋण की अनुमति दी गई।
14 जुलाई	किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए आंशिक भुगतान किए गए ईक्विटी शेयरों और वारंटों को एफआईआईए/आरएफपीआईए द्वारा एफडीआइ एवं एफपीआई के लिए पात्र लिखत बनाया गया।
15 जुलाई	स्वतंत्र संव्यवहार के सिद्धांत के आधार पर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अंतर-राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य किसी मूल्य पद्धति और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निकाली गई कीमत पर अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों और डिबेंचरों सहित शेयरों का निर्गम तथा अंतरण करने की अनुमति प्रदान की गई।
17 जुलाई	निवासी व्यक्तियों को विदेश में अचल संपत्ति खरीदने के लिए एलआरएस के तहत धन विप्रेषण की अनुमति प्रदान की गई।
21 जुलाई	भारतीय यूनिफाइड पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा ई-केवाईसी सेवा प्रारंभ की गई, जिसे धन शोधन की रोकथाम (रिकार्डों का रख-रखाव) नियमावली, 2005 के तहत केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार्य किया गया।
22 जुलाई	परियोजनाओं/ आस्थगत सेवा निर्यात प्रस्तावों जो कि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के हों, पर कार्यदल द्वारा विचार की जाने वाली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों/ एक्जिज बैंक को इस बात की अनुमति प्रदान की गई कि वे बिना किसी प्रकार की मौद्रिक सीमा के कार्य-मिलने के पश्चात अनुमोदन प्रदान करें एवं अनुमोदन के संदर्भ में बाद में होने वाले परिवर्तनों को भी संगत फेमा दिशानिर्देशों तथा विनियमनों के भीतर अनुमति प्रदान करें।
23 जुलाई	एफआईआई/ क्यूएफआई/ एफपीआई के लिए जी-सेक में निवेश सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ाया गया, तदनुसार, 30 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा के भीतर दीर्घकालिक निवेशक के लिए उपलब्ध 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि को कम कर 5 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया।
27 अगस्त	प्राधिकृत डीलरों को मौजूदा ईसीबी का पुनः वित्त पोषण करने के लिए कम समग्र लागत पर नई ईसीबी लेने की अनुमति प्रदान की गई, जहां नई ईसीबी का औसत परिपक्वता अवधि मौजूदा ईसीबी की अवशिष्ट परिपक्वता से अधिक ही क्यों न हो।
28 अगस्त	पात्र निवेशकों को प्रचलित/अनुमोदित बाजार प्रथाओं के अनुरूप किसी भी प्रकार से जी-सेक को अधिग्रहीत करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
03 सितंबर	पात्र उधारकर्ताओं को अन्य सभी चिह्नित उधारदाताओं से रूप में अंकित ईसीबी उठाने की अनुमति दी गई जो विदेशी ईक्विटी होल्डर्स के लिए पूर्व में अनुमत मात्रा के अतिरिक्त थी।
08 सितंबर	एफपीआईएज को अनुमति दी गई कि वे भारत में उठाई गई ऋण प्रतिभूतियों से प्रवर्तित ऐसी कूपन रसीदों को हेज करें जो कि अगले 12 महीनों में देय होने वाली हैं बशर्ते कि निरस्त किए गए हेज करार फिर से बुकिंग के पात्र नहीं होंगे।
17 सितंबर	भारतीय कंपनियों को उनके द्वारा देय किसी निधि के भुगतान के प्रति ईक्विटी जारी करने की अनुमति दी गई, जिसके विप्रेषण के लिए सरकार या रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं थी।
30 सितंबर	आयातकों को पिछली निष्पादन पद्धति के तहत पात्र सीमा के 100 प्रतिशत तक, वायदा करार करने की अनुमति प्रदान की गई।
20 नवंबर	सभी श्रेणी के निर्यातकों के लिए निर्यात प्रतिफलों की उगाही तथा प्रत्यावर्तन के लिए समय सीमा 9 माह निर्धारित कर दी गई।
21 नवंबर	प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई कि वे पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में एडी श्रेणी-1 बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में ईसीबी प्रतिफलों को अधिकतम छह माह तक जमा करने की अनुमति दें, जब तक कि अनुमत अंतिम उपयोग तक उनका उपयोग न हो जाए।
21 नवंबर	प्राधिकृत डीलरों और पूर्ण रूपेण मुद्रा परिवर्तकों को अनुमति दी गई कि वे पूर्ण मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) या हज/उमराह तीर्थयात्रियों के लिए भारतीय हज समिति द्वारा निर्धारित की गई नकद सीमा तक नकदी जारी कर सकते हैं।
28 नवंबर	'20:80' योजना जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि आयातित स्वर्ण के 20 प्रतिशत का निर्यात किया जाना है, को वापस ले लिया गया।
02 दिसंबर	आस्तियों का विदेश विप्रेषण करने के लिए लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई कि वे लागू करें के भुगतान के बाद विप्रेषण कर दें।
08 दिसंबर	रक्षा क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन के जरिए 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई।
08 दिसंबर	स्वचालित माध्यम से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई।
09 दिसंबर	देशी वेंचर पूंजी निधि की तर्ज पर सेबी के पास पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश निधि को विदेशों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई।
17 दिसंबर	बहुपक्षीय संगठनों जैसे कि सार्क विकास निधि (एसडीएफ), जिसका भारत भी एक सदस्य है, को भारत में प्राधिकृत डीलर बैंकों के पास खाते खोलने की अनुमति, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, प्रदान की गई।
29 दिसंबर	नियत प्राधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति दी गई कि वे किसी भारतीय पक्ष के संयुक्त उपक्रम/ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी/ एसडीएस के शेयरों पर किसी घरेलू या विदेशी उधारदाता के पक्ष में प्रभार बना सकते/उन्हें गिरवी रख सकते हैं ताकि भारतीय पक्ष अथवा उसके समूह की कंपनियों/ अनुषंगी संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं या उसके किसी संयुक्त उपक्रम/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी/एसडीएस द्वारा निधि-युक्त और/निधि-मुक्त सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सके।
01 जनवरी 2015	ईसीबी उठाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों के आधार को और व्यापक बनाया गया और इसमें अचल आस्तियों के अलावा, चल आस्तियों तथा वित्तीय प्रतिभूतियों को शामिल किया गया।
06 जनवरी	निवासी जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुषंगियां हैं उन्हें भारत में प्राधिकृत श्रेणी-1 के बैंकों के पास अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति प्रदान की गई जो कि अनिवासी समेह संस्था की गारंटी की शक्ति पर निर्भर करेगा।
22 जनवरी	एडीआर/जीडीआर के तहत निवेश के लिए एक नई योजना 'खजाना प्राप्ति योजना, 2014' की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की अपेक्षित सीमा को छोड़कर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों तथा साधारण शेयर (खजाना प्राप्ति प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 के मौजूदा दिशानिर्देशों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया।
22 जनवरी	भारत में किसी कंपनी समूह में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों तथा सीमित देयता साझेदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) के कर्मचारियों को भारत से बाहर वेतन प्रेषित करने की सुविधा प्रदान की गई।
22 जनवरी	लोगों को व्यक्तिगतरूप से ₹25000/- तक, रिजर्व बैंक के ₹100/- से अधिक के मूल्यवर्गित करेंसी नोट नेपाल या भूटान लेकर जाने की अनुमति प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
23 जनवरी	एडी बैंकों को ईसीबी, इसमें आहरण द्वारा होने वाली कमी, चुकौती की समय-सारणी, परिपक्वता की औसत अवधि तथा कुल लागत में परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
12 फरवरी	आयात का भुगतान करने के लिए एडी के पास फार्म ए-1 प्रस्तुत करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया।
12 फरवरी	ई-बिज प्लेटफार्म पर निम्नलिखित विवरणियां दर्ज करने की व्यवस्था की गई : कंपनियों द्वारा एफडीआई के अंतर्वाह की रिपोर्ट करने के लिए प्रयुक्त उन्नत विप्रेषण फार्म (एआरएफ) तथा उक्त एफडीआई अंतर्वाह के बदले में विदेशी ग्राहकों को जारी किए गए लिखतों की रिपोर्ट करने के लिए एफसीजीपीआर फार्म।
11 मार्च	मकाऊ तथा हांगकांग के नागरिकों पर भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण/अंतरण पर बंदिश लगाई गई, जो चीन के नागरिकों पर लगाई गई बंदिश के समान है।
31 मार्च	आईएफएससी में स्थापित किए गए किसी वित्तीय संस्थान या वित्तीय संस्थान की शाखा को भारत से बाहर निवासी व्यक्ति माना जाएगा।
08 अप्रैल	बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई।
30 अप्रैल	भारत से मर्चेट व्यापार के तहत अन्य देशों से नेपाल एवं भूटान के आयातकों को भेजे गए सामान को ट्रेफिक-इन-ट्रांजिट माना जाएगा, यदि भेजा जाने वाला सामान अन्यथा, क्रमशः पारवहन की भारत-नेपाल संधि तथा पारवहन की इंडो-भूटान संधि के प्रावधानों के अनुसार हो।
14 मई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के अंतःपरिवर्तन (ईडीआई) पोर्टों के माध्यम से निर्यात किए जाने की स्थिति में वस्तुओं/सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा सांविधिक घोषणा प्रपत्र (एसडीएफ) में किए जाने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया क्योंकि एसडीएफ में समाहित अनिवार्य सांविधिक अपेक्षाओं को पोत बिल प्रपत्र में शामिल कर दिया गया था।
21 मई	प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से कहा गया कि एफसीएनआर(बी) जमा खातों को बंद करने के समय प्रपत्र 2 तथा खाता धारक की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं दें।
21 मई	रुपया आहरण व्यवस्था के तहत व्यापार के लिए लेनदेन की सीमा प्रति लेनदेन ₹500,000 से बढ़ाकर ₹150,0000 कर दी गई।
01 जून	उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विप्रेषण की सीमा, विदेशी विनिमय प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची III के तहत विभिन्न सीमाओं को शामिल करते हुए, 2,50,000/- अमरीकी डॉलर की समावेशी सीमा तक बढ़ाई गई।
11 जून	अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को चिट फंडों की, गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर बिना किसी निर्धारित सीमा के, सदस्यता लेने की अनुमति प्रदान की गई। शर्त यह थी कि चिट पंजीयक ने किसी चिट फंड को ऐसी अनुमति दी हो और यह सदस्यता सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से ली गई हो। इसमें भारत स्थित किसी बैंक में धारित खाते के माध्यम से ली गई सदस्यता भी शामिल है।
18 जून	जून 2015 को समाप्त छमाही से बीईएफ ऑनलाइन और बैंक-वार जमा की जाएगी।
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
15 जुलाई 2014	बैंकों को आधारभूत संरचना एवं मूलभूत उद्यम क्षेत्र में नई परियोजनाओं को आवधिक पुनर्वितीयन विकल्प सहित संरचित दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।
15 जुलाई	बैंकों को अपने आधारभूत संरचना एवं वहनीय आवास ऋणों के पुनर्वितीयन हेतु दीर्घावधि बांड (न्यूनतम 7 वर्ष) जारी करने की अनुमति दी गई, साथ ही सीआरआर/एसएलआर तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए एएनबीसी की गणना की अनिवार्यता से भी छूट दी गई।
17 जुलाई	बैंकों को केवाईसी के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) का निर्धारण करने को कहा गया। कम जोखिम वाले ग्राहकों द्वारा खाता खोलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया।
22 जुलाई	बैंकों को, गैर-कृषिगत कार्य के लिए स्वर्ण आभूषणों एवं गहनों को गिरवी रखकर, मूलधन तथा ब्याज के एक बारगी (बुलेट) चुकौती सहित ऋण की राशि निर्धारित करने की अनुमति दी गई।
07 अगस्त	बैंकों को, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) से पूर्व-निर्धारित करार के बिना भी वर्तमान परियोजना ऋणों का पुनर्वितीयन करने तथा अपेक्षाकृत लंबी चुकौती अवधि निर्धारित करने की अनुमति दी गई। इसे वर्तमान के साथ ही साथ भार अधिग्रहण करने वाले ऋणदाताओं की बहियों में भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
14 अगस्त	जहां पर प्रारंभिक वित्तीय पूर्णता (इनिशियल फाइनेंसियल क्लोजर) में आपाती (स्टैंडबाई) ऋण सुविधा का प्रावधान नहीं हो, वहां पर बैंकों को ऋण को 'पुनर्चित आस्ति' माने बिना लागत में बढ़ोत्तरी की निधीयन करने की अनुमति प्रदान की गई।
01 सितंबर	बैंकों से, ऋण प्रस्तावों के निपटान के लिए स्पष्टरूप से प्रक्रिया निरूपित करने को कहा गया, जिसमें समुचित समय सीमाएं निर्धारित हों तथा विशिष्ट अवधि के बाद लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए उचित निगरानी प्रणाली भी हो। बैंकों से ऋण संबंधी निर्णयों को समय सीमा के अंदर संप्रेषित करने के लिए भी उचित घोषणाएं करने को कहा गया।
01 सितंबर	गैर-इक्विटी विनियामकीय पूंजी लिखतों को हासिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए बासेल III ढांचे के अंतर्गत बैंकों की, पूंजीगत लिखतों के संबंध में, विशिष्ट पात्रता शर्तों को शिथिल किया गया।
04 सितंबर	केवाईसी की शर्तों को सुसंगत बनाने के लिए क्लाइंट के संबंध में सावधानी बरतने के उपायों को और सरल बनाया गया, जिसके तहत आवधिक अद्यतन किए जाने के समय 'सकारात्मक पुष्टि' एवं भौतिक रूप से क्लाइंट के उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया।
09 सितंबर	निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें किसी विशिष्ट बैंक का बोर्ड लचीला रूख अपनाते हुए आंतरिक नीति के रूप में, एमडी एवं सीईओ सहित पूर्णकालिक निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष से कम निर्धारित कर सकता है।
09 सितंबर	जानबूझकर चूक कर्ताओं के संबंध में दिशानिर्देशों में गारंटी देने वाले, ऋण देने वाले एवं इकाई की परिभाषाएं तय की गईं।
16 अक्टूबर	परिचालनगत जोखिम के उन्नत दृष्टिकोणों के संबंध में दिशानिर्देशों के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण तथा उन्नत माप दृष्टिकोण को संशोधित किया गया।
21 अक्टूबर	केवाईसी की शर्तों को और अधिक सरल बनाया गया : 'निम्न जोखिम' ग्राहकों को आवधिक अद्यतन किए जाने के समय फिर से केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी; कोई परिवर्तन नहीं होने की दशा में स्वयं द्वारा प्रमाणीकरण पर्याप्त होगा। बारंबार अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी केवाईसी का अनुपालन नहीं करने वाले खातों के संबंध में बैंक चरणबद्ध ढंग से 'पर्सियल फ्रीजिंग' कर सकते हैं।
21 अक्टूबर	मूलधन या ब्याज के 60 दिनों से अधिक से बकाया वाले किसी खाते की विशेष उल्लेख खाता (एसएमए2) के रूप में रिपोर्ट करने; संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) बनाए जाने और स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा पुनर्चना पैकेजों के मूल्यांकन एवं सुधारात्मक कार्य-योजना के निर्धारण की समय-सीमा बढ़ाई गई।
03 नवंबर	अंतःदिवसीय (इन्ट्रा-डे) चलनिधि प्रबंध के संबंध में, बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा इस संबंध में निर्धारित मात्रात्मक टूल्स के अनुरूप निगरानी टूल्स के बारे में समापक दिशानिर्देश जारी किए गए।
20 नवंबर	बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखे जाने के लिए प्रभार लगाते समय, न्यूनतम शेष राशि रखने में हुई चूक की जानकारी ग्राहक को स्पष्टरूप से दी जानी चाहिए तथा दांडिक प्रभारों को न्यूनतम राशि में कमी की प्रेक्षित अवधि के प्रत्यक्षरूप से समानुपातिक होना चाहिए।
27 नवंबर	आधारभूत संरचना और वहनीय आवास के निधीयन के लिए, जारी किए गए बांडों तथा पात्र ऋण (ईसी) की बकाया राशि में से जो कम हो उसे निर्धारित करने के तरीके को संशोधित किया गया ताकि बांडों को जारी किए जाने की तारीख को बकाया ऋण संबंधी पूर्व की अपेक्षाओं के स्थान पर रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित प्रत्येक शुक्रवार को बकाया ऋण को हिसाब में लिया जा सके।
28 नवंबर	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना करने के लिए, सरकारी-प्रतिभूतियों में एनडीटीएल के और पांच प्रतिशत तक, जो अनिवार्य एसएलआर के अंतर्गत हो, किए जाने की अनुमति स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में प्रदान की गई। बैंकों को विशेष सुविधा 'चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा' के तहत ऐसी प्रतिभूतियों के बदले में चलनिधि सुविधा का लाभ लेने की अनुमति प्रदान की गई।
15 दिसंबर	दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लचीली पुनर्चना एवं पुनर्वितीयन अवधि संबंधी ढांचे का विस्तार आधारभूत संरचना एवं मूल उद्योगों की परियोजनाओं के वर्तमान ऋणों तक किया गया, जिसमें सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर ₹5 बिलियन से अधिक हो गया।
22 दिसंबर	असहयोगी उधारकर्ता को पुनः परिभाषित किया गया गया, जो इस प्रकार है - कोई ऐसा व्यक्ति, जो भुगतान करने की क्षमता होते हुए भी बकाया की समय पर चुकौती नहीं करते हुए ऋणदाता के साथ रचनात्मक ढंग से व्यवहार नहीं करता, मांगी गई आवश्यक जानकारी नहीं देकर बकाया वसूली के लिए ऋणदाता के प्रयासों को व्यर्थ करता हो, वित्तपोषित आस्तियों/संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध कराने से मना करता हो, प्रतिभूतियों की बिक्री में बाधाएं उत्पन्न करता हो, इत्यादि।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
08 जनवरी 2015	लिवरेज अनुपात (एलआर) की एक साथ गणना करने (पैरेलल रन) के साथ ही टिअर 1 एलआर की सार्वजनिक घोषणा किए जाने हेतु ढांचे में संशोधन किया गया। बीसीबीएस द्वारा 2017 की समाप्ति तक नियमों के निर्धारण के लंबित रहने तक किसी विशिष्ट बैंक की निगरानी 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक एलआर के अनुसार किया जाएगा।
15 जनवरी	बैंकों द्वारा किए जाने वाले बीमा कारोबार, नामतः जोखिम सहभागिता सहित बीमा कारोबार/या अभिकर्ताओं/आढ़तियों के रूप में, के संबंध में समग्र दिशानिर्देश जारी किए गए।
15 जनवरी	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चारों ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) का सदस्य बनने को कहा गया। इसके लिए सदस्यता और वार्षिक शुल्क भी निर्धारित किए गए।
19 जनवरी	बैंकों को आधार दर प्रणाली की समीक्षा पांच वर्षों के स्थान पर तीन वर्षों के बाद करने की अनुमति प्रदान की गई। वर्तमान उधारकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए गए।
05 फरवरी	प्रतिचक्रिय पूंजीगत बफर (सीसीसीबी) लागू किए जाने के संबंध में समापक दिशानिर्देश जारी किए गए। हालांकि, सीसीसीबी को परिस्थितियों की मांग के अनुसार सक्रिय किया जाएगा।
05 मार्च	मकान/निवास स्थल का मूल्य ₹1 मिलियन से अधिक नहीं होने पर बैंकों को एलटीवी अनुपात की गणना करने के लिए मकान/निवास स्थल के मूल्य में मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण तथा दस्तावेजीकरण के अन्य प्रभारों को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई।
11 मार्च	बैंकों को 26 फरवरी 2014 से पहले की गई एनपीए की एससी/आरसी को की गई बिक्री के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को उनके लाभ-हानि खाते में वापस करने की अनुमति प्रदान की गई।
13 मार्च	स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए बैंकों को गतिविधि के प्रमाण के रूप में एक दस्तावेज स्वीकार करने के विवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी गई बशर्ते वे संपर्क बिंदुओं के बारे में अपनी संतुष्टि स्तर तक पुष्टि कर लें और इस तरह के दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं रहा हो।
20 मार्च	बैंकों को प्रतिभूति प्राप्तियों की अपनी धारिता के विवरण निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक वित्तीय खातों में टिप्पणी के रूप में प्रकट करने को कहा गया।
30 मार्च	बैंकों को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए दिसंबर 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार बफर/फ्लोएटिंग प्रावधान करने हेतु 50 प्रतिशत तक प्रतिचक्रिय प्रावधान का उपयोग करने की अनुमति दी गई।
31 मार्च	बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) के अनुरूप विनियामकीय निरंतरता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी), पूंजी पर्याप्तता तथा चलनिधि विनियमन संबंधी बासेल III के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
01 अप्रैल	गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी (जीआईएफटी) में आईबीयू की स्थापना करने तथा भारत में स्थापित की जा सकने योग्य अन्य आईएफएससी की योजना तैयार तैयार की गई। योजना के तहत, आईबीयू की स्थापना कम से कम 20 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा के साथ की जाएगी।
01 अप्रैल	धोखाधड़ी होने की स्थिति में, बैंक की बकाया संपूर्ण राशि या जिसकी देयता बैंक पर है, का प्रावधान चार से अधिक तिमाहियों में नहीं किया जाना चाहिए।
06 अप्रैल	जब कोई परियोजना की शुरुआत प्राथमिकरूप से वर्तमान प्रवर्तकों की अपर्याप्तता के कारण की जाए और उसके बाद स्वामित्व में परिवर्तन हो, तो बैंक डीसीसीओ के वर्तमान विनियमों के अंतर्गत अनुमत्य विस्तार के अलावा, और दो वर्षों के लिए डीसीसीओ के विस्तार की अनुमति इस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं कि इस प्रकार की परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की आस्ति गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
06 अप्रैल	रुपया में दिए गए ऋणों का विदेशी मुद्रा में पुनर्वित्तीयन या इसके विपरीत प्रक्रिया को 'पुनर्चना' माना जाएगा यदि ऐसा पुनर्वित्तीयन ऐसे उधारकर्ता को दिया जाए जो वित्तीय कठिनाई झेल रहा हो और इसमें इस प्रकार की रियायतें दी गई हों जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता।
16 अप्रैल	बैंकों को, समयपूर्व आहरण की सुविधा के गुणों के आधार पर मीयादी जमाओं पर विशेष ब्याज दर का प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई। ₹1.5 मिलियन एवं उससे कम की व्यक्तिगत मीयादी जमा राशियों पर समयपूर्व आहरण की सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए।
14 मई	सरकारी बैंकों से कहा गया कि अपने बोर्ड के अनुमोदन से बोर्ड की कार्यसूची की मर्दें तथा उनकी आवधिकता तय करें ताकि कार्यनीति और वित्तीय महत्व के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
21 मई	एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री से दो वर्षों की अवधि के दौरान हुए नुकसान के परिशोधन के लिए अवधि का विस्तार 31 मार्च 2016 तक बिक्री की गई आस्तियों के लिए किया गया।
28 मई	निजी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि जहां तक संभव हो, पीएसबी बोर्डों द्वारा समीक्षा के कैलेंडर के संबंध में 14 मई 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करें।
28 मई	बैंकों से कहा गया कि बड़े कृषिगत सामग्री का प्रसंस्करण करने वालों, व्यापारियों, मिल वालों तथा समूहों जैसे बड़े उधारकर्ताओं को कृषिगत सामग्री के मूल्यों से संबंधित जोखिमों को हैज करने के लिए प्रोत्साहित तथा शिक्षित करें।
01 जून	निजी बैंकों को गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक अध्यक्ष के अलावा) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र क्षतिपूरक योजना तैयार करने को कहा, जिसमें क्षतिपूर्ति को लाभ से संबंधित कमीशन के रूप में कवर किया गया हो। प्रत्येक गैर-कार्यपालक निदेशक के लिए क्षतिपूर्ति ₹1 मिलियन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
01 जून	आधारभूत संरचना तथा वहनीय आवास के वित्तीयन के लिए जारी किए गए दीर्घावधि बांडों की बैंकों के बीच प्रतिधारिता की अनुमति प्रदान की गई।
08 जून	‘कार्यनीतिगत कर्ज पुनर्रचना (एसडीआर) योजना’ जारी की गई जिसमें बैंक ऋण बकाया राशि को निर्धारित मूल्यन सूत्र के अनुसार ‘उचित मूल्य’ में इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। ऐसे इक्विटी शेयर सेबी से संबंधित विनियमनों से मुक्त होंगे।
11 जून	अखिल भारतीय मीयादी ऋण तथा पुनर्वित्तीयन संस्थान (एआईएफआई) को एनपीए (एससी/आरसी को 26 फरवरी 2014 के पहले बेचे गए) की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान को अपने लाभ-हानि लेखा में वापस करने की अनुमति दी गई।
11 जून	केवाईसी के लिए बैंकों को कम-जोखिम वाले ग्राहकों से उपयोगिता बिलों, म्यूनिसिपल कर रसीद, बैंक खाता के विवरण तथा पेंशन भुगतान आदेशों जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों को आधिकारिक मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) के रूप में स्वीकार करने को कहा गया।
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	
20 अगस्त 2014	सीबीएस समर्थित यूसीबी जिनकी न्यूनतम मूल्यांकित निवल मालियत ₹500 मिलियन हो, जो एफएसडब्लूएम शर्तों को पूरा करते हों तथा उनका विनियामकीय अनुपालन का अच्छा रिकॉर्ड हो, उनको रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति बगैर साइट पर/ साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने की अनुमति प्रदान की गई।
03 सितंबर	अधिग्रहण करने वाले वाणिज्य बैंकों को यूसीबी के विलय/आस्तियों और देयताओं के अंतरण से हाने वाले किसी भी प्रकार की हानि वहन नहीं करना चाहिए और ₹0.1 मिलियन से अधिक जमाराशि धारित करने वाले प्रत्येक जमाकर्ता को लक्षित बैंक की जमाराशि में कमी को समानुपातिक ढंग से वहन करना होगा।
13 अक्टूबर	सीबीएस को लागू करने के बाद उसे छोड़कर आईपीवी6 को अपनाते वाले सभी यूसीबी को इंटरनेट बैंकिंग (सिर्फ देखना) की सुविधा दी गई।
13 अक्टूबर	यूसीबी के लिए एफएसडब्लूएम शर्तों को संशोधित करते हुए साइट पर/साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने, वार्षिक कारोबारी योजना (एबीपी) के अंतर्गत आवेदन करने, कारोबारी क्षेत्र का विस्तार करने तथा स्थान बदलने के लिए सीबीएस को एक अतिरिक्त शर्त के रूप में जोड़ा गया।
29 अक्टूबर	आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी के साथ समझौता करके यूसीबी को पीएएन सर्विस ऐजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
29 अक्टूबर	आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी के साथ समझौता करके यूसीबी को पीएएन सर्विस ऐजेंट (पीएसए) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
30 अक्टूबर	यूसीबी द्वारा एक बारगी (बुलेट) चुकौती योजना के अधीन स्वर्ण ऋण मंजूर करने की अधिकतम सीमा को ₹0.1 मिलियन से बढ़ाकर ₹0.2 मिलियन किया गया।
30 अक्टूबर	जहां कहीं पर भी लोगो/ब्रांड तैयार करने के लिए यूसीबी का संक्षिप्त नाम/संक्षेपाक्षर प्रयोग किया जाता हो, वहां पर उस बैंक के रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत पूर्ण नाम को प्रमुखता से दर्शाया जाना चाहिए।
05 नवंबर	यूसीबी, पीएमएल अधिनियम, 2012 के अधीन अनिवार्यताओं के अनुपालन हेतु वरिष्ठ प्रबंध या उसके समतुल्य पद धारित करने वाले वाले व्यक्ति को ‘नामित निदेशक’ के रूप में नामित कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी मामले में मुख्य अधिकारी को ‘नामित निदेशक’ के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
13 नवंबर	यूसीबी को चेक प्रस्तुत करने/पास करने तथा लेखा निगरानी की समीक्षा करने और नियंत्रण मजबूत करने को कहा गया।
27 नवंबर	यूसीबी की अनियमितताओं/कमियों को प्रारंभिक स्तर पर ठीक करने के लिए विनियामकीय कार्ययोजना के ढांचे में संशोधन किया गया। संशोधित मानदंड में सकल एनपीए अनुपात के 10 प्रतिशत से अधिक होने, विनियामकीय पूंजी के 9 प्रतिशत से कम हो जाने, जमा-ऋण अनुपात का 70 प्रतिशत से अधिक हो जाने या जब यूसीबी लगातार दो वर्षों से हानि में रहा हो अथवा हानियों का जमाव हो रहा हो जैसे किसी भी सतर्कता बिंदु के भंग होने की स्थिति में पाबंदी लगाने/सुधारात्मक कदम उठाने की व्यवस्था है।
07 जनवरी 2015	यूसीबी को ₹10 मिलियन या अधिक से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित करने को कहा गया। हालांकि, लेखापरीक्षा समिति बोर्ड (एसीबी) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी सामान्यतः जारी रखेगी।
08 जनवरी	राज्य सहकारी बैंको/सीसीबी द्वारा एक बारगी (बुलेट) चुकौती योजना के तहत मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि को ₹0.1 मिलियन से बढ़ाकर ₹0.2 मिलियन किया गया।
29 जनवरी	सहकारी बैंकों को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने और सीआईसी को ऐतिहासिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया।
16 अप्रैल	निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को उनकी आवश्यकता और उनके कार्यक्षेत्र में क्षमता के अनुसार, रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना, साइट पर/साइट से परे/मोबाइल एटीएम खोलने की अनुमति दी गई।
30 अप्रैल	वित्तीयरूप से मजबूत तथा सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) अनुसूचित यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित भी हों और जिनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹1 बिलियन हो, उनको प्राधिकृत संस्थाओं के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।
05 मई	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत कार्य नहीं करने वाले प्राथमिक यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित हों और उनके पास सीबीएस/हैंड हेल्ड डिवाइसों में आवश्यक मॉड्यूल तैयार करने की क्षमता हो, को 31 मई 2015 तक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) प्रारंभ करने और इन योजनाओं में शामिल होने को कहा गया।
07 मई	संशोधित निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले राज्य सहकारी बैंकों को शाखाएं/ विशेषीकृत शाखाएं/विस्तार केंद्र खोलने/शाखाओं का स्थान परिवर्तित करने/विस्तार केंद्रों को पूर्ण शाखाओं में उन्नयन करने के पूर्वानुमोदन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।
14 मई	धोखाधड़ी के सभी मामलों में एकसमान प्रावधानीकरण मानदंडों का निर्धारण किया गया। ऐसी संपूर्ण राशि, जो बैंक की बकाया हो या जिसकी देयता बैंक पर हो, का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसकी अवधि चार तिमाही से अधिक नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को किए जाने में निर्धारित समय से अधिक विलंब होता है तो संपूर्ण राशि के लिए प्रावधान एक ही बार में किए जाने की आवश्यकता होगी।
25 मई	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत कार्य नहीं करने वाले प्राथमिक यूसीबी, जो सीबीएस समर्थित हों और उनके पास सीबीएस/हैंड हेल्ड डिवाइसों में आवश्यक मॉड्यूल तैयार करने की क्षमता हो, को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने को कहा गया।
गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग	
10 जुलाई 2014	जमा खाता खोलने के समय या आवधिक अद्यतन किए जाने के समय ग्राहकों को पते का सिर्फ एक दस्तावेजी प्रमाण (वर्तमान या स्थायी) की आवश्यकता होगी।
14 जुलाई	एनबीएफसी से कहा गया कि व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से परिवर्तनशील दर वाले मीयादी ऋणों के समयपूर्व भुगतान पर दंडिक प्रभार नहीं लगाए जाएं।
14 जुलाई	केवाईसी सत्यापन के लिए ई-केवाईसी जांच प्रक्रिया को मान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि धन-शोधन (दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2005 के तहत केवाईसी अपेक्षाओं के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में उपलब्ध जनांककीय विवरण एवं फोटोग्राफों को 'आधिकारिक मान्य दस्तावेज' माना जाएगा।
25 जुलाई	एनबीएफसी से कहा गया कि जहां कहीं भी प्रयोज्य हो वहां वैश्विक मध्यस्थता पहचान संख्या (जीआईआईएन) प्राप्त करें।
01 अगस्त	एनबीएफसी से कहा गया कि जब कभी भी आवश्यकता हो, विशेष जांच दल (एसआईटी) को अपेक्षित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
05 अगस्त	प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्रचना कंपनियों (एससी/आरसी) से अपेक्षा थी कि प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) के शोधन होने तक उनके द्वारा जारी प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक योजना की प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा निवेश करें। प्रबंध शुल्क की गणना की जानी चाहिए और गणना उस पर न्यूनतम निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए जिसका निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया गया हो (वर्तमान में बकाया एसआर के प्रतिशत के स्थान पर)। किंतु प्रबंध शुल्क अंतर्निहित परिसंपत्ति के अधिग्रहण मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) को भी संयुक्त उधारदाता फोरम का सदस्य होना चाहिए। एआरसी को अपनी वेबसाइट में तिमाही अंतराल पर इरादतन चूककर्ताओं के वाद दाखिल खातों (सूट फाइलड एकाउंट्स) की सूची प्रदर्शित करना चाहिए।
07 अगस्त	प्रत्येक एससी/आरसी से कम से कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनने और सीआईसी को उधारकर्ताओं के आवधिक परिशुद्ध आंकड़े/वृत्तांत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।
08 अगस्त	बंधक जमानत लेने वाली कंपनियों (मॉर्टगेज गारंटी कंपनियों) से संबंधित विनियामकीय ढांचे में संशोधन किए गए।
12 अगस्त	₹10 बिलियन और अधिक आस्ति आकार वाली जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार में व्यापारी सदस्य के रूप में सहभागिता करने की अनुमति प्रदान की गई।
25 सितंबर	एनबीएफसी को अपनी निर्धारित जमा राशियों की रेटिंग के लिए एसएमईआर की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई।
10 नवंबर	एनबीएफसी-एनडी के लिए प्रणालीगत महत्व को निर्धारित करने की सीमा को संशोधित कर ₹1 बिलियन के स्थान पर ₹5 बिलियन कर दिया गया। एनबीएफसी-एनडी-एसआई तथा सभी एनबीएफसी-डी के लिए और कठोर विवेकपूर्ण मानक निर्धारित किए गए।
10 नवंबर	एनबीएफसी-फैक्टरों के लिए मुख्य कारोबारी शर्त को फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अनुरूप, 75:75 से बदलकर 50:50 कर दिया गया।
01 दिसंबर	सरकार द्वारा 'धन-शोधन निवारण (दस्तावेजों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2013' लाए जाने के बाद केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए गए।
02 जनवरी 2015	विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए केवाईसी अनुपालन के अद्यतन करने में सावधानियों/प्रक्रिया को संशोधित किया गया, जिसमें तृतीय पक्षकार द्वारा सत्यापन की भी मंजूरी प्रदान की गई।
16 जनवरी	वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तन और परिणामस्वरूप होने वाले पुनर्भूतान कार्यक्रम में होने वाले परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि आधारभूत संरचना तथा गैर-आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं की डीसीसीओ में परिवर्तन क्रमशः दो वर्षों और एक वर्ष के अंदर हो।
19 जनवरी	आधारभूत संरचना तथा मूलभूत उद्योगों को दिए जाने वाले नए मीयादी ऋणों की लचीली पुनर्रचना करना और पुनर्विचिनीय की अनुमति दी गई।
28 जनवरी	मूल निवेश कंपनियों, प्राथमिक डीलरों के रूप में पंजीकृत एनबीएफसी एवं किसी ग्राहक इंटरफेस के बिना पूर्णतः निवेश संबंधी गतिविधियां करने वाली एनबीएफसी को सीआईसी का सदस्य बनने संबंधी अपेक्षा से छूट दी गई।
06 फरवरी	ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा.लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए दीर्घावधि सावधि जमा उत्पादों के लिए न्यूनतम निवेश श्रेणी को एफबीबीबी के समतुल्य बनाए जाने को कहा गया।
06 फरवरी	ऋण देने वाली संस्थाओं का सभी सीआईसी का सदस्य बनना अनिवार्य किया गया।
20 फरवरी	दो समूहों में वर्गीकृत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए जाने के साथ निजी स्थानन के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। दो समूह इस प्रकार हैं - (ए) प्रत्येक निवेशक का अभिदान ₹20,000 से ₹10 मिलियन हो और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 अभिदाता हो सकते हैं जो पूर्णतः प्रतिभूतिकृत हों, तथा (बी) कम से कम ₹10 मिलियन या अधिक की अभिदान राशि हो और अभिदाताओं की संख्या असीमित हो तथा प्रतिभूति तैयार करने की आवश्यकता उनके बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार हो।
24 फरवरी	एससी/आरसी के शेयर धारिता के ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी : शेयरों का अंतरण जिसमें अंतरणकर्ता प्रायोजक बन जाता है; शेयरों का अंतरण जिसमें अंतरणकर्ता प्रायोजक नहीं रह जाता; एवं पंजीयन प्रमाणपत्र की तारीख से पांच वर्षों में प्रायोजक द्वारा कुल चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत या अधिक का सकल अंतरण किया गया हो।
16 मार्च	एनबीएफसी भी वरिष्ठ प्रबंध या समतुल्य पद धारित करने वाले व्यक्ति को नामित निदेशक के रूप में नामित कर सकती हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
08 अप्रैल	एनबीएफसी-एमएफआई के लिए, शिक्षा/चिकित्सा व्यय को छोड़कर किसी उधारकर्ता की कुल कर्ज की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹100,000 कर दी गई। ग्रामीण हाउसहोल्ड उधारकर्ता, जिसकी वार्षिक आय ₹100,000 से अधिक न हो या शहरी एवं अर्द्ध-शहरी हाउसहोल्ड उधारकर्ता जिसकी आय ₹160,000 से अधिक न हो, को प्रदान किए गए ऋणों को अहर्ताप्राप्त आस्ति के रूप में शामिल किया गया।
10 अप्रैल	सूचीबद्ध शेयरों के संपार्श्विक के बदले उधार देने वाली एनबीएफसी को एलटीवी (मूल्य की तुलना में ऋण) अनुपात 50 प्रतिशत बनाए रखने और जहां उधार पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए दी गई हो वहां पर ₹0.5 मिलियन से अधिक मूल्य के ऋणों के लिए सिर्फ समूह 1 की प्रतिभूतियों (जैसा सेबी निर्धारित करे) को स्वीकार करने को कहा गया।
10 अप्रैल	कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी परिष्कृत दिशानिर्देशों को एनबीएफसी-एन एवं जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर लागू किया गया।
30 अप्रैल	एनबीएफसी द्वारा म्यूचुअल फंड उत्पाद वितरण किए जाने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमोदन संबंधी आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
30 अप्रैल	एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते खोलने के लिए एनबीएफसी को गतिविधि के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों में से सिर्फ एक को स्वीकार करने के विवेकाधिकार प्रदान किए गए।
07 मई	बीआईएफआर/सीडीआर/जेएलएफ द्वारा अनुमोदित/जिनका अनुमोदन किया जाना है, वाले प्रस्तावों को की पुनर्चना के लिए एससी/आरसी को अन्य प्रतिभूतिकृत उधारकर्ताओं के साथ ही समाप्त होने वाली समाधान अवधि (रिजोल्यूशन पीरियड) को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई।
14 मई	जिन क्षेत्रों में परियोजना प्राधिकारी की बिल्कुल उपलब्धता नहीं है वहां पर आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए आधारभूत कर्ज निधि (आईडीएफ) के संबंध में जारी निदेशों में संशोधन किया गया। आईडीएफ-एनबीएफसी एवं आधारभूत संरचना वित्त कंपनियों द्वारा धारित बांडों पर लागू होने वाले जोखिम भार को सभी एनबीएफसी पर लागू किया गया।
21 मई	स्वर्ण आभूषणों के लिए एलटीवी अनुपात की गणना करने हेतु बांबे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के साथ ही साथ फारवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा विनियमित पण्य विनियम की दरों का भी प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई।
25 जून	एनबीएफसी-एनडी को एमटीएसएस के तहत रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा के बिना उप-अधिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
01 जुलाई 2014	धोखाधड़ी के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली निर्धारित की गई, जिसमें पहले के अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया।
05 सितंबर	दबाव की परिस्थितियों में संभाव्य चलनिधि व्यवधानों के प्रति लचीलेपन पर निगरानी रखने के लिए बैंकों के लिए चलनिधि विवरणियों का निर्धारण किया गया।
05 नवंबर	चेक से संबंधित धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु उपाय किए गए।
15 दिसंबर	बैंकों से ‘‘छत्र/झांसा देने वाले ग्राहकों’’ का प्रयोग करने एवं केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मानदंडों के अनुपालन की जांच करने के लिए औचक जांच किए जाने को कहा गया।
04 मार्च 2015	रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा के मद्देनजर बैंकों को अनुपालन जांच तथा समीक्षा संरचना सहित समग्र अनुपालन योजना लागू करने को कहा गया।
07 मई	बैंकों को, धोखाधड़ी की प्रारंभिक अवस्था में पहचान और रिपोर्ट करने, धोखाधड़ी उधारकर्ताओं के लिए दांडिक उपाय करने के विषयों पर विचार करने वाले आंतरिक कार्य-दल की अनुशंसाओं के आधार पर, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध से संबंधित ढांचे का अनुपालन करने को तथा अन्य बातों के साथ ही प्रारंभिक अवस्था में चेतावनी संकेतकों एवं रेड फ्लैग खतों की संकल्पना की शुरुआत करने को कहा गया।
04 जून	बैंकों से कहा गया कि आगे से, समवर्ती लेखापरीक्षक, जो निर्धारित सीमा से नीचे की शाखाओं के सनदी लेखाकार होते हैं, अपनी लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) सिर्फ बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करें और उसके बाद बैंक ऐसी सभी एलएफएआर को समेकित करके सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक को बैंक के आंतरिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करेगा।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग	
03 दिसंबर 2014	बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों को समाहित करते हुए ग्राहक के अधिकारों का चार्टर जारी किया गया।
11 फरवरी 2015	चार्टर लागू किए जाने की स्थिति की निगरानी हेतु बैंक के बोर्ड द्वारा समीक्षा किए जाने अलावा रिजर्व बैंक भी इस पर नजर रखेगा।
11 मई	सरकारी बैंकों, चुनिंदा निजी एवं विदेशी बैंकों को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी अर्थात आंतरिक ओम्बड्समैन नियुक्त करने को कहा गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
15 दिसंबर 2014	स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम (स्टैंडअलोन) प्राथमिक डीलरों (पीडी) से संबंधित परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा के एनओएफ को, 31 दिसंबर 2014 से, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार पहले जैसे 100 प्रतिशत कर दिया गया। बाजार में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण सितंबर 2013 में इसे 200 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
मुद्रा प्रबंध विभाग	
31 दिसंबर 2014	2005 से पहले छापे गए बैंक नोटों को बदलने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 से बढ़ाकर 30 जून 2015 कर दी गई।
03 फरवरी 2015	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया कि मुद्रा प्रबंध हेतु, चिह्नित जिलों में लीड बैंक योजना को एक और वर्ष तक प्रायोगिक तौर पर जारी रखें और नोडल बैंकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करें।
17 अप्रैल	बैंकों द्वारा करेंसी चेस्ट खोलने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया के स्थान पर युक्तिसंगत/सरल बनाया गया है। अब, निर्धारित शर्तों के अधीन सिर्फ एक बार अंतिम अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
26 जून	2005 से पहले छापे गए बैंक नोटों को बदलने की समय सीमा 30 जून 2015 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दी गई।
भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग	
14 अगस्त 2014	अन्य बैंकों के एटीएम से मुफ्त लेनदेन की अधिकतम संख्या को युक्तिसंगत बनाते हुए पांच के स्थान पर तीन किया गया और छह मैट्रो केंद्रों में स्वयं के बैंक के एटीएम लेनदेन को पांच निर्धारित किया गया।
22 अगस्त	भारत स्थित बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्डों का प्रयोग देश के भीतर कार्ड रहित भुगतान करने के लिए किए जाने पर ऐसे लेनदेन भारत स्थित बैंक के माध्यम से किए जाने चाहिए और भुगतान भारतीय मुद्रा में ही किया जाना चाहिए।
28 नवंबर	भारत बिल भुगतान प्रणाली के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए जिसके कारण स्थान को ध्यान में रखे बिना ग्राहकों द्वारा बिल भुगतानों के लिए अखिल भारतीय संपर्क बिंदुओं की स्थापना की जा सके।
03 दिसंबर	पीपीआई से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं - पूर्ण केवाईसी सहित पीपीआई के मूल्य में बढ़ोत्तरी करना, उपहार कार्डों की वैधता अवधि में वृद्धि करना, आश्रितों/परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न पीपीआई जारी करने की अनुमति प्रदान करना, यात्रा पर आए विदेशी नागरिकों/एनआरआई के लिए रुपया में मूल्यवर्गित पीपीआई जारी करना।
03 दिसंबर	एमएसएमई के लिए तीव्र एवं दक्ष वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराने हेतु टीआरआईडीएस की स्थापना के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
04 दिसंबर	मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं, यथा प्रक्रियाओं का और अधिक मानकीकरण करना, नामांकन के विकल्प तथा समय, एमपीआईएन (एमपिन) जेनेरेट करने करने की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों/प्रणालियों का अपनाए जाने, उपभोक्ता शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, को अपनाए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए।
05 दिसंबर	डब्लूएलए में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्डों को स्वीकार करने की अनुमति दी गई, डब्लूएलए में अंतरराष्ट्रीय कार्डों के लिए तीव्र मुद्रा अंतरण (डायनेमिक करेंसी कनवर्जन) की सुविधा तथा नगद की आपूर्ति के लिए अन्य वाणिज्य बैंकों से गठबंधन करने की भी सुविधा प्रदान की गई।

घोषणा की तारीख	नीतिगत उपाय
15 दिसंबर	आरटीजीएस के कारोबारी घंटों को कार्य दिवसों में बढ़ाकर - 8:00 से 20:00 बजे तक तथा शनिवार को 8:00 से 15:30 बजे तक कर दिया गया।
02 जनवरी 2015	प्राधिकृत संस्थाओं से कहा गया कि उत्पादों के संबंध में सार्वजनिक सूचना में प्राधिकृत संस्था का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
16 जनवरी	किसी संस्था को पीएसएस अधिनियम के तहत प्राधिकृत किए जाने के लिए 'निवल मालियत' की गणना के संबंध में निर्देश जारी किए गए।
07 मई	01 सितंबर 2015 से, जारी किए जाने वाले सभी कार्डों - डेबिट या क्रेडिट, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, सभी में ईवीएम चिप होनी चाहिए और उनमें पिन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
14 मई	संपर्क-रहित कार्ड का प्रयोग करते हुए कार्ड के साथ कम मूल्य के लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त पुष्टिकरण घटक की आवश्यकता में ढील दी गई।

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था					
I.1 बाजार मूल्य में जीडीपी (%परिवर्तन)	8.8	7.0	5.1	6.9	7.3
I.2 बेसिक मूल्य में जीवीए (%परिवर्तन)	8.7	6.7	4.9	6.6	7.2
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	248.8	257.1	265.0	252.7
I.4 क) खाद्य स्टॉक (मार्च अंत में मिलियन टन)	18.6	50.1	59.8	49.5	41.3
ख) खरीद #	39.3	61.3	72.2	56.9	58.0
ग) उठाव	41.5	57.0	65.9	59.8	56.0
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (%परिवर्तन)	11.2	3.5	1.1	-0.1	2.8
I.6 आठ मूल उद्योगों का सूचकांक (%परिवर्तन)	5.9	5.8	6.5	4.2	3.8
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान मूल्य में जीएनडीआई का %)	32.4	31.4\$	31.1	30.0	...
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान मूल्य में जीडीपी का %)	33.6	35.8\$	36.6	32.3	...
II. मूल्य					
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	10.2	9.5	5.9
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	10.4	9.7	6.3
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)	5.5	7.1	7.4	6.0	2.0
III. मुद्रा और ऋण					
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	6.2	14.4	11.3
III.2 व्यापक मुद्रा (एम3) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	13.6	13.4	10.8
III.3 क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक की समग्र जमा राशि (%परिवर्तन)	20.2	15.0	14.2	14.1	10.7
ख) अनुसूचित वाणिज्य बैंक का बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	14.1	13.9	9.0
IV. वित्तीय बाजार					
IV.1 ब्याज दर (%)					
क) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	8.1	8.3	8.0
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	8.2	8.4	8.3
ग) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल			8.2	8.9	8.5
घ) केंद्र सरकार के उधार पर भारित औसत ब्याज दर			8.4	8.4	8.5
ड.) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	9.2	9.3	8.8
च) जमाराशि प्रमाणपत्र # #	8.9	8.2	9.0	9.2	8.7
IV.2 चलनिधि (₹ बिलियन)					
क) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)~	-1,236.4	-2,179.9	-1,938.8
ख) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) ~~	0.0	0.0	0.0
ग) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	184.9	255.3	323.6	302.3	255.7
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार \$ \$	77.1	241.4	325.1	429.0	501.2
ड.) परिवर्ती रिपो दर*				1,200.2	1,628.7
च) मार्जिनल स्थायी सुविधा*			70.0	737.4	416.4
V. सरकारी वित्त					
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)@					
क) कुल राजस्व प्राप्तियाँ	9.8	9.0	8.8	8.9	8.8
ख) पूंजी लागत	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3
ग) कुल व्यय	14.7	14.7	14.1	13.7	13.1
घ) सकल राजकोषीय घाटा	3.6	5.3	4.9	4.4	4.0
V.2 राज्य वित्त @@					
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)**	0.4	0.0	-0.2	0.1	0.1
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)**	2.7	2.2	2.0	2.2	2.9
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)**	0.3	0.6	0.5	0.7	1.3

परिशिष्ट सारणी I : समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन					
क) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	-1.0	3.9	-0.6
ख) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	0.5	-7.2	-1.1
ग) व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-5.4	-8.9	-10.7	-7.9	-7.0
घ) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.1	5.7	5.9	6.1	5.7
ज) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.2	-4.8	-1.7	-1.3
च) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.6	3.7	4.9	2.6	4.4
छ) रिजर्व परिवर्तन (बीओपी आधार पर) (बिलियन अमरीकी \$) [(वृद्धि(-)/कमी(+))]	-40.3	-6.6	-3.8	-15.5	-61.4
VI.2 बाह्य ऋण सूचकांक					
क) बाह्य ऋण स्टाक (बिलियन अमरीकी \$)	156.5	359.0	409.4	446.3	475.8
ख) ऋण- जीडीपी अनुपात (%)	17.7	20.9	22.3	23.6	23.8
ग) रिजर्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	7.0	7.8	8.9
घ) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	14.8	21.4	23.6	20.5	17.8
ज) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)(अवशिष्ट परिपक्वता)	37.6 ^{^^}	41.9	44.2	39.6	38.9
च) ऋण सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	5.9	5.9	7.5
छ) रिजर्व की तुलना में ऋण (%)	116.9	82.1	71.3	68.2	71.8
VI.3 उदारता सूचकांक (%)					
क) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.4	40.2	44.1	41.9	37.9
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	40.8	52.2	56.4	54.1	49.4
ग) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	46.6	58.3	62.6	60.6	55.4
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	36.8	49.5	46.5	52.0	49.1
ज) चालू प्राप्तियाँ और भुगतान और पूंजी प्राप्तियाँ और भुगतान/ जीडीपी	83.5	107.7	109.1	112.6	104.4
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
क) विनिमय दर (रुपये/ अमरीकी डालर)					
अवधि के अंत में	43.1	51.1	54.4	60.1	62.6
औसत	44.1	51.2	54.4	60.5	61.1
ख) 36-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1 [^]	0.8	-4.3	-2.2	5.5
ग) 36-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7 [^]	-4.9	-10.4	-7.7	2.4
घ) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	4.4 [^]	1.8	-3.3	-3.7	6.4
ज) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.6 [^]	-5.4	-10.5	-10.4	1.3

.. : उपलब्ध नहीं \$: चार वर्ष का औसत
 \$\$: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आउटराइट व्यापार टर्नओवर(कैलेंडर दिनों पर आधारित)
 # : चावल और गेहूँ की खरीद संबंधित बाजार वर्ष पर आधारित है।
 ## : 'कालम 2' के लिए डाटा 13 अप्रैल 2007 से 28 मार्च 2008 से संबंधित है।
 ~ : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा(ऋणात्मक अर्थात् अन्तर्वेशन)।
 ~ ~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार तक का बकाया
 * : 31 मार्च तक का बकाया
 ** : 2013-14 से आंकड़ें अंतिम हैं और 25 राज्य के बजट से संबंधित हैं।
 @ : 2014-15 के लिए केन्द्र सरकार के आंकड़ें अंतिम लेखा से संबंधित हैं।
 @@ : 2014-15 के लिए राज्य सरकार के आंकड़ें संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
 ^ : 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत
 ^^ : मार्च 2008 को समाप्त से संबंधित

टिप्पणी : 1. कालम 2 और 3 में जीडीपी पुरानी श्रृंखला पर आधारित है अर्थात्, आधार: 2004-05, अन्य कालम में जीडीपी नई श्रृंखला पर आधारित है अर्थात् आधार: 2011-12
 2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सीपीआई पर आधारित है।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद
की वृद्धि दरें और संरचना
(2011-12 की मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				हिस्सा		
	औसत 2012-13 से 2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल देशी उत्पाद के व्यय का हिस्सा							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	6.0	5.5	6.2	6.3	57.9	57.5	57.0
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	5.5	1.7	8.2	6.6	10.8	10.9	10.9
3. सकल नियत पूंजी निर्माण	2.4	-0.3	3.0	4.6	31.9	30.7	30.0
4. स्टाक में परिवर्तन	-8.0	-6.2	-21.4	3.7	2.2	1.6	1.5
5. मूल्यवान वस्तुएं	-6.7	3.3	-48.7	25.3	2.8	1.4	1.6
6. निवल निर्यात	28.8	-3.3	69.0	20.7	-6.4	-1.8	-1.4
क) निर्यात	4.4	6.7	7.3	-0.8	24.6	24.7	22.9
ख) कम आयात	-1.5	6.0	-8.4	-2.1	31.0	26.6	24.2
7. विसंगतियाँ	-185.5	-162.9	-139.7	-253.9	0.8	-0.3	0.4
8. सकल देशी उत्पाद	6.4	5.1	6.9	7.3	100.0	100.0	100.0
जीवीए पर बेसिक मूल्य (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	1.7	1.2	3.7	0.2	17.7	17.2	16.1
जिसमें से :							
कृषि	2.6*	1.2	3.9	...	15.4	15.0	...
2. उद्योग	5.7	5.1	5.3	6.6	23.7	23.4	23.3
जिसमें से :							
क) खनन और उत्खनन	2.5	-0.2	5.4	2.4	3.0	3.0	2.9
ख) विनिर्माण	6.2	6.2	5.3	7.1	18.3	18.1	18.1
ग) बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	5.6	4.0	4.8	7.9	2.4	2.3	2.3
3. सेवाएं	7.8	6.0	8.1	9.4	58.6	59.4	60.6
जिसमें से :							
क) विनिर्माण	1.0	-4.3	2.5	4.8	8.6	8.3	8.1
ख) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	10.5	9.6	11.1	10.7	18.0	18.8	19.4
ग) वित्तीय, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	9.4	8.8	7.9	11.5	19.5	19.7	20.5
घ) सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	6.6	4.7	7.9	7.2	12.5	12.6	12.6
4. जीवीए पर बेसिक मूल्य	6.2	4.9	6.6	7.2	100.0	100.0	100.0

.. : उपलब्ध नहीं

* : वर्ष 2014-15 के लिए 'कृषि' के उप क्षेत्र के लिए संपूर्ण आंकड़े सीएसओ द्वारा प्रकाशित किये जाने हैं, अतः यह 2012-13 और 2013-14 से संबंधित औसत होगा।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 3 : मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारत) **	ग्रामीण			शहरी			सम्मिलित		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	10.1	9.6	6.2	10.4	9.4	5.7	10.2	9.5	5.9
खाद्य और पेय	11.8	11.2	6.6	12.1	11.0	6.4	11.9	11.1	6.5
आवास	11.3	10.4	6.9	11.3	10.4	6.9
ईंधन और बिजली	7.9	7.4	5.1	9.7	7.3	2.7	8.5	7.4	4.2
विविध	7.2	6.7	4.9	7.5	7.0	4.2	7.3	6.8	4.6
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	8.0	7.3	5.8	9.4	8.6	5.5	8.7	8.1	5.6
अन्य मूल्य सूचकांक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. शोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)									
सभी वस्तुएँ	6.6	4.7	8.1	3.8	9.6	8.9	7.4	6.0	2.0
प्राथमिक वस्तुएँ	9.6	8.3	11.0	12.7	17.7	9.8	9.8	9.8	3.0
जिनमें से : खाद्य वस्तुएँ	9.6	7.0	9.1	15.3	15.6	7.3	9.9	12.8	6.1
ईंधन और ऊर्जा	6.5	0.0	11.6	-2.1	12.3	14.0	10.3	10.2	-0.9
विनिर्मित उत्पाद	5.7	4.8	6.2	2.2	5.7	7.3	5.4	3.0	2.4
खाद्यान्न से हतर विनिर्मित उत्पाद	5.7	5.0	5.7	0.2	6.1	7.3	4.9	2.9	2.4
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) (2001=100)	6.7	6.2	9.1	12.4	10.4	8.4	10.4	9.7	6.3
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	9.2	8.4	12.3	15.2	9.9	6.3	11.9	12.3	6.5
3. सीपीआई- कृषि श्रमिक (1986-87=100)	7.8	7.5	10.2	13.9	10.0	8.2	10.0	11.6	6.6
4. सीपीआई- ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	7.5	7.2	10.2	13.8	10.0	8.3	10.2	11.5	6.9
मुद्रा और ऋण									
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आरक्षित मुद्रा	23.9	31.0	6.4	17.0	19.1	3.6	6.2	14.4	11.3
संचलन में मुद्रा	17.3	17.2	17.0	15.7	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3
आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियाँ	45.6	66.5	-11.3	21.0	20.2	-15.9	-10.0	34.0	8.3
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	17.1	19.4	9.0	18.2	10.0	6.0	9.2	8.5	11.3
व्यापक मुद्रा (एम3)	21.7	21.4	19.3	16.9	16.1	13.5	13.6	13.4	10.8
मुद्रा - जमा अनुपात	17.1	16.5	16.1	15.9	16.3	16.1	15.7	15.1	15.2
मुद्रा गुणक *	4.7	4.3	4.9	4.8	4.7	5.2	5.5	5.5	5.5
जीडीपी/एम3* [§]	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्य बैंक									
कुल जमा राशियाँ	23.8	22.4	19.9	17.2	15.9	13.5	14.2	14.1	10.7
बैंक ऋण	28.1	22.3	17.5	16.9	21.5	17.0	14.1	13.9	9.0
खाद्येतर ऋण	28.6	23.0	17.8	17.1	21.3	16.8	14.0	14.2	9.3
ऋण-जमा अनुपात	73.9	73.9	72.4	72.2	75.7	78.0	77.9	77.8	76.6
ऋण-जीडीपी अनुपात [§]	45.0	47.4	49.3	50.1	50.6	52.2	52.7	52.8	52.1

...: उपलब्ध नहीं. *: अनुपात. \$:2011-12 से आगे जीडीपी के आंकड़े नई सिरीज पर आधारित हैं अर्थात्, आधार: 2011-12.

**: 2012-13 और 2013-14 के लिए आधार 2010= 100,और 2014-15 के लिए आधार 2012=100.

टिप्पणी: जब तक विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया जाता अन्यथा वर्ष-दर-वर्ष आंकड़ों के प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणी 4: प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार

(राशि ₹ बिलियन में)

मदें	2013-14		2014-15	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
अ. विवरण-पत्र एवं अधिकार-पत्र निर्गम*				
1. निजी क्षेत्र (क + ख)	70	116.8	86	170.6
ख) वित्तीय	26	60.6	29	83.6
क) गैर-वित्तीय	44	56.2	57	87.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	20	439.7	3	24.5
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5	105.7
ख) सरकारी कंपनियां	1	37.0
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	14	297.0	3	24.5
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	90	556.5	89	195.1
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	55	132.7	64	97.9
(ii) ऋण	35	423.8	25	97.1
जारीकर्ता के प्रकार				
(क) आई.पी.ओ.	38	12.4	46	30.4
(ख) सूचीबद्ध	52	544.1	43	164.6
आ. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं.जी.डी.आर.)	1	1.2	2	95.9
इ. निजी स्थानन &				
1. निजी क्षेत्र (क+ ख)		1,213.3		2,770.2
क) वित्तीय		875.3		1,838.4
ख) गैर-वित्तीय		338.0		931.8
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ ख)		2,778.5		1,694.7
क) वित्तीय		1,802.7		1,349.8
ख) गैर-वित्तीय		975.9		344.8
3. कुल (1+2, i+ii)		3,991.8		4,464.8
(i) इक्विटी		272.1		286.0
(ii) ऋण		3,719.7		3,761.4
ई. अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन \$	17	136.6	51	291.0
उ. म्यूच्युअल फंड संग्रहण (निवल) #		537.8		1,032.9
1. निजी क्षेत्र		488.4		1,037.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र		49.4		-4.1
II. द्वितीयक बाजार				
बीएसई				
बीएसई सूचकांक: समाप्ति-अवधि		22,386.3		27,957.5
अवधि का औसत		20,120.1		26,556.5
कीमत अर्जन अनुपात@		18.3		19.1
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण(%) @@		65.4		80.9
नकदी खंड का कुल कारोबार		5,216.6		8,548.4
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		92,194.3		203,627.4
एनएसई				
एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी: समाप्ति-अवधि के लिए		6,704.2		8,491.0
अवधि का औसत		6,009.5		7,967.3
कीमत अर्जन अनुपात @		18.9		22.7
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण(%) @@		64.1		79.2
नकदी खंड का कुल कारोबार		28,084.9		43,296.6
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		382,114.1		556,064.5

...: कुछ नहीं &: अर्नातिम. \$: इसमें संस्थागत स्थानन कार्यक्रम से भी संसाधन जुटाना शामिल है।

#: निवल मोचन @: समाप्ति अवधि के अनुसार @@: जीडीपी के आंकड़े नये आधार पर : 2011-12

स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई,सीएसओ और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 5 : मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं @	बकाया देयताएं \$
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	3.9	3.2	-0.5	7.6	53.7	59.6
1995-96	0.8	2.4	-1.7	4.9	49.4	57.3
2000-01	0.9	3.9	-0.6	5.5	53.9	59.4
2007-08	-0.9	1.1	-2.4	2.5	56.9	58.9
2008-09	2.6	4.5	1.1	6.0	56.1	58.6
2009-10	3.2	5.2	1.9	6.5	54.5	56.3
2010-11	1.8	3.2	0.2	4.8	50.5	52.1
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.8	51.1	52.9
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	50.8	52.3
2013-14	1.1	3.1	-0.2	4.4	50.0	51.7
2014-15 सं.अ.	0.8	2.9	-0.4	4.1	50.1	51.7
2014-15 अ.ले	0.8	2.9	-0.4	4.0
2015-16 ब.अ.	0.7	2.8	-0.4	3.9	48.9	50.3
राज्य*						
1990-91	1.7	0.9	-0.6	3.2	21.9	21.9
1995-96	0.7	0.7	-1.1	2.5	20.3	20.3
2000-01	1.7	2.5	0.2	4.0	27.3	27.3
2007-08	-0.5	-0.9	-2.9	1.5	26.6	26.6
2008-09	0.6	-0.2	-2.1	2.4	26.1	26.1
2009-10	1.2	0.5	-1.3	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	0.0	-1.6	2.1	23.5	23.5
2011-12	0.4	-0.3	-1.8	1.9	22.6	22.6
2012-13	0.5	-0.2	-1.7	2.0	22.1	22.1
2013-14	0.7	0.1	-1.4	2.2	21.4	21.4
2014-15 सं.अ.	1.3	0.1	-1.4	2.9	21.8	21.8
2015-16 ब.अ.	0.8	-0.4	-1.9	2.3	21.6	21.6
समेकित*						
1990-91	4.9	4.1	-0.2	9.1	62.9	68.9
1995-96	1.5	3.1	-1.7	6.3	59.4	67.3
2000-01	3.5	6.4	0.6	9.2	68.2	73.7
2007-08	-1.2	0.2	-5.0	4.0	69.5	71.4
2008-09	3.3	4.3	-0.8	8.3	69.7	72.2
2009-10	4.5	5.7	2.4	9.3	68.8	70.6
2010-11	2.4	3.2	-1.3	6.9	64.0	65.5
2011-12	3.2	4.1	-0.3	7.8	64.9	66.6
2012-13	2.3	3.4	-1.1	6.9	64.8	66.3
2013-14	1.9	3.3	-1.4	6.6	64.3	66.0
2014-15 सं.अ.	2.2	3.0	-1.7	6.9	65.3	67.0
2015-16 ब.अ.	1.5	2.4	-2.3	6.3	64.6	66.1

...: उपलब्ध नहीं अ.ले.: अनंतिम लेखे सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

*: 2013-14 से आगे के आंकड़े अनंतिम हैं एवं उनका संबंध 25 राज्य सरकारों के बजट से है।

@: केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

\$: केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

नोट: 1. समेकित घाटा/देयता संकेतकों पर आंकड़े केंद्र और राज्य सरकार के बीच अंतर-सरकारी लेनदेन के निवल हैं अर्थात्

क) राज्य सरकार के विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश ख) केंद्र से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम और ग) केंद्र सरकार के खजाना बिलों में राज्य सरकार के निवेश

2. नकारात्मक चिह्न (-) घाटा सूचकों में अधिशेष का संकेतक है।

3. 2011-12 के बाद जीडीपी आंकड़े 2011-12 के नये आधार पर है।

स्रोत: केंद्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 6: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (सं.अ)	2015-16 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	21,451.5	24,217.7	26,949.3	29,759.8	35,215.1	38,150.9
1.1 विकासात्मक	12,677.0	14,209.4	15,741.6	16,982.1	20,697.0	21,897.5
1.1.1 राजस्व	10,260.2	11,394.6	12,807.1	13,822.7	16,423.5	16,997.2
1.1.2 पूंजी	1,935.8	2,163.4	2,446.1	2,747.1	3,822.1	4,461.5
1.1.3 ऋण	480.9	651.3	488.4	412.3	451.4	438.8
1.2 अविकासात्मक	8,520.5	9,695.9	10,850.5	12,345.2	13,978.5	15,715.2
1.2.1 राजस्व	7,765.9	8,923.6	9,991.4	11,337.0	12,939.7	14,460.2
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	3,485.6	4,000.0	4,543.1	5,329.3	5,948.6	6,656.9
1.2.2 पूंजी	747.5	754.8	837.1	984.4	1,008.9	1,212.4
1.2.3 ऋण	7.0	17.5	21.9	23.8	29.9	42.6
1.3 अन्य	254.0	312.4	357.2	432.6	539.6	538.2
2 कुल प्राप्तियाँ	21,535.6	24,540.6	27,690.3	29,767.1	34,835.6	37,976.2
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	15,788.2	16,926.8	19,716.2	21,900.7	26,098.5	28,547.3
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	12,500.7	14,427.5	16,879.6	18,413.6	20,859.2	23,206.2
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	7,393.7	8,745.6	10,385.9	11,227.3	12,658.9	14,372.9
2.1.1.2 आय और संपत्ती पर कर	5,087.2	5,654.1	6,462.7	7,155.0	8,165.9	8,797.6
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधायन के)	19.8	27.9	30.9	31.3	34.4	35.8
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	3,287.5	2,499.3	2,836.6	3,487.1	5,239.3	5,341.1
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	250.8	288.7	355.4	400.4	385.4	347.9
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियाँ	322.9	441.2	389.2	390.7	438.0	773.4
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	82.1	253.7	129.3	93.5	92.8	77.1
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	240.9	187.5	259.9	297.3	345.2	696.3
3 सकल राजकोषीय घाटा [1 - (2.1 + 2.2)]	5,340.3	6,849.7	6,844.0	7,468.4	8,678.6	8,830.2
3क वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	5,104.8	6,725.2	6,771.9	7,395.5	8,581.6	8,718.4
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,147.1	3,898.3	3,352.8	3,358.6	-297.5	..
3A.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	1,849.7	1,391.8	548.4	1,081.3	-3,253.0	..
3क.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	1,957.7	2,826.9	3,419.1	4,036.9	8,879.1	8,718.4
3क.2 बाह्य वित्त पोषण	235.6	124.5	72.0	72.9	97.1	111.7
3ख वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	5,104.8	6,725.2	6,771.9	7,395.5	8,581.6	8,718.4
3ख.1.1 बाजार से उधार (निवल)	4,151.7	6,195.1	6,536.9	6,381.3	6,941.4	7,266.6
3ख.1.2 अल्प बचत (निवल)	-545.3	190.9	-85.7	-142.8	-577.7	-327.4
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधि (निवल)	362.4	334.3	329.9	306.7	351.3	344.0
3ख.1.4 आरक्षित निधि	35.6	178.5	-4.1	34.6	-127.5	56.5
3ख.1.5 जमाराशि और अग्रिम	342.9	122.1	27.2	255.4	203.9	131.9
3ख.1.6 नकदी शेष	-84.2	-322.9	-741.0	-7.3	379.4	174.8
3ख.1.7 अन्य	841.6	27.2	708.6	567.5	1,410.7	1,072.1
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	235.6	124.5	72.0	72.9	97.1	111.7
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	27.6	27.4	27.0	26.2	28.1	27.0
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	27.7	27.8	27.7	26.2	27.8	26.9
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	20.3	19.2	19.7	19.3	20.8	20.2
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	16.1	16.3	16.9	16.2	16.6	16.4
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	6.9	7.8	6.9	6.6	6.9	6.3

..: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणियाँ: 1. 2013-14 से राज्य के आंकड़ें अनंतिम हैं और वे 25 राज्य के बजट पर आधारित हैं।

2. 2014-15 तथा 2015-16 के जीडीपी आंकड़े क्रमशः अनंतिम अनुमान तथा बजट अनुमान पर हैं।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 7: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15P
1	2	3	4	5	6
अ. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ.ओ.बी.	256,159	309,774	306,581	318,607	316,741
2 आयात, सी.आई.एफ.	383,481	499,533	502,237	466,216	460,920
3 व्यापार शेष	-127,322	-189,759	-195,656	-147,609	-144,179
4 अदृश्य मदे, निवल	79,269	111,604	107,493	115,212	116,242
क) गैर कारक-सेवाएं जिसमें से:	44,081	64,098	64,915	72,965	75,683
सॉफ्टवेयर सेवाएं	50,905	60,957	63,504	66,958	70,400
ख) आय	-17,952	-15,988	-21,455	-23,028	-24,983
ग) निजी अंतरण	53,125	63,469	64,342	65,481	66,275
5 चालू खाता शेष	-48,053	-78,155	-88,163	-32,397	-27,937
आ). पूंजी खाता					
1 विदेशी निवेश, निवल (क +ख)	42,127	39,231	46,711	26,386	73,561
क) प्रत्यक्ष निवेश	11,834	22,061	19,819	21,564	32,627
ख) निवेश संविभाग	30,293	17,170	26,891	4,822	40,934
2 बाह्य सहायता, निवल	4,941	2,296	982	1,032	1,630
3 वाणिज्यिक उधारियां, निवल	12,160	10,344	8,485	11,777	2,729
4 अल्पावधि ऋण, निवल	12,034	6,668	21,657	-5,044	-924
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से:	4,962	16,226	16,570	25,449	11,618
अनिवासी जमाराशियां, निवल	3,238	11,918	14,842	38,892	14,057
6 रुपया ऋण सेवाएं	-68	-79	-58	-52	-81
7 अन्य पूंजी, निवल @	-12,416	-6,929	-5,047	-10,761	1,426
8 कुल पूंजी खाता	63,740	67,755	89,300	48,787	89,959
इ. भूल-चूक	-2,636	-2,432	2,689	-882	-616
ई. समग्र शेष [अ(5)+ आ(8)+इ]	13,050	-12,831	3,826	15,508	61,406
उ. मौद्रिक गतिविधियां (ऊ + ए)	-13,050	12,831	-3,826	-15,508	-61,406
ऊ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल					
ए. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-,कमी+) जिसमें से: एसडीआर आबंटन	-13,050	12,831	-3,826	-15,508	-61,406
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1 व्यापार संतुलन	-7.5	-10.3	-10.7	-7.9	-7.0
2 निवल सेवाएं	2.6	3.5	3.5	3.9	3.7
3 निवल आय	-1.1	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2
4 चालू खाता शेष	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3
5 पूंजी निवल (रिजर्व में परिवर्तन को छोड़कर)	4.5	3.0	5.1	3.4	7.4
6 विदेशी निवेश, निवल	2.5	2.1	2.5	1.4	3.6

अ. :अर्न्तम.

@: इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदे, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धरित निवल निधियां और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामलों।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्ति में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण कवरेज मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 8 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(अमरीकी मिलियन \$)

स्रोत/उद्योग	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 P
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	14,939	23,473	18,286	16,054	24,748
देश-वार अंतर्वाह					
मॉरीशस	5,616	8,142	8,059	3,695	5,878
सिंगापुर	1,540	3,306	1,605	4,415	5,137
यू.एस.ए.	1,071	994	478	617	1,981
साइप्रस	571	1,568	415	546	737
जापान	1,256	2,089	1,340	1,795	2,019
नीदरलैंड्स	1,417	1,289	1,700	1,157	2,154
यूनाइटेड किंगडम	538	2,760	1,022	111	1,891
जर्मनी	163	368	467	650	942
यू.ए.ई.	188	346	173	239	327
फ्रांस	486	589	547	229	347
स्विट्जरलैंड	133	211	268	356	292
हॉंग कॉंग	209	262	66	85	325
स्पेन	183	251	348	181	401
चीन	2	73	148	121	505
मलेशिया	40	18	238	113	219
दक्षिणी कोरिया	136	226	224	189	138
लक्जेंबर्ग	248	89	34	539	204
अन्य	1,142	892	1,154	1,015	1,250
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	4,793	9,337	6,528	6,381	9,613
निर्माण	1,599	2,634	1,319	1,276	1,640
वित्तीय सेवाएँ	1,353	2,603	2,760	1,026	3,075
स्थावर-संपदा क्रियाएँ	444	340	197	201	202
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रेषण	1,338	1,395	1,653	1,284	1,284
संचार सेवाएँ	1,228	1,458	92	1,256	1,075
व्यापार सेवाएँ	569	1,590	643	521	680
विविध सेवाएँ	509	801	552	941	586
कम्प्यूटर सेवाएँ	843	736	247	934	2,154
रेस्तरां व होटल	218	870	3,129	361	686
फुटकर व थोक व्यापार	391	567	551	1,139	2,551
खनन	592	204	69	24	129
परिवहन	344	410	213	311	482
व्यापार	156	6	140	0	228
शिक्षा, अनुसंधान व विकास	56	103	150	107	131
अन्य	506	419	43	293	232

अ: अर्न्तम

टिप्पणी: इसमें केवल एसआईए/एफआईपीबी और आरबीआई मार्ग के जरिए किए गए एफडीआई शामिल हैं।

